खण्ड-429, अंक-7
बुधवार, 19 फाल्गुन, शक संवत् 1920
(10 मार्च, 1999 ई0)

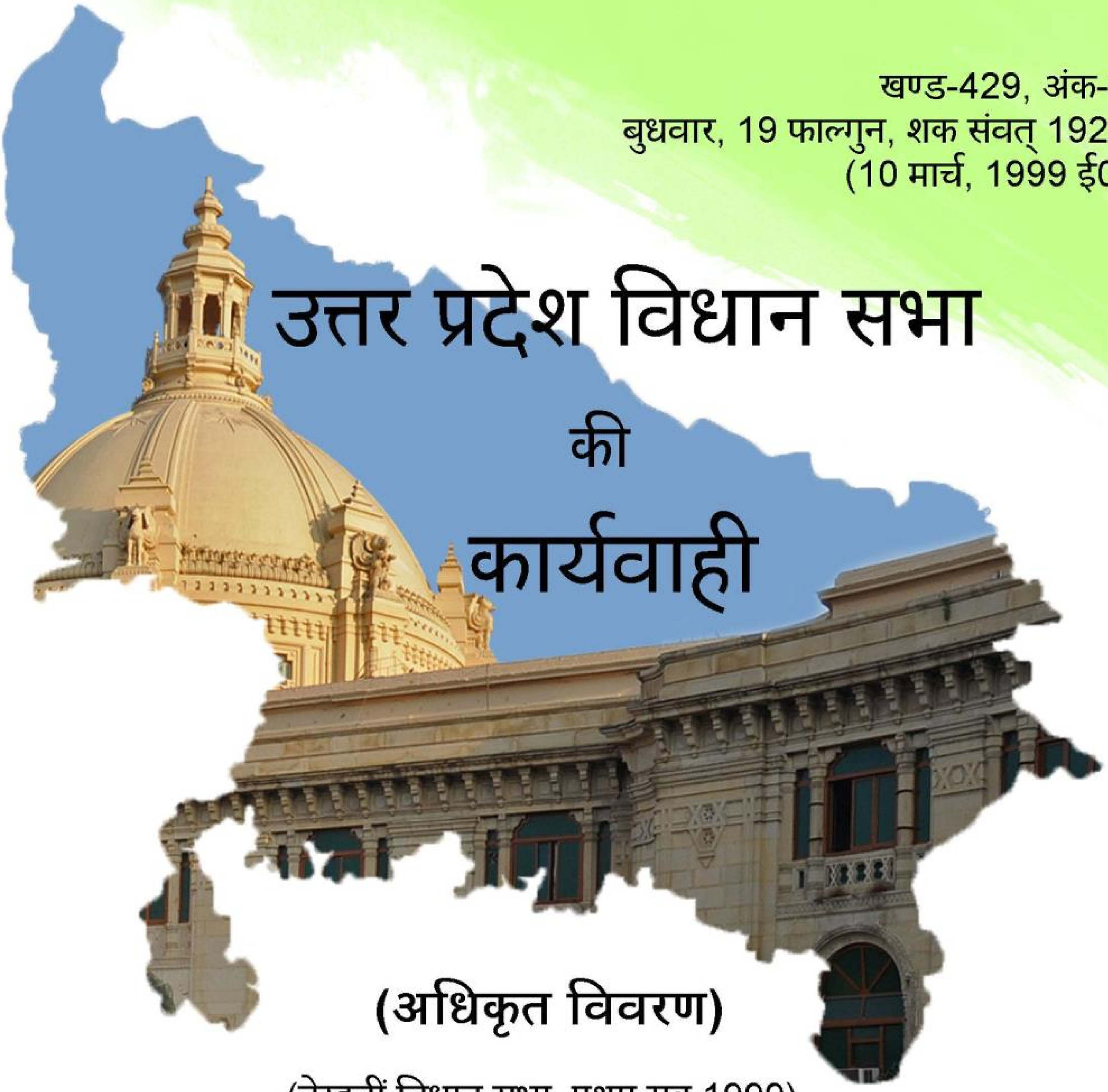

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 429 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ख
नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को उठाये जाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1-97
अयोध्या के साधुओं द्वारा किये जा रहे आमरण अनशन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	97
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	97-98
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	98
टिहरी बांध विस्थापितों के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन द्वारा भूमि की खरीद में कथित घोटाले की सी०बी०आई० से जांच कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
आगरा महानगर के गोकुलपुरा में प्रतिवर्ष लगने वाले गणगौर मेले हेतु समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	99
श्री छत्रसाल जिला पंचायत हाई स्कूल, नाराहट, ललितपुर के प्रधानाध्यापक पद पर माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा चयन होने के बावजूद कार्यभार ग्रहण न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	99
लखीमपुर नगर में स्वीकृत 33 के०वी० का नया उपकेन्द्र शीघ्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99-100
जनपद सुल्तानपुर के गांव पूरे सुजान मौजा बड़नपुर के एक गरीब परिवार की सुरक्षा कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
लखनऊ जनपद के विकास खण्ड गोसाईगंज के कतिपय गांवों के किसानों की सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
मेरठ के दबथुआ तक चलने वाली सिटी बसों को सरूरपुर खुर्द तक चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100-101
नियम 301 की सूचना के संबंध में जानकारी	101
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	101
श्री रामवीर उपाध्याय की सुरक्षा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	101
शासन द्वारा जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	102-103
व्यवसायिक बैंकों में ऋण जमा अनुपात को निरन्तर गिराते जाने विषयक औचित्य का प्रश्न (जारी)	103-104
शासन द्वारा जाति धर्म के आधार पर भेदभाव किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)	105–107

विषय	पृष्ठ-संख्या
व्यवसायिक बैंकों में ऋण जमा अनुपात को निरन्तर गिराते जाने विषयक औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)	107-108
क्षेत्राधिकारी, उरई सिटी द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अभियुक्त को निर्धारित अवधि में न्यायालय में प्रस्तुत न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	108-113
लखनऊ के अलीगंज स्थित शेखूपुरा कालोनी से अवैध कब्जों को हटाये जाने विषयक श्री पी० के० बोस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	113
जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में "हुलवाना ड्रेन" का निर्माण कराये जाने विषयक श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	114
जनपद मथुरा स्थित राजकीय संग्रहालय का विस्तार कराये जाने विषयक श्रीमती चन्द्रावती पोइया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	114
जनपद मथुरा में गोवर्धन छाता मार्ग को चौड़ा कराये जाने विषयक श्री छोटे लाल बेधड़क द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	114
जनपद रायबरेली के डलमऊ क्षेत्र थाना ऊंचाहार अन्तर्गत ब०स०पा० कार्यकर्ता श्री पप्पू की गुण्डों द्वारा हत्या किये जाने का प्रयास नियम–311 के अन्तर्गत सूचना	114-117
नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 (अध्यादेश संख्या–5 सन् 1999) का संकल्प (स्वीकृत)	117-119
आज राजस्व विभाग के बजट पर बजट साहित्य उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	120-130
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) ....(जारी)	130-139
विधान सभा सदस्य, श्री सरवर अली खां एवं श्री कमला प्रसाद रावत तथा पूर्व सदस्य, श्री छोटे लाल यादव के साथ जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	139-140
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) ....(जारी)	140-148
कार्य-सूची की विस्तृत अन्य मदों के कारण प्रस्तुत अनुदान की मांगों पर चर्चा का समय निर्धारित किये जाने की मांग	148

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) ....(स्वीकृत)	148-158
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग) एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग ...(स्वीकृत)	158-179
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग ...(स्वीकृत)	180
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग ... (स्वीकृत)	180-190
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1998 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1999 (संकल्प अस्वीकृत जैसा विधान परिषद् से पारित हुआ.....तथा विधेयक पारित)	191-195
प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण न होने से उत्पन्न स्थिति विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा .....(जारी)	195-198
निजी क्षेत्र के अन्तर्गत बस्ती एवं वाल्टरगंज की चीनी मिलों पर चर्चा, लोक सभा एवं विधान सभाओं का कार्यकाल निश्चित रूप से पांच वर्ष का किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा, उ० प्र० विधान मण्डल के सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन के सम्बन्ध में विचार, प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के हजारों प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में वक्तव्य, सन्त रविदास नगर (भदोही) छः सात वर्ष पूर्व कराये गये बैनामे में स्टाम्प शुल्क की कमी दिखाकर किसानों का उत्पीड़न के सम्बन्ध में वक्तव्य, जनपद सिद्धार्थनगर में पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत मा० सदस्य द्वारा प्रस्तावित परियोजना को स्वीकृत न किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य, जनपद चित्रकूट की तहसील मऊ में पात्र व्यक्तियों को प्रदत्त पट्टों की अमल-दरामद न होने के सम्बन्ध में वक्तव्य, जनपद मथुरा में डी०आर०डी०ए० द्वारा सड़कों/लिंक मार्गों के निर्माण में कथित धांधली के सम्बन्ध में वक्तव्य, जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में मसकनवां में राजकीय कन्या हाई स्कूल को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य, मा० शिक्षा परिषद् द्वारा हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट के परीक्षा केन्द्रों को 8 से 10 कि०मी० की दूरी पर निर्धारित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य तथा जनपद बिजनौर के अन्तर्गत स्योहारा गन्ना मिल द्वारा प्रदूषित जल को गागन नदी में प्रवाहित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य के स्थगन का प्रस्ताव .... (स्वीकृत)	198
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	198-200
नत्थियां	201-217

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 10 मार्च, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
अमरमणि, श्री	महराजगंज
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
ओंकार सिंह, श्री	एटा
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
काजी मोहम्द मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
के० सी० सिंह, ''बाबा'', श्री	ऊधम सिंह नगर
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव
गोमती यादव, श्री	लखनऊ
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नारायण राम दास श्री	अल्मोड़ा
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बंश नारायण सिंह, श्री	भदोही
बाबू राम, श्री	जालौन
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
बिहारी लाल आर्य, श्री	झांसी
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
भगवान सिंह शाक्य, श्री	बदायूं
मंगल सिंह सैनी, श्री	मुरादाबाद
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
महेन्द्र अरिमर्दन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र कुमार, श्री	बुलन्दशहर
मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
मुराद लारी, श्री	देवरिया
मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
मुहर सिंह अम्बाडी, श्री	इटावा
यशवंत, श्री	आजमगढ़
योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री	देवरिया
रघुवर दयाल वर्मा, श्री	फिरोजाबाद
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
राजधारी, श्री	बलिया
राजा गजनफर अली खां, श्री	बिजनौर
राजाराम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं

राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
राम पाल सिंह, श्री	गोण्डा
राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
वहोरन लाल मौर्य, श्री	बरेली
विक्रमाजीत मौर्य, श्री	इलाहाबाद
विजय प्रकाश सिंह, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय ''बिन्नू'' श्री	गोण्डा
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सतीश शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
सरवर अली खां, श्री	बाराबंकी
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 10 मार्च, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को उठाये जाने का प्रयास

(माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होते ही श्री रामवीर उपाध्याय सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि श्री रामवीर उपाध्याय जो इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं .....

श्री अध्यक्ष–

आपकी यह सूचना नियम–300 में आयी है । इसको प्रश्नकाल के बाद ले लेंगे । इसके बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को मालुम है कि अध्यक्ष के कक्ष में जो वार्ता होती है उसका उल्लेख नहीं करते हैं, लिखित सूचना का उल्लेख नहीं करते हैं । लेकिन सूचना का उल्लेख कर दिया है । प्रश्नकाल के बाद जब नियम–300 की सूचना ली जायेगी तब मैं इसको ले लूंगा । मैं माननीय उपाध्याय जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपने स्थान पर जायें । जब नियम–300 की सूचना आयेगी तब विचार कर लिया जायेगा । मैं थोड़ी देर के लिए बीच में उठूंगा ।

(श्री रामवीर उपाध्याय अपने आसन पर वापस गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत.....

श्री अध्यक्ष–

वह भी प्रश्नकाल के उपरान्त लेंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, कल भी मैंने निवेदन किया था और आपने यह कहा था कि प्रश्नकाल के बाद टेक अप करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल के बाद ले लेंगे ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के वित्तीय संकट के समाधान हेतु विशेष वित्तीय पैकेज दिये जाने की जानकारी

**1–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय संकट के समाधान हेतु उन्होंने प्रधान मंत्री, भारत सरकार से प्रदेश हेतु कोई विशेष वित्तीय पैकेज दिये जाने की मांग की है ? यदि हां, तो कब और वह क्या है ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संसदीय कार्य (श्री हुकुम सिंह)–

जी हां ।

मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा मा० प्रधान मंत्री को दिनांक 8-1-1999 की औपचारिक बैठक में दिया गया पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप राज्य में वेतनमान लागू करने के कारण लगभग 5,000 करोड़ रुपये के एक मुश्त व लगभग 2,500 करोड़ रु० प्रतिवर्ष के व्यय भार के कारण बिगड़ी वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु केन्द्र सरकार के समक्ष निम्न प्रस्ताव रखे गये :–

(1) केन्द्र सरकार के ऋण एवं उस पर दिये जाने वाले ब्याज की अदायगी को 3 वर्ष के लिये स्थगित किया जाय ।

(2) वेज एण्ड मीन्स (अर्थोपाय अग्रिम) की वर्तमान सीमा में वृद्धि की जाय ।

(3) अतिरिक्त बाजार ऋण के अन्तर्गत 500 करोड़ की स्वीकृति और दी जाय ।

(4) पर्वतीय क्षेत्र (उत्तरांचल) तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम हेतु केन्द्र सहायता अवमुक्त की जाय ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से प्रस्ताव भेजे गये थे और किन-किन की मंजूरी मिल गयी है और कितना-कितना धन केन्द्र सरकार से प्राप्त हुआ है ? दूसरे, वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर प्रशासनिक खर्चों में मितव्ययिता बरतने के उद्देश्य से कौन-कौन से उपाय किये हैं और उनके क्या परिणाम आये हैं ?

* श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय प्रधानमंत्री जी को जो प्रस्ताव दिया गया था उसका उल्लेख तो मैंने मूल उत्तर में किया है जो प्रश्न है कि क्या-क्या स्वीकृति हुई, जहां तक वेज एण्ड मीन्स का सम्बन्ध है जो सीमा पहले थी उसको बढ़ाकर सामान्य सीमा को 422 करोड़ रुपये किया गया है पहले यह सीमा 285.60 लाख थी । दूसरा, अतिरिक्त बाजार ऋण के रूप में 500 करोड़ रुपये की मांग थी उसमें 400 करोड़ रुपये की स्वीकृति हो गयी है उसमें 400 करोड़ रुपये का बांड फ्लोड किया गया था जो प्राप्त हो गया ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा दूसरा मितव्ययिता बरतने और उसके परिणामों के सम्बन्ध में था इसके अलावा जो केन्द्र सरकार ने कर बढ़ाये हैं उसमें लेवी का हिस्सा प्रदेश सरकार को मिले, इसका प्रस्ताव किया गया है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पैकेज के बारे में तो मैंने उत्तर दे दिया । जहां तक केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये करों का सम्बन्ध है । एण्टी टैक्स के रूप में प्रस्ताव भेजा है केन्द्र सरकार से जवाब नहीं आया है, हमें उम्मीद है कि उसमें 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी हो जायेगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिकारियों द्वारा विधायकों के साथ शिष्टाचार व प्रोटोकाल का पालन करने के निदेश

**2–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सरकार जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को विधायकों के प्रति शिष्टाचार एवं प्रोटोकाल का पालन करने एवं प्राथमिकता के आधार पर विधायकों से मुलाकात करने का स्पष्ट निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

इस आशय के निदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह निदेश कब जारी किये गये । दूसरे, निर्देश का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई समयबद्ध तरीके से कार्यवाही करेगी ? तीसरे, इस तरह के आदेश जारी होंगे कि अगर अधिकारी उपलब्ध नहीं है और उनके पास फोन नम्बर छोड़ दिया जाय तो वह कालबैक करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जारी निर्देशों के सम्बन्ध में 7 मई, 1990 से लेकर 29 सितम्बर, 1998 तक की मेरे पास जानकारी है । इसमें बार-बार दोहराया गया है । यह संसदीय कार्य विभाग द्वारा भी प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा भी और केन्द्र सरकार द्वारा भी जो जारी निर्देश हैं उनका संकलन प्रस्तुत है । अभी 3 फरवरी, 99 को एक पुस्तक संकलित करके आप सबकी सेवा में भेजी भी गयी है । ताकि सभी माननीय सदस्यों को जानकारी हो जाये । उसमें प्रदेश सरकार की ओर से केन्द्र सरकार की ओर से इस विषय पर ध्यान ही नहीं आकृष्ट किया गया है बल्कि स्पष्ट निर्देश भी दिये गये हैं कि माननीय सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार होगा जब वे आयेंगे तो कैसे शिष्टाचार बरतेंगे और जब वापस जायेंगे तो उनको कैसे बिदा किया जायेगा और जहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम होता है उसमें माननीय सदस्यों के लिए सीट आरक्षित की जाये, सरकार का कोई सर्वोच्च अधिकारी हो तो उनके ऊपर प्राथमिकता देकर सीट आरक्षित की जाये । रही कार्यवाही की बात, तो किसी अधिकारी ने इनका पालन नहीं किया है तो जानकारी आयेगी तो निश्चय ही कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम ललित चौधरी–

हम लोग टेलीफोन करते हैं तो उसके जवाब में टेलीफोन भी नहीं करते तो क्या रिंग बैक करने का निर्देश सरकार जारी करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

यह सामान्य शिष्टाचार में शामिल है । मैं आपकी बात को इनकार करने की स्थिति में नहीं हूं । मुझे भी यह शिकायत है । यह हमारी आदत होनी चाहिये कि यदि विधायकगण टेलीफोन करें तो उसके जवाब में अधिकारीगण टेलीफोन अवश्य करें, जब वह उपलब्ध हों और उनसे पूछें कि क्या सेवा हमारे लिये है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, इसका परिपत्र जारी कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी जी का अनुरोध है कि इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी कर दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं सहमत हूं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

जनप्रतिनिधियों के प्रति अधिकारीगणों के शिष्टाचार के संबंध में जो शासनादेश जारी हुआ है, अगर उचित समझें तो एक प्रति पिजन होल के माध्यम से समस्त विधायकों को उपलब्ध करा दें । एक बार उसका नवीनीकरण हो जाय तथा इसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित भी करा दें कि जो अधिकारी शिष्टाचार का पालन नहीं करेंगे, उनके साथ कड़ाई से सरकार पेश आयेगी । क्या इस पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हमने एक संकलन भिजवाया है, संभवतः आप लोगों को मिला होगा । अगर नहीं मिला है तो मिल जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त यदि विभाग के स्तर पर कोई बात है तो मैं निश्चित करूंगा कि पिजन होल के माध्यम से वह आपको मिल जाय ।

दूसरी बात, सदस्यों की जो चिन्ता है, मैं सदन का मूड देख रहा हूं , निर्देशों के बावजूद भी इसका पालन नहीं हो रहा है । मैं भी चाहता हूं कि विधायकों को सम्मान मिलना चाहिये और इस संबंध में हमें आपको मिलकर ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिये कि सम्मान मिले । यदि यह बात निर्देशों के द्वारा ही हो जाती, तो जो सबसे पहले निर्देश गया था, उसको दोहराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती । मैं फिर लिख दूंगा लेकिन लिखने के बाद पालन न हो, यह चिन्ता की बात है । एक दर्जन बार पत्र चला गया है, केन्द्र सरकार के पास भी चला गया है । हम यह सुनिश्चित करें कि हम ढिलाई न बरतें, अगर कहीं शिष्टाचार का पालन नहीं हुआ है तो शिकायत अवश्य करें ताकि कार्यवाही करने में सुविधा मिल सके ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं अपनी बीती घटना बता रहा हूं । मैंने जिला पुलिस अधीक्षक के पास लिखित भेजकर समय मांगा और मैंने लिखा कि मैं आज दिनभर हूं और आपसे मिलना चाहता हूं । उन्होंने समय दिया और मैं उस समय पर वहां गया । बात सदन की गरिमा और मेरी गरिमा के अनुकूल नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ लेकिन इसके बाद उस दिन से मुझे तय करना पड़ा कि मैं अब किसी अधिकारी से मिलने नहीं जाऊंगा । मेरे जैसा व्यक्ति जिसे संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला था और मुझ अकिंचन को उस पीठ पर भी काम करने का मौका मिला है, मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा आचरण हुआ है । यदि संसदीय कार्य मंत्री जी चाहते हैं तो उस अधिकारी को तलब कर लीजिये अथवा मेरी बात सही मानकर जैसा भी आप जांच कराना चाहें, करा लें । लेकिन ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही अवश्य कर दीजिये, देखें कैसे नहीं सुनेगा ? मान्यवर, मैं आपसे भी चाहूंगा कि अगर इस

सदन के सदस्यों की गरिमा चाहते हैं तो ऐसे अधिकारी, जिनके लिये मैं कह रहा हूं, कार्यवाही अवश्य होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, इसका संज्ञान ले लें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है, माननीय सदस्य ने जो कहा है, सदन में कहा है और हम इसका संज्ञान भी लेंगे । और उस अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कार्यवाही भी करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

यह तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप है कि किसी भी व्यक्ति को दण्डित करने के पहले उसे अपनी बात कहने का अवसर दिया जाना चाहिये, स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाना चाहिये और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यही कहा है ।

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय विधायकों या संसदों से मिलने का समय निर्धारित करके एक पट्टिका लगा दी जानी चाहिये और उस समय वह अपने कक्ष में उपलब्ध रहें, लेकिन अधिकारी उपलब्ध नहीं रहते हैं, पता चलता है कि वह मीटिंग में चले गये हैं, तो शासन स्तर से इस तरह के निर्देश चले जाने चाहिये कि निर्धारित समय में वह अपने कक्ष में अवश्य रहें, जब वह नहीं रहते हैं तो बहुत असुविधा होती है ।

श्री हुकुम सिंह–

इस समय जो व्यवस्था की गयी है यह है कि 10 बजे से 12 बजे तक कोई मीटिंग न लगायी जाये और कोई कार्यक्रम न लगाया जाये, यह वर्तमान सरकार के निर्देश हैं, अगर कोई अधिकारी नहीं मिलता है, तो वह आदेशों के न पालन करने का दोषी है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, चूंकि यह प्रकरण चल रहा है और मेरी तो धारणा थी कि यह प्रकरण सदन में न उठे, लेकिन चूंकि यह प्रकरण आ ही गया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप उस कुर्सी पर विराजमान हैं, तो हमारा दायित्व है कि पहले हम आप से नमस्ते करें । अगर यह सिस्टम कोलैप्स हो गया तो प्रजातंत्र ही समाप्त हो जायेगा । अगर विधायक डी०एम० से टेलीफोन करता है तो डी०एम० को पहले नमस्ते करना चाहिये, वह विधायक का काम करें या न करे यह अलग बात है । यह एक प्रिविलेज है । आप इसका स्पष्टीकरण कर दें, जिससे दिक्कत न आवे ।

श्री अध्यक्ष–

महाजनो येनः गतः सपन्थः । अगर विधायक पहले नमस्ते कर लेगा तो छोटा तो हो नहीं जायेगा । यह प्रश्न तो यहां पर आना ही नहीं चाहिये था ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, शाक्य जी ने एक सिस्टम की बात कही है । कहीं न कहीं हम भी दोषी हैं । कैसे सिस्टम बरबाद होता है, इसके हमारे पास कई उदाहरण हैं ?

मान्यवर, यह सिस्टम बर्बाद किसने किया इस पर विचार करें जब मुख्य मंत्री अधिकारियों को ऊपर बैठाकर मंत्रियों और विधायकों को [×××] नीचे बैठायेंगे तो फिर आप सिस्टम की बात करते हैं इसको दोबारा जीवित न करिये, आइए सहयोग से चलें ताकि मर्यादा बनी रहे ।

(शोर)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, इस तरह से संदेश विधायकों के खिलाफ चला जायेगा यह संदेश सदन से जाना चाहिये कि जनप्रतिनिधियों और विधायकों का सम्मान हो, नहीं तो जो शिष्टाचार का सिस्टम है वह कोलैप्स हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

शिष्टाचार का अनुपालन होना चाहिए इसको संसदीय कार्य मंत्री जी सुनिश्चित करेंगे ।

श्री उदय राज यादव–

समय समय पर विधान सभा के अन्दर यह बात आती है कि विधायकों को अधिकारियों द्वारा सम्मान नहीं दिया जा रहा है । सरकार ने ऐसे निर्देश जारी किये हैं कि विधायकों का सम्मान हो । मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी अधिकारी के विरुद्ध जिसने विधायक का सम्मान नहीं किया है उसके खिलाफ कार्यवाही की गयी है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष–

कितने जिले प्रदेश में हैं ? यह सवाल उससे सम्बन्धित हो जायेगा कहां से बतायेंगे । संसदीय कार्य मंत्री जी सूचना अगर हो तो बता दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री उदय राज यादव–

मैंने अपने जनपद के एक अधिकारी के खिलाफ शिकायत भेजी कि वह जनप्रतिनिधियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं, उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, अधिकारियों का व्यवहार विधायकों के प्रति खराब होता जा रहा है । मेरे यहां एक तहसीलदार रामजी चौबे हैं ।

[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजिए ।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, जब बाढ़ का समय था तो मैं [×××] तहसीलदार के पास यह बताने गयी थी कि नाव की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है, दीजिए [×××] मैंने इस बात को यहां उठाया था लेकिन इस सरकार ने उसका स्थानान्तरण तक नहीं किया उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की बात कौन कहे । यह बड़े दुख और विडम्बना की बात है अधिकारियों के पास कोई काम लेकर जाता है तो अधिकारी दो तरह का व्यवहार करते हैं, अगर सत्ता पक्ष का विधायक है तो उनकी बात पर ध्यान देते हैं और अगर विपक्ष का है तो उसकी बात पर ध्यान नहीं देतें । मान्यवर, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? अब तक उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है ?

श्री अध्यक्ष–

उसने कुछ कह दिया तो उसको विधान सभा की कार्यवाही का अंग न बनाये ।

एक सदस्य–

[×××] उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्रीमती गौरी देवी–

[×××] के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी घोषणा करें, उनको निलम्बित कर देना चाहिए यह गम्भीर मामला है । उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उसने जो कहा उसकी सार्वजनिक घोषणा क्यों कर रही हैं, इसे कार्यवाही का हिस्सा क्यों बना रही हैं ?

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, इनकी सूचना को सही मानते हुये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि सरकार को निर्दिष्ट करें कि जांच करायी जाये और उस अधिकारी को हाऊस में तलब किया जाये ।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, पिछले सदन में मामला उठाया था । वह अधिकारी उसी जगह पर आज भी है । जब हम उसके पास जाते हैं तो वह उपेक्षा करता है । बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि सदन में मामला उठाया था ।

श्री राम सिंह सैनी–

यह व्यवस्था का सवाल है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं ।

[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, श्रीमती गौरी देवी का यह कहना है कि जब गोरखपुर में बाढ़ आयी थी तो इन्होंने किसी अधिकारी विशेष से जिसका नाम इन्होंने लिया है, सम्पर्क किया था और उन्होंने इनके बारे में कुछ अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया । यह बात सदन की कार्यवाही में आ चुकी है । उसका संज्ञान ले लिया जाये । आपका कहना है कि अभी तक उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई । इसको देख लीजिए ।

श्री लालजी वर्मा–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो निर्देश जारी किये हैं उसमें यह दिया है कि विधायक किसी विषय के सम्बन्ध में पत्र लिखता है तो उसका जवाब मिलना चाहिए । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पुनः कोई ऐसी कार्यवाही करेंगे कि जो सम्बंधित विधायकों के पत्र किसी कार्यवश लिखा जाता है उसका समुचित उत्तर उसको प्राप्त हो जाये ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह निर्देश पहले से ही हैं ।

श्री सुधाकर सिंह–

मान्यवर, किसी विधायक के पत्र का उत्तर किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं दिया जा रहा है ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, निर्देश के बाद भी मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं कि हम लोग लगातार जो भी पत्र किसी को भी लिखते हैं, पहले तो मुझे याद है कि जो पत्र लिखते थे उसका जवाब आता था । इस समय किसी भी अधिकारी का जवाब नहीं आता है कि क्या कार्यवाही की जा रही है । इसलिए मैं यह चाहता हूं कि कोई इस तरह की व्यवस्था बनाने का प्रयास करें जिससे सम्बन्धित विभागों के पत्र का जवाब अवश्य प्राप्त हो ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, विचार कर लीजिए ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल की योजना का सर्वेक्षण/नियोजन का विवरण

*2–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या 20 वर्षों बाद प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल की कोई सक्षम योजना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाई गयी है ? यदि हां,

तो उस योजना का सर्वेक्षण एवं नियोजन कब और किस संस्था द्वारा किया गया है ? उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

जी हां ।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त ग्रामों का सर्वेक्षण वर्ष 1972 तथा तत्पश्चात् वर्ष 1985 में जल निगम द्वारा किया गया था । भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 1991 में ग्रामों के स्थान पर बस्तियों को इकाई मानने के कारण जल निगम द्वारा 1991-93 में पुनः सर्वेक्षण कराकर 2,74,641 बस्तियां चिन्हित की गईं, जिन्हें 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा भविष्य की 15 वर्ष की जनसंख्या की आवश्यकता के लिये पेयजल सुविधा वर्ष 2002 तक धन की उपलब्धता के अनुसार उपलब्ध कारने की योजना है । 40 ली० के आधार पर संतृप्तिकरण हो जाने के उपरान्त जल मात्रा में वृद्धि करने पर विचार किया जायेगा ।

नगर क्षेत्रों को आगामी 30 वर्षों की जनसंख्या के लिए 70 से 150 ली, प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन की दर से पेयजल सुविधा धन की उपलब्धता के अनुसार उपलब्ध कराने की योजना है ।

लागू नहीं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस गम्भीर प्रश्न का उत्तर बड़े सतही तौर पर दिया गया है । लक्ष्य हमारे क्या हैं ? आज भूगर्भ जल स्तर नीचे जा रहा है जो हैण्ड पम्प लगे हैं उनमें से 40 प्रतिशत हैण्ड पम्प पानी नहीं दे रहे हैं । जनसंख्या में वृद्धि स्वाभाविक है वह रोकी नहीं जा सकती । पानी के रिचार्ज के लिए भी कोई योजना का उल्लेख उत्तर में नहीं आया । तो क्या माननीय मंत्री जी बता सकेंगे कि 20 वर्ष बाद प्रदेश की मोटे तौर पर अपेक्षित जनसंख्या क्या होगी ? इसके लिए कितने पानी की उपलब्धता की आवश्यकता होगी । जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके आधार पर 20 वर्ष बाद भूगर्भ जल स्तर की क्या स्थिति होगी ? तीसरे यह भूगर्भ जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है तो आप क्या कोई सक्षम योजना रिचार्जिंग के लिए बनायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, डंग जी की चिन्ता स्वाभाविक है । हम सभी इस चिन्ता से सहमत हैं । इसके निराकरण के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाई जा रही है और प्रदेश की जल नीति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी गई है जैसे ही वह रिपोर्ट देगी उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी । जहां तक जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत है करीब ढाई प्रतिशत प्रतिवर्ष आबादी बढ़ जाती है । इसमें शक नहीं कि अगर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हमें बहुत सी व्यवस्थाएं करनी होंगी । जो भी व्यवस्थाएं हो रही हैं । धन की उपलब्धता के अनुसार हो रही हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मेरा उत्तर अधूरा है मैंने कहा था कि 20 साल बाद भूगर्भ जलस्तर की स्थिति क्या होगी ? दूसरी बात भूगर्भ जलस्तर के रिचार्जिंग की कोई योजना है ? यह उत्तर नहीं आए ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैंने निवेदन किया कि जो सम्बन्धित जल नीति बन रही है वह आज भूगर्भ जल स्तर क्या है ? आगे आने वाले दिनों में क्या होगा ? जल का अनुरक्षण कैसे किया जाए, पानी का रिचार्जिंग कैसे किया जाए, सिंचाई, पेयजल की आगे व्यवस्था कैसे होगी वह समिति इस पर विचार करेगी और उसी के आधार पर नीति तय की जाएगी ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

जो गांव संतृप्त हो चुके हैं वहां पर हैण्ड पम्प बिल्कुल नहीं लगे हैं । सूखा ग्रस्त घोषित हो चुके हैं, वहां क्या व्यवस्था की जाएगी । मेरे विधान सभा क्षेत्र में 12 गांव सभाएं ऐसी हैं जहां सारे कुंए सूख गए हैं, वहां पर टैंकर भेजे जाऐंगे कि हैण्ड पम्प लगेंगे । वहां कागज पर हैण्ड पम्प लग चुके हैं, जो सूखा ग्रस्त हो चुके हैं वहां पर क्या व्यवस्था करेंगे ? मा० अध्यक्ष प्रश्न अगले 20 वर्ष की स्थिति के बारे में हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का यह प्रश्न है कि वर्तमान सूखे ग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल पहुंचाने और हैण्डपम्प लगाये जाने की कोई व्यवस्था है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जहां कहीं भी इस तरह का जल संकट होगा, वैसे श्री चन्द्रनाथ सिंह जी का प्रश्न 14 नम्बर पर लगा हुआ है उस समय हम इसका जवाब दे देंगे लेकिन फिर भी जहां कहीं भी इस प्रकार के पेय जल की कठिनाई होगी वहां पर तत्काल व्यवस्था की जायेगी, इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, सरकार द्वारा पेयजल के समाधान के लिए हैण्ड पम्प लगाये जाने की योजना चलायी जा रही है और हैण्डपम्पों की संख्या के आधार पर किसी भी गांव को संतृप्त मान लिया जाता है । 250 की आबादी पर एक हैण्ड पम्प लगाया जाता है । यदि किसी गांव के अन्दर एक हैण्ड पम्प लगा है तो उसे संतृप्त मान लिया जाता है । होता यह है कि वह हैण्ड पम्प एक हिस्से में लगा होता है और 2/3 हिस्से में कोई भी हैण्ड पम्प नहीं लगा होता है परन्तु उसे संतृप्त मान लिया जाता है । इसलिए ऐसे स्थानों पर हैण्डपम्प लगाने हेतु सरकार कोई अलग से प्राविधान करेगी । दूसरा, कई गांवों में पानी की टंकियां हैं और कई वर्षों से वह ठप्प पड़ी हैं, पाईप न होने या टंकी खराब होने के कारण वह काम नहीं कर रही हैं परन्तु उस गांव को भी संतृप्त मान लिया जाता है जबकि वहां पर पेयजल का गम्भीर संकट है, तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे गांवों मे हैण्डपम्प लगाने की व्यवस्था करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, समरपाल जी का यह कहना सही है कि प्रदेश में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां 1/2 या 2/3 गांव में पेयजल की व्यवस्था हो गयी । चूंकि प्रभावशाली लोग थे उनके प्रभाव से किसी एक निश्चित क्षेत्र में हैण्डपम्प लगवा दिये गये परन्तु कुछ बस्तियां ऐसी हैं जिनमें आज तक पेयजल की व्यवस्था नहीं है । मैंने जल निगम को निर्देशित किया है कि प्रत्येक गांव का नक्शा तैयार किया जाय कि

कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर पेयजल की व्यवस्था है और 250 की आबादी पर वहां पर हैण्डपम्प लगाना चाहिए जहां पर भी कमी पायी जायेगी वहां पर पेयजल की व्यस्था करेंगे । पानी की टंकियों के बारे में भी माननीय समरपाल जी ने कहा यह बात भी सही है पानी की टंकियों में कहीं-कहीं पर पानी की उपलब्धता कम है जब बिजली की उपलब्धता कम होती है तो उससे कठिनाई होती है उन स्थानों पर भी पेयजल की व्यवस्था हो, अगर किसी विशेष स्थान के बारे में माननीय सदस्य इंगित करेंगे तो हम उसे खास तौर से दिखवा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि इस समय हैण्डपम्प और पेयजल पर बात हो रही है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कोई घोषणा करना चाहते थे उसे आप इस समय करेंगे या प्रश्नकाल के उपरान्त करना चाहेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, काफी दिनों से यह मामला चल रहा था और माननीय विधायकों ने भी चिन्ता व्यक्त की थी इसलिए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आगामी वित्तीय वर्ष अर्थात् 1999-2000 में सभी माननीय विधायकों की अपेक्षानुसार उनके क्षेत्र में 25 हैण्डपम्प लगाये जाने की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी । माननीय विधायकगण अपने विवेकानुसार इन हैण्डपम्पों को लगा सकेंगे । मैं एक दूसरी जानकारी भी देना चाहता हूं कि विधायक निधि के बारे में माननीय विधायकों ने चिन्ता व्यक्त की थी कि पैसा लैप्स हो जायेगा, प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि यह धनराशि लैप्स नहीं होगी । इस आशय के निर्देश जनपदों को भेजे जा रहे हैं ।

श्री मुन्ना चौहान

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि ....

श्री अध्यक्ष

मुख्य प्रश्न से संबंधित अनुपूरक पूछिये ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं यह पूछ रहा हूं कि जो 25 हैण्ड पम्प ....

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक पूछिये । यह तो मैंने बीच में घोषणा करने के लिये अनुमति दे दी । मुझे जानकारी हो गई थी इसलिये मैंने कहा कि आप अभी घोषणा करना चाहें तो कर दें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ग्राम्य विकास मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो माननीय डंग जी का प्रश्न था वह इस बात को लेकर के नहीं था कि इस वर्ष या अगले वर्ष हम क्या-क्या पेयजल की योजनाएं लागू करने जा रहे हैं । प्रश्न यह था कि 20 वर्षों बाद बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में पेयजल का जो संकट सन्निकट है उसके बारे में क्या योजना सरकार ने तैयार की है ? इसके बारे में मैं यह कह सकता हूं कि यह मिलियन डालर क्वैश्चन है । सवाल इस बात का नहीं है कि टैंक कहां बनेगा,

पाइप लाइन कहां बनेगी, हैण्ड पम्प कहां लगेंगे । प्रश्न यह है कि जल स्रोत और जल की उपलब्धता कैसे होगी ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चहाता हूं कि मेरी यह निश्चित जानकारी है कि वैज्ञानिक अध्ययन इस ओर इंगित करते हैं कि जो भूगर्भीय जल स्रोत हैं । मान्यवर आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि इसी लखनऊ के अन्दर एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार हुआ था और उसकी एक रिपोर्ट थी लखनऊ शहर के बारे में । उसके अन्दर प्रमुखतः से यह बताया गया कि भूगर्भीय जल के रिचार्जिंग के बारे में कौन से तत्व हैं । क्या सरकार भूगर्भ जल की रिचार्जिंग के लिये सुनिश्चित करेगी कि जितने भी कान्स्ट्रक्शन हो रहे हैं और विशेष रूप से जो कौन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, सीमेन्ट का कान्स्ट्रक्शन हो रहा है, कान्क्रीट का कान्स्ट्रक्शन हो रहा जिससे जमीन के अन्दर पानी जज्ब होने का सिलसिला खत्म हो रहा है उसके लिये कोई व्यवस्था करेंगे ? मैं एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि आप घर बनाने के लिये अनुमति देते हैं नक्शा पास करवाते हैं क्या यह निश्चित करेंगे प्रत्येक व्यक्ति जो घर बनवाता है वह भवन के इतने एरिया में से इतनी भूमि कच्ची छोड़ देगा उसको पक्का नहीं करेगा ताकि जो बरसात का पानी छत से बहकर आता है वह उस जमीन में जज्ब हो जायं । इस तरह का कोई रेग्युलेटरी एरेंजमेंट करेंगे ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह बहुत वृहत प्रश्न है । इसका सिर्फ एक विभाग से वास्ता नहीं है विभिन्न विभागों से संबंधित है । हम एक समन्वित जल नीति बनाने जा रहे हैं जिसमें सभी पहलुओं पर विचार करके एक नीति बनाई जायेगी और फिर उसको क्रियान्वित किया जायेगा । जहां तक पेयजल की कठिनाई है वह किसी से छिपी नहीं है । बढ़ती हुई जनसंख्या अपने आप में एक बड़ा दबाव है और नगरीय क्षेत्र की तरफ जो माननीय मुन्ना जी ने इंगित किया है कि शहरों में अधिक समस्या हो रही है । मान्यवर, जब तक यह समन्वित नीति नहीं बन जाती तब तक विचार करेंगे कि किस प्रकार से इस समस्या से निपटा जाय । माननीय सदस्यों के सुझावों के लिये मैं बहुत आभारी हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने बता दिया यह विभिन्न विभागों से संबंधित व्यापक प्रश्न है । जल नीति बनाई जा रही है उस पर विचार करेंगे ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मेरा स्पैसिफिक प्रश्न यह था किस सरकार को नीति निर्धारण में समय लगेगा लेकिन जो घर बन रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष–

आपने उदाहरण दिया उसको सुन लिया और उसके बाद कहा कि जल नीति में विचार किया जायेगा । यह एक विभाग से संबंधित नहीं है इस पर पूर्णरूपेण विचार करने के बाद विचार किया जायेगा ।

श्री राजा राम पाल–

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यमुना के किनारे जो हमारे गांव हैं जहां पर जलस्तर बहुत नीचा है वहां पर हमारे विधायक कोटा के जो हैण्डपम्प दिये जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह अलग समस्या है इसके बारे में स्वतंत्र प्रश्न करें ।

श्री राजा राम पाल–

मंत्री जी इसी क्षेत्र में हैं वहां डेढ़ सौ फिट गहरे पानी है लोग बैलगाड़ी से ट्यूबवेल पर पानी लेने जाते हैं नदी से पानी लेते हैं तो क्या मशीन द्वारा नलकूप लगवाये जायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय सदस्य पाल जी ने कहा कि बैलगाड़ी से प्रानी लाना पड़ता है यह बात सच्चाई से दूर है यह सही है कि जमुना के किनारे जो गांव हैं वहां पानी की कठिनाई है । अगर कहीं हैण्डपम्प नहीं लगे हैं तो माननीय सदस्य लिखकर दे दें हम उसे दिखवा लेंगे ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, इण्डिया मार्का–2 का सवाल दो दिन पहले आया था ।

श्री अध्यक्ष–

यह नीति की बात है ।

श्री राम ललित चौधरी–

आपने 1999-2000 के बारे में घोषणा की है लेकिन जो 1998-99 के थे उसके बारे में क्या हुआ बता दें ?

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

1998-99 के यदि कहीं नहीं लगे हैं तो वह तो अलग हैं और 1999-2000 के अलग हैं ।

श्री अध्यक्ष–

1998-99 के तो हैं ही 99-2000 के अलग हैं ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, हैण्डपम्प लगाने का मानक .....

श्री अध्यक्ष–

यह अनुपूरक में नहीं आता है । इसके लिये स्वतंत्र प्रश्न कर लें

श्री सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उद्देश्य आंशिक रूप से पूरा हो गया मैं सूचना देना चाहता हूं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं यह समस्या खड़ी होने वाली है मंत्री जी ने स्वीकार किया हालांकि उत्तर में कहा है सक्षम नीति बनी है और स्वीकार किया कि जल नीति बनायेंगे । मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनी है मैं केवल प्रशासनिक अधिकारियों को सर्वज्ञ नहीं मानता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्त रहें ।

श्री सरजीत सिंह डंग–

हर तरह के विशेषज्ञ हैं जनसंख्या के विशेषज्ञ हैं भू-गर्भ जल के विशेषज्ञ हैं तो क्या सब प्रकार के विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया जाएगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

निश्चित तौर से सभी विशेषज्ञों की राय ली जाएगी । अब उस समिति का तो बहुत ज्यादा आकार नहीं हो सकता है लेकिन विशेषज्ञों की राय ली जायेगी ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, पक्ष और विपक्ष के जितने माननीय सदस्य हैं संसदीय कार्य मंत्री जी ने घोषणा की और उसका सबने स्वागत किया । 1997-98 की घोषणा पूरी हो गई । 1998-99 में लग नहीं पाए, तो क्या उन नलकूपों को भी लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

बहुत सी बातों का समाधान वार्ता से निकल आता है । इसलिये मैं भी संसदीय कार्य मंत्री जी से वार्ता कर लूंगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आप मेरी बात से सहमत हैं । इसलिये आपके सामने वर्ष 1998-99 के लिये भी 25 हैण्डपम्प लगाने की घोषणा मंत्री जी को यहां कर देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री को यदि घोषणा करना होगा तो इन्हें कहीं न कहीं से निर्णय कराना होगा । इसलिये आप थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यदि अभी घोषणा हो जाती है तो माननीय सदस्य 25 हैण्डपम्प अपने-अपने क्षेत्रों में लगाने की सूची दे देंगे जिससे सत्र समाप्त होने से पहले इसमें कार्यवाही शुरू हो जाय ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपने निर्देश दिया था कि बाहर बातें होती हैं तो यहां संज्ञान नहीं लेना चाहिये । मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति में और माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठक में इस संबंध में चिन्ता व्यक्त किया था तो निर्णय लिया गया कि आगामी वर्ष 1999-2000 में 25 हैण्डपम्प प्रति विधायक अपने-अपने क्षेत्र में लगवाने की सूचना देंगे । तो इससे माननीय सदस्य कमिटमेंट जो कराना चाहते हैं वह ठीक नहीं है । हमने आपकी इच्छानुसार यह बात अवगत कराया और इसमें स्वीकृति भी मंत्री जी ने दे दिया जिसकी सूचना आपको दे दिया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी कहा है कि वर्ष 1999-2000 में 25 हैण्डपम्प लगेंगे । तो यह मार्च के बाद लगाये जायेंगे । मेरा अनुरोध है कि वर्ष 1998-99 में 25 हैण्डपम्प आप लगवा दें तो अच्छा होगा चूंकि 1999-2000 साल जो चार महीने बाद तो 25 हैण्डपम्प लगाये जायेंगे ही ।

श्री अध्यक्ष–

जो भावना व्यक्त की गयी है, मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा धैर्य रखें । हो सकता है कि बातचीत से इसका समाधान निकल आये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, वर्ष 1998-99 में गैप न हो जाय, इसलिये यह बात कही गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

इस संबंध में मैं बात कर लूंगा ।

तारांकित प्रश्न

जनपद भदोही, सन्त रविदास नगर में हरिहरपुर गांव के गंगा की धारा में विलीन होने एवं ग्राम छेछुआ की भूमि का नदियों की कटान से रोकने की व्यवस्था की जानकारी

*1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद भदोही, संत रविदास नगर विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर का दीघ ब्लाक का हरिहरपुर गांव पूरी तरह गंगा की धारा में विलीन हो गया है ? क्या यह सही है कि दूसरा ग्राम छेछुहा की हर वर्ष सैकड़ों बीघा जमीन का प्रतिवर्ष कटाव हो रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त कटान को रोकने हेतु कोई प्रयास सरकार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी हां ।

ग्राम छेछुआ की कुछ भूमि का कटान विगत वर्षों में हुआ है ।

नदियों की कटान से प्रभावित ग्रामों की भूमि की सुरक्षा हेतु कटान निरोधक कार्य यथा संभव संसाधनों की उपलब्धता होने पर सुनिश्चित किया जायेगा ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि एक गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और दूसरे गांवों का कटान जारी है इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस कटाव को रोकने में क्या त्वरित कार्यवाही की जायेगी और क्या गांव को बचाने का कोई प्रयास किया जायेगा ?

*श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, बाढ़ से जो कटान है उसे संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, रोकने के लिये प्रयास जारी हैं। माननीय सदस्य ने जिस गांव की बात किया है उसे कटान से बचाने के लिये और जो अन्य तमाम गांव हैं जिनकी प्रति वर्ष कटान हो रही है उसे रोकने के लिये संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर दिखवा लेंगे कि इसकी कैसे कटान रोकी जा सकती है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि गांव विलीन होने से कैसे बचाया जाय इसमें सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, हम इसे दिखवा लेंगे और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जो सुरक्षात्मक कार्य होंगे वह करायें जायेंगे।

डा० ज्ञानवती सिंह–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में दो साल से यमुना नदी की कटान से भयंकर समस्या है और अनेकों गांव नष्ट हो चुके हैं इसलिये मेरे क्षेत्र में गांवों को बाढ़ की कटान से बचाने के लिये क्या कोई परियोजना बनाई गयी है ?

(इस समय 11 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

श्री अधिष्ठाता–

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, शासन की नीति है जब नदी गांव के पास आ जाती है और आबादी को खतरा हो जाता है तब यह ठोकरें बनती हैं।

मान्यवर, कटान से हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाती है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उपजाऊ भूमि के कटान को रोकने हेतु ठोकरें बनाने पर विचार करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, आप अवगत हैं और पूरा सदन अवगत है इस कटान को रोका जाना चाहिये इससे विमति नहीं है। कटान बड़े पैमाने पर हो रहा है क्योंकि तमाम नदियां हैं। 1985 में बाढ़ आयोग का गठन भारत सरकार ने किया था। उस आयोग ने देश में, विशेषकर मैदानी क्षेत्र में नदियों का जो कटान देश के अन्दर हो रहा है उसमें संस्तुति की थी कि गांव को बाढ़ से और नदियों के कटान से रोकने में जो खर्च आयेगा उससे कम खर्च में गांव को स्थानान्तरित किया जा सकता है। लेकिन हमने सैद्धान्तिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया। संसाधन का संकट है। हम इसके लिये धन की व्यवस्था कर रहे हैं। भारत सरकार से हमने धन मांगा है। 518 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है, नाबार्ड से 100 करोड़ रुपया मांगा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है इसी तरह से अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी धन मांगा है। हमारी मंशा है कि धन के जितने भी स्रोत हैं उससे धन लिया जाय और बाढ़ से और कटान से सुरक्षा देने की मंशा है। इसलिये जो संसाधन उपलब्ध हैं उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, उस गांव के कटान को रोकने के लिये, त्वरित कार्यवाही करने के लिये क्या सरकार कोई उपाय करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य निश्चित रूप से चिन्तित हैं और चिन्तित होना स्वाभाविक है। हम दिखवा लेंगे कि क्या कम से कम खर्च में किया जा सकता है और जैसे संसाधन उपलब्ध होंगे उसके अनुसार करेंगे।

गन्ना मूल्य संबंधी महाजन कमेटी रिपोर्ट के आधार पर सरकार के निर्णय की जानकारी

*2—श्री राजधारी–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना मूल्य सम्बन्धी महाजन कमेटी की रिपोर्ट क्या सरकार को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो सरकार उसके संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

कमेटी की संस्तुतियों के संबंध में अन्तिम निर्णय भारत सरकार के स्तर से लिया जाना है। उक्त संस्तुतियों पर आधारित गन्ना मूल्य के संबंध में भारत सरकार का निर्णय अभी प्राप्त नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं है।

हरदोई जनपद के मल्लावां की गंगा नदी बिलमई, रामगंगा कुण्डा गर्रा गभीरी नदियों की बाढ़ को रोकने/बांध बनवाने की मांग

*3—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत गंगा नदी बिलमई, राम गंगा कुन्डा गर्रा गभीरी नदियों की भीषण बाढ़ के कारण हरदोई कटरी के किसानों के मकान कृषि योग्य भूमि पेड़ पौधे इत्यादि पूरी सम्पत्ति कट कर नष्ट हो जाती है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बाढ़ के कटान को रोकने हेतु एक बांध शेखनपुरवा मक्कूपुरवा राजघाट के पास बनाने हेतु सर्वे भी हुआ है ? यदि हां, तो अभी तक बांध का निर्माण न होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार तत्काल बांध का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है, जिसके माह अप्रैल, 99 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो जवाब दिया कि सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है, जिसके माह अप्रैल, 99 तक पूर्ण होने की सम्भावना है, तो यह किस एजेन्सी द्वारा सर्वेक्षण कराया जा रहा है और कब से सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया है और उसका क्या विवरण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, सर्वेक्षण विभाग ही करता है और उसके पास सक्षम अधिकारी हैं । यह सर्वेक्षण भी हम करा रहे हैं और यह सर्वेक्षण अप्रैल माह तक पूरा हो जायेगा उसके बाद आगे की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, जो मूल प्रश्न माननीय मिश्र जी ने किया है वह केवल इन्हीं के क्षेत्र हरदोई की चिन्ता नहीं है बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश के सभी माननीय सदस्यों चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, की हैं । अभी बाढ़ की विभीषिका पूरे प्रदेश में जिस तरह से आयी और जैसा आज भी उसका असर पड़ा हुआ है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बाढ़ अभी आयी थी और जून के बाद फिर बरसात आयेगी तो हरदोई में जिसके बारे में चिन्ता जतायी है शासन ने उसमें क्या-क्या जानकारी की है और पिछले दिनों बरसात में कितना नुकसान हुआ है ? फिर नुकसान न होने पाये इसके लिए क्या योजना बनायी है और वह योजना कब तक लागू हो जायेगी जिससे आने वाले दिनों में रोकथाम हो सके ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जहां तक इस प्रश्न का सवाल है यह तो सीमित क्षेत्र का है । प्रदेश में जो बाढ़ आयी थी वह अपने आप में शायद 10 साल में ऐसी बाढ़ नहीं आयी थी उसके बाद केन्द्र सरकार को लिखा गया चूंकि प्रदेश की बाढ़ नेपाल और बिहार की नदियों के कारण से भी होती है इसलिए एक तकनीकी समिति गठित करके केन्द्र सरकार हमें रिपोर्ट दे कि यह बाढ़ सुरक्षा का प्रबन्ध कैसे किया जा सकता है । भारत सरकार ने 15-2-99 को समिति गठित कर दी है जिसकी प्रथम बैठक 15-2-99 को पटना में हुई । हम प्रयास करेंगे कि वह रिपोर्ट जल्दी मिल जाये और आगे की योजना बनायी जा सके । पीछे जब बाढ़ की विभीषिका आयी तो नुकसान हुआ उसको देखते हुए सुरक्षा कार्य तेजी से करने के लिए विभिन्न मदों से धन उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव भेजा है भारत सरकार के पास 518 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है नाबार्ड के पास 100 करोड़ रु० का ऋण के लिए प्रस्ताव भेजा है । वित्त आयोग के पास 557 करोड़ रु० और 738 करोड़ रु० का प्रस्ताव भेजा है । व्यापक हित में हमने केवल यह सूचना दी है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

आगामी बरसात से पूर्व बाढ़ की कटान से रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही आप करेंगे यह हमारा प्रश्न है मान्यवर,

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सभी बड़ी नदियों के किनारे विशेष रूप से सैकड़ों जगह कटान हो रहा है। जो 56 तटबंध टूट चुके हैं उन सबको मई तक ठीक करने के लिए 53 करोड़ रु० की योजना कार्यान्वित की जा रही है। जो तटबंध टूटे थे उन्हें पुनः स्थापित कर देंगे। अन्य सुरक्षात्मक कार्य भी बाढ़ से पूर्व पूर्ण करने के लिए पूरी योजना बनायी गयी है जिसका समय से कार्यान्वयन करेंगे।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, आप मूल प्रश्न देख लें। यह हरदोई से संबंधित प्रश्न है इस पूरे क्षेत्र में कटान के क्षेत्र में जहां प्रतिवर्ष करोड़ों रु० लगता है सरकार की योजना है कटान रोकने की तो वहां बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए यह जो बांध के निर्माण की मांग है उसे करा देंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, काफी काम पूरा हो चुका है। यह 5 नदियों का क्षेत्र है, इसकी बांध बनने की जो अनुमानित लम्बाई हैं, वह 60 किमी० है जिसका इस्टीमेट अभी फाइनल नहीं हुआ है लेकिन जो अभी चर्चा में है, वह लगभग 60 करोड़ के आसपास होगा लेकिन अंतिम रूप से कार्यवाही तभी शुरू की जा सकती है, जब फाइनल रिपोर्ट अप्रैल में आ जायेगी। निश्चित रूप से रिपोर्ट मिलने के बाद तत्काल कार्यवाही करायेंगे।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, यह मामला अत्यन्त गम्भीर है। मई, 1997 से सर्वे हो रहा है और कहा जाता है कि कार्य प्रगति पर है, मैं जानना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत कार्य प्रगति पर है और यह कब तक पूरा हो जायेगा और निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मिश्र जी को तो धन्यवाद देना चाहिये। यह 5 नदियां प्रारम्भ से हैं और बाढ़ भी प्रारम्भ से आती रही है, मैं तो समयबद्ध कमिटमेंट दे रहा हूं।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मिश्र जी का कहना यह है कि मई, 97 से सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, दो साल पूरे होने को हैं, यह सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

इससे ज्यादा स्पेसिफिक कमिटमेंट और किसी पूर्व की सरकार ने नहीं दिया होगा। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि अप्रैल तक रिपोर्ट आ जायेगी, फिर आगे जो प्रक्रिया होगी, उस पर जल्दी से जल्दी निर्णय लेंगे।

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु सरकार की कार्य योजना की जानकारी

*4—प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनसंख्या में निरन्तर हो रही भारी वृद्धि को रोकने की सरकार की क्या कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह)–

जी हां ।

जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार परिसीमन की विधियों को उपलब्ध कराने के साथ-साथ अक्टूबर, 1997 से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समुदाय को उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं एवं अभिरुचि के अनुरूप, ग्राह्यतापूरक, गुणवत्ता परक सेवायें उनके निकटतम स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं । इस योजना का विस्तार चरणों में पूरे प्रदेश में किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

मान्यवर, यह प्रश्न पूरे प्रदेश से ही नहीं, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के संबंध में है, इसके सापेक्ष जो जवाब आया है, उसको देखकर ऐसा लगता है, बड़े हल्के ढंग से ले लिया गया है । प्रति मिनट 10-11 बच्चे, प्रति घन्टा 624 बच्चे, प्रतिदिन 16,276 बच्चे, प्रतिवर्ष 54,50,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं और सन् 2020 तक आबादी दुगुनी होने वाली है । इस समय एक अरब से ऊपर देश की आबादी हो चुकी है । हमारा पड़ोसी देश चीन इससे चिन्तित था और पूरा विश्व भी उससे चिन्तित था । लेकिन उसने प्रयास करके अपने यहां आबादी को शून्य कर दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में बढ़ती आबादी को रोकने के लिये क्या कोई कठोरतम प्रभावी कार्यवाही पड़ोसी देश चीन की तरह की जायेगी ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

मान्यवर, भारत सरकार की ओर से 1951 से परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था और उत्तर प्रदेश में यह सन् 1957 से लागू है । जनसंख्या नियंत्रण का काम स्वास्थ्य विभाग का ही नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश और समाज का है, इसके साथ ही और भी कई चीजों की आवश्यकता है । जहां तक चीन की बात कही गई है, निश्चित रूप से पोलीटिकल कमिटमेंट वहां हुआ है और जनसंख्या वृद्धि रुकी है । हमारे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रित करने के लिये मंत्रिमंडल की उपसमिति का गठन किया गया है, अभी पिछले दिनों चर्चा हुई थी, उस समय भी मैंने कहा था और आज पुनः कह देना चाहता हूं कि समिति गठित हुई है और सभी सम्मानित सदस्यगणों और माननीय पुण्डीर जी से भी कहना चाहूंगा कि यह पूरे समाज का कार्यक्रम है और यह किसी दल, किसी व्यक्ति का मामला नहीं है, बढ़ती जनसंख्या पूरे देश, समाज के लिये खतरनाक है, इसमें जल्दी ही कोई न कोई व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, सभी लोग अपने सुझाव दें । सभी लोगों के सहयोग से, उनके विचार लेकर जल्दी ही व्यवस्था करने जा रहे हैं ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि महिलाओं के जब में सुरेशन होता है तो उस समय उनके ओवेलुशन होता है और यह एक हारमोन की सिक्रिशन के कारण होता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस हारमोन को विदेशों से मंगाने का कष्ट करेंगे, ताकि परिवार नियोजन हो सके ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

मान्यवर, इसी निमित्त प्रजनन कार्यक्रम को शुरू किया गया है । प्रसव के समय महिलाओं का परीक्षण कराने का काम किया जा रहा है, जिससे परिवार नियोजन हो सके ।

श्री राम सिंह सैनी–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इसकी वर्तमान कार्य योजना है, जिससे जनसंख्या का नियंत्रण हो, तो क्या सरकार ऐसी कार्य योजना बनायेगी जिससे निश्चित रूप से जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सके ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

मान्यवर, सरकार की ओर से इसके लिये एक उप समिति का गठन किया गया है, उसकी बैठकें हो चुकी हैं और विचार करके शीघ्र ही कोई कार्य योजना बनायी जायेगी ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी पंचायत राज ऐक्ट में संशोधन करके इस बात का प्राविधान करेंगे कि जिन लोगों के दो से अधिक बच्चे होंगे उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जायेगा ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

अगर सारे लोग मिलकर एक पोलिटिकल मूवमेंट शुरू कर दें तो हम भारत सरकार को लिखकर भेज देंगे और जो उप समिति है वह इस पर निश्चित रूप से विचार करेगी और उसका कार्यान्वियन करेगी ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, परिवार नियंत्रण कार्यक्रम का जिक्र चल रहा है । मेरी एक जिज्ञासा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का नारा है कि हम दो हमारे दो, लेकिन यहां पर एक ही विभाग के 3-3 मंत्री हैं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह नीतिगत मामला है, लेकिन मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह लीपापोती वाला दिया है, मैं जानना चाहता हूं कि जब परिवार कल्याण कार्यक्रम लागू किया गया था, उस समय उसकी क्या पोजीशन थी ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

अभी हमने माननीय सदस्यों को सूचित किया कि उप समिति के द्वारा सारे लोगों से विचार लेकर हम जल्दी ही जनसंख्या नियंत्रण के लिये प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

*5—डा० सरजीत सिंह डंग–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

प्रदेश में मेडिकल कालेजों हेतु पृथक विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की जानकारी

*6—श्री केशो मेहरा–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में मेडिकल कालेजों हेतु एक अलग स विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी स्थापना कब तक हो जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री शिवाकान्त)–

शासनादेश संख्या–9522/71-3-98-347/87 दिनांक 15-1-99 द्वारा प्रदेश में मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

इसको स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में घाटे में चलने वाली केन यूनियनों को सब्सीडी देने, भंग करने की योजना की जानकारी

*7—श्री दीपलाल भारती–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के केन यूनियनों की स्थापना गन्ना किसानों की सुविधा के लिये हुई थी ? यदि हां, तो क्या किसानों को पहले की भांति सुविधा प्राप्त करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो लाखों रुपये के घाटे में आने वाली गन्ना समितियों को रखने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार घाटे में चलने वाली केन यूनियनों को सब्सीडी देकर केन यूनियनें भंग कर चीनी मिलों से ही सीधे गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य देने की योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो इसका विकल्प क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

घाटे में चलने वाली केन यूनियनों को सब्सीडी देने तथा केन यूनियनें भगं करने की कोई योजना शासन में विचाराधीन नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं ।

नोट :–नत्थी (ग) तारांकित प्रश्न संख्या–4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

दवा विक्रेताओं की बढ़ती हुई संख्या की जांच करने हेतु पर्याप्त संख्या में औषधि निरीक्षक नियुक्त करने का मामला

*8—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में दवा विक्रेताओं की बढ़ती हुई संख्या की जांच करने हेतु क्या पर्याप्त संख्या में औषधि निरीक्षक नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

जी नहीं ।

प्रदेश में दवा विक्रेताओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कुल 72 औषधि निरीक्षक के पद सृजित हैं । उक्त सृजित पदों के विरुद्ध 46 औषधि निरीक्षक तैनात थे । शासन द्वारा 15 औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति दिनांक 9 फरवरी, 1999 को की गयी है । शेष रिक्त पदों को भरे जाने हेतु कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

*9—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[दिनांक 17-2-99 को अता० प्र० सं०–10 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में जलप्लावन एवं बाढ़ की तबाही को रोकने हेतु शासन की कार्य योजना का विवरण

*10—श्री राम औतार शाक्य

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश को जलप्लावन एवं भयंकर बाढ़ की तबाही से रोकने के लिये क्या सरकार कोई विशेष कार्ययोजना बनाने जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या विगत वर्ष 1998 में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए प्रदेश के बांधों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराने हेतु विशेष अनुदान के माध्यम से धनराशि अवमुक्त की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार के अनुरोध पर समस्या का अध्ययन करके योजना बनाने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की गयी है, जिसकी संस्तुतियों के आधार पर बाढ़ समस्या से बचाव की कार्य योजना बना कर बाढ़ की विभिषिका को यथासंभव कम करने का प्रयास किया जायेगा ।

जी हां ।

रु० 10.00 करोड़ । दैवी आपदा राहत मद से ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण कोटा पूर्ण करने विषयक सामान्य नियमों/आदेशों के अनुरूप नीति का चिकित्सा शिक्षा विभाग में अनुपालन

*11—डा० राम बाबू हरित–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में आरक्षण कोटा पूरा करने की सरकार की क्या नीति है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आयुर्वेदिक/यूनानी विभाग के विज्ञापन सं०–1/1996-97 (मैदानी संवर्ग हेतु) 433 अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पदों हेतु विशेष

भर्ती अभियान के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा कितने चिकित्साधिकारियों का चयन किया गया है ? क्या सरकार द्वारा उन चयनित चिकित्साधिकारियों की नियुक्तियां कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो० शिवाकान्त ओझा–

आरक्षण कोटा पूर्ण करने विषयक उ० प्र० शासन के सामान्य नियमों/आदेशों के अनुरूप नीति का चिकित्सा शिक्षा विभाग में अनुपालन किया जाता है ।

121 आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया है ।

जी नहीं ।

मा० उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं० 30542/96 में पारित आदेश दि० 20-5-98 तथा मा० उच्चतम न्यायालय में दायर एस० एल० पी० सं० 14567/98 में पारित निर्णय दि० 11-9-98 द्वारा विज्ञापन सं० 1/96-97 जिसके अन्तर्गत 121 आरक्षित पदों के चयन की संस्तुति लोक सेवा आयोग द्वारा प्राप्त हुई थी, को निरस्त किये जाने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी है ।

*12—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[9वें शुक्रवार में ता० प्र० सं०–8 के अन्तर्गत स्थान्तरित ।

जनपद बस्ती, मुण्डेरवा, वाल्टरगंज एवं बस्ती तथा संत कबीर नगर जिले की चीनी मिलों पर किसानों के गन्ने मूल्य का ब्याज सहित भुगतान

*13—श्रीराम ललित चौधरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में मुण्डेरवा, वाल्टरगंज चीनी मिल एवं बस्ती चीनी मिल तथा संत कबीर नगर जिले की चीनी मिल पर किसानों का पिछले वर्ष 1997-98 एवं वर्तमान पेराई सत्र का गन्ना मूल्य बकाया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी की घोषणा के अनुसार बकाये गन्ना मूल्य का धन किसानों को ब्याज सहित दिलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दिनांक 23-2-99 तक प्राप्त स्थिति के अनुसार बस्ती एवं संत कबीर नगर जनपद की चीनी मिलों पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार गन्ना मूल्य बकाया है :–

क्र०सं०	नाम चीनी मिल	बकाया (लाख रु०)	
	सेक्टर	97-98	98-99
1–मुन्डेरवा	निगम	—	249.60
2–खलीलाबाद	निजी	373.74	—
3–वाल्टरगंज	—	—	285.54
4–बस्ती	—	—	416.42
	योग–:	373.74	951.56

अवशेष गन्ना मूल्य यथाशीघ्र भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है । गन्ना मूल्य भुगतान के बाद ब्याज की देय राशि का भुगतान कराने का यथासम्भव प्रयास किया जायेगा ।

जनपद प्रतापगढ़, ब्लाक मान्धाता के ग्रामों के कुंए सूखने से पीने के पानी की समस्या का निराकरण की मांग

*14—श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद के मान्धाता ब्लाक में बकुलाही नदी के किनारे बसे ग्राम सभा बाबूपुर, हिन्दूपुर, रामनगर, धर्मपुर, छतौना नागापुर, हालामई, नूरपुर, हैंसी जयचन्द्र के सभी कुएं सूख गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त गांव के लोगों को पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो इस संबंध में जिला अधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्रांक सं० 567/पेज/शिविर, 98. दिनांक 1-9-98 पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

खण्ड विकास अधिकारी, मान्धाता की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 40 कुएं सूखे पाये गये हैं ।

उल्लिखित 9 ग्रामों में कुल 31 मजरे हैं जिनमें से 25 मजरे भारत सरकार के मानक के अनुसार संतृप्त हैं तथा शेष 6 मजरे आंशिक रूप से आच्छादित हैं जिन्हें इसी वित्तीय वर्ष में संतृप्त किया जाना प्रस्तावित है ।

राष्ट्रीय जल प्रबन्ध खण्ड, हरदोई द्वारा नावार्ड योजना अन्तर्गत रजबाहों के सुधार एवं सिंचाई हेतु स्वीकृत धनराशि की जानकारी

*15—श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि राष्ट्रीय जल प्रबन्ध खण्ड, हरदोई द्वारा वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में नावार्ड योजना के अन्तर्गत मोहम्मदपुर, जिन्नाना, भरावन, सण्डीला, हरोड़ा आदि रजबाहों पर उनके सुधार हेतु कई करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत कराये गये थे और उक्त धनराशि से कार्य हो जाने के बाद इन रजबाहों द्वारा रबी एवं खरीफ की फसल में लगभग 5-5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचन क्षमता में वृद्धि होना प्रस्तावित थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन रजबाहों पर कार्य हो जाने के बाद भी सिंचाई में कोई वृद्धि नहीं हुई है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

नावार्ड से 113.97 लाख रुपये की योजना स्वीकृत हेतु थी ।

जी नहीं । प्रश्नगत नहरों से खरीफ एवं रबी में क्रमशः 4547 हेक्टेयर एवं 811 हेक्टेयर अतिरिक्त सींच प्रस्तावित थी ।

जी नहीं । प्रस्तावित कार्यों के क्रियान्वयन के बाद खरीफ एवं रबी की सिंचाई में वृद्धि हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में ड्राप्सी से हुई मौतें/बीमार तथा जब्त सरसों के तेल में मिलावट करने वाले मिल मालिकों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

*16—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या स्वास्थय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ड्राप्सी से कितने लोगों की मौतें हुई हैं व कितने बीमार पड़े ? क्या यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि किस मिल से कितना ड्राप्सी कीटाणुयुक्त तेल जब्त किया गया ? क्या उस तेल का रसायनिक परीक्षण कराया गया? यदि हां, तो जांच के

परिणाम स्वरूप किन-किन मिलों के विरुद्ध कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

वर्ष 1998 में प्रदेश में ड्राप्सी से मात्र एक बच्ची की मुरादाबाद जनपद में मृत्यु हुयी व प्रदेश में 60 लोग बीमार हुये ।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा औद्योगिक क्षेत्र की मिल श्रीमंत अतास इण्डस्ट्री से कुल 4,04,877.6 लीटर सरसों का तेल जब्त किया गया ।

जी हां ।

उक्त जब्त किये गये तेल के परीक्षण में आर्जीमोन की मिलावट पायी गयी फलस्वरूप श्रीमंत अतास इण्डस्ट्री व नेशनल डेयरी डेवलपमेन्ट बोर्ड के उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी तथा वाद सक्षम न्यायालय में दिनांक 14-9-98 को दायर किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ में राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

1—श्री कमलेश कुमार सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, विधायक, लखनऊ का कोई पत्र, संलग्नकों सहित, माह नवम्बर, 1998 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो० शिवाकान्त ओझा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महाराजगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निचलौल की स्व० श्रीमती अली अम्मां स्वास्थ्य निरीक्षक के पुत्र की नियुक्ति की मांग

2—श्री राजीव कुमार सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री संजय कश्यप पुत्र स्व० श्रीमती अली अम्मां मृतक स्वास्थ्य निरीक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निचलौल, जनपद महराजगंज ने मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत अपनी नियुक्ति हेतु दिनांक 20-8-95 को प्रार्थना पत्र दिया है ? यदि हां, तो क्या उसको सेवा में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

प्रश्नगत का प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-8-95 को नहीं अपितु दिनांक 24-8-95 को प्राप्त हुआ है ।

जी नहीं ।

मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली के अन्तर्गत सेवा में लिये जाने हेतु निर्धारित पांच वर्षों से अधिक अवधि के बाद मृतक आश्रित द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के कारण सेवा में नहीं लिया जा सका ।

जनपद–बलिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनवानी के निर्माण कार्य बन्द होने की जांच

3—श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनवानी बलिया का निर्माण कार्य विगत 4 माह से बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी प्रोजेक्ट मैनेजर/अधीक्षण अभियन्ता को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

निर्माण कार्य में अनियमितताओं के कारण कुछ अवधि कार्य बन्द रहा था । अब कार्य पुनः प्रारम्भ हो गया है ।

निर्माण कार्य में अनियमितताओं हेतु दोषी अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ की गयी है । कार्य के पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता को भर्त्सना प्रविष्टि दी गयी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ के गांवों में बरसात में जल भराव समस्या के स्थायी निराकरण हेतु योजना की जानकारी

4—श्री समर पाल सिंह –

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बागपत/मेरठ जनपद के कितने गांवों में इस वर्ष बरसात के दौरान जल भराव हुआ था ? क्या इस समस्या के स्थायी निराकरण हेतु सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बरसात के दौरान जनपद बागपत के 18 एवं जनपद मेरठ के 70 गांवों में जल भराव हुआ था ।

जी हां ।

नालों की चरणबद्ध सफाई हेतु तीन वर्षीय योजना बनाई गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली में चयनित स्वर्ण जयन्ती ग्रामों की संख्या कराये गये कार्यों एवं सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की जानकारी

5—श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में जनपद बरेली में कितने ग्राम स्वर्ण जयन्ती ग्राम चयनित किये गये ? इन स्वर्ण जयन्ती ग्राम में विकास के कौन-कौन कार्य कराये गये ? क्या इन स्वर्ण जयन्ती ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार इन स्वर्ण जयन्ती ग्रामों को कब तक पक्की सड़क से जोड़ेगी ?

चौ० नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1997-98 में जनपद बरेली में 15 स्वर्ण जयन्ती ग्राम चयनित किये गये ।

इन स्वर्ण जयन्ती ग्रामों में निम्नलिखित योजनाओं में विकास के कार्य कराये गये :–

1–आई० आर० डी० पी०

2–ट्राइसेम

3–ड्वाकरा

4–न्यू माडल चरखा

5–अन्य औद्योगिक इकाइयां

6–जवाहर रोजगार योजना

7–सुनिश्चित रोजगार योजना

8–रेशम कीट पालन

9–मिनी डेरी

10–महिला डेरी

11–दुग्ध विकास कार्यक्रम

12–डेरी कोआपरेटिव

13–स्वच्छ शौचालय

14–इन्दिरा आवास

15–हैण्डपम्प

16–प्राइमरी स्कूल भवन

17–सम्पर्क मार्ग निर्माण

18–पंचायत घर

19–ग्रामीण विद्युतीकरण

20–बायोगैस

21–चूल्हा कार्यक्रम

उक्त 15 स्वर्ण जयन्ती ग्रामों में से 13 स्वर्ण जयन्ती ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया गया है। शेष 2 ग्राम विकास खण्ड मझगवां में भूडा जिला योजना में तथा विकास खण्ड भोजीपुरा में ग्राम अख्यारपुर में सुनिश्चित रोजगार योजना में स्वीकृत है जिसे शीघ्र ही सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया जायेगा।

लखनऊ विश्वविद्यालय में एम० ए० (प्रथम वर्ष) के पिछड़ी जाति के छात्रों के छात्रवृत्ति का प्रकरण

6—श्री सन्त प्रसाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या लखनऊ विश्वविद्यालय के एम० ए० प्रथम वर्ष 1997-98 के पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का चेक दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति अनुभाग एवं वित्त अनुभाग द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर, 1998 के छात्रवृत्ति की सूची में अलग-अलग आपत्ति लगायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त सूची में गलत आपत्ति लगाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव)– ''हरीश जी''–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

7—श्री प्रभु नारायण–

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद आजमगढ़, पोस्ट चितारा, ग्राम कुशवां के विधवा पेंशन भोगियों के पेंशन भुगतान की मांग

8—श्री हीरा लाल गौतम

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि रामसमुझ पुत्र वंशी आदि ग्राम कुशवां पो० चितारा महमूदपुर, जनपद ,आजमगढ़ विधवा पेंशन भोगियों ने पेंशन भुगतान में घोर बाधाओं आदि समस्याओं के समाधान हेतु मा० मंत्री जी, जिलाधिकारी, आजमगढ़, जिला समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ को दिनांक 10-11-98 को प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो समस्या समाधान हेतु उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बाल विकास परियोजनाओं के प्रकोष्ठ की स्थापना

9—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिला एवं बाल विकास विभाग गठन के पूर्व बाल विकास परियोजनाओं का कार्य देखने के लिये सचिवालय स्तर पर एक प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी थी, जो विभाग के गठन के पश्चात् भी अभी कार्यरत है और इस मद पर प्रति वर्ष लगभग पन्द्रह लाख रुपये व्यय किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रकोष्ठ को बनाये रखने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार उस प्रकोष्ठ को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां। इस मद पर लगभग 9 लाख रुपये का प्राविधान हैं।

उक्त प्रकोष्ठ भारत सरकार के निदेशानुसार स्थापित हैं, जिस पर सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेश में संचालित बाल विकास परियोजनाओं के अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है जो परियोजना के सफल संचालन एवं कार्यान्वियन के लिए आवश्यक है। जी नहीं।

बाल विकास परियोजनाओं के कार्य के प्रभावी अनुश्रवण हेतु उक्त प्रकोष्ठ को बनाये रखना आवश्यक हैं।

जनपद रायबरेली, सीतापुर जिलों में राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण की जानकारी

10—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में जनपद रायबरेली, सीतापुर, बरेली, झांसी एवं हरदोई हेतु आवंटित धनराशि का भौतिक सत्यापन कराये बिना लाभार्थियों को उसका वितरण कर दिया गया और प्रशासनिक व्यय के लिये प्राप्त धनराशि से मनमाने ढंग से सामान क्रय कर लिया गया ? यदि हां, तो इसमें दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त जनपदों में लाभार्थियों एवं क्रय किये गये सामानों का भौतिक सत्यापन करायेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का वितरण लाभार्थियों के सम्यक् चिन्हीकरण के उपरान्त किया जाता है । प्रदत्त धनराशि की उपयोगिता के संबंध में भौतिक सत्यापन कराये जाने की व्यवस्था है । प्रकरण में भौतिक सत्यापन की स्थिति एवं प्रशासनिक व्यय के लिए प्राप्त धनराशि के उपयोग के संदर्भ में सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराने हेतु निदेशक, समाज कल्याण को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद लखनऊ राजकीय सम्प्रेक्षण गृह की निर्माण एजेन्सी महिला कल्याण निदेशालय ने अपने स्तर से अन्य एजेन्सी से कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में जांच एवं कार्यवाही

11—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित किशोर गृह एवं सम्प्रेक्षण गृह के भवनों में सुधार एवं विस्तार हेतु शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की गयी ? क्या धनराशि स्वीकृत करते हुए निर्माण एजेन्सी निर्धारित की गयी थी ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में शासन द्वारा निर्धारित निर्माण एजेन्सी को निदेशालय स्तर से बदल कर भिन्न निर्माण एजेन्सी को उक्त विस्तार एवं सुधार हेतु धनराशि आवंटित कर दी गयी ? क्या इस हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी हां ।

राजकीय सम्प्रेक्षण गृह लखनऊ की निर्माण एजेन्सी महिला कल्याण निदेशालय स्तर पर बदली गयी ।

प्रकरण में जांच कराई जा रही है । जांचोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा विकास खण्ड खजुहा हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की सूची का प्रकाशन तथा नियुक्ति की जानकारी

12—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, फतेहपुर द्वारा वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में विकास खण्ड खजुहा हेतु आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं का चयन कर सूची प्रकाशित की गयी थी ? यदि हां, तो प्रकाशित सूची में से किन-किन अभ्यर्थियों को

नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किये गये ? उसके क्या कारण हैं ? क्या इस विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

वर्ष 1996–97 में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की सूची प्रकाशित की गयी थी ।

प्रकाशित सूची में से किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किये गये । इस परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्रतीक्षित है, इसी कारण नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के जनपदों में चिकित्सालयों हेतु गद्दे, चादरें, तकिया की व्यवस्था हेतु आवंटित धन का विवरण

13—डा० सरजीत सिंह डंग

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के किन-किन जनपद चिकित्सालयों से वार्ड के बिस्तरों हेतु गद्दे, चादरें, तकिया इत्यादि हेतु धन मांगा गया है तथा किन-किन जनपदों को कितना-कितना धन इस मद में आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो धनावंटन न करने के क्या कारण हैं तथा कब तक धन उपलब्ध कराया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

मांग की सूची संलग्नक–I* में तथा मूल आवंटन सूची संलग्नक–II* में उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद सीतापुर कसमण्डा, सिधौली, परसेड़ी की बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं की अवैध नियुक्ति की जांच एवं कार्यवाही

14—श्री कृपाशंकर सिंह

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर की बाल विकास परियोजना कसमण्डा, सिधौली, परसेड़ी एवं अन्य परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के पदों पर अखबारों आदि में विज्ञापन दिये बिना अवैधानिक तरीके से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या इस संबंध में क्षेत्रीय जनता एवं ग्राम प्रधानों आदि से नवम्बर, 1997 पश्चात् शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो क्या उन शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ? यदि नहीं, तो जांच न कराने के क्या-क्या कारण हैं ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जी नहीं ।

जी हां ।

जी हां ।

जिन जिन प्रकरणों में जांच पूर्ण हो गई उनमें अब तक गोदलामऊ में एक, कसमण्डा में पांच एवं सकरन में पांच कार्यकर्त्रियों का चयन निरस्त कर दिया साथ ही गलत अभिलेख प्रस्तुत करने के परिप्रेक्ष्य में परियोजना सकरन की पांच कार्यकर्त्रियों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

---

* (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 201–209 पर ।)

शासनादेश के तहत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के पदों पर महिलाओं की नियुक्ति

15—श्री कृपाशंकर सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश दिनांक 3-12-97 को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के पदों पर उसी गांव की विधवा परित्यक्ता एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली महिलाओं को क्रमानुसार चयन करने के निर्देश हैं ? यदि हां, तो बाल विकास परियोजना, सिधौली कसमण्डा, परसेड़ी एवं हरगांव में ऐसी कितनी-कितनी महिलाओं की नियुक्ति की गई ? यदि नहीं, तो क्या संबंधित क्षेत्रों में ऐसी महिलायें उपलब्ध नहीं थीं ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

बाल विकास परियोजना वार, श्रेणीवार निम्न नियुक्तियां की गई हैं ।

आंगनबाड़ी कार्यकत्री

परियोजना	विधवा	परित्यक्ता	गरीबी रेखा के नीचे
1–सिधौली	05	03	93
2–कसमण्डा	01	–	14
3–हरगांव	01	–	12
4–परसेंडी	01	01	52
सहायिका			
1–सिधौली	03	01	38
2–कसमण्डा	–	01	27
3–हरगांव	–	–	08
4–परसेंडी	03	–	17

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर की बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की आर्थिक स्थिति एवं नियुक्ति

16—श्री कृपाशंकर सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर की बाल विकास परियोजनाओं में 3-12-97 के बाद नियुक्त की गयी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की आर्थिक स्थिति क्या-क्या है और क्या वह आर्थिक स्थिति शासनादेश दिनांक 3-12-97 के अनुसार उन्हें नियुक्त करने के लिये प्रथम दृष्टया पात्र बनाती हैं ? यदि नहीं, तो उन्हें नियुक्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

दिनांक 3-12-97 के बाद नियुक्त कुल 712 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों में से 50 विधवायें, 7 परित्यक्तता हैं तथा 655 शासनादेश के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की हैं । इसी प्रकार कुल नियुक्त 416 सहायिकाओं में से 24 विधवायें, 5 परित्यक्तता तथा 387 शासनादेश के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते वाले परिवारों की हैं । विधवा एवं परित्यक्तता को छोड़कर शेष प्रथम दृष्टया अभिलेखों के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर की बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों का बढ़े हुए मंहगाई भत्ते को जी०पी० फण्ड में जमा किया जाना

17—श्री कृपाशंकर सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर की बाल विकास परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित जनवरी, 1998 एवं जुलाई, 98 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते की उनके जी० पी० एफ० में जमा करने वाली धनराशि संबंधित कर्मचारियों के खातों में जमा कर दी गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त धनराशि अब तक जमा न करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

क्र०सं० परि० का० नाम	जी० पी०एफ० खाते में जमा करने की तिथि जनवरी, 98 से बढ़े महंगायी भत्ते की राशि	जुलाई, 98 से बढ़े एवं महंगाई भत्ते की राशि
1	2	3
1–मिश्रिख	7/98	2/99
2–बिसवां	7/98	तदैव
3–कसमण्डा	9/98	तदैव
4–मछरेहटा	9/98	तदैव
5–गोंदलामऊ	10/98	तदैव
6-खैराबाद	10/98	तदैव
7–हरगांव	10/98	तदैव
8–सकरन	1/99	तदैव
9–बिसवां	2/99	तदैव
10–पहला	2/99	तदैव
11–परसेंडी	2/99	तदैव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
12–सिधौली	2/99	2/99
13–महमूदाबाद	2/99	तदैव
14–रामपुर मथुरा	2/99	तदैव
15–महोली	2/99	तदैव
16–लहरपुर	2/99	तदैव
17–बेहटा	2/99	तदैव
18–रेउसा	2/99	तदैव

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ एवं अम्बेडकर नगर में अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी में आवंटित अनुदान का विवरण

18–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह [illegible] की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1996-97 में अनुसूचित जाति की लड़कियों के विवाह हेतु कितने अनुदान का वितरण किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद आजमगढ़ एवं अम्बेडकर नगर को उक्त अवधि में इसके लिये कितनी धनराशि दी गयी है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

अनुसूचित जाति के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं उनके इलाज की योजना आय-व्ययक में एक मद से संचालित है, जिसमें वर्ष 1996-97 में रु० 531.65 लाख की धनराशि व्यय की गयी है । वर्ष 96–97 में उक्त मद में जनपद आजमगढ़ को रु० 7,95,000/- तथा जनपद अम्बेडकर नगर को रु० 50,000/- की धनराशि जिलाधिकारी के निवर्तन पर आवंटित की गई ।

19–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[दिनांक 25-2-99 को अता० प्र० संख्या–92 द्वारा उत्तरित]

जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज में सरकारी नलकूपों को चालू कराना एवं नालियों का जीर्णोद्धार

20–श्री भीम प्रसाद सोनकर

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज विधान सभा क्षेत्र में जितने भी सरकारी नलकूप लगे हैं वे सुचारु रूप से नहीं चल रहे हैं एवं नाली भी जगह-जगह टूट गयी है, जिससे किसानों की सिंचाई न हो पाने के कारण वर्तमान रबी की फसल का काफी नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो उनको ठीक कराये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज विधान सभा क्षेत्र में 39 राजकीय नलकूप चलित हैं जिनमें से 11 नलकूपों की नालियां ठीक कराई जा चुकी हैं तथा वे विद्युत उपलब्धि के अनुसार चल रहे हैं । 4 नलकूपों की नालियों के जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है । 17 नलकूपों की नालियों के जीर्णोद्धार के

कार्य का प्रस्ताव परियोजना निदेशन, अम्बेडकर नगर को प्रेषित किया जा चुका है । शेष 7 नलकूपों की नालियों के जीर्णोद्धार उन्हें भेजे जा रहे हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज ग्राम डकवा घाघरा नदी की कटान से बचने हेतु ठोकर बनाने की व्यवस्था

21–श्री भीम प्रसाद सोनकर –

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज विधान सभा क्षेत्र में घाघरा की कटान से प्रभावित क्षेत्र को बचाने के लिये डकवा में ठोकर बनाने की व्यवस्था कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

ग्राम डकवा घाघरा नदी की कटान से प्रभावित नहीं है । नदियों की कटानों से प्रभावित ग्रामों की सुरक्षा हेतु कटान निरोधक सामान्यतः नहीं बनाये जाते हैं बल्कि आबादियों को अन्यत्र पुनर्स्थापित किये जाने का प्राविधान है । ग्राम डकवा में ठोकर बनाने की कोई व्यवस्था प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक तिलहर व जैतीपुर में आई०आर०डी० योजना के विकास कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच

22–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-4-98 खंड विकास अधिकारी, तिलहर, जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर को, जो आई० आर० डी० योजना ब्लाक तिलहर में हो रहे सभी विकास कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार ब्लाक तिलहर, जैतीपुर में हो रहे विकास कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित ब्लाक तिलहर की शिकायतों के संबंध में जांच करायी गयी । जांच के दौरान शिकायतें सही नहीं पायी गयी ।

ब्लाक जैतीपुर के सम्बन्ध में भी जांच करायी गयी । जांच में भ्रष्टाचार का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया ।

जनपद लखनऊ डफरिन अस्पताल, गोलागंज के तत्कालीन कर्मचारी श्री जे० एन० तिवारी, श्री आर० के० मिश्र, श्री जगत नारायण पाण्डे के कारागार में बन्दी एवं विभागीय कार्यवाही

23–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि डफरिन अस्पताल, गोलागंज,. लखनऊ के तत्कालीन कर्मचारी श्री जे० एन० तिवारी (लैब टेक्नीशियन), श्री आर० के० मिश्र (कनिष्ठ लिपिक), श्री जगत नारायण पाण्डे (कहार) दिनांक 12-7-96 से 17-7-96 तक वजीरगंज तथा कारागार में बन्दी रहे थे ? यदि हां, तो विभाग द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

श्री जे० एन० तिवारी, लैव टेक्निशियन व श्री आर० के० मिश्रा, कनिष्ठ लिपिक 12-7-96 से 17-7-96 तक थाने तथा कारागार में एवं श्री जगत नारायण पाण्डे (कहार) 12-7-96 से 13-7-96 समय 11.40 बजे तक थाने में बन्दी रहे ।

श्री जे० एन० तिवारी, लैव टेक्निशियन को जेल में बन्दी की अवधि का बिना वेतन का अवकाश स्वीकृत किया गया, भविष्य के लिये सचेत किया गया तथा उन्हें महिला अस्पताल लखनऊ से स्थानान्तरित किया गया । श्री आर० के० मिश्रा कनिष्ठ लिपिक को स्थानान्तरित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु आरोप-पत्र जारी किया गया है । इनका बन्दी अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया है । जांच प्रक्रियाधीन है । श्री जगत नारायण पाण्डे (कहार) को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में वीरांगना अवन्ती बाई लोधी महिला चिकित्सालय डफरिन गोलागंज में 10 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत नर्सेज का स्थानान्तरण न किया जाना

24–श्री दुर्गा प्रसाद यादव –

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डफरिन अस्पताल, गोलागंज, लखनऊ में कितनी नर्सेज विगत 10 वर्षों से अधिक से एक ही चिकित्सालय में तैनात हैं ? क्या सरकार इनका स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

वीरांगना अवन्ती बाई लोधी महिला चिकित्सालय डफरिन, गोलागंज लखनऊ में विगत 10 वर्षों से अधिक समय से कुल 15 सिस्टर/उपचारिकायें कार्यरत हैं ।

सामान्यतया उपचारिका संवर्ग की कर्मियों का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर अथवा शिकायत के आधार पर किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी वर्ष 1998-99 में सिंचाई विभाग द्वारा खुदवाये गये नालों का सत्यापन

25–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1998-99 में कौन-कौन से नाले कितनी लम्बाई के सिंचाई विभाग मैनपुरी द्वारा खुदवाये गये और उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन कब और किसके द्वारा किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त नालों की खुदाई हेतु सिंचाई विभाग मैनपुरी को कब-कब कितना धन उपलब्ध कराया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वित्तीय वर्ष 1998-99 में सिंचाई विभाग के मैनपुरी प्रखण्ड, निचली गंगा नहर, मैनपुरी के द्वारा जनपद मैनपुरी में निम्न नालों की क्षमता पुर्नस्थापना का कार्य कराया गया है :–

1–भोगांव नाले के किमी० 13.00 से 17.70 तक 4.70 किमी० लम्बाई में विभागीय धनराशि से अनुमानित लागत रुपये 2.50 लाख का कार्य कराया गया ।

2– ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा प्रदत्त धनराशि से निम्न नालों पर कार्य कराया गया :–

(क) शहहाजीपुर नाला में प्रस्तावित 4.00 किमी० लम्बाई के विरुद्ध 2.00 किमी० लम्बाई में कार्य कराया गया है क्योंकि कार्य की स्वीकृति धनराशि रुपये 1.10 लाख के विरुद्ध मात्र रुपये 0.55 लाख अवमुक्त किये गये ।

(ख) कोथवा नाला में प्रस्तावित 5.00 किमी० लम्बाई के विरुद्ध केवल किमी० 2.5 लम्बाई में कार्य कराया गया है क्योंकि कार्य की स्वीकृत धनराशि रुपये 1.23 लाख के विरुद्ध मात्र रुपये 0.61 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है ।

(ग) सथनी–दलियपुर नाले में प्रस्तावित लम्बाई 9.2 किमी० के विरुद्ध 6.2 किमी० लम्बाई में कार्य कराया गया है । इस नाले के कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि रूपये 3.50 लाख अवमुक्त हो चुकी है ।

अधिशासी अभियन्ता एवं सम्बन्धित सहायक अभियन्ता ने कार्यों के निरीक्षण के समय भौतिक सत्यापन किया ।

धनराशि का विवरण उपरोक्तानुसार है ।

जनपद मैनपुरी में नगरिया राजबाहा के ग्राम औंग से विरतिया तक बनाई गयी खांदियों को बन्द कराने एवं नहर के सिल्ट सफाई कार्य में की गयी अनभियतता की जांच

26–श्री राम औतार शाक्य

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी में नगरिया रजबाहा में ग्राम औंग से लेकर ग्राम विरतिया तक अनेकों खन्दियां हैं और वित्तीय वर्ष 1998-99 में खन्दियों को बन्द कराने एवं नहर की सिल्ट सफाई के नाम से फर्जी कागजात बनाकर लाखों रुपयों का घोटाला किया गया है ? क्या सरकार उक्त घोटाले की जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जनपद मैनपुरी में नगरिया राजबाहा के ग्राम औंग से लेकर ग्राम विरतिया तक वर्तमान में कोई खन्दी नहीं है । खन्दियों का बन्द कराने में वर्ष 1998-99 में कोई धन व्यय नहीं किया गया है । केवल सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया है, जो क्षेत्रीय ग्राम प्रधानों से प्रमाणित है । अतः जांच का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

27–श्री राम औतार शाक्य–

[3सरे सोमवार में अता० प्र० सं०–178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद वर्ष 1996-97 श्री राम धीरज तथा श्री सूर्यपाल धामपुर शुगर मिल रौजागांव द्वारा गन्ने की आपूर्ति तथा भुगतान

28–श्री राम शंकर पाल–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धामपुर शुगर मिल रौजागांव, तहसील रुदौली, जनपद फैजाबाद को श्री रामधीरज तथा श्री सूर्यपाल पुत्र स्व० श्री रामदीन ग्राम बरावां द्वारा वर्ष 1996-97 में कितना-कितना गन्ना की आपूर्ति की गयी थी ? उनको कितने गन्ने का मूल्य का भुगतान

किया गया था तथा कितना भुगतान अवशेष है ? अवशेष गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? उक्त अवशेष गन्ने के मूल्य का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1996-97 में श्री राम धीरज तथा श्री सूर्यपाल पुत्र स्व० श्री रामदीन ग्राम बरावां द्वारा वर्ष 1996-97 में क्रमशः 89.89 व 110.52 क्विंटल गन्ने की आपूर्ति की गयी ।

समस्त देय गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरीगढ़वाल विकास खण्ड नरेन्द्रनगर ग्राम सभा–बेरनी के प्राथमिक पाठशाला बड़धार में विधवाओं को पेंशन स्वीकृति हेतु शिविर का आयोजन

29–श्री लाखीराम जोशी–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दि० 16-12-98 को प्रेषित पत्र, जिसमें जिला टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड नरेन्द्रनगर की ग्राम सभा बेरनी के अन्तर्गत प्राथमिक पाठशाला बड़धार में दि० 15-12-98 को क्षेत्र के विधवाओं को पेंशन स्वीकृति हेतु आयोजित शिविर में अधिकारियों के अनुपस्थित रहने के संदर्भ में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

दिनांक 15-12-98 को मा० विधायक जी द्वारा आयोजित कैम्प में विधवा पेंशन के कार्य से संबंधित जिला प्रोवेशन अधिकारी की श्री एम०पी० खाली द्वारा भाग लिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ मानस नगर, कानपुर रोड गांव अलीनगर सुनहरा के निवासियों हेतु आवागमन के लिये सम्पर्क मार्ग

30–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के मानस नगर, कानपुर रोड गांव अलीनगर सुनहरा के निवासियों के आवागमन के लिए सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने का मामला गत दो वर्षों से विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु क्या रूपरेखा तैयार की गयी है ? उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

31–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[4थे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–67 के अन्तर्गत स्थानानतरित]

जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की फसल बचाने का प्रकरण

32—श्री भीम प्रसाद सोनकर

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के जहांगीरगंज विधान सभा क्षेत्र के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की फसलों को बचाने के लिये बांध चौड़ा करने तथा उस पर टीन शेड की व्यवस्था करने के संबंध में क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज विधान सभा क्षेत्र के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की फसलों को बचाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा कोई बांध निर्मित नहीं है, और न ही कोई सुरक्षा कार्य कराया गया है। अतः बांध चौड़ा करने तथा उस पर टिन शेड की व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखनऊ राजकीय उत्तर रक्षा गृह एवं राजकीय निराश्रित महिला कार्यशालायें में कार्यरत नर्स का निलम्बन पुनः उसी स्थान पर तैनाती

33–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में स्थित राजकीय उत्तर रक्षा गृह एवं राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला में कार्यरत कतिपय नर्सों को अनियमितता बरतने के कारण अनेकों बार निलम्बित किया गया तथा उस के उपरान्त उसी संस्था में लगभग 20 वर्षों से पुनः तैनात कर रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उनके स्थानान्तरण कब तक अन्यत्र कर दिये जायेंगे ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं, 20 वर्षों से कोई नर्स इन संस्थाओं में तैनात नहीं है केवल श्रीमती ऊषा हाफिज, नर्स को वर्ष 1991 में एक बार निलम्बित किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर एवं लखीमपुर खीरी की बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कर्मचारियों एवं सहायिकाओं की नियुक्ति की जानकारी

34–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–सीतापुर एवं लखीमपुर खीरी की बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने अपनी-अपनी परियोजनाओं में दिसम्बर, 97 से नवम्बर, 98 के मध्य बगैर विज्ञापन कराये आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की नियुक्तियां की हैं ? यदि हां, तो ऐसे बाल विकास परियोजना अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपदों में ग्राम्य विकास अधिकारी के पदों पर चयन हेतु मांग की गयी परीक्षा शुल्क में धांधली तथा दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग

35–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1992-93 में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ग्राम्य विकास अधिकारी के पद के लिए दो वर्षों पूर्व सेवा कालीन प्रशिक्षार्थियों की आयोजित परीक्षा हेतु जनपद–गाजीपुर में बीस-बीस रुपये की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क के रूप में मुद्रांक 52,000/- की धनराशि को जमा किया गया था जिसे अब तक कैश न कराने के

कारण धनराशि लैप्स हो गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन कर्मचारी है ? उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

यात्रा कूपन के बजाय परिचय पत्र अथवा विकलांग प्रमाण-पत्र के आधार पर छूट की घोषणा के अनुसार शासनादेश जारी करने की मांग

36–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के प्रथम बुधवार के तारांकित प्रश्न सं० 20 के उत्तर के सम्बन्ध में जो समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा यात्रा कूपन के बजाय परिचय पत्र अथवा विकलांग प्रमाण-पत्र के आधार पर छूट, यात्रा सीमा 1000 (एक हजार) कि०मी० प्रति वर्ष को हटाये जाने की जो घोषणा की गई थी क्या उसके अनुरूप शासनादेश जारी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी हां ।

लागू नहीं ।

जनपद–लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव तथा रायबरेली में बाल विकास परियोजना में 7 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों का स्थानान्तरण

37–श्री कृपा शंकर सिंह

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री अवगत है कि जनपद लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली में 7 वर्ष से अधिक की अवधि से तैनात कितने बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं लिपिकों को स्थानान्तरण सत्र वर्ष 1998 में किया गया था ? उनमें से कितने अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण बाद में निरस्त कर दिया गया एवं उनके निरस्तीकरण के क्या कारण थे ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जनपद लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव एवं रायबरेली में 7 वर्ष से अधिक की अवधि से तैनात 4 बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं एक वरिष्ठ लिपिक तथा 14 कनिष्ठ लिपिकों का वर्ष 1998 में स्थानान्तरण किया गया ।

स्थानांतरण किसी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण निरस्त नहीं किया गया है ।

जिला उन्नाव खादी ग्रामोद्योग विभाग में गत तीन वर्षों के दौरान व्यक्तिगत/संस्थागत रूप से ऋण वितरण बन्द इकाईयों को चालू करने की जानकारी

38–श्री राम शंकर पाल–

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा जिला उन्नाव में गत तीन वर्षों के दौरान कितना व्यक्तिगत तथा कितना संस्थागत ऋण वितरित किया गया ? वितरित ऋण से कितनी इकाईयां उत्पादन कर रही हैं तथा कितनी ठप्प हो गयी हैं ? क्या बन्द इकाइयों को पुनः संचालन अथवा ऋण वसूली की कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री राजाराम पाण्डेय)–

खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा जनपद उन्नाव में गत तीन वर्षों 1995–96 से 1997-98 के दौरान व्यक्तिगत 55 इकाईयों को रु० 21.22 लाख तथा संस्थागत 18 इकाईयों को रु० 77.98 लाख का ऋण वितरित किया गया ।

वितरित ऋण से 29 व्यक्तिगत इकाईयां तथा 16 संस्थागत इकाईयां उत्पादन कर रही हैं तथा 26 व्यक्तिगत इकाईयां एवं 2 संस्थागत इकाईयां बन्द हैं ।

जी हां । बन्द इकाईयों को पुनः संचालन हेतु प्रोत्साहित किया गया एवं दबाव डाला गया । ऋण वसूली के लिए 28 बन्द इकाईयों को पहले चरण में धन वापसी हेतु पंजीकृत नोटिस दिया गया । तत्पश्चात सभी इकाईयों को आर०सी० जारी कर दी गई । फलस्वरूप आर०सी० द्वारा पैसा जमा होना प्रारम्भ हो गया है ।

जनपद उन्नाव में शारदा खण्ड/सिंचाई खण्ड रबी के लिए निर्गत रोस्टरों का मार्च में संचालन एवं किसानों को पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था

39–श्री राम शंकर पाल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव में शारदा खण्ड तथा सिंचाई खण्ड के रोस्टरों में नहरों का अन्तिम संचालन मार्च में होगा तथा अप्रैल से नहरें बन्द हो जायेंगी जबकि किसानों द्वारा 20 जनवरी तक गेहूं की बुवाई की जायेगी जिन्हें सिंचाई के लिए अप्रैल के अन्त तक पानी की जरूरत पड़ेगी ? यदि हां, तो किसानों को पानी उपलब्ध कराने की सरकार क्या कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । 1406 फसली रबी के लिये निर्गत रोस्टरों का अन्तिम संचालन मार्च में होगा ।

जी नहीं ।

जी हां । किसानों को जल उपलब्ध कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में महिला चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार में लिप्त डा० राजवंश का प्रकरण

40–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में महिला चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार में लिप्त डा० राजवंशी को मुख्यालय से सम्बद्ध करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी०एम०/वि०को०/एम–3/16079/मथुरा/98, दिनांक 14-9-98 प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्रकरण की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मंडल आगरा से करायी गयी । उनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 19-2-99 निदेशक (महिला) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र दिनांक 23-2-99 के साथ प्राप्त हो गयी है जो परीक्षणाधीन है ।

जनपद बलिया के सीयर व नगर विकास खण्डों में विगत वर्षों में ड्रेनेज की खुदाई हेतु व्यय धनराशि का सत्यापन

41–श्री हरदेव सिंह

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के सीयर व नगरा विकास खण्डों में वर्ष 1996-97 और 1997-98 में ड्रेनेज की खुदाई हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है लेकिन कार्य स्थलों पर कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों विकास खण्डों के कार्य स्थल का सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सीयर विकास खण्ड में वर्ष 1997-98 में मैना बांध से कोइली मोहान ताल तक ड्रेन खुदाई हेतु रु० 1.00 लाख स्वीकृत हुआ था, परन्तु कार्य नहीं कराया जा सका । वर्ष 1998–99 में कार्य तथा व्यय पूर्ण कर लिया गया है, जिनका सत्यापन कराया जा सकता है । नगरा विकास खण्ड में ड्रेन की खुदाई हेतु कोई धन स्वीकृत नहीं था । वर्ष 1996–97 व 97–98 में विभागीय मदों से किसी ड्रेन की खुदाई का कार्य-क्रम नहीं था, केवल ठेका हटाने तथा कार्य-प्रभारित व दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के वेतन का भुगतान किया गया है ।

जनपद अम्बेडकर नगर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जहांगीरगंज में विधायक की संस्तुति पर कृत कार्यों में जिलाधिकारी की अनाधिकार चेष्टा

42–श्री भीम प्रसाद सोनकर

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जहांगीर गंज में क्या-क्या कार्य किये गये ? उसमें कितने कार्य क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति पर किये गये ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी द्वारा अपने मनमाने ढंग से कार्य कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज में जल संरक्षण, भू-संरक्षण, वनीकरण, लघु सिंचाई, सम्पर्क मार्ग, प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण, नाला निर्माण, पुल निर्माण, पौधशाला, ड्रेन निर्माण आदि के कार्य किये गये हैं । क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति पर निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किये गये है :–

(1) गोविन्द साहब से टोड़ी नदी तक नाला ।

(2) केवटला ग्राम अहिरनपुरवा पुलिया ।

(3) हंसवर मेंहदी बाट सम्पर्क मार्ग ।

(4) इंदईपुर से हुसेनपुर सम्पर्क मार्ग ।

(5) गांधी स्मारक इण्टर कालेज के सामने चांदपुर सम्पर्क मार्ग ।

(6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहांगीरगंज सम्पर्क मार्ग ।

(7) अतिरिक्त कक्ष राजे सुल्तानपुर प्रा० पाठशाला ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बाल विकास परियोजना अधिकारियों/कर्मचारियों के सितम्बर, 1997 फरवरी, 1998 के मध्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

43–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री अवगत हैं कि सितम्बर, 97 से फरवरी, 98 के मध्य कतिपय बाल विकास परियोजना अधिकारियों तथा लिपिकों एवं अन्य कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो उन्हें विभाग से हटाने के लिए अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां।

कुल 01 बाल विकास परियोजना अधिकारी 04 मुख्य सेविका, 03 लिपिक एवं 03 जीप चालकों के मामले उक्त अवधि में प्रकाश में आये हैं।

एक बाल विकास परियोजना अधिकारी, दो मुख्य सेविका, 3 लिपिक तथा एक जीप चालक को निलम्बित किया गया तथा दो मुख्यसेविका, एक जीपचालक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित की गई तथा एक जीपचालक की सेवाएं समाप्त की गयीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–देवरिया विकास खण्ड–देसही में वर्ष 1995-96 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों के सत्यापन में अनियमितता तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

44–श्री श्याम किशोर यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के दूसरे बुधवार के अता० प्रश्न सं० 153 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि, विकास खण्ड देसही देवरिया, जनपद देवरिया में वर्ष 1995-96 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत उक्त विकास खण्ड में कराये गये समस्त विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन तत्कालीन जिला अधिकारी, देवरिया द्वारा एक समिति बना कर कराई गई, पर क्या जांचोपरान्त सु०रो०यो० के तहत हुई धांधली एवं घपलों के आरोप में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता (आर०ई०एस०) को शासन द्वारा पूर्व में ही निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण की सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट तथा उक्त प्रकरण के अन्य दोषी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध लम्बित कार्यवाही का विवरण क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

प्रकरण में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता (आर०ई०एस०) के निलम्बन के अतिरिक्त तीन ग्राम्य विकास अधिकारियों एवं सात ग्राम पंचायत अधिकारियों को दोषी मानकर जिला विकास अधिकारी एवं जिला पंचायतराज अधिकारी देवरिया द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही सम्पन्न करने के निमित आरोप पत्र निर्गत कर दिये गये हैं।

जनपद देवरिया विकास खण्ड–देसही ग्राम पंचायत मदरापाली, भरथराय में विगत वर्षों में आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों का विवरण

45–श्री श्याम किशोर यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के दूसरे बुधवार के अता० प्रश्न सं० 151 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि, कार्यदायी विभाग ग्राम पंचायत–मदरापाली भरथराय, विकास खण्ड-देसही देवरिया, जनपद-देवरिया को वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में जवाहर रोजगार योजना एवं सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत शासन द्वारा जो धनराशि आवंटित की गई उसमें

उक्त कार्यदायी विभाग द्वारा कौन-कौन सा कार्य सम्पन्न कराया गया ? उसका विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में कोई भी कार्य न कराकर सरकारी धनराशि हड़प ली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसका भौतिक सत्यापन करा कर दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

ग्राम पंचायत मदरापाली भरथराय, विकास खण्ड–दसही देवरिया, जनपद देवरिया को वर्ष 1995–96, 1996–97 एवं 1997-98 में आवंटित धनराशि से कराए गए कार्यों का विवरण निम्नलिखित है :–

सुनिश्चित रोजगार योजना

वर्ष	क्रमांक	नाम परियोजना
1995–96	1–	हरियापार सिवान से मदरापाली तक ड्रेन निर्माण
	2–	सिंचाई तालाब गाटा स० 11(ग) पर
	3–	पक्की सड़क से मदरापाली भरथराय मिट्टी कार्य
1996–97		–शून्य–
1997–98		–शून्य–
जवाहर रोजगार योजना		
1995–96	1–	इब्राहिम के घर से विश्वनाथ के घर तक मिट्टी कार्य
	2–	सकर के घर से गढ़ही तक नाली निर्माण
	3–	मेन रोड से काली स्थान तक मिट्टी कार्य
	4–	एक हैण्डपम्प क्रय पर व्यय
1996–97	1–	कपिल के घर से जीना के घर तक, कपिल के खेत से महुआ के पेड़ तक, कल्पनाथ के घर से जपरूल के घर तक व अनीस के दरवाजे तक मिट्टी कार्य ।
	2–	मेन सड़क से शम्भू के दरवाजे तक खड़न्जा मरम्मत ।
1997–98	1–	सफायत पुत्र सकई व अवध नारायण पुत्र चन्द्रबली का दो हैण्डपम्प क्रय व मस्जिद से हैबल के दरवाजे तक पक्की नाली निर्माण ।
	2–	कल्पनाथ के दरवाजे से बलकिया सिवान तक व प्रा० पा० स्कूल से नहर तक सम्पर्क मार्ग भराई पर व्यय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सात परियोजनाओं का सत्यापन कराया जा चुका है, जिसमें कार्यों का होना पाया गया ।

जनपद अम्बेडकर नगर में विकास खण्ड टाण्डा के हुसेपुर मार्ग के निर्माण का प्रकरण

46–श्री लालजी वर्मा–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में विकास खण्ड-टाण्डा के अन्तर्गत ग्राम हुसेपुर मार्ग के निर्माण हेतु सांसद क्षेत्रीय विकास निधि में वर्ष 1994-95 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद द्वारा कितना धन आवंटित किया गया था तथा उक्त मार्ग पर अब तक कितना धन खर्च किया गया ? क्या उक्त मार्ग के निर्माण में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)–

जनपद अम्बेडकर नगर में विकास खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत ग्राम हुसेपुर मार्ग के निर्माण हेतु सांसद क्षेत्रीय विकास निधि में वर्ष 1994–95 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद द्वारा रु० 5.12 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी एवं उक्त मार्ग पर आवंटित धनराशि का उपभोग कर कार्य पूरा करा लिया गया है ।

कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जा चुका है । अतः किसी अधिकारी एवं कर्मचारी को दण्डित करने का कोई औचित्य ही नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं पर बिना जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के शाषी निकाय द्वारा स्वीकृत धन तथा आवंटन

47–श्री लाल जी वर्मा

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं पर बिना जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के शाषी निकाय में स्वीकृत किए धन आवंटित किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी को ऐसी जानकारी है कि कुछ जनपदों में बिना शाषी निकाय के स्वीकृत के उक्त योजना में धन आवंटित किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वृद्धावस्था/किसान पेंशन वितरण की व्यवस्था

48–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन वितरण की व्यवस्था न्याय पंचायतों पर कैम्प लगाकर करने की स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की गई थी, परन्तु उसके बावजूद

भी वृद्धास्था पेंशन के वितरण की व्यवस्था न्याय पंचायतों पर कैम्प लगाकर नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

वृद्धावस्था/किसान पेंशन वितरण, लाभार्थियों के खुले बचत खातों में बैंक इन्वाइस द्वारा मनीआर्डर तथा न्याय पंचायतों में किसान सेवा केन्द्रों के माध्यम से कराये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये हैं।

दैवी आपदा के समय तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पेंशन पाने वाले वृद्धों, अक्षम व्यक्तियों, विधवाओं को जहां किसान सेवा केन्द्रों में पहुंच पाना संभव न हो पेंशन वितरण नकद/मनीआर्डर द्वारा दिये जाने के निर्देश भी दिये गये। पर्वतीय क्षेत्र में यातायात की विकट समस्या को देखते हुए नकद/मनीआर्डर द्वारा पेंशन दिये जाने के आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–हरदोई में मल्लावां के अन्तर्गत पन्योडा ड्रेन की खुदाई व सफाई

49–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पन्योडा ड्रेन की खुदाई व सफाई न होने के कारण पन्योडा, विराइचमऊ गांव सभा, भौगैतापुर गांव सभा तथा आलापुर क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भू-भाग जल मग्न रहने के कारण कृषक गणों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो उक्त ड्रेन की कब तक खुदाई सफाई करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं। पन्योड नाम की कोई ड्रेन इस क्षेत्र में नहीं है, अतः किसी कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद–मैनपुरी में वर्ष 1998-99 में डी०आर०डी०ए० की बैठक एवं सुनिश्चित रोजगार एवं जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत विकास योजनाओं का प्रस्ताव

50–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1998-99 में जनपद मैनपुरी में कितनी डी० आर०डी०ए० की बैठकें हुई और इस वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित रोजगार व जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत व अन्य विकास योजनाओं में किन-किन से प्रस्ताव लिये गये ? क्या यह सच है कि इस हेतु निर्धारित नियमावली व निर्गत शासनादेश के विपरीत लोगों से प्रस्ताव लेकर सड़कों का निर्माण कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सच है कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करके जनपद में कार्य किया गया ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद–मैनपुरी में वर्ष 1998-99 में डी०आर०डी०ए० की तीन बैठकें आयोजित की गयी। वर्ष 1998-99 में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत मार्ग-निर्देशों एवं शासनादेश के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं तथा अन्य अधिकारियों के साथ-साथ ग्राम सभाओं क्षेत्र पंचायतों एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों यथा-सांसद सदस्य विधान सभा, सदस्य विधान परिषद् से परियोजनाएं प्राप्त की गयीं। जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत डी०आर०डी०ए० की प्रशासकीय समिति की बैठक में अनुमोदित प्रस्तावों से परियोजनाएं ली गई हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद—शाहजहांपुर आरदा नहर खण्ड के सहायक अभियन्ता श्री सलाहउद्दीन के द्वारा भ्रष्टाचार पर प्राप्त शिकायती पत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानकारी

51.—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह :

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 27-4-95 या इसके आस-पास शारदा नहर खण्ड शाहजहांपुर के सहायक अभियंता श्री सलाहउद्दीन महमूद के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में मा० मंत्री जी को तथा अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग लखनऊ को तथा अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग मीरापुर तथा जिलाधिकारी शाहजहांपुर को पत्र दिये गये थे, प्राप्त हुये ? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां ।

जांच तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, शारदा नहर खण्ड शाहजहांपुर श्री सुशील कुमार से करायी गयी थी जिसमें श्री सलाहउद्दीन महमूद सहायक अभियन्ता को दोषी नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद—उन्नाव ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को एस०आर०वाई० योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि एवं बेरोजगार को रोजगार

52.—श्री राम शंकर लाल—

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह अप्रैल, 1998 से 15 दिसम्बर, 1998 तक एस० आर० वाई० योजना की कितनी धनराशि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग उन्नाव को अवमुक्त की जा चुकी है तथा अवमुक्त धनराशि से कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है ? क्या एस०आर०वाई० योजना की मूल भावना में बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य पूरा हो रहा है ? यदि नहीं, तो इसके लिए सरकार क्या ठोस उपाय कर रही है ?

श्री महाराजेश्वर चन्द—

माह अप्रैल, 1998 से 15 दिस० 1998 तक एस०आर०वाई० योजना की रु० 234.246 लाख की धनराशि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उन्नाव को अवमुक्त की जा चुकी है तथा अवमुक्त उक्त धनराशि से अब तक लगभग 5000 बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार दिया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र तथा कार्यवाही की जानकारी

53.—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग शाहजहांपुर में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 4-10-98 जिला अधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो

क्या यह भी सच है कि जिला अधिकारी ने उपरोक्त पत्र दि० 12-11-98 को अधिशासी अधिकारी शारदा नहर शाहजहांपुर को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को अवगत कराने के निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो अधिशासी अधिकारी शारदा नहर ने उपरोक्त-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां, लेकिन 12-11-98 के बजाय जिलाधिकारी द्वारा 12-10-98 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिशासी अभियन्ता शाहजहांपुर को भेजा गया ।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा जांच कर ली गयी है जो सक्षम अधिकारी के अस्तर पर निर्णयाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–हरदोई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत लम्बित प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण

54–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत जनपद–हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में इस समय कितने प्रार्थना पत्र लम्बित हैं एवं उनका निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

प्रश्नगत क्षेत्र के दिनांक 12 फरवरी, 99 तक कुल 27 आवेदन पत्र लम्बित हैं ।

शत प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा सहायतित इस योजना में लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–पिथौरागढ़ तथा चम्पावत के मध्य ''लोहाघाट'' में मेडिकल कालेज खोलने की मांग

55–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र जनपद–पिथौरागढ़ और जनपद–चम्पावत के मध्य ''लोहाघाट'' में मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लघु सिंचाई/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग से निकाले गये दैनिक वेतन/मस्टर रोल कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने का विवरण

56–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में दैनिक वेतन/मस्टर रोल पर कार्यरत अनेक कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया गया था जिसके विरुद्ध न्यायालय गये कतिपय कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिया गया है ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय के आदेशोपरान्त भी कतिपय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ज्वाइन नहीं कराया गया है और मानहानि की अर्जी के बाद एक वर्ष बाद ही ज्वाइन कराया गया परन्तु उनको आज तक वेतन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो इन अनियमितताओं हेतु कौन उत्तरदायी है तथा उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? कब तक कर्मचारियों को वेतन दे दिया जायेगा ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में अन्य अभियांत्रिक विभागों की भांति निर्माण कार्यों की कन्टीजेन्सी के विरुद्ध कार्य की उपलब्धता/वर्क कन्टीजेन्सी की उपलब्धता के अनुरूप दैनिक वेतन/मस्टर रोल पर कर्मचारियों को रखा गया ? कार्य पूर्ण होने अथवा कन्टीजेन्सी समाप्त होने पर कथित कार्मिकों की सेवा स्वतः समाप्त होने की स्थिति में समय-समय पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाओं पर दिये गये निर्देश के क्रम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया गया है ?

मा० सदस्य ने अपने प्रश्न के इस अंश में किसी विशिष्ट प्रकरण का उल्लेख नहीं किया है इसलिए अस्पष्टता के आधार पर प्रश्न के इस अंश का उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि शासन स्तर पर प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार करते हुए यथोचित निर्णय लिया जाता है ।

जनपद–बलिया में घाघरा के कटान से प्रभावित गांवों को बचाने हेतु शासन की योजना

57–श्री राजधारी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में घाघरा के कटान से प्रभावित गांव क्रमशः विहरा, डूहां, मौनी आश्रम, कठौरा, लिलकर एवं नवकागांव, ककरघट्टा के बचाव हेतु सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसके लिये कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बलिया जनपद में घाघरा के कटान से प्रभावित गांव क्रमशः विहरा, डूहां, मौनी आश्रम, कठौरा, लिलकर एवं मनका गांव, ककरघट्टा घाघरा नदी एवं उसके किनारे बने हुए तुर्तीपार श्रीनगर तटबन्ध के बीच में स्थित है । उक्त सभी गांव फ्लड प्लेन में आते हैं, अतः इन गांवों को बचाने हेतु कोई सिंचाई विभाग की योजना नहीं बनाई गई है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद–बहराइच में सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1993 से अब तक कृत कार्यों में अनियमितता का भौतिक सत्यापन

58–श्री दिलीप वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1993 से अब तक कुल कितने तालाबों, रजवाहों, नलकूपों का निर्माण कराया गया है ? कितनी धनराशि नहरों

की सिल्ट सफाई में खर्च किया गया है ? क्या सरकार उसका भौतिक सत्यापन कराने एवं कार्यों में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बहराइच में वर्ष 1993 से अब तक सिंचाई विभाग द्वारा 11 रजवाहों, 20 माइनरों एवं 28 नवीन नलकूपों का निर्माण कराया गया है । सिंचाई विभाग द्वारा तालाबों का निर्माण नहीं कराया गया है ?

नहरों की सिल्ट सफाई पर वर्ष 1997-98 में रुपये 0.55 लाख व्यय किया गया है ?

सिल्ट सफाई के कार्य का निरीक्षण/सत्यापन विभागीय अधिकारियों/प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया गया है । कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी है । अतः किसी अधिकारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

59–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह किशौदिया–

[4थे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 49 के उत्तर में स्थानान्तरित]

प्रदेश के चीनी मिलों के नवीनीकरण की सरकार की योजना की जानकारी

60–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह किशौदिया–

क्या मान्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की कतिपय चीनी मिलों के नवीनीकरण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

किसी चीनी मिल के नवीनीकरण की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है । शासन के नियंत्रणाधीन सहकारी क्षेत्र की लखीमपुर स्थित सम्पूर्णानगर, बेलरायां तथा सहारनपुर स्थित नगौता चीनी मिलों के विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है । सहकारी चीनी मिल नादेही जनपद उधमसिंह नगर के विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

इस विस्तारीकरण में चीनी मिल सम्पूर्णानगर, बेलरायां तथा नगौता की पेराई क्षमता 2500 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 5000 टन प्रति दिन तथा नादेही चीनी मिल को 2000 टन प्रति दिन से 5000 टन प्रतिदिन किया जाना प्रस्तावित है ।

61–श्री वीरेन्द्र सिंह तोलकी–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

62–डा० सरजीत सिंह डंग–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

उत्तर प्रदेश में अर्द्ध विकलांगों को पूर्ण विकलांग की भांति लाभ दिये जाने की योजना की जानकारी

63–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो 40-45 प्रतिशत के विकलांग लोग हैं उनको भी 50-55 प्रतिशत के विकलांगों की भांति लाभान्वित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों की पात्रता के योजनावार विभिन्न मापदण्ड निर्धारित हैं। विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान क्रमशः लड़की तथा लड़के/लड़की दोनों के विकलांग होने पर रु० 14,000 एवं लड़के के विकलांग होने पर रु० 11,000 तथा दुकान निर्माण योजना के अन्तर्गत रु० 20,000 की धनराशि 40% की विकलांगता वाले व्यक्ति को भी अनुमन्य है। अन्य योजनाओं में प्रतिशत का मापदण्ड लागू नहीं है।

लागू नहीं होता।

लागू नहीं होता।

जनपद–सीतापुर एवं लखीमपुर खीरी के बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी कार्य-कर्त्रियों एवं सहायिकाओं की अवैधानिक नियुक्ति के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच एवं कार्यवाही

64–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगी कि जनपद-सीतापुर एवं लखीमपुर खीरी की बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने अपनी-अपनी परियोजनाओं में दिसम्बर, 97 से नवम्बर, 98 के मध्य अवैधानिक तरीके से आंगनबाड़ी कार्य-कर्त्रियों एवं सहायिकाओं की नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां।

जी हां।

परियोजना अधिकारी, लखीमपुर के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही की गयी तथा सीतापुर में सिधौली परियोजना की शिकायत प्राप्त होने पर जांच हेतु जनपद को भेजा गया है।

जनपद–बरेली में खराब नलकूपों को चालू कराये जाने की जानकारी

65–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बरेली में कितने नलकूप कब से खराब पड़े हैं ? क्या सरकार तत्काल खराब नलकूप ठीक कराकर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद–बरेली में 1-10-1998 को कार्यरत 659 राजकीय नलकूपों में से 11-2-1999 की बन्दी के अनुसार 21 नलकूप यान्त्रिक दोष से व 73 नलकूप विद्युत दोष से कुल 94 नलकूप खराब थे। यान्त्रिक दोष से खराब नलकूप 3-2-1999 तथा इसके बाद की अवधि से तथा विद्युत दोष से 8 नलकूप पुरानी अवधि से व शेष नलकूप 12/98 या उसके बाद की अवधि से खराब हैं।

जी हां, उपरोक्त में से यान्त्रिक दोष से खराब 21 नलकूप 21-2-1999 तक ठीक कर दिये गये हैं। विद्युत दोष से खराब 73 नलकूपों में से 54 नलकूप दिनांक 24-2-1999 तक ठीक हो गये हैं। शेष 19 नलकूप ठीक करने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों से आग्रह किया गया है ?

जनपद–बरेली, विकास खण्ड–नवाबगंज के ग्राम पंचायत सैदपुर सरौरा में प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण की स्थिति

66–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड–नवाबगंज, जिला–बरेली के ग्राम पंचायत सैदपुर सरौरा में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय के निर्माण हेतु दिनांक 10-6-98 को मुख्य विकास अधिकारी, बरेली ने आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या विद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

गांव में प्राथमिक विद्यालय निर्माण स्थल के चयन को लेकर माननीय न्यायालयों में विवाद चल रहे हैं ।

67–श्री छोटे लाल गंगवार–

[4थे मंगलवार में अता० प्र० सं०–111 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला–आजमगढ, तहसील–फूलपुर, विकास खण्ड–पवई, ग्राम सभा–खण्डौरा के ग्रामवासियों की पेयजल समस्या के निदान हेतु सामूहिक पत्र एवं कार्यवाही की जानकारी

68–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा–खण्डौरा तहसील, फूलपुर, विकास खण्ड–पवई, जिला–आजमगढ़ के ग्रामवासियों का सामूहिक हस्ताक्षरित पत्र जो कि ग्राम सभा में पेयजल की समस्या के निदान हेतु एक इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगाये जाने के संबंध में था, जिस पर राज्य मंत्री जी ग्राम्य विकास द्वारा दिनांक 16-4-98 को पत्रांक–1405 एम० आर० डी०/रा०म०ग्रा०वि० द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ हैण्डपम्प लगवाने के आदेश दिये हैं, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या हैण्ड पम्प लगवा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला–मथुरा, तहसील–छाता के श्री जोरावर पुत्र श्री टुण्ड, निवासी शेरगढ़ की इन्दिरा आवास योजना में पात्रता के बावजूद निरस्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

69–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री जोरावर पुत्र श्री टुण्ड, नि०–शेरगढ़, तह०–छाता, जिला–मथुरा की इन्दिरा आवास योजना में पात्रता होने के बावजूद प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी०एम०/वि०को-/एम–3/16700/मथुरा/98, दिनांक 29-9-98 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

प्रकरण में विकास खण्ड छाता के टास्कफोर्स अधिकारी श्री योगेन्द्र मलिक, जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, मथुरा से जांच करायी गयी । जांच में श्री जोरावर पुत्र श्री टुण्ड, निवासी शेरगढ़, विकास खण्ड छाता को इन्दिरा आवास के लिए पात्र नहीं पाया गया ।

जनपद–देहरादून के विकास खण्ड डोईवाला के ग्राम घमण्डपुर में नये नलकूपों के निर्माण कराने की जानकारी

70–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–देहरादून के विकास खण्ड डोईवाला के अन्तर्गत ग्राम घमण्डपुर में निर्मित नलकूप संख्या–18 डी डी को मृत घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम के कृषकों के सिंचाई हेतु क्या सरकार नया नलकूप लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

नये राजकीय नलकूपों का निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत कराया जाता है । वर्तमान में नये राजकीय नलकूप सामान्यतः नहीं बनाये जा रहे हैं ।

जनपद–बस्ती के श्री राधेश्याम सेवानिवृत्त ग्राम्य विकास अधिकारी को शासनादेश के तहत पेंशन व अन्य देय अवशेषों के भुगतान की जानकारी

71–श्री राम अचल राजभर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी बस्ती से श्री राधेश्याम दिनांक 31-1-1997 को ग्राम्य विकास अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात् शासनादेश के तहत निश्चित अवधि में श्री राधेश्याम को पेंशन, अन्य देय अवशेषों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

श्री राधेश्याम को शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता बरतने, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, खण्ड स्तरीय साप्ताहिक बैठक तथा किसान सेवा केन्द्रों की बैठकों में भाग न लेने के आरोप में निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी । जिला विकास अधिकारी, बस्ती के आदेश दिनांक 23-11-94 द्वारा श्री राधेश्याम को निलम्बन से मुक्त करते हुए सेवा में बहाल किया गया किन्तु श्री राधेश्याम ने अपना कार्यभार ग्रहण न करके दिनांक 29-11-94 से 5-7-95 तक व 6-7-95 से सेवानिवृत्तिक तिथि 31-1-97 तक अनुपस्थित रहे । इसके अतिरिक्त माह अक्टूबर, 86 से जून, 87 तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहे । श्री राधेश्याम ने मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–1215/91 श्री राधेश्याम बनाम उ० प्र० सरकार योजित की है । मा० न्यायालय के निर्णय के उपरान्त इनकी सेवाओं की गणना के उपरान्त पेंशन आदि का भुगतान किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–बस्ती/गोरखपुर कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी सेवानिवृत्त ग्राम्य विकास अधिकारियों को शासनादेशों के तहत पेंशन आदि देयों का भुगतान

72–श्री राम अचल राजभर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी जनपद–बस्ती/गोरखपुर से 31 जनवरी, 1997 को कितने ग्राम्य विकास अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं ? उक्त तिथि को सेवानिवृत्त ग्राम्य विकास अधिकारियों को शासनादेशों के अनुसार निश्चित अवधि मे पेंशन व अन्य अवशेष देयों का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त तिथि को सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारियों की सूची उनके दिये गये भुगतानों के विवरण के साथ सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद–बस्ती से एक तथा जनपद–गोरखपुर से तीन ग्राम विकास अधिकारी दिनांक 31 जनवरी, 1997 को सेवानिवृत्त हुए ।

श्री रमाशंकर यादव, ग्राम विकास अधिकारी, बस्ती (सेवानिवृत्त) तथा श्री राम सरीक सिंह (सेवानिवृत्त) ग्राम विकास अधिकारी के समस्त देयों का भुगतान किया जा चुका है । श्री जितेन्द्र शाही तथा विश्वदेव पाण्डे की सेवा पुस्तिका तथा जी०पी०एफ० पासबुक अपूर्ण होने के कारण अभी तक पेंशन, ग्रेच्युटी तथा राशिकरण का भुगतान नहीं किया जा सका है । उक्त सेवा अभिलेख पूर्ण कराकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

जिला–टिहरी गढ़वाल में हेंवल/अगलाड़ नदी की बाढ़ से कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु उपायों की जानकारी

73–श्री लाखी राम जोशी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला–टिहरी गढ़वाल में हेंवल नदी व अगलाड़ नदी में 16-17 अक्टूबर, 1998 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु भविष्य में क्या उपाय किए जा रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि शासन पर्वतीय क्षेत्र के विशेषकर टिहरी गढ़वाल के बाढ़ प्रभावित गरीबों को सहयोग नहीं कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि के सुरक्षा के कार्य सिंचाई विभाग द्वारा सम्पादित नहीं कराये जाते हैं, बल्कि भूमि संरक्षण विभाग द्वारा सम्पादित कराये जाते हैं ।

कृषि योग्य भूमि की क्षति तथा प्रभावित आबादी को राहत जिला प्रशासन स्तर से दी जाती है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

74–श्री चन्द्रनाथ सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद–प्रतापगढ़ के अनुसूचित जाति के गरीब निर्धन/निराश्रित व्यक्तियों को स्वीकृत चिकित्सा अनुदान के भुगतान की जानकारी

75–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति के गरीब निर्धन निराश्रित व्यक्तियों श्री अर्जुन, निवासी पूरे चकई टेऊंगा प्रतापगढ़, श्री बाबू लाल पासी, टेऊंगा प्रतापगढ़, श्री नन्दूराम संसारपुर प्रतापगढ़, श्री कल्लूराम संसारपुर प्रतापगढ़ को चिकित्सा अनुदान जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा नहीं स्वीकृत किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इस प्रकरण में जांच करने का आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अर्जुन पुत्र जीतलाल निवासी ग्राम पूरे चकई टेऊंगा, नन्दूराम पुत्र वनई, ग्राम संसारपुर तथा कल्लूराम पुत्र सुखाराम, ग्राम संसारपुर को वित्तीय वर्ष 1998-99 में चिकित्सा अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया जा चुका है । श्री बाबू लाल ग्राम टेऊंगा का आवेदन-पत्र अपूर्ण था जिसके कारण उसे स्वीकार नहीं किया जा सका ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में कार्यरत उर्दू अनुवादकों से लिए जा रहे कार्यों की जानकारी

76–श्री समर पाल सिंह–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में कुछ उर्दू अनुवादक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उनसे क्या कार्य कराया जा रहा है ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पदों पर कार्यरत कार्मिकों से उर्दू अनुवादक के साथ-साथ कनिष्ठ लिपिक के पद के स्तर का कार्य लिया जा रहा है ।

जनपद–हरदोई, मल्लावां में योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता की मांग

77–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति के लोगों की लड़कियों की शादी के लिए जो धन सरकार द्वारा दिया जाता है उसके लिये जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के कितने प्रार्थना-पत्र समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय हरदोई में अभी तक लम्बित हैं ? उनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जनपद–हरदोई के 91–विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां में योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों की पुत्रियो की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने सम्बन्धी कोई आवेदन-पत्र वर्तमान समय में प्राप्त सूचनानुसार जनपदीय कार्यालय में लम्बित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में बाढ़ प्रभावित परिवारों को इन्दिरा आवास निर्माण योजनान्तर्गत धन उपलब्ध कराने की मांग

78–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ में प्रभावित क्षेत्रों में जो परिवार इन्दिरा आवास के पात्र हैं उनको आवास निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को धनराशि उपलब्ध कराई गई है ? यदि हां, तो सरकार जनपद हरदोई के पात्र लोगों को आवास निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

भारत सरकार द्वारा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बाढ़ग्रस्त जनपदों के लिए अग्रिम राशि के रूप में सहायता दी गयी है । बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से बाढ़ के कारण जो आवास क्षतिग्रस्त हो गये हैं उनके स्थान पर प्रत्येक पात्र व्यक्ति के लिए इन्दिरा आवास निर्मित किये जाने के आदेश जिलाधिकारियों को दिये जा चुके हैं । जनपद हरदोई को भी निर्धारित परिव्यय के अनुसार धनराशि उपलब्ध करा दिया गया है ।

जनपद हरदोई के मल्लावां के सोनहारा रजबहा की सफाई एवं खुदाई कराकर पानी टेल तक पहुंचाने की जानकारी

79–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सोनहारा रजबहा की लम्बाई पच्चीस किलोमीटर, साठ मीटर है जिसकी सफाई व खोदाई न होने के कारण पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा है जिसके कारण कृषकों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है ? कृषकों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने हेतु क्या सरकार द्वारा रजबहा की खोदाई व सफाई करवाई जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार व्यवस्था की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–अम्बेडकर नगर में सिंचाई खण्ड टाण्डा में निर्धारित सीमा अवधि से अधिक समय तक कार्यरत अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण करने की मांग

80–श्री लाल जी वर्मा

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में एक ही खण्ड में कितने वर्ष तक किसी अवर अभियंता को कार्यरत रहने की सीमा निर्धारित की गयी है ? क्या सिंचाई खण्ड टाण्डा, जनपद–अम्बेडकर नगर में कुछ अवर अभियंता उक्त समय सीमा से अधिक समय से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से तथा क्यों ? क्या सरकार उन्हें उक्त खण्ड से स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शासनादेश संख्या–1935/97–27–सिं०–7–136स्था०/97, दिनांक 19-5-97 के अनुसार किसी खण्ड में अवर अभियन्ता की कार्यरत रहने की अवधि पांच वर्ष निर्धारित है । सिंचाई खण्ड टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत सर्वश्री गुलेश्वर प्रसाद, महेन्द्र प्रसाद गुप्ता, रमेश कुमार श्रीवास्तव, शिवा पति शुक्ला, कमला प्रसाद तथा गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव, अवर अभियन्तागण निर्धारित समय सीमा से अधिक समय से कार्यरत हैं, जिन्हें नीति के अनुसार स्थानान्तरण 15 प्रतिशत तक ही सीमित रखने के कारण स्थानान्तरित नहीं किया जा सका था । आगामी सामान्य स्थानान्तरण के समय नीति के अनुरूप निर्णय लिया जायेगा ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर, जहांगीरगंज की नहरों व माइनरों की बिना सफाई व खुदाई किये भुगतान की जानकारी

81–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र की नहरों एवं माइनरों की मौ[illegible] पर न तो सफाई हुई है न तो खुदाई किन्तु इसके सम्बन्ध में केवल भुगतान ले लिया गया है ? [illegible] सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो [illegible] तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । सफाई का कार्य प्राक्कलन के अनुरूप कराकर ही भुगतान किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली में आफसरेहा नदी की बायोलड़िया डाम से ऊपर ग्राम जिगनिया भगवन्तपुर के टूटे पुल की मरम्मत हेतु धन की उपलब्धता की जानकारी

82–श्री छोटे लाल गंगवार–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न सं०–64 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बरेली में अफसरेहा नदी की बायोलड़िया डाम से ऊपर ग्राम जिगनियां–भगवन्तपुर के टूटे पुल की मरम्मत हेतु धन उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, नाबार्ड से वित्तीय संसाधन प्राप्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

जनपद उन्नाव में नहरों की शिल्ट सफाई के बावजूद किसानों को पर्याप्त पानी न मिलने की शिकायत

83–श्री कृपा शंकर सिंह

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद में अक्टूबर, 1998 माह में होने वाली नहरों की शिल्ट सफाई नहीं की गयी, जिससे किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल सका ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर में पर्याप्त खण्ड विकास अधिकारियों के न होने के सम्बन्ध में जानकारी

84–श्री दीपलाल भारती–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद कुशीनगर में 7 खण्ड विकास अधिकारियों की कमी है, जिसके कारण विकास कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो उक्त कमी को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं । पांच खण्ड विकास अधिकारी के पद रिक्त हैं । वर्ष 1994 बैच के चयनित 52 खण्ड विकास अधिकारियों की प्रतीक्षा सूची से नाम एवं संस्तुति लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद से मांगी गयी है । लोक सेवा आयोग की संस्तुति प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

85–श्री चन्द्र नाथ सिंह

[4थे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गाजीपुर के तहसील जमानियां में चक्का बांध को गंगा की कटान से रोकने एवं सुरक्षा की मांग

86–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर के जमानियां तहसील में गंगा की कटान चक्का बांध में तीव्र गति से हो रही है ? यदि हां, तो उसको रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस बांध के कटान को रोकने के लिये विगत 5 वर्षों में कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

गाजीपुर के जमानियां तहसील में गंगा नदी के दायें किनारे पर विगत वर्षों से कटान शनैः-शनैः जमानियां पम्प गृह व चक्का बांध की तरफ हो रही है ।

जमानियां पम्प गृह/चक्का बांध की सुरक्षा हेतु रु० 65.96 लाख की लागत वाली एक योजना तैयार की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

विगत पांच वर्षों में निर्माण कार्य पर व्यय नहीं हुआ है । किन्तु रख-रखाव पर रु० 7.44 लाख की धनराशि व्यय की गयी है ।

इलाहाबाद तथा लखनऊ जनपदों में विधवा पेंशन योजना की सम्परीक्षा में पायी गयी अनियमितता तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

87–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद तथा लखनऊ जनपदों में विधवा पेंशन योजना की विशेष सम्परीक्षा करायी गयी थी ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट में पायी गयी कमियों के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

सम्परीक्षा रिपोर्ट में पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मंगाया गया है जिसके प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

88—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, आगरा में 1 जनवरी, 1986 से नर्स/कम्पाउन्डर के संशोधित वेतनमान का निर्धारण व एरियर का भुगतान

89—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, आगरा में 1 जनवरी, 1986 से नर्स/कम्पाउन्डर के संशोधित वेतनमान का निर्धारण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या वेतन निर्धारण का एरियर भुगतान भी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? एरियर का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों/फार्मेसिस्ट की नियुक्ति की मांग

90—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में ऐसे कौन-कौन से राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय हैं जिनमें एलोपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की गयी है ? क्या फार्मेसिस्ट दवाइयां प्रेस्क्राइब्ड करने के लिये सक्षम हैं ? यदि नहीं, तो इन चिकित्सकविहीन चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद पौड़ी में 45 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय हैं जिनमें एलोपैथिक चिकित्सक नहीं हैं, यथा द्वारीखाल, किखू, रामागांव, सैजी, बन्दुरी, देहलचोरी, संगलाकोटी, काण्डखाल, सुमाड़ी, चिपलघाट, सिवाल, संकरसण, बसन्तपुर, भानमासो, स्योली, तल्ला, ऊंफरखाल नगर, कल्जीखाल, असनखेत, खेरांसण काण्ड खाल, सेन्धीखाल, कोलाखाल, देवराज खाल, रीठाखाल, भगवती तलिया, दनाव, मैठनाघाट, कोटा महादेव, थापला, फरसाड़ी, धनियाखाल, उदमोलखाल, गोलीखाल, खदरासी, कमान्द, तिमिलसैण, द्वारी, सुमेरसैंण, मैरपुर हीराखाल, काण्डी, जसपुर, किन्सुर, नाथूखाल ।

जी नहीं ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में पर्वतीय उप संवर्ग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 67 चिकित्सकों को नियुक्त किया गया है, जिनमें से 23 चिकित्सकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्राविधानों को प्रभावी करने हेतु गठित समिति एवं उसके सदस्यों की संख्या आदि की जानकारी

91—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकलांग जन ऐक्ट, 1995 के प्राविधानों को शीघ्र कार्यान्वयन हेतु मंत्रिमण्डल की उप समिति गठित की गयी है ? यदि हां, तो इसमें कितने सदस्य हैं ? क्या उक्त समिति विकलांग हितार्थ सुझाव व सलाह जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेषित करने पर विचारार्थ स्वीकार कर रही है ? यदि हां, तो समिति को अब तक कितने सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी हां । निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गोपन अनु०–1 के पत्र संख्या–4/4/10/98–सी०एक्स०–(1), दिनांक 11 मई, 1998 द्वारा मंत्रि-परिषद् की उप समिति गठित की गयी है ।

उप समिति में अध्यक्ष सहित छः सदस्य हैं ।

जी नहीं । उक्त समिति निःशक्त जन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सकों की नियुक्ति एवं रिक्त पदों पर एलोपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति की जानकारी

92—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के एलोपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति के नाम पर एलोपैथिक चिकित्सकों के बजाय आयुर्वेदिक चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि एलोपैथिक चिकित्सकों के स्थान पर आयुर्वेदिक चिकित्सकों की नियुक्ति जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है ? यदि हां, तो उक्त अस्पतालों में एलोपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों में एलोपैथिक चिकित्सकों की कमी के कारण आयुर्वेदिक चिकित्सकों को नियुक्त किया गया था ।

जी नहीं । पर्वतीय क्षेत्र में एलोपैथिक चिकित्सकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए आयुर्वेदिक अंशकालिक चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर तैनात किया गया था । पर्वतीय उप सम्वर्ग गठित किये जाने के पश्चात् रिक्त पदों पर वर्ष 1996 में लोक सेवा आयोग से चयन कराया गया और रिक्त पदों पर 559 एलोपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति वर्ष 1997 में और 339 एलोपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति वर्ष 1998 में की जा चुकी है, जिनमें से 310 चिकित्सकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

जनपद मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 1998-99 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत टोड़रपुर ब्लाक बेवर को परौंखा से जोड़ने का प्रस्ताव

93–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 1998-99 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत किन-किन सड़कों का निर्माण कराया गया और क्या अब तक वांछित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया ? क्या यह सच है कि प्रश्नकर्ता द्वारा ग्राम टोड़रपुर ब्लाक बेवर को परौंखा से जोड़े जाने का प्रस्ताव किया गया था किन्तु उसे मुड़ई से टोड़रपुर जोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 1998-99 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माण करायी गयी सड़कों की सूची संलग्न है । माह फरवरी, 98 तक निर्धारित मानव दिवस सृजन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ।

जी हां ।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम टोड़रपुर को पक्की सड़क से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान कर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मैनपुरी को दिनांक 12-8-98 को धनराशि आवंटित की गयी । ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा टोड़रपुर से मुड़ई मार्ग का निर्माण कराया गया है । मा० विधायक द्वारा ग्राम टोड़रपुर को परौंखा से जोड़ने का प्रस्ताव दिनांक 23-10-98 को किया गया था, जबकि टोड़रपुर को मुड़ई से पहले ही जोड़ा जा चुका था ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 210–213 पर ।)

जनपद देहरादून में सौग नदी से बड़ोवाला, साहबनगर चकजोगी एवं गोहरी माफी ग्राम के लिए बाढ़ सुरक्षा हेतु योजना एवं प्रस्तावित कार्य की जानकारी

94–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून जनपद में सौग नदी से बड़ोवाला, साहबनगर, चकजोगी एवं गोहरी माफी ग्राम के कृषकों की भूमि के हुए कटाव को रोकने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या जिला प्रशासन द्वारा उक्त बाढ़ सुरक्षा हेतु कोई प्राक्कलन सरकार को भेजा है ? यदि हां, तो कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

गोहरी माफी बाढ़ सुरक्षा योजना रु० 72.00 लाख की बनायी गयी है ।

आर्थिक संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य कराना प्रस्तावित है ।

यू० पी० स्टेट एग्रो द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत लगाये गये हैण्ड पम्प का भौतिक सत्यापन एवं दोषी को दण्डित किये जाने की जानकारी

95–श्री मुरली धर–

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1998 में जवाहर रोजगार योजना द्वारा यू० पी० स्टेट एग्रो को 30 हैण्ड पम्प स्थापना हेतु दिनांक 26-6-98 को 95 हजार आठ सौ रुपये डी० आर० डी० ए० फतेहपुर द्वारा प्रदान किये गये थे, लेकिन मानक के अनुरूप हैण्ड पम्प नहीं लगे ? क्या सरकार उनका भौतिक सत्यापन करा कर दोषी जनों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1997-98 में जवाहर रोजगार योजना से यू० पी० स्टेट एग्रो को 30 हैण्ड पम्प की स्थापना हेतु दिनांक 26-6-97 को रु० 46725/- एवं दिनांक 30-3-98 को रु० 49088/- कुल रु० 95813/- अवमुक्त किया गया । हैण्ड पम्प मानक के अनुसार लगे हैं ।

15 हैण्ड पम्पों का स्थलीय सत्यापन किया जा चुका है, जो सही पाये गये हैं, शेष 15 हैण्ड पम्पों का सत्यापन का कार्य सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों को सौंप दिया गया है । अनियमितता प्रकाश में आने पर कार्यवाही की जायेगी ।

लागू नहीं होता ।

जनपद मैनपुरी में आर०ई०एस० द्वारा मानक के अनुसार पानी की निकासी की क्षमता बढ़ाने के लिए ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण

96–श्री राम औतार शाक्य–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम खद्दइया ब्लाक बेवर, जनपद मैनपुरी में आर० ई० एस० द्वारा मानक के अनुसार पानी के निकासी की क्षमता के अनुसार ह्यूम पाइप की पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित को दृष्टिगत रखते हुए बड़ी पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां । 900 एम०एम० व्यास की डबल बैरल की एक पुलिया का निर्माण डी०आर०डी०ए० द्वारा स्वीकृत एवं उपलब्ध धनराशि के अनुसार कराया गया ।

जी हां । डी०आर०डी०ए० मैनपुरी से वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर एक अतिरिक्त बड़ी पुलिया का निर्माण पानी के अनुसार कराया जायेगा ।

डी०आर०डी०ए० मैनपुरी को प्रस्ताव भेजा जा रहा है । प्रशासनिक स्वीकृति/वित्तीय धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् धनराशि विभाग को हस्तानान्तरित होते ही निर्माण कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड हरियावां के श्री मदन मोहन मिश्रा, अवर अभियन्ता (लघु सिंचाई) द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत किये गये घोटाले की जांच एवं कार्यवाही

97—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री मदन मोहन शर्मा, अवर अभियन्ता (लघु सिंचाई) कार्यरत विकास खण्ड हरियावां, जिला हरदोई द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत लाखों रुपये की धनराशि का घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?क्या सरकार उसके द्वारा कराई गई बोरिंगों की जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

श्री मदन मोहन मिश्रा, अवर अभियन्ता (ल०सिं०) विकास खण्ड–हरियावां, जनपद हरदोई के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच कराये जाने पर कतिपय अनियमिततायें प्रकाश में आने पर श्री मिश्रा को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी हां ।

उपरोक्तानुसार जांच प्रारम्भ की जा चुकी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बलिया, बाढ़ से प्रभावित बन्धों के नव निर्माण एवं ऊंचा करने के लिये वर्ष 1998-99 में स्वीकृत धनराशि

98—श्री राजधारी

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में बाढ़ से प्रभावित बन्धों के नव निर्माण एवं उच्चीकरण के लिये 1998-99 में धनराशि स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । बंधों के कटे भाग के नवनिर्माण हेतु वर्ष 98-99 में धनराशि स्वीकृत हुई है । तटबन्धों के उच्चीकरण के प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बलिया को प्रस्तुत किये गये हैं ।

रु० 6.49 लाख ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़, तहसील सदर, ब्लाक मान्धाता के गांवों में पेयजल का संकट

99—श्री चन्द्र नाथ सिंह

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद के सदर तहसील, मान्धाता ब्लाक के 15 गांव सभा छतौना, बाबूपुर, रामनगर, हालामई, नूरपुर, सरायदेवराय, धर्मपुर, हैसी जयचन्द वैसपुर में सभी कुएं सूख गये हैं ? मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ के 15 मई, 1998 के पत्रांक 579/आशु० 98-99 तथा जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 13-5-98 पर इस गम्भीर पेयजल समस्या हेतु कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह

खण्ड विकास अधिकारी, मान्धाता द्वारा बाबूपुर, हिन्दूपुर, रामनगर, धरमपुर, छतौना, नागापुर, हालामई, नूरपुर तथा हैसीजयचन्द्र ग्रामों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें 40 कुएं सूखे पाये गये । सराय देवराय गांव सभा का सर्वेक्षण कराया जा रहा है ?

इंगित 9 ग्रामों में 32 मजरे हैं जिसमें से 24 मजरे मानक के अनुसार पेयजल से संतृप्त किये जा चुके हैं तथा शेष 8 मजरे आंशिक रूप से आच्छादित किये हैं । इन शेष 8 मजरों को भी इसी वित्तीय वर्ष में संतृप्त किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1991 में संशोधन का प्रस्ताव

100—श्री उदय राज यादव

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण अधिकारी सेवा नियमावली, 1991 में आवश्यक संशोधन कर सहायक विकास अधिकारियों (स०क०) की प्रोन्नत कर कोटा (प्रतिशत) निर्धारित कर नियमावली प्रख्यापित कर दी गई है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० समाज कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1991 में सम्प्रति कतिपय संशोधन प्रस्तावित हैं ।

सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) को जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर प्रोन्नति का प्रकरण

101—श्री उदय राज यादव

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) को जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी नहीं, सम्प्रति नियमों में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–हरदोई, मल्लावां की हजारों एकड़ जलमग्न भूमि के जल निकासी की व्यवस्था

102—डा० धर्मज्ञ मिश्र

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि अतिवृष्टि तथा भयंकर बाढ़ में बड़ी-बड़ी नदियों का पानी ड्रेनों में आ जाने के कारण जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र की हजारों एकड़ भूमि जलमग्न

हो जाने से उक्त भूमि कृषि योग्य नहीं रह गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जलमग्न भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु जल निकासी की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, परन्तु भूमि की गुणवत्ता पर बाढ़ का कुप्रभाव नहीं पड़ता ।

प्रश्न नहीं उठता । जल निकासी की व्यवस्था हेतु भूमि सुधार निगम द्वारा इस विधान सभा क्षेत्र की 17 ड्रेनों के पुनरोद्धार का प्रस्ताव किया गया है ।

धन उपलब्ध होने पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के अन्तर्गत सोनहार ड्रेन की खुदाई व सफाई की व्यवस्था

103—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सोनहार नहर जिसकी लम्बाई 13 कि०मी०, 20 मी० है, इसकी खोदाई व सफाई न होने के कारण ग्राम पंचायत सोनहार, बढैयाखेड़ा, शहाब्दा, नबादा, गठभी, गौवरा, सेउड़ही, अटना, अलीमदीनपुर तथा मंशा खेड़ा के गांवों की हजारों बीघा भूमि जलमग्न है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ड्रेन की खोदाई व सफाई करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । सोनहार ड्रेन में समुचित जल बहाव न हो पाने के कारण अतिवृष्टि के समय इन ग्राम पंचायतों का आंशिक भू-भाग अल्पावधि के लिये जल-प्लावित होता है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ही कार्य करना सम्भव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच, राजकीय किशोर गृह में तखत/बिस्तर की व्यवस्था न होने की शिकायत

104—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद–बहराइच के राजकीय किशोर गृह में तखत तथा बिस्तर आदि की व्यवस्था न होने के कारण दिसम्बर, 98 में कड़ाके की सर्दी पड़ने के कारण किसी संवासी की मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो इसके निराकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कोई प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1980-81 में नियुक्त नर्स-कम्पाउन्डरों को दस वर्ष तथा 14/16 वर्ष की सेवा पर एक वेतन वृद्धि व वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिये जाने की जानकारी

105—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में वर्ष 1980-81 में नियुक्त नर्स-कम्पाउन्डरों को दस वर्ष की सेवा के उपरान्त एक वेतन वृद्धि का लाभ तथा 14/16 वर्ष की सेवा के पश्चात् वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान का लाभ दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? पात्र कर्मचारियों को उक्त लाभ कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

106—श्री समर पाल सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

नवसृजित जनपद चम्पावत में राजकीय नहरों द्वारा सिंचाई कार्य की जानकारी

107—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद चम्पावत में कुल कितनी नहरें हैं और इनमें से कितनी नहरों द्वारा सिंचाई कार्य किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि बन्द पड़ी नहरों पर मरम्मत कार्य दर्शा कर लाखों रु० का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद चम्पावत में कुल 71 राजकीय नहरें हैं । इनमें से 47 में सिंचाई कार्य किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में आयुर्वेदिक/यूनानी विभाग में तृतीय श्रेणी के पदों पर अनियमित नियुक्तियों की शिकायत

108—श्री शिशुपाल सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक/यूनानी विभाग में तृतीय श्रेणी के पदों को दिनांक 22-7-91 को "अधीनस्थ सेवा चयन आयोग" की परिधि में भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त दिनांक के पश्चात् कोई नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या नियुक्त किये गये कर्मचारियों की सूची सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त–

जी हां ।

जी नहीं । दिनांक 22-7-91 के पश्चात् अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कोई संस्तुति प्राप्त न होने के कारण किसी की नियमित नियुक्ति नहीं की गई परन्तु तत्कालीन निदेशक, आयुर्वेद द्वारा कतिपय अनियमित नियुक्तियां की गयी थी । आयुर्वेद घोटाला काण्ड प्रकाश में आने पर उन नियुक्त कर्मचारियों में से अधिकांश को सेवा से पृथक कर दिया गया । उनमें से जिन अभ्यार्थियों ने सक्षम न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया था, वे अभी भी कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुर्वेदिक/यूनानी निदेशालय में सम्बद्ध किये गये चिकित्सक की सम्बद्धता व वरिष्ठता के आधार पर सम्बद्ध किये जाने की मांग

109—श्री शिशुपाल सिंह –

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक/यूनानी निदेशालय में सम्बद्ध किये गये चिकित्सक जनपद/कालेजों के चिकित्सकों से वरिष्ठ हैं ? यदि नहीं, तो क्या इनको हटाकर वरिष्ठता के आधार पर चिकित्सकों को सम्बद्ध किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो० शिवाकान्त ओझा–

जी नहीं ।

वर्तमान मे ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभागाध्यक्ष से ऐसा कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों को राज्य सरकार के अस्थाई कर्मचारियों की भांति मिलने वाली सुविधायें देने की मांग

110—श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती से नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों को सेवा संबंधी मामलों में अभिकरणों द्वारा सभी सुविधायें उसी प्रकार उपलब्ध कराई जाती हैं, जो राज्य सरकार के अस्थाई कर्मचारियों को उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो क्या उनको राज्य सरकार के अस्थाई कर्मचारियों की भांति मिलने वाली सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रदेश के समस्त जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सोसाइटीज आफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 की धारा–18 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है और उनमें कार्यरत कर्मचारी राज्य कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं इसलिये जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के कर्मचारियों को राज्य सरकार के अस्थाई कर्मचारियों की भांति समस्त सुविधायें देय नहीं हैं ।

जनपद ललितपुर में ग्राम विकास के नाम प्राप्त धन के दुरुपयोग संबंधी शिकायती पत्र पर कार्यवाही

111—श्री चेतराम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिशंकर दुबे, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार उन्मूलन परिषद्, जनपद ललितपुर का शिकायती-पत्र दिनांक 23-3-98 मा० मुख्य मंत्री, जिलाधिकारी, ललितपुर, मण्डलायुक्त झांसी तथा उन्हें प्राप्त हुआ है जो जनपद ललितपुर में ग्राम विकास के नाम से प्राप्त धन को ग्राम के कार्यों में न लगाकर ग्रामोद्योगिक समाज सेवा समितियों द्वारा हड़पने के संबंध में था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जांचोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि स्वयं सेवी संस्था बुन्देलखण्ड ग्रामोद्योगिक समाज सेवा समिति, 21, देवगढ़ रोड, ललितपुर को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, ललितपुर द्वारा वर्ष 95-96 एवं 96-97 में विभिन्न योजनान्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु रु० 35.38 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी तथा संस्था द्वारा एस० आर० वाई० एवं वेस्टलेण्ड डेवलपमेंट योजना के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों को स्वीकृत कार्यों के अनुरूप न पाये जाने एवं कार्यों की गुणवत्ता तथा दरें अपेक्षाकृत ठीक न होने के कारण उक्त संस्था से रु० 14,96,021.00 की वसूली के आदेश निर्गत किये गये हैं तथा संबंधित संस्था को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है । भू-राजस्व बकाये की भांति उक्त वसूली कराने हेतु संस्था के विरुद्ध जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, ललितपुर द्वारा आर० सी० जारी की जा चुकी है ।

जनपद लखनऊ के थाना गाजीपुर में दर्ज मुकदमा संख्या–498 ए० आई० इ० सी० 13/4 के अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रकरण

112—श्री गोपाल कृष्ण

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 165 के उत्तर के संदर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि थाना गाजीपुर, जनपद लखनऊ में दिनांक 2-7-1996 को मुकदमा संख्या 498 ए०आई०इ०सी० 13/4 जैसे संगीय अपराध "जिसमें गैर जमानती वारन्ट का प्राविधान है" कायम होने के बाद भी दिनांक 25-11-1997 तक आरोपित मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों को सरकार दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

समाज कल्याण निर्माण निगम के महाप्रबन्धक के विरुद्ध मुकदमा तथा रिश्तेदार की नियुक्ति का प्रकरण

113—श्री गोपाल कृष्ण–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं० 165 के उत्तर के संबंध में क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि समाज कल्याण निर्माण निगम के महाप्रबन्धक निर्माण के विरुद्ध लखनऊ के थाना गाजीपुर में दिनांक 2 जुलाई, 1996 को अपराधी मुकदमा संख्या 798 ए०आई०इ०सी० 3/4 कायम होने की सूचना विभाग को मिली थी ? यदि हां, तो उनका निलम्बन किन परिस्थितियों में नहीं किया गया ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त महाप्रबन्धक द्वारा अपने अधीनस्थ अपने परिवार के किसी सदस्य को नियम विरुद्ध नियुक्त करने का भी आरोप है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी हां, तद्नुसार श्री विनोद कुमार चोपड़ा (महाप्रबन्धक) (निर्माण सह मुख्य अभियन्ता) के विरुद्ध मु०अ०सं० 498 ए० आई० पी० सी० एवं 3/4 डी ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ था लेकिन मा० उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा प्रश्नगत एफ० आई० आर० तथा विवेचना को रद्द कर दिया ।

मात्र अपराध पंजीकरण की स्थिति में निलम्बन की कोई अनिवार्यता नहीं है ।

इस प्रकार के किसी आरोप अथवा शिकायत की जानकारी प्राप्त सूचनानुसार नहीं है ।

प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

समाज कल्याण निर्माण निगम के महाप्रबन्धक की चल-अचल सम्पत्ति की जांच/कार्यवाही की जानकारी

114—श्री महाराज सिंह यादव तथा श्री विश्वनाथ–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के पहले शुक्रवार के निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–165 के उत्तर के संदर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सतर्कता जांच किन-किन बिन्दुओं पर चल रही है ? क्या उक्त महाप्रबन्धक द्वारा अपनी हैसियत से सैकड़ों गुना अधिक चल और अचल सम्पत्ति अर्जित करने का भी मामला उक्त जांच के अधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि सतर्कता जांच के अधिकारियों को उक्त महाप्रबन्धक द्वारा जांच में सहयोग न

करने की शिकायत मिली है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उक्त महाप्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के जलमग्न होने से गौरइया नदी की खोदाई की मांग

115—डा० धर्मज्ञ मिश्र

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत गौरइया नदी की खोदाई काफी दिनों से न होने के फलस्वरूप हजारों एकड़ भूमि जलमग्न रहती है ? क्या सरकार उक्त नदी कीं खुदाई करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टिकोण से व्यावहारिक नहीं है ।

जिला चम्पावत, क्षेत्र पंचायत बाराकोट में विकास कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने हेतु मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को निर्देश

116—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित कर्मचारियों का विकास खण्ड मुख्यालय में निवास न किये जाने से विकास कार्यों में हो रही बाधा एवं जनता की परेशानी को दूर किये जाने संबंधी क्षेत्र पंचायत बाराकोट, जिला चम्पावत का दिनांक 14-9-98 का प्रस्ताव जिलाधिकारी, चम्पावत के माध्यम से सरकार को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने आवश्यक निर्देश जारी कर दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता, यद्यपि शा०सं०–3203/38-1-98, दिनांक 15 मई, 1998 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में अपेक्षित गति देने तथा कार्यक्रमों को प्रभावी बनाये जाने के लिये विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को विकास खण्ड पर ही निवास सुनिश्चित कराने हेतु प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को निर्देश पूर्व में ही जारी किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ के रजिस्ट्रार द्वारा घोटालों व भ्रष्टाचार की विभागीय जांच

117—श्री उदय राज यादव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ के रजिस्ट्रार द्वारा किये गये घोटालों व भ्रष्टाचार की विभागीय जांच के शासनादेश संख्या 452/इकहत्तर–2-98–11 वि०प०/97, दिनांक 14-5-98 द्वारा नियंत्रक/निदेशक, आयुर्वेद, उ० प्र०, लखनऊ को पूर्व में जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो कब ? उक्त संस्था के रजिस्ट्रार इस जांच में कितने मामलों में दोषी पाये गये हैं तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित रजिस्ट्रार के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो० शिवाकान्त ओझा–

जी हां ।

जी हां ।

दिनांक 30-12-1998 को जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि वृहद दण्ड दिये जाने का प्रथम दृष्टया औचित्य बनता है । अतः निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जांच रिपोर्ट की प्रति अपचारी अधिकारी को उपलब्ध कराकर उन्हें प्रत्यावेदन देने का अवसर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के अन्तर्गत सोनहार रजबहा के समुखा नेवादा मार्ग की क्रासिंग की पुलिया की मरम्मत

118—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सोनहार रजबहा के अन्तर्गत समुखा नेवादा मार्ग की क्रासिंग पर लगभग बीस वर्ष से पुलिया टूटी पड़ी है ? क्या उक्त पुलिया के टूट जाने से समुखा व सरदार नगर नेवादा तथा कुरसठ के निवासियों को आवागमन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

माह जून 99 तक पुलिया की मरम्मत का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा, राजकीय छात्रावास सिविल लाइन में विगत 10 वर्षों से वर्तमान तक आवासीय छात्रों की संख्या/वितरित छात्रवृत्ति की जानकारी

119—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय छात्रावास, सिविल लाइन मथुरा में विगत 10 वर्षों से वर्तमान तक कितने आवासीय छात्र संख्या प्रतिवर्ष थी तथा किन-किन छात्रों को हास्टल छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष वितरित की गयी ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

सूचना एकत्र की जा रही है ?

जनपद–बांदा विकास खण्ड तिन्दवारी, ग्राम पंचायत–जौहरपुर में सुनिश्चित रोजगार योजना/जवाहर रोजगार योजना में व्यय धनराशि का प्रकरण

120–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक प्रमुख तिन्दवारी व प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 23-3-1998 जो ग्राम पंचायत जौहरपुर विकास खण्ड तिन्दवारी बांदा द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना व अन्य योजना से प्राप्त धनराशि से कराये गये कार्यों की जांच की मांग विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर शिकायती-पत्र प्राप्त होने की पुष्टि नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा, मुख्य विकास अधिकारी को संबोधित पत्र पर ग्राम नरौली से बड़ागांव तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कराये जाने एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

121–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य विकास अधिकारी, बांदा को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-12-1998 जो ग्राम नरौली से बड़ागांव तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कराये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बांदा से ग्राम नरौली से बड़ागांव तक सम्पर्क मार्ग के डामरीकरण (पेन्टिंग स्तर तक) कार्य की लागत की जानकारी की गई । धनराशि के अभाव के कारण निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–बांदा, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से कोइलाव नाले पर रपटा निर्माण कार्य कराने की मांग

122–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-12-1998 जो शिकहोला से नरभिता सम्पर्क मार्ग पर कोईलाव नाले पर रपटा निर्माण कराये जाने विषयक था, मुख्य विकास अधिकारी, बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बांदा से कोइलाव नाले पर रपटा निर्माण कार्य की लागत की जानकारी की गई । धनराशि के अभाव के कारण निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका ।

जनपद–हरिद्वार, राम स्वरूप ग्रामोद्योग संस्थान खन्दक (बदायूं) द्वारा विकास खण्ड बहादराबाद व लक्सर में इवाकरा योजनान्तर्गत चयनित महिलाओं के प्रशिक्षण संबंधी अनियमितता

123–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम स्वरूप ग्रामोद्योग संस्थान, खन्दक, बदायूं द्वारा जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड बहादराबाद व लक्सर में इवाकरा योजनान्तर्गत चयनित महिलाओं को दिनांक 1-3-97 से 31-8-97 तक प्रशिक्षण प्रदान किया गया ? क्या इस संबंध में खण्ड विकास अधिकारी, लक्सर (हरिद्वार) द्वारा अपनी जांच आख्या पत्रांक 2329/इवाकरा/97-98, दिनांक 13-10-97 परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, हरिद्वार को प्रेषित की गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच आख्या के आधार पर उक्त संस्था द्वारा व्यय किये गये प्रशिक्षण भत्ता तथा कच्चे माल की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या संस्था को मय ब्याज के उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां '

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं । क्योंकि प्रशिक्षण नियमानुसार एवं नियत अवधि में नहीं दिया गया है । प्रकरण में प्रशिक्षण की जांच आचार्य क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, हरिद्वार से कराई गई । जांच में प्रशिक्षण में अनेक कमियां पायी गई हैं यथा प्रशिक्षण सुचारु रूप से न चलना,वांछित माल का उपयोग न करना, सिलाई मशीन आदि न देना । जांच आख्या के अनुसार प्रशिक्षण सर्वथा निरर्थक, अमान्य एवं जनहित में नहीं है ।

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मुख्य सेविका पद पर पदोन्नति की मांग

124–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि कतिपय आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को मुख्य सेविका पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 1996 में साक्षात्कार लिया गया है ? यदि हां, तो क्या वह आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां निर्धारित अर्हता रखती थीं ? क्या साक्षात्कार स्थगित हो जाने के कारण उन आंगनबाड़ियों कार्यकार्त्रियों की नियुक्तियां नहीं की जा सकी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, जिला कार्यक्रम अधिकारी को मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत अनियमितता पर कार्यवाही की मांग

125–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1995 से 1997 के मध्य जनपद हरदोई में कार्यरत जिला कार्यक्रम अधिकारी को मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत की गयी अनियमितताओं में जिलाधिकारी द्वारा उन्हें कार्यमुक्त करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की संस्तुति की गयी थी ? यदि हां, तो जिलाधिकारी की संस्तुति पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जिलाधिकारी, हरदोई के पत्र दिनांक 25-4-97 द्वारा तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी (प्रभारी) को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की ही संस्तुति प्राप्त हुई थी ।

शासनादेश दिनांक 14-6-97 द्वारा संबंधित अधिकारी को हरदोई से अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के निर्देश जारी कर दिये गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद जिला कार्यक्रम अधिकारी के विरुद्ध अनियमितता की निदेशालय स्तर पर प्राप्त शिकायत एवं कार्यवाही

126–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1994 से 1997 के मध्य जनपद–फैजाबाद में कार्यरत जिला कार्यक्रम अधिकारी के विरुद्ध अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायतें शासन स्तर पर एवं निदेशालय में प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

प्रश्नगत अवधि में जनपद फैजाबाद में कार्यरत जिला कार्यक्रम अधिकारियों में से केवल एक अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें निदेशालय स्तर पर प्राप्त हुई थीं । शासन स्तर पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

प्राप्त शिकायतों की जांच कराई गई । जांच रिपोर्ट के अनुसार सभी शिकायतें निराधार पाई गईं । अतः संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला हमीरपुर के बन्द पड़े लहचूरा बांध के पुनर्निर्माण की मांग

127–श्री रामाधार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला हमीरपुर का लहचूरा बांध जो बहुत पुराना हो गया है, से 5 कि०मी० नीचे बन रहे नवीन लहचूरा बांध का निर्माण कार्य बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे शीघ्र प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत ही कार्य कराना सम्भव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

128–श्री हरदेव सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

129–श्री तेजभान सिंह–

[दिनांक 25–2–99 को अता० प्र० सं० 177 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद–पिथौरागढ़, की तहसीलों में जनवरी, 1999 तक क्रमवार भूतपूर्व सैनिकों की संख्या का विवरण तथा सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय स्थापना की जानकारी

130–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद पिथौरागढ़ की कुल छः तहसील क्रमशः, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, धारचूला, डीडीहाट, गंगोलीहाट व चम्पावत (नवसृजित जिला) में तहसीलवार पूर्व सैनिकों की संख्या क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि यहां जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के अतिरिक्त कितनी शाखाएं सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय की स्थापित हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

जनपद पिथौरागढ़ की 6 तहसीलों में जनवरी, 1999 तक क्रमवार भूतपूर्व सैनिकों की संख्या निम्नवत् है :–

1—मुनस्यारी	2540
2—पिथौरागढ़	16850
3—धारचूला	4000
4—डीडीहाट	8050
5—गंगोलीहाट	15520
6—चम्पावत	16800

जनपद पिथौरागढ़ के अलावा दो शाखा सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय क्रमशः डीडीहाट तहसील मुख्यालय तथा चम्पावत तहसील मुख्यालय (नवसृजित जिला) में स्थापित हैं ।

जनपद–हाथरस, सिकन्दराराऊ के नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु एक्स-रे मशीन एवं रोगीवाहन की व्यवस्था का मामला

131—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस के नवनिर्मित 30 बेड (शैय्या) वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये एक्स-रे मशीन एवं रोगीवाहन (एम्बुलेन्स) की व्यवस्था

स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या वहां पर उक्त सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्या इसकी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्नगत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु शासनादेश दिनांक 24-11-92 द्वारा एक्स-रे मशीन स्वीकृत है किन्तु रोगीवाहन स्वीकृत नहीं है ।

नवनिर्मित चिकित्सालय भवन विभाग को हस्तान्तरित न होने के कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों के अनुपालन में उक्त मशीन जनहित में टी०बी० क्लीनिक, फिरोजाबाद में स्थानान्तरित कर दी गई है ।

एक्स-रे मशीन की सुविधा शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी । जहां तक रोगीवाहन का प्रश्न है, उक्त सुविधा जिला योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है । अतःजिला योजना में परिव्यय की उपलब्धता पर निर्भर करता है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम पंचायत सदामऊ से हरदोई उन्नाव रोड से पावर हाउस से सदामऊ अम्बेडकर गांव तक सड़क का निर्माण

132–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत सदामऊ से हरदोई उन्नाव रोड से पावर हाउस सदामऊ के पहले से सदामऊ अम्बेडकर गांव तक 2 कि०मी० सड़क का निर्माण कार्य एक वर्ष पूर्व आर० ई० एस० विभाग, हरदोई द्वारा करना प्रारम्भ किया गया था ? क्या अभी तक सड़क का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है? क्या यह सही है कि उसमें मानक के अनुसार कार्य भी नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? उक्त सड़क का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–हरदोई, मल्लावां के अन्तर्गत हथौड़ा ड्रेन के कारण हजारों एकड़ भूमि जलमग्न होने की शिकायत तथा पानी के निकासी हेतु व्यवस्था की मांग

133—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई 91–मल्लावां क्षेत्र के अन्तर्गत हथौड़ा ड्रेन जिसकी लम्बाई 45 कि०मी० है, में पानी भर जाने के कारण ग्राम पंचायत हथौड़ा व ग्रा० पं० बघेरिया ग्राम व साहपुर हरैया के कृषकों की हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो गयी है ? क्या पानी निकासी के लिये पटरियों को बांध कर उसकी गहराई व चौड़ाई बढ़ाई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

हथौड़ा ड्रेन के सुधार का कार्य भूमि सुधार निगम द्वारा किया जाना प्रस्तावित है । कार्य का कराया जाना प्रस्ताव की निगम से स्वीकृति/धनावंटन पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के मुख्यालय पर स्थित लक्ष्मी शुगर मिल पर गन्ना कृषकों का पुराना बकायों के भुगतान की मांग

134–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के मुख्यालय पर स्थित लक्ष्मी शुगर मिल पर गन्ना कृषकों का पुराना बकाया एक करोड़ छिहत्तर लाख है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषकों के हित में उक्त बकाया का भुगतान सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई हरदोई पर अधिग्रहण के पूर्व का लगभग 1.77 करोड़ रुपया तथा अधिग्रहण के बाद वर्ष 98-99 का लगभग 4.35 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य बकाया है ।

अधिग्रहण के पूर्व की बकाया राशि का भुगतान उ०प्र० चीनी उपक्रम अर्जन अधिनियम, 1971 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त विहित प्राधिकारी के आदेशानुसार होगा तथा अधिग्रहण के बाद के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान यथाशीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

जनपद–ललितपुर, सिंचाई निर्माण खण्ड (प्रथम) के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

135–श्री चेतराम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अध्यक्ष, हरीशंकर दुबे, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार उन्मूलन परिषद्, जनपद ललितपुर का दिनांक 16-3-1998 का शिकायती पत्र जो सिंचाई निर्माण खण्ड प्रथम, ललितपुर के विरुद्ध विभागीय अचल सम्पत्ति एवं नहरों की मरम्मत सफाई आदि में हेरा-फेरी कर आर्थिक भ्रष्टाचार के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण प्रकरण की जांच विजिलेंस से करवाने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । चूंकि पत्र दिनांक 16-3-1998 प्राप्त नहीं हुआ अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–बस्ती के विकास खण्ड साअधार में सिहारी-तरेता मार्ग के संबंध में शिकायती-पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

136–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड साअधार में सिहारी–तरेता मार्ग की शिकायत के संबंध में माह जनवरी, 1999 के प्रथम सप्ताह में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय नलकूपों को ग्राम पंचायतों को देने या नीलाम करने के संबंध में जानकारी

137–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूपों को सरकार ग्राम पंचायतों को देने या उसे नीलाम करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त नलकूप कर्मियों के समायोजन के लिये सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रकरण विचाराधीन है तथा कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में घाटे में चल रही गन्ना समितियों का कमीशन बढ़ाने की मांग

138–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि गन्ना समितियां घाटे में चल रही हैं ? क्या उसके बाद भी समितियों का कमीशन काफी कम कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार उक्त समितियों का कमीशन बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रदेश की 173 समितियों में से 94 घाटे की स्थिति में हैं और 79 समितियां लाभ में चल रही हैं ।

चीनी मिलों के द्वारा कम्प्यूटराइजेशन किया गया है और गन्ना कृषकों के पर्चियों के वितरण का कार्य भी किया जा रहा है, इसको दृष्टिगत रखते हुये समितियों का कमीशन पेराई सत्र 1998–99 एवं 1999–2000 के लिये रु० 1 प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया है ।

जी नहीं क्योंकि इसका औचित्य नहीं है ।

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित समाज कल्याण विभाग के प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों के स्थानान्तरण की व्यवस्था

139–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों के स्थानान्तरण की नीति बनी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस हेतु कोई नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

जी नहीं ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालय विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों द्वारा स्वतंत्र इकाई के रूप से संचालित होते हैं । निजी क्षेत्र के इन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की सेवा संवर्गीय व्यवस्था नहीं होती है । अतः उनमें कार्यरत अध्यापकों का एक से दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरण करने की व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है ।

जी नहीं ।

उपरोक्त वर्णित स्थिति के अनुसार ।

जनपद हरदोई में पन्योड़ा से बिराइचमऊ तक ड्रेन की सफाई/जल निकासी की व्यवस्था की मांग

140–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 90–बिलग्राम निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विराइचमऊ, भोगइतापुर, आलापुर आदि गांवों की कृषि योग्य भूमि वर्षा ऋतु में पानी से भर जाने के कारण जल मग्न हो जाती है ? क्या सरकार पन्योड़ा से बिराइचमऊ तक ड्रेन की सफाई कराकर जल निकासी की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

ड्रेन के पुनरोद्धार का कार्य भूमि सुधार निगम द्वारा किया जाना प्रस्तावित है ।

धनावंटन प्राप्त होने पर कार्य कराया जाना संभव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–बस्ती, समाज कल्याण अधिकारी द्वारा वृद्धावस्था पेंशन में अनियमितता की जांच तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

141–श्री राम ललित चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि समाज कल्याण अधिकारी, बस्ती द्वारा बड़े पैमाने पर वृद्धावस्था पेंशन में की गयी अनियमितता की जांच के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र माह जनवरी, 1999 के प्रथम सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

अभिलेखीय छानबीन में प्रश्नगत पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया गया है तथापि माननीय प्रश्नकर्ता विधायक जी से वांछित पत्र प्राप्ति होने की स्थिति में इस पर कार्यवाही संभव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला–शाहजहांपुर में महिला स्वास्थ्य योजना के कार्यान्वयन की जांच एवं कार्यवाही

142–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-6-98 या इसके आस-पास जो जिला शाहजहांपुर में महिला स्वास्थ्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिनांक 10-6-98 को मंत्री जी ने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को जांच के लिये आदेशित किया है ? यदि हां, तो प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

जी हां ।

संदर्भित पत्र पर मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से आख्या की अपेक्षा की गई थी ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच मंडलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बरेली से कराई गई । पत्र में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये ।

जनपद–शाहजहांपुर, तिलहर के विकास खण्ड जैतीपुर में खराब नलकूपों की मरम्मत की मांग

143—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-6-98 या इसके आस पास जो विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड जैतीपुर के कूप नं०–41, ग्राम बिहारीपुर, कूप नं०-42, रजपुरा कूप नं०–43, बाहनपुर, कूप नं०–44, बिनीरा, कूप नं०–45 के ट्रांसफार्मर को ठीक कराने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि मंत्री जी ने दिनांक 12-6-98 को प्रमुख सचिव, सिंचाई को जांच के लिये आदेशित किया है ? यदि हां, तो प्रमुख सचिव, सिंचाई ने उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, माननीय विधायक का पत्र दिनांक 2-6-1998 प्राप्त हुआ ।

जी हां ।

खराब नलकूपों का परीक्षण कराकर ठीक कराने के आदेश दिये गये ।

शासन द्वारा तय सट्टा नीति से उत्पन्न गन्ने की पेराई का प्रकरण

144–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि शासन द्वारा तय की गयी गन्ने की सट्टा नीति से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुरानी नीति के अनुसार व्यवस्था लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

विगत पेराई सत्र की सट्टा नीति इस वर्ष भी लागू है ।

प्रश्न नहीं है ।

जनपद देवरिया भाटपार रानी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिगारी में खोलने का प्रस्ताव

145–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र जनपद देवरिया के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिगारी के लिये जिला योजना से कोई प्रस्ताव भेजा गया तथा ग्राम सभा

से भूमि भी उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या बिहार सीमा से सटे इस स्थान पर सरकार इस वर्ष हास्पिटल बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्नगत चिकित्सालय किराये के भवन में स्थापित है । चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जिला योजना में 1999–2000 में प्रस्ताव किया गया है । भूमि उपलब्ध है ।

चिकित्सालय भवन का निर्माण जिला योजना का भाग है और जिला योजना में प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् परिव्यय की उपलब्धता तथा राज्य के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के भाटपार रानी क्षेत्रान्तर्गत चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की नियुक्ति

146–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भाटपार रानी जनपद देवरिया में जितने भी चिकित्सालय व स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र है ? क्या उन पर चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

विधान सभा क्षेत्र भाटपार रानी, देवरिया में सभी (एलोपैथिक) स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्साधिकारियों की तैनाती कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत इंदारा (मऊ) रजबहा के रिमाडलिंग में किसानों की भूमि के मुआवजे का भुगतान

147–श्री समर पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत इंदारा (मऊ) रजबहा के रिमाडलिंग में किसानों की कितनी भूमि ली गयी थी ? क्या किसानों को उनके मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? किसानों की शेष धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

इंदारा (मऊ) रजबहा के रिमाडलिंग हेतु किसानों की 11.539 हेक्टेयर भूमि ली गई है ।

जी नहीं ।

आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद–मऊ में निर्माण के समय भांवरकोल चिश्तीपुर-चकराबांध पर रेगुलेटर हेतु छोड़े गये स्थान पर उसके निर्माण की जानकारी

148–श्री समर पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मऊ जनपद में भांवरकोल चिश्तीपुर–चकरा बांध के निर्माण काल में ही रेगुलेटर निर्माण हेतु चकरा एवं चिश्तीपुर के बीच में स्थान छोड़ दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर रेगुलेटर का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण मऊ से धन आवंटन हेतु अनुरोध किया गया है । इसी के उपरान्त निर्माण संभव होगा ।

जनपद–मऊ, पारा सहरोज बांध के बीच सहरोजगांव के पास छोटी सरजू नदी में पुल के निर्माण का कार्य पूर्ण कराने की मांग

149–श्री समर पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मऊ में पारा–सहरोज बांध के बीच में सहरोज गांव के पास छोटी सरजू नदी में कोई पुल निर्माणाधीन था ? यदि हां, तो किस वर्ष में ? क्या उक्त पुल के निर्माण हेतु श्री देव प्रकाश राय, ग्राम–पोस्ट–सहरोज, जिला–मऊ ने मण्डलायुक्त, आजमगढ़ को दिनांक 24-5-98 को कोई पत्र दिया था ? यदि हां, तो जिलाधिकारी, मऊ द्वारा आयुक्त के निर्देशों के अनुपालन में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1980 में ।

जी हां ।

जिलाधिकारी, मऊ की अध्यक्षता में दिनांक 18-6-98 को आयोजित बैठक में छोटी सरयू नदी पर पक्के पुल का आगणन लोक निर्माण विभाग से तैयार कराने एवं तात्कालिक आवश्यकता हेतु पीपे के पुल का निर्माण जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया ।

इस पुल का निर्माण सिंचाई विभाग से प्रस्तावित नहीं है ।

जनपद–मऊ में टोंस नदी में पारा-सहरोज में ख्वाजा जहांपुर बांध के निर्माण कार्य पूरा कराने का मामला

150–श्री समर पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा टोंस नदी के किनारे मऊ जनपद में पारा–सहरोज ख्वाजा जहांपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में प्रारम्भ कराया गया था ? क्या बांध का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? क्या

उक्त बांध के निर्माण में किसानों की ली गयी भूमि के मुआवजे का भुगतान सरकार द्वारा करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1983–84 में ।

जी नहीं ।

आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत कार्य पूर्ण कराने की कार्यवाही की जायेगी ।

जी नहीं ।

आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिकर वितरण की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जारी शासनादेश में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से धनराशि को आवंटित करने हेतु प्रस्ताव

151–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को आवंटित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त करने का शासनादेश वर्ष 1998 में निर्गत किया गया है ? क्या जनपद मैनपुरी में शासनादेश के विपरीत वित्तीय वर्ष 1998-99 में सदस्य, विधान सभा/सदस्य, विधान परिषद् एवं सांसदों से प्रस्ताव न लेकर अन्य व्यक्तियों के प्रस्ताव से उक्त योजना का धन खर्च किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के चिकित्सा अनुभाग–1 द्वारा सचिवालय एलोपैथिक डिस्पेन्सरी हेतु पृथक से स्थानान्तरण नीति का निर्धारण/शासनादेश जारी किया जाना

152–श्री राजधारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चिकित्सा अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 2220/5-904(26)/88 टीसी–111, दिनांक 30-5-98 द्वारा सचिवालय एलोपैथिक डिस्पेन्सरी हेतु स्थानान्तरण नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि कार्मिक अनुभाग द्वारा जारी सामान्य स्थानान्तरण नीति 1998 के विरुद्ध उक्त शासनादेश का प्राविधान किया गया है ? क्या उक्त शासनादेश में स्थानान्तरण संबंधी निर्गत प्राविधानों के प्रस्तर–1 तथा 2 को समाप्त कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

उ०प्र० सचिवालय एलोपैथिक डिस्पेन्सरी से प्रदेश के शीर्षस्थ संस्था सचिवालय के अधिकारियों/ कर्मचारीगण आदि को औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं । उक्त डिस्पेन्सरी की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उक्त डिस्पेन्सरी में व्यवहार कुशल, ईमानदार, दक्ष एवं साफ सुथरे आचरण वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती किये जाने के उद्देश्य से स्थानान्तरण नीति निर्धारित की गई है ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत प्राविधान लोकहित में है ।

जनपद–लखनऊ किंग जार्ज मेडिकल कालेज के दन्त चिकित्सालय में प्रास्थोडान्टिक्स विभाग की खराब पड़ी फर्नेश मशीन की मरम्मत का मामला

153–श्री राजधारी–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि के० जी० एम० सी० लखनऊ के दन्त चिकित्सालय में प्रास्थोडान्टिक्स विभाग में दांतों के ऊपर क्राउन बनाने हेतु आवश्यक फर्नेश मशीन वर्ष 1996 से खराब पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के दन्त चिकित्सालय स्थित प्रास्थोडान्टिक्स विभाग की खराब पड़ी फर्नेस मशीन को ठीक कराने के साथ-साथ उक्त विभाग में एक बड़ा विद्युत जनरेटर स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त–

के०जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्रास्थोडान्टिक्स विभाग में उक्त पोर्सलेज फर्नेस लगभग 22 वर्ष पूर्व जर्मनी से विभाग द्वारा आयातित की गई थी । शनैः शनैः यह फर्नेश त्रुटिपूर्ण होने लगी एवं अतिरिक्त ओरिजनल पार्ट (पुर्जे) उपलब्ध न होने के कारण मरम्मत का कार्य स्थानीय पुर्जों द्वारा किया गया, क्योंकि जर्मनी फर्म में फर्नेश का यह माडल बनना बन्द हो गया है । विद्युत जनरेटर स्थापित करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

जनपद मथुरा के विकास हेतु समस्त योजनाओं में प्राप्त धनराशि मानकों के अनुसार व्यय की जानकारी

154–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में विकास हेतु प्राप्त धनराशि से विकास खण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा लिये गये निर्णय को निरस्त किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी०एम०/वि०को०/ एम–3/16705/मथुरा/98, दिनांक 28-9-98 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जनपद मथुरा में विकास हेतु प्राप्त समस्त योजनाओं की धनराशि निर्धारित मानकों एवं योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुसार ही व्यय की जा रही है ।

छितौनी, लक्ष्मीगंज, रामकोला (खेतान) घुघुली में स्थापित राजकीय चीनी मिलों की पेराई क्षमता बढ़ाने की मांग

155–श्री दीपलाल भारती–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित राजकीय चीनी मिल छितौनी, लक्ष्मीगंज, रामकोला (खेतान) घुघुली आदि की कम क्षमता की चीनी मिलों की पेराई क्षमता बढ़ाये जाने के लिये आवश्यकतानुसार बन्द चीनी मिलों के पार्ट्स पुर्जे उपलब्ध कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उ०प्र० राज्य चीनी निगम की संचित हानि इसकी चुकता पूंजी से अधिक हो जाने के कारण "सिक इण्डस्ट्रीयल कम्पनीज (स्पेशल प्रोवीजन्स) एक्ट" के अंतर्गत बी०आई०एफ०आर० द्वारा निगम को एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी घोषित कर इसकी 18 इकाइयों को निजीकरण करने के आदेश पारित किये हैं जिनमें प्रश्नगत चीनी मिलें छितौनी, लक्ष्मीगंज, रामकोला एवं घुघुली भी सम्मिलित हैं ।

अतः प्रश्नगत इकाइयों का विस्तारीकरण किया जाना प्रस्तावित नहीं है । ऐसी स्थिति में निगम की बन्द चीनी मिलों से आवश्यकतानुसार पार्ट्स उपलब्ध कराकर इन मिलों की क्षमता बढ़ाना विचाराधीन नहीं है ।

जनपद–अलीगढ़ इगलास में ईखू ड्रेन करवन नदी, पाइन्दापुर कटनाला, बेलोद करनाला की सफाई, जल मग्न भूमि को बचाने का प्रकरण

156–चौ० मलखान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र इगलास, जनपद अलीगढ़ में ईखू ड्रेन, करवन नदी, पाइन्दापुर कट नाला, बेलोद कट नाला, नगला जुआर नाला, मानगढ़ी–कैमथल नालों की सफाई कई वर्षों से नहीं हुई है ? क्या इसके कारण लगभग 50 ग्रामों में भारी जल प्लावन हुआ है तथा खरीफ की फसल धान आदि पूरी तरह से नष्ट हो गयी है और इन ग्रामों के 50 प्रतिशत जमीन में जल प्लावन की वजह से रबी की फसल नहीं बोयी जा सकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त नदी व नालों की सफाई आगामी बरसात से पहले करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विधान सभा क्षेत्र इगलास जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत ईखू नाले की सफाई मानसून से पूर्व कराई गई थी । पाइन्दापुर कटनाला, बेलोद कटनाला, नंगला, जूझांर नाला, गांव गढ़ी कैमथल नाले की सफाई पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण विगत वर्षों से नहीं कराई जा सकी है ।

नालों के समीप वाले 25 गांवों में आंशिक क्षेत्र में जल प्लावन की स्थिति एवं अधिक वर्षा के कारण धान की फसल को क्षति पहुंची है । माह अक्टूबर, नवम्बर एवं जनवरी में असामयिक, अप्रत्याशित वर्षा होने के कारण प्रभावित ग्रामों की आंशिक भूमि में रबी की फसल नहीं बोई जा सकी है ।

नालों की सफाई हेतु चरणबद्ध त्रिवर्षीय योजना बनाई गई है । धन उपलब्ध होने पर नालों की सफायी कराया जाना निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर ग्राम पहाड़गंज के पूरेदला के कुयें की मरम्मत हेतु प्राप्त धन में हेराफेरी की जांच

157–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम विकास अधिकारी सुल्तानपुर तथा खण्ड विकास अधिकारी गौरीगंज, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री मोती लाल श्री डी० सी० तथा रामसुख, केदारनाथ, इसराजी आदि का संयुक्त हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र दिनांक 26-7-96 जिसमें ग्राम पहाड़गंज के पूरेदला के पुराने कुएं की मरम्मत हेतु जवाहर रोजगार योजना से निकाला धन को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा हड़प लेने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी से कब कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी के विरुद्ध और शिकायतों की जांच चल रही है ? यदि हां, तो क्या इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

खण्ड विकास अधिकारी गौरीगंज द्वारा अवर अभियन्ता (लघु सिंचाई) एवं प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) गौरीगंज के माध्यम से जांच कराई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच आख्या के अनुसार कोई कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली रजबहा की ग्राम पैगा, तहसील नवाबगंज की टूटी पुलिया के निर्माण की जानकारी

158–श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बरेली रजबहा की ग्राम पैगा तहसील नवाबगंज, जिला बरेली की पुलिया 2 वर्षों से टूटी हुई है ? यदि हां, तो सरकार उक्त पुलिया का निर्माण कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

पुलिया की मरम्मत माह 6/99 तक करा दिया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामकोला में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक तथा राजकीय महिला चिकित्सालय छितौनी में चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति

159–श्री दीपलाल भारती–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा रामकोला व नेबुआ नौरंगिया अन्तर्गत चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी है ? यदि हां, तो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक,

राजकीय महिला चिकित्सालय, छितौनी (कुलहना) में पर्याप्त चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

विकास खण्ड रामकोला के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामकोला पर दो चिकित्सक और नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोरवन टेकुआटार, खोटही व लक्ष्मीगंज पर एक-एक चिकित्सक के पद स्वीकृत हैं और चिकित्सक भी कार्यरत हैं । केवल नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परसौनी पर कोई चिकित्सा अधिकारी कार्यरत नहीं है । विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया के अन्तर्गत नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खंजरी एवं भूमिहारी पट्टी पर एक-एक चिकित्सक का पद रिक्त है ।

राजकीय महिला चिकित्सालय, छितौनी में एक चिकित्साधिकारी का पद रिक्त है । स्वास्थ्य कर्मियों में उक्त विकास खण्डों के अन्तर्गत दो टीकक, 7 बी०एच०डब्लू (पुरुष) व एक स्वास्थ्य निरीक्षक का पद सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त है, जिन पर चयनोपरान्त नियुक्ति की जायेगी । चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने के उद्देश्य से कार्यालय ज्ञाप दिनांक 1-1-99 द्वारा जनपद पडरौना (कुशीनगर) में 11 नव चयनित चिकित्सकों को नियुक्त किया गया है, जिससे चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हो जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के मोहान रोड स्थित महात्मा ज्योतिबा राव फुले राजकीय स्वच्छकार आश्रम की कक्षाओं में छात्रों की प्रवेश की जानकारी

श्री मुरलीधर–

160—क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि महात्मा ज्योतिबा राव फुले राष्ट्रीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय मोहान रोड, लखनऊ में संचालित है जिसमें इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा का प्राविधान है ? यदि हां, तो इसमें वर्ष 1998 जुलाई में इण्टरमीडिएट तक की कक्षाओं में प्रवेश न लेने के क्या कारण हैं ? क्या प्रवेश न लेने वाले दोषी अधिकारियों को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

जी हां ।

जनपद लखनऊ के मोहान रोड स्थित महात्मा ज्योतिबाराव फुले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक की कक्षायें संचालित हैं ।

वर्ष 1998–99 के नये शिक्षा सत्र में प्रवेश हेतु दिनांक 10-7-98 को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के लिये कुल 240 छात्रों को प्रवेश दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई लि० खड्डा, कुशीनगर द्वारा केन यूनियन खड्डा को स्वीकृत धनराशि के भुगतान का मामला

161–श्री दीपलाल भारती–

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० राज्य चीनी निगम इकाई लि० खड्डा (कुशीनगर) द्वारा केन यूनियन खड्डा को करोड़ों रुपये गन्ना मूल्य मद में इस वर्ष स्वीकृत किया गया था ? क्या उसके भुगतान करने में देरी हुई ? यदि हां, तो क्या गन्ना भुगतान करने में देरी करने वाले दोषी को सरकार दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० इकाई खड्डा से गन्ना मूल्य मद में इस वर्ष अब तक 537.87 लाख रुपया प्राप्त हुआ है, जिसकी एडवाइज गन्ना समिति ने बैंक को भेजी है ।

बैंकों द्वारा स्टाफ की कमी बताई जा रही है । जिसके कारण कृषकों को भुगतान पाने में कुछ कठिनाई हो रही है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के सिंचाई बन्धु की आयोजित मीटिंग के निर्णयों के अनुसार कार्यवाही

162–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि 10 नवम्बर, 1998 को जनपद शाहजहांपुर के सिंचाई बन्धु की मीटिंग आयोजित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मीटिंग के सभी जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसमें दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में विकलांगों को स्वीकृत पेन्शन प्रदान किये जाने की जानकारी

163–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में वर्तमान में कितने विकलांग पेंशनधारक पंजीकृत हैं और उन्हें कब तक की पेंशन का भुगतान किया गया ? क्या नये पंजीकरण हेतु क्षेत्रीय स्तर पर शिविरों का आयोजन करने एवं तत्काल स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

शासन में उपलब्ध सूचना के अनुसार जनपद वाराणसी में 2639 विकलांग पेंशन धारक पंजीकृत हैं और उन्हें मार्च, 1999 तक देय पेंशन की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

शिविरों का आयोजन समय-समय पर करके उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप यथावश्यक कार्यवाही की जा रही है।

लागू नहीं।

लागू नहीं।

जनपद वाराणसी में पंजीकृत विधवा पेंशन धारकों की पेंशन का भुगतान

164–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी में कितने पंजीकृत विधवा पेंशनधारक हैं और उन्हें कब तक का पेंशन का भुगतान किया गया है ? क्या नये पंजीकरण हेतु स्थानीय स्तर पर शिविर लगाकर तत्काल स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जनपद वाराणसी में 13577 पंजीकृत विधवा पेंशन धारक हैं, जिन्हें माह मार्च, 1999 तक पेंशन का भुगतान किया जा चुका है।

पंजीकरण हेतु शिविर लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में पंजीकृत वृद्धावस्था पेंशन धारकों को पेंशन देने की मांग

165–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में वाराणसी में कितने पंजीकृत वृद्धावस्था पेंशनधारक हैं और उन्हें किस माह और किस वर्ष तक का पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? क्या नये पेंशन प्राप्त करने वालों का पंजीकरण सम्बन्धित क्षेत्र में शिविर लगाकर तत्काल पेंशन हेतु स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो इसे कब से लागू किया जायेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

वर्तमान में जनपद वाराणसी में कुल 19964 पंजीकृत वृद्धावस्था पेंशनर हैं। समस्त लाभार्थियों को माह अप्रैल, 1998 से मार्च, 1999 तक की पेंशन की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।

संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये वृद्धावस्था पेंशन के पात्र लाभार्थियों के सर्वेक्षण कार्य के बाद।

जनपद शाहजहांपुर में नलकूप विभाग में अंशकालिक कूप चालकों में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा पूरा किये जाने की मांग

166–श्री चेतराम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में नलकूप विभाग में कुल कितने अंशकालीन कूप चालक कार्यरत हैं ? उनमें अनुसूचित जाति के कितने हैं ? क्या अनु० जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? आरक्षण कोटा कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जनपद शाहजहांपुर में नलकूप विभाग के अन्तर्गत कुल 150 अंशकालीन कूप चालक कार्यरत हैं, जिनमें से 18 अंशकालीन कूप चालक अनुसूचित जाति के हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं है।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में अंशकालीन नलकूप चालक के पद पर नवीन नियुक्ति फिलहाल निकट भविष्य में सम्भव नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ ब्लाक मार्टीनगंज ग्राम कोहरौली की महिलाओं को न्यू माडल एन०एम०सी० चर्खा निःशुल्क उपलब्ध कराने/प्रशिक्षण देन की मांग

167–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया--

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण महिलाओं को न्यू एन० एम० सी० माडल 29 नं० चर्खा उपलब्ध कराने की सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है ? क्या यह सही है कि आजमगढ़ जनपद, मार्टीनगंज ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम–कोहरौली की महिलाओं द्वारा माह अक्टूबर, 1994 में न्यू माडल एन० एम० सी० चर्खा निःशुल्क उपलब्ध कराने एवं उसके प्रशिक्षण कराये जाने की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या उक्त ग्राम की महिलाओं को चर्खा उपलब्ध कराने में विलम्ब किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजाराम पाण्डेय--

जी हां।

जी हां।

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को ही प्रशिक्षण प्रदान करके लाभान्वित करने का प्राविधान था। ग्राम कोहरौली से प्राप्त आवेदन-पत्र सामान्य वर्ग की महिलाओं द्वारा दिये गये थे जो कि प्रश्नगत योजना के लिये पात्र नहीं थी इसलिये उनके आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर खण्ड विकास हस्वा ग्राम टेकसारी खुर्द निवासी रामनाथ पुत्र श्री पोल्ला को आवंटित आवास निर्माण पूर्ण न करने के प्रकरण की जांच एवं कार्यवाही

168–श्री मुरलीधर--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर में खण्ड विकास हस्वा के ग्राम टेकसारी खुर्द निवासी राम नाथ पुत्र श्री पोल्ला को आवंटित आवास जो अभी तक पूर्ण निर्मित नहीं है उसकी जांच में सम्बन्धित सेक्रेटरी से शेष धनराशि वसूलने के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो क्या

धनराशि वसूल करके सेक्रेटरी को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त आवास को पूर्ण निर्मित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

दोषी कर्मचारी के निलम्बित रहने के कारण वसूली नहीं हो सकी है । उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है । लाभार्थी को अप्राप्त धनराशि विशेष परिस्थितियों में पृथक से उपलब्ध कराकर उसके आवास को पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद बलरामपुर में वर्ष 1996–97 व 1998–99 में लैबुड्डी नन्हुआपुर मार्ग निर्माण में व्यय/डी०आर० डी०ए० से प्राप्त एवं व्यय की गई धनराशि की जानकारी

169–श्री कमलेश कुमार सिंह

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर में वर्ष 1996-97 व 1998-99 में लैबुड्डी नन्हुआपुर मार्ग पर कितना धन खर्च किया गया है ? इस मार्ग की लम्बाई क्या है और डी० आर० डी० ए० से कितनी धनराशि प्राप्त कर व्यय की गयी है ? क्या उक्त मार्ग पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जनपद बलरामपुर में लैबुड्डी नन्हुआपुर मार्ग पर वर्ष 1996–97 में रु० 2.035 लाख एवं वर्ष 1998–99 में रु० 5.70 लाख व्यय किया गया है ।

इस मार्ग की लम्बाई 4.200 कि०मी० है, तथा डी०आर०डी०ए० से 8.36 लाख रुपये प्राप्त कर रुपये 7.735 लाख की धनराशि व्यय की गई है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० रसड़ा (बलिया) में नया सीजनल कर्मचारी रखने का प्रकरण

170–श्री अफजाल अहमद–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि सहकारी चीनी मिल संघ लि०, रसड़ा जनपद बलिया में वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99 में मिल चालू होने पर कितने नये सीजनल कर्मचारी रखे गये थे ? क्या यह सही है कि उक्त वर्षों में गन्ना क्रय केन्द्र अखोप विकास खण्ड, सीयर जनपद बलिया पर तैनात सीजनल कर्मचारियों को कार्य कराने के बाद भी वेतन नहीं दिया गया था ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, रसड़ा (बलिया) में वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 में मिल चालू होने पर कोई नया सीजनल कर्मचारी नहीं रखा गया था ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ स्थित आर० ए० एल० सी० के प्रो० निदेशक एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की गयी अनियमित नियुक्ति की जांच

श्री अजय कुमार पोइया तथा श्री शिव सिंह चक–

171–क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित आर० ए० एल० सी० के प्रोफेसर निदेशक एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उक्त संस्थान में चतुर्थ श्रेणी की अनियमित नियुक्तियां किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक ख–2-नं०–444537, दिनांक 4 जनवरी, 1999 सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण पर उच्च स्तरीय जांच करा कर दोषी अधिकारी को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त–

जी हां ।

जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच कराई जा रही है ।

जनपद चित्रकूट में निर्माणाधीन गुन्ता बांध परियोजना में धांधली की जांच

श्री आर० के० सिंह पटेल–

172–क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में निर्माणाधीन गुन्ता बांध परियोजना में की जा रही धांधली के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-11-98, प्रमुख सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त पत्र पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद व ब्लाक चित्रकूट में कार्यरत सी०डी०पी०ओ० की अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच

श्री आर० के० सिंह पटेल–

173–क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-11-98 पत्रांक संख्या 98 बी०के०/51 एवं एक अन्य पत्र दिनांक 16-11-98 को उन्हें प्राप्त हुये हैं ? क्या उक्त पत्रों के सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनपद चित्रकूट के ब्लाक चित्रकूट में कार्यरत सी०डी०पी०ओ० की अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचारों की जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी हां ।

जिलाधिकारी, छत्रपतिशाहू जी महराजनगर से जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना द्वारा चयनित गांवों की सूची तथा कृत कार्यों का विवरण

श्री आर० के० सिंह पटेल–

174–क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित उत्तर प्रदेश ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना (स्वजल परियोजना) अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में कौन-कौन गांव चयनित किये गये हैं ? चयनित गांवों में किस कार्यदायी संस्था के द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं ? अब तक किस गांव के लिये कितना धन सरकार द्वारा दिया जा चुका है ? किस गांव में कितना कार्य कराया गया है ? क्या उक्त स्वजल परियोजना अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक और किससे कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना संलग्न है

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अनुबन्ध के अनुसार कार्य सम्पन्न किया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 214–217 पर ।)

आयुर्वेदिक विभाग में कार्यरत अंशकालिक चिकित्सा अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति का मामला

श्री शिशुपाल सिंह यादव–

175–क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आयुर्वेदिक विभाग में कार्यरत 90 अंशकालिक चिकित्सा अधिकारियों को तदर्थ नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या समस्त अंशकालिक चिकित्साधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री [illegible] ओझा–

आयुर्वेद विभाग में कार्यरत अंशकालिक चिकित्साधिकारियों को तदर्थ नियुक्ति देने के संदर्भ में [illegible] विषय शासनादेश दि० 6-5-98 द्वारा निर्गत किया गया है ।

शासनादेश स०–4984/71-2/98/डब्लू–47/97 दिनांक 27-11-98 द्वारा 28 पुरुष एवं 18 महिला अंशकालिक चिकित्साधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये हैं । अन्य अंशकालिक चिकित्साधिकारियों के प्रकरणों में शासनादेश दिनांक 6-5-98 द्वारा गठित समिति के माध्यम से परीक्षण कराकर संस्तुति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रिया विचाराधीन है ।

उक्त समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्त एवं लेखाधिकारी आयुर्वेद निदेशालय द्वारा कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पिथौरागढ़ के विरुद्ध आरोपों की जांच तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

श्री शिशुपाल सिंह यादव–

176–क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के पत्रांक 1090–इकहत्तर–2-98/257, दिनांक 13-3-98 एवं निदेशक आयुर्वेदिक/यूनानी के पत्रांक 9184/13ए–2370/03, गोपनीय दिनांक 31-3-98 के क्रम में वित्त एवं लेखाधिकारी, आयुर्वेद निदेशालय द्वारा कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पिथौरागढ़ के विरुद्ध आरोपों की जांच की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो० शिवाकान्त ओझा–

जी हां ।

प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारी को आरोप पत्र दे दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान का मामला

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

177–क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ तथा चम्पावत में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं और उन केन्द्रों में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि इन केन्द्रों के कर्मचारियों को नियत वेतन समय से नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कर्मचारियों को वेतन समय से भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जनपद पिथौरागढ़ में कुल 411 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं जिनमें 387 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व 364 सहायिकायें नियत मानदेय पर कार्यरत हैं । चम्पावत में योजना संचालित नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ लोहाघाट तथा चम्पावत में चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निर्देश

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

178–क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ लोहाघाट तथा चम्पावत में डाक्टरों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक चिकित्सकों के रिक्त पद भर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में तीन, लोहाघाट में चार तथा चम्पावत में एक चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त हैं ।

जी हां ।

स्थानीय समायोजन से रिक्त पदों को भरने का निर्देश महानिदेशक (उत्तरांचल), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को दे दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

179–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[3रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] .

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 1-8-98 के बाद जल निगम द्वारा जनपद में इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाने हेतु प्राप्त धन तथा ब्लाक में लगाये गये हैण्डपम्पों की जानकारी

श्री राम औतार शाक्य–

180–क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अगस्त, 1998 के बाद अब तक जल निगम मैनपुरी को कितना धन इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगवाने हेतु प्रदान किया गया है तथा किस-किस ब्लाक में कितने इण्डिया मार्का 2 हैण्डपम्प अब तक लगाये गये ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 1-8-98 के बाद जल निगम, मैनपुरी को रु० 13.33 लाख की राशि इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगाने हेतु प्रदान किया गया है । उक्त धनराशि से निम्नवत् हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं :–

विकास खण्ड	हैण्डपम्प की संख्या
1. जागीर	22
2. सुल्तानगंज	1
3. करहल	3
4. मैनपुरी	7

वित्तीय वर्ष 98-99 में विभिन्न योजनाओं में जल निगम को जो राशि प्राप्त हुयी उससे इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प का अधिष्ठापन निम्नवत् किया गया है :–

विकास खण्ड	हैण्डपम्प की संख्या
1. मैनपुरी	154
2. करावली	48
3. घिरोर	90
4. सुल्तानगंज	129
5. बेवर	109
6. जागीर	112
7. किशनी	81
8. करहल	80
9. बरनाहल	60
योग	863

जिला बरेली तहसील नवाबगंज ग्राम अमीरनगर गुलड़िया की भदपुरा अमीरनगर सड़क कट जाने से टूटे सम्पर्क मार्ग तथा बांध को बनवाने का मामला

श्री छोटे लाल गंगवार–

181–क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1997 तथा 98 की बाढ़ के कारण ग्राम अमीरनगर गुलड़िया तहसील नवाबगंज, जिला बरेली की भदपुरा अमीरनगर सड़क कट जाने से सम्पर्क मार्ग टूट गया है और आवागमन अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन ग्रामों को बाढ़ से बचाने के लिये बांध बनवाकर एवं पत्थर की पिचिंग लगवाकर बाढ़ से सुरक्षा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, नदियों के कटान एवं बाढ़ से प्रभावित ग्रामों की सुरक्षा हेतु कार्य सामान्यतः नहीं कराये जाते हैं वरन् आबादियों को अन्यत्र पुनर्स्थापित किये जाने का प्राविधान है । सीमित वित्तीय संसाधनों एवं

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर सीमित बाढ़ निरोधक कार्य अति संवेदनशील स्थानों पर कराने पर विचार किया जाता है ।

नवसृजित जनपद श्रावस्ती, तहसील भिन्गा, ग्राम पंचायत–पिपरी तथा श्रीनगर में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

182–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि नवसृजित जनपद श्रावस्ती के तहसील भिन्गा के ग्राम पंचायत पिपरी तथा श्रीनगर में वर्तमान प्रधान के द्वारा वर्ष 1996 से अब तक जवाहर रोजगार योजना एवं अन्य मदों पर कराये गये कार्यों का विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि ग्राम प्रधान ने बिना सदस्यों के प्रस्ताव के ही विगत वर्ष 1996-97 में अपात्र व्यक्तियों को ग्राम सभा पिपरी में भवन निर्माण करा दिया है ? क्या दोनों ग्राम सभा पिपरी एवं श्रीनगर में कराये गये कार्यों का विवरण समान है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त प्रधान के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

ग्राम पंचायत पिपरी में पूर्व की ग्राम सभा श्रीनगर वर्ष 1995-96 में परिसीमन के उपरान्त समाहित हो गई है । ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार कराये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :–

ग्राम पंचायत	वर्ष	कराये गये कार्य
पिपरी		
जवाहर रोजगार योजना	1996-97	कूप मरम्मत
	1997-98	मिट्टी का कार्य
	1998-99	खड़न्जा निर्माण
अन्य मद (दशम् वित्त आयोग)	1998-99	खड़न्जा निर्माण
श्री नगर (ग्राम पंचायत पिपरी का पुरवा)		
जवाहर रोजगार योजना	1996-97	सम्पर्क मार्ग/खड़न्जा निर्माण
	1998-99	सम्पर्क मार्ग पर व्यय किया जा रहा है ।
अन्य मद (दशम् वित्त आयोग)	1998-99	मिट्टी का कार्य हो रहा है ।

जी नहीं ।

पिपरी की जनसंख्या श्रीनगर से दुगनी है और श्रीनगर पिपरी का पुरवा है । इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर ही ग्राम पंचायत पिपरी व उसके पुरवे श्रीनगर में कार्य कराये गये हैं । जिसमें कोई अनियमितता नहीं है जिससे प्रधान के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

नोएडा प्राधिकरण द्वारा सूचित संदिग्ध ख्याति के नियुक्त अधिकारी के शासन द्वारा कार्यमुक्ति का मामला

183–श्री जगदीश सिंह राणा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य अधिकारी नोएडा के प्रतिनियुक्ति के पद की योग्यता एवं अर्हताओं विषयक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा प्राधिकरण ने प्रमुख सचिव

स्वास्थ्य को दिनांक 19-3-96 को और अध्यक्ष, नोएडा ने इसी विषय पर दिनांक 8-3-97 को संयुक्त सचिव चिकित्सा को फैक्स व पत्र भेजा गया ? नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की नवीं बैठक दिनांक 3-12-76 द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी का सृजित पद प्रथम श्रेणी समूह "क" स्तर के अधिकारी का सृजित किया गया था ? क्या वर्तमान स्वास्थ्य अधिकारी की तैनाती आदेश दिनांक 13-4-98 पद के सृजन व [illegible] पत्र की संस्तुति के अनुरूप किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या नोएडा प्राधिकरण द्वारा सूचित संदिग्ध ख्याति के नियुक्त अधिकारी को शासन कार्यमुक्त करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा काम्पलेक्स, गाजियाबाद द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ० प्र० को पत्र दिनांक 19-3-96 भेजा गया था किन्तु अध्यक्ष, नोएडा ने दिनांक 8-3-97 को संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को फैक्स व पत्र नहीं भेजा था ।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की प्रश्नगत बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद वेतनमान रु० 800–1450 में सृजित किया गया था ।

सम्यक् विचारोपरान्त स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर तैनाती का आदेश दिनांकित 13-4-98 निर्गत किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के क्रान्ति विद्या मन्दिर, बंगला बाजार, समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित के अध्यापकों के वेतन भुगतान

श्री काशी नाथ–

184–क्या समाज कल्याण मंत्री को यह जानकारी है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित क्रान्ति विद्या मन्दिर बंगला बाजार, लखनऊ में विगत लगभग 8 वर्षों से एक अध्यापक को वेतन नहीं दिया जा रहा है ? मा० उच्च न्यायालय ने दिनांक 7 मार्च, 94 को कोई निर्णय/आदेश रिट पिटीशन संख्या-एस०एस०–1143/1994 में दिये हैं ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अध्यापक को वेतन कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

प्रश्नगत विभागीय अनुदानित विद्यालय में अध्यापकों के अनुमन्य 15 पदों के सापेक्ष नियुक्त/कार्यरत 15 अध्यापकों के वेतन की समतुल्य धनराशि विद्यालय को अनुदान के रूप में दी जा रही है । अनुमन्य अनुदानित धनराशि के अतिरिक्त नियुक्त/कार्यरत किसी अध्यापक के वेतन के भुगतान का संबंध समाज कल्याण विभाग से नहीं है ।

जी हां ।

निजी क्षेत्र में चल रहे इस विद्यालय के अध्यापकों के वेतन भुगतान का उत्तरदायित्व प्रबन्धक का है । उल्लेखनीय होगा कि शासन द्वारा अनुमोदित 15 अध्यापकों, जिसके आधार पर अनुदान राशि अनुमन्य की गई है, के अतिरिक्त एक अन्य अध्यापक की नियुक्ति प्रबन्धक द्वारा की गयी है । जैसा कि

स्पष्ट किया जा चुका है कि यह विद्यालय निजी क्षेत्र में स्थापित है, अतः इसमें कार्यरत अध्यापक के वेतन का भुगतान समाज कल्याण विभाग द्वारा किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई जनपद, ब्लाक भरावन ग्राम सभा हबीबपुर में विकास हेतु स्वीकृत धन की जानकारी

श्री हरपाल सिंह–

185–क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद की ग्राम सभा हबीबपुर ब्लाक भरावन को विगत तीन वर्षों से कितना धन दिया गया है ? क्या यह सही है कि प्रधान द्वारा उक्त स्वीकृत जवाहर रोजगार योजना में कोई कार्य नहीं कराया गया ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद हरदोई के विकास खंड भरावन में हबीबपुर नाम की कोई ग्राम सभा नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अयोध्या में साधुओं द्वारा किये जा रहे आमरण अनशन के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री अवधेश प्रसाद–

व्यवस्था का प्रश्न है । मेरे जनपद फैजाबाद में स्थित अयोध्या के सैकड़ों बाबा आज 10 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं ।

(इस समय 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

इनमें से एक बाबा लक्ष्मण दास जी की हालत बहुत खराब है और वह मरणासन्न अवस्था में हैं ।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था का प्रश्न तो सदन की कार्यवाही से संबंधित होता है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, सदन चल रहा है कोई मंत्री आज तक उनको देखने नहीं गया है । इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आपने इसको सदन में ला दिया है ।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री लाखीराम जोशी–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने एक प्रश्न किया था और उसमें निवेदन किया था कि खीरी जिले में जो बाढ़ आयी थी और जो उससे नुकसान हुआ था उसको ठीक करने के लिये भविष्य में क्या उपाय किये जा रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि जिला स्तर पर यह प्रस्तावित है, दूसरी तरफ श्री गोरखनाथ पाण्डेय जी के प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने जवाब दिया है कि सिंचाई विभाग ने प्लान तैयार कर लिया है और संसाधनों की उपलब्धता पर व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी । तो मान्यवर, एक ही प्रश्न के दो तरह के जवाब आये हैं । मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इसके लिये नियमों में और निदेशों में समुचित व्यवस्था की गयी है। जो संगत नियम हैं या निदेश हैं उसके अन्दर सूचना आप दे दीजियेगा तो उसके अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कर दी जायेगी।

* श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, मैंने एक अतारांकित प्रश्न किया था जो स्वीकार हो गया था परन्तु आज क्रम सं०–88 पर लिखकर आया है कि विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप बता दीजिये, मैं अभी इसको पत्रावली निकाल कर देख लेता हूं।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 10 मार्च, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं।

(माननीय श्री लाखीराम जोशी, डा० राम बाबू हरित, श्री होराम सिंह, श्री श्रीरामपाल, डा० कौशल किशोर, श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री आर० के० सिंह पटेल और श्री होराम सिंह जी अनुपस्थित हैं इसलिये प्रतीक्षा सूची से 2 सूचनायें श्री आर० के० चौधरी और श्री समरपाल सिंह की ले लेते हैं। शेष माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।)

टिहरी बांध विस्थापितों के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन द्वारा भूमि की खरीद में कथित घोटाले की सी०बी०आई० से जांच कराने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाखी राम जोशी–

[महोदय, टिहरी बांध परियोजना के विस्थापित ग्रामीणों के लिए टी० एच० डी० सी० द्वारा देहरादून व सहारनपुर जनपद में जो जमीन खरीदी जा रही है उसमें भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, देहरादून के बदनाम भू-माफिया जो कि इस खरीद फरोख्त में बिचौलिया बने हैं ने बहुत सस्ते दामों पर हजारों एकड़ जमीन खरीद ली है और उस जमीन को मंहगे दामों पर टी०एच०डी०सी० से सौदा कर दिया है। इसमें करोड़ों रुपये का घोटाला किया जा रहा है। टिहरी बांध की कोआर्डिनेशन कमेटी ने इस जमीन खरीदने का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन के उच्चाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं कमेटी के अन्य सदस्यों की इस घोटालों में भागीदारी है। घोटाले की सी०बी०आई० से जांच कराकर दोषियों को दण्डित कर घोटाले का पर्दाफाश किया जा सकेगा। जांच होने तक उक्त जमीन खरीदने का जो प्रस्ताव शासन की स्वीकृति के लिए भेजा गया है उसे रोका जाना जरूरी है।

अतः निवेदन है कि उक्त गंभीर मामले में सरकार को शीघ्र कार्यवाही करने का निर्देश करने का कष्ट करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आगरा महानगर के गोकुल पुरा में प्रतिवर्ष लगने वाले गणगौर मेले हेतु समुचित व्यवस्था कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० राम बाबू हरित–

[आगरा महानगर में गोकुलपुरा में गणगौर मेला प्रत्येक वर्ष 19 व 20 मार्च को मनाया जाता है । यह बहुत पुराना धार्मिक मेला है जिसमें शंकर पार्वती की पूजा की जाती है । यह मेला गोकुलपुरा मनसादेवी, कंसगेट, बल्का बस्ती, अहीरपाडा, ताज मल्लेश्वर, बाड़ा–चरन सिंह, अशोक नगर और मोती कटरा आदि क्षेत्रों में मनाया जाता है त ा एक श. : यात्रा भी निकाली जाती है । बिजली विभाग द्वारा जर्जर विद्युत तारों को बदलने की व्यवस्था, अधिक क्षमता के ट्रान्सफार्मर लगाने की व्यवस्था होती है । पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था के सन्दर्भ में अपनी भूमिका निभाती है । नगर निगम द्वारा यहां सड़कों की मरम्मत, सफाई व्यवस्था, चूना डलवाने की व्यवस्था दो जनरेटर की व्यवस्था की जाती है तथा जल संस्थान द्वारा खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत, सीवर लाइनों की सफाई, नलों की पाइप लाइनों की मरम्मत व सफाई कर पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती रही है । आज खेद का विषय है कि यहां अभी तक कोई कार्य न होने से यहां जनता की धार्मिक भावनायें भड़क रही हैं ।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आप इस समस्या का निराकरण कराने का कष्ट करें ।]

श्री छत्रसाल जिला पंचायत हाई स्कूल, नाराहट ललितपुर के प्रधानाध्यापक पद पर माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा चयन होने के बावजूद कार्यभार ग्रहण न कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्रीराम पाल–

[मान्यवर, श्री जगदेव सिंह चौहान माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा श्री छत्रसाल जिला पंचायत हाई स्कूल नाराहट (ललितपुर) के प्रधानाध्यापक पद पर दिनांक 9-10-96 को चयनित हुये व जिला विद्यालय निरीक्षक ललितपुर ने संबंधित प्रबन्ध तंत्र को दिनांक 30/10/96, 9/6/97, 6/10/97, 24/4/98 को लिखित रूप में कार्यभार ग्रहण कराने हेतु निर्देशित किया व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 6-10-98 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17-12-98 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 7-1-99 व शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने दिनांक 14-1-99 को कार्यभार ग्रहण कराने हेतु शासकीय/विभागीय आदेश जारी किये परन्तु श्री चौहान को आज तक उक्त विद्यालय का प्रधानाध्यापक पद का कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है ।

अतः उक्त प्रश्न को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने व उचित व्यवस्था देने का कष्ट करें ।]

लखीमपुर नगर में स्वीकृत 33 के०वी० का नया उपकेन्द्र शीघ्र स्थापित कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० कौशल किशोर–

[मान्यवर, नगर लखीमपुर की आबादी लगभग एक लाख हो चुकी है । इस शहर में एक नया उपकेन्द्र 1×5/1000 (रैकून) अनुमानित लागत 85.12 लाख रुपये का वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हो चुका है परन्तु अभी तक इस उपकेन्द्र की स्थापना नहीं की गयी है । पूरा शहर अलग-अलग हिस्सों में बंटकर अलग-अलग समय में अन्धकारमय हो जाता है । यदि उपरोक्त नया उपकेन्द्र 33 के०वी० का स्थापित हो जावे तो शहर लखीमपुर की बिजली की समस्या का समाधान हो जायेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लोक महत्व की इस अविलम्बनीय समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त 33 के०वी० का उपकेन्द्र जो मन्जूरशुदा है, अविलम्ब लगवाया जाये ।]

जनपद सुल्तानपुर के गांव पूरे सुजान मौजा बड़नपुर के एक गरीब परिवार की सुरक्षा कराने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री [illegible]–

[मान्यवर, [illegible] ध्यान सुल्तानपुर जनपद के गांव पूरे सूजान मौजा बड़नपुर थाना बल्दीराय के एक गरीब परिवार विशेषदत्त मिश्र की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसके पिता को पहले मार डाला गया है [illegible] लोगों द्वारा उसकी सम्पूर्ण जायदाद, ट्यूबवेल तथा खेत पर कब्जा कर लिया गया । पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी के साथ गांव से भगा दिया गया है जो लोग उसका उत्पीड़न कर [illegible] लोग हैं । बड़े-बड़े अधिकारियों के पत्र पर कार्यवाही नहीं होने देते हैं, उदाहरण [illegible] मुख्य मंत्री जी के जनता दरबार के प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही न होना, डी०एम०, [illegible] सुल्तानपुर सबसे यह गरीब परिवार गुहार कर चुका है कहीं पर कार्यवाही नहीं हुई है, बल्कि इसी को स्थानीय पुलिस द्वारा डांटा जाता है स्थिति गंभीर है । पूरा परिवार छुप-छुप कर रह रहा है ।

मान्यवर, लोक महत्व के इस प्रश्न पर इसके परिवार की सुरक्षा करावें । इसकी पूरी सम्पत्ति जिसमें ट्यूबवेल एवं खेत भी शामिल हैं, आवास कब्जा मुक्त कराने की मांग करता हूं । कृपया इस संबंध में कार्यवाही कराने की कृपा करें ।]

लखनऊ जनपद के विकास खण्ड गोसाईगंज के कतिपय गांवों के किसानों की सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आर० के० चौधरी–

[मान्यवर, जनपद लखनऊ विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज विकास खण्ड गोसाईगंज के अन्तर्गत ग्राम गौरियाकलां के पास गोमती नदी पर लगभग 4 वर्ष पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा एक पुल तथा पुल को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किया गया । पुल और सड़क बनाने के लिये उस गांव के सुक्खा पुत्र पितई, सुक्खा पुत्र मोहिनी, राम सनेही, मैकूलाल, अशोक, वंशराज, कन्धई, जगदेव, पीदीन, छोटे लाल, नामनाथ, जगदीश, श्रीमती दुलारा, छेदालाल, मंगल, नत्था, रमई, परमेश्वर, भगवानदीन, गंगाराम, रामकिशन, मोहनलाल, नन्हेंलाल, राम प्रसाद, नौमीलाल, रूकमिन, माखन चेतई, महावीर, मोलहे, मोहनलाल, लीलाराम, खुशीराम, लल्लू, नरायन, हबीबुद्दीन, फजरुद्दीन, अलाउद्दीन, विश्वनाथ आदि गरीब किसानों की जमीन हड़प ली गयी। अभी तक न तो इन गरीब किसानों की जमीन के अधिग्रहण की कार्यवाही की गयी और न ही उनकी जमीन का मुआवजा ही दिया गया । इन गरीब किसानों में भयंकर असन्तोष और आक्रोश है कभी भी अभूतपूर्व आन्दोलन पर जा सकते हैं ।

अतः लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये किसानों की जमीन का मुआवजा भुगतान किये जाने की मांग करता हूं ।]

मेरठ से दबथुआ तक चलने वाली सिटी बसों को सरूरपुर खुर्द तक चलाये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री समरपाल सिंह–

[मान्यवर, जनपद मेरठ में मेरठ से मात्र दबथुआ तक सिटी बस सर्विस है जबकि अनेकों वर्षों से इसे आगे बढ़ाकर सरूरपुर खुर्द तक किये जाने की मांग स्थानीय नागरिक कर रहे हैं क्योंकि मेरठ तथा आसपास से हजारों लोगों को प्रतिदिन आवश्यक कार्यवश सरूरपुर खुर्द तक जाना पड़ता है । सरूरपुर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

खुर्द स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मेरठ और आस-पास से अनेक छात्र/छात्रायें प्रतिदिन पढ़ने जाते हैं सिटी बस सर्विस न होने के कारण इनको अत्यधिक परेशानी होती है ।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार का लोक महत्व के इस विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुये मांग करता हूं कि तत्काल मेरठ से दबथुआ तक चलने वाली सिटी बसें मेरठ से सरूरपुर खुर्द तक चलाई जायें ।]

नियम–301 की सूचना के संबंध में जानकारी

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं लगातार 3-4 दिन से सूचना दे रहा हूं लेकिन वह लाटरी में नहीं आ रही है इसके लिए कोई आल्टरनेटिव बताइये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रयास करूंगा कि किसी न किसी दिन आपकी सूचना आ जाये ।

एक माननीय सदस्य–

मान्यवर, मेरी सूचना क्या हुई ?

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना शलाका में नहीं आयी इसलिए आप दोबारा दे दीजिए ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 10-3-99 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुईं । पहली सूचना श्री राम औतार शाक्य जी की है । शाक्य जी इस समय उपस्थित नहीं हैं ।

श्री रामवीर उपाध्याय की सुरक्षा के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री रामवीर उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जान-माल की रक्षा के संबंध में है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, माननीय उपाध्याय जी की सुरक्षा के बारे में आपको सारी बातें बता दी गयी हैं । हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय उपाध्याय जी को उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार इस समय विधायक के रूप में एक गनर उपलब्ध है इसके अतिरिक्त दो गनर उपलब्ध हैं । माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ था कि उस तिथि पर जो सुरक्षा दी गयी है वह जारी रहे । मैंने जानकारी की तो यह पता चला कि उस समय कुल तीन गनर थे, एक विधायक के रूप में तथा दो अतिरिक्त । वह सुरक्षा व्यवस्था जारी रहेगी ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, एक पत्र गया था जिसमें भुगतान के आधार पर...

श्री अध्यक्ष–

मुझे बताया गया है कि उसे निःशुल्क कर दिया गया है । इस प्रकार एक विधायक के रूप में गनर व दो अतिरिक्त गनर उपलब्ध रहेंगे ।

शासन द्वारा जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (जारी)

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री समरपाल सिंह जी की है । समरपाल सिंह जी यह सूचना नियम–300 में नहीं आती है ।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन नियमों से चलेगा । संविधान के अनुसार चलेगा, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के अनुसार चलेगा । यह हमारी नियमावली भी संविधान की धारा 208 (1) के अनुसार है । अनुच्छेद 15 को देखें तो उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा । लेकिन मान्यवर, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होने लगे, जाति, धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव किया जाये तो निश्चित रूप से औचित्य का प्रश्न है । मुजफ्फर नगर के जिलाधिकारी ने 25-12-98 को प्रदेश के प्रमुख सचिव, गृह को एक पत्र लिखा । ...

श्री अध्यक्ष–

यह तात्कालिक विषय नहीं है ढाई महीने से पूर्व की बात है । यह नियम–300 में नहीं आती है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, जाति के आधार पर नियुक्तियों में विभेद किया जा रहा है ।

किसी व्यक्ति से, जाति के आधार पर भेदभाव करना गंभीर मामला है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अगर किसी जाति के व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो तो समस्त जाति को अपराधी मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 का उल्लेख केवल अपनी बात कहने के लिए किया जाय यह उचित नहीं है । मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार की है ।

श्री कौकब हमीद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जाएगा ।

इस सूचना पर श्री समरपाल सिंह व श्री कौकब हमीद को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

श्री समरपाल सिंह–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

अनावश्यक बात करने से कोई लाभ नहीं है । यह लिखा नहीं जा रहा है । यह सूचना निरस्त कर दी गई है । यह प्रशासनिक दृष्टि से निर्णय लेना है कि कौन अधिकारी कहां तैनात हो । जिलाधिकारी ने अपनी राय दी है । इसमें असंवधानिक बात कैसे हो गई ? यह सूचना नियम–300 से दूर-दूर तक संबंधित नहीं है ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री समरपाल सिंह और श्री कौकब हमीद जी के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने सूचना निरस्त कर दी है और आपकी बात भी सुन ली है । दूर-दूर तक नियम–300 में नहीं आता है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जाति और धर्म के नाम पर किसी की नियुक्ति हो यह तो एक गम्भीर विषय है इसका आप संज्ञान लें । जिलाधिकारी ने भारतीय संविधान की मंशा के विपरीत काम किया है ।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने तो संविधान के अनुरूप लिखा है । उन्होंने कहा है उस व्यक्ति की निष्ठा जाति निरपेक्ष और सम्प्रदाय निरपेक्ष होनी चाहिए ।

(श्री समरपाल सिंह और कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों सहित सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपने स्थान पर जायं । यदि यह नियम–300 में आता तो मैं उत्तर दिलवा देता । जाति निरपेक्ष और सम्प्रदाय निरपेक्ष तो संविधान के अनुरूप है ।

व्यवसायिक बैंकों में ऋण जमा अनुपात को निरन्तर गिरते जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार जी और सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी की है यह नियम–300 मे [illegible] आती है ?

(फ्लोर पर आये सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठ गये)

(श्री प्रमोद कुमार अपने आसन से उठकर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के आसन तक कुछ कहने के लिए जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रमोद कुमार जी यह क्या हो रहा है ? श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी आपको [illegible] सूचना पर कुछ कहना है तो कहें । ये लोग तो शांतिपूर्वक बैठे हैं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, पहले सदन तो व्यवस्थित हो ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने डी०एम० का लेटर भी देख लिया है । नियम–300 भी देख लिया है और संविधान के अनुच्छेद–15 को भी देख लिया है । यह नियम–300 में नहीं आती है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अगर ऐसा कहा गया है तो सरकार जांच तो करवा ले ।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार और सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की व्यवसायिक बैंकों में ऋण जमा अनुपात को निरन्तर गिरते जाने के सम्बन्ध में है । प्रमोद कुमार जी आप को अपनी सूचना [illegible] कहना है । वैसे यह नियम–300 में नहीं आती है ।

(श्री गजेन्द्र कुमार पुन्ना सदन के वेल में खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । वैसे मैं धन्यवाद दे सकता हूं कि आप मौन होकर बैठे हैं । सुबाष जी आपको अपनी सूचना पर कुछ कहना है कि नहीं । मैं इसको निरस्त करता हूं ।

* श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, पहले सदन तो व्यवस्थित हो जाय । मैं तो आपका संरक्षण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इससे ज्यादा अव्यवस्थित सदन में आपने अपना भाषण किया है । आपके पास कोई तथ्य और तर्क तो है नहीं इस सूचना के संबंध में । यह सूचना कहां से आयेगी नियम–300 में ?

(श्री अध्यक्ष के बार-बार बुलाने पर श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा अपनी सूचना के सम्बन्ध में कुछ न कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

चूंकि मैं आपसे बार-बार कह चुका हूं और आप अपनी सूचना पर बोल नहीं रहे हैं अतः मैं इसको निरस्त करता हूं । अगली सूचना श्री श्रीराम पाल जी की है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आपके निर्देश पर मैं खड़ा हुआ हूं लेकिन सदन व्यवस्थित नहीं है । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे बार-बार अनुरोध करने के बाद भी आप अपनी सूचना पर नहीं बोले इसलिये मैंने आपकी सूचना निरस्त कर दी है । वैसे भी यह नियम–300 में नहीं आती है । मैंने अगली सूचना ले ली है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आप पहले सुन लें उसके बाद निरस्त कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी सूचना पढ़ ली है यह नियम–300 में नहीं आती है । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । मैं इसको निरस्त कर चुका हूं । अगली सूचना श्री श्रीराम पाल जी की है और उनको मैंने बुला लिया है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने तथा नारे लगाने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपने अपनी सूचना में यह लिखा है कि अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ रहा है सदन के इस निर्णय का क्रियान्वयन न होने से सदन का बजट प्रभावित हुआ.....

(व्यवधान)

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

आपने सूचना गलत दी है । सूचना निरस्त हो गई है । भ्रामक सूचना आपने दी है ।

---

* [illegible] संशोधन नहीं किया ।

शासन द्वारा जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री कौकब हमीद–

माननीय मंत्री जी बैठे हैं उत्तर दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको सुन लिया समरपाल जी को सुन लिया यह नियम–300 में नहीं आता है ।

(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह (फ्लोर से)–

माननीय मंत्री जी ने जो एक पत्र लिखा है वह जाति विरोधी है ।

(व्यवधान)

(सभी सदस्य फ्लोर से वापस अपने स्थान पर चले गए)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी माननीय समरपाल जी, कौकब हमीद जी और मुन्ना जी ने राजाराम पाल जी ने कहा कि पत्र लिखा, और कहा कि जाति सूचक बात कही है, जाति विशेष के आधार पर मतभेद की बात कही है मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर किसी अधिकारी ने ऐसा पत्र लिखा है तो उसका अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है यह सरकार उससे सहमत नहीं है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरी सरकार का निश्चित मत है जाति धर्म और लिंग के आधार पर कोई मतभेद नहीं किया जाएगा किसी का मत है वह व्यक्तिगत है आपने लिखा लेकिन वह जिलाधिकारी उस जनपद में नहीं हैं उनका पहले स्थानान्तरण किया जा चुका है ।

(व्यवधान)

डा० ज्ञानवती सिंह–

मान्यवर, मैं भी एक बात कहना चाहती हैं मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि किसी जिलाधिकारी ने ऐसा कोई काम किया है तो वह दूसरे जिले में जाकर भी वैसा ही काम करेगा । स्थानान्तरण करने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा ।

(मेजें थपथपाई गई)

मान्यवर, यह कोई बात नहीं है कि कोई अधिकारी जाति पांति के विषय से भरा हो और गद्दी पर बैठा रहे उसे कोई अधिकार नहीं है अपने पद पर रहने का जाति पांति पर आधारित शासन में भेदभाव करना संविधान के भी विरुद्ध है ।

(मेजें थपथपाई गई)

जब भी कोई अधिकारी इस तरह के उत्तरदायित्व पूर्ण पद पर हो लेकिन जिसकी मनोवृत्ति ऐसी नीच हो उसको शासन में रहने का अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है । उसको तुरन्त निलम्बित किया जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न पर मैंने माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के बाद अपनी व्यवस्था दे दी है कि यह इसमें नहीं आता है ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

आपका निर्णय हो गया आपका निर्णय सर्वमान्य था मेरे पास पत्र है जिसमें इस तरह की बात कही गई है आपको पास यह हो न हो इसलिये जो शब्द हैं मैं उनको पढ़ दूं इसके अन्त में देखें,

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने कहा है जब तक व्यक्ति की निष्ठा पूर्णतया सम्प्रदाय निरपेक्ष न हो ।

श्री बी० आर० वर्मा–

इसमें यह है कि यहां पर स्पष्ट रूप से व्यक्त करना है कि मुसलमान द्वारा ही सर्वाधिक अपराध किये जाते हैं और इनमें समुदाय, सम्प्रदायगत भावना बड़ी प्रबल होती है, इसलिये यहां की विशेष स्थिति को देखते हुए इन समुदाय व सम्प्रदाय के लोगों की नियुक्ति तब तक न की जाय जब तक व्यक्ति की निष्ठा पूर्णतया सम्प्रदाय निरपेक्ष न हो ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें उन्होंने यह कहा है कि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति तब तक न की जाय तब तक व्यक्ति की निष्ठा पूर्णतया सम्प्रदाय निरपेक्ष न हो । तो जो भी व्यक्ति तैनात हो वह धर्मनिरपेक्ष हो । उन्होंने अपना मत रखा है यह शासन का मत नहीं है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इन्होंने यह कहा है कि चूंकि सर्वाधिक अपराध मुसलमानों द्वारा ही किये जाते हैं और इनमें समुदाय, सम्प्रदायगत भावना बड़ी प्रबल होती है तो क्या और लोगों में नहीं होती है । यह आरोप है । और लोग क्या दूध के धुले हैं । तो इन जाति विशेष की तब तक पोस्टिंग न की जाय जब तक यह सुनिश्चित न कर लिया जाय कि उनके अन्दर पूर्ण सम्प्रदाय निरपेक्ष भावना न हो ।

श्री अध्यक्ष–

ऐसे अधिकारियों की तैनाती करायें जिनके अन्दर जातिगत भावना न हो ।

श्री बी० आर० वर्मा–

यह केवल क्या मुसलमानों के लिए होगा ? यह हर जाति और व्यक्ति के लिए होना चाहिए । किसी भी जाति से सम्बन्ध रखने वाला व्यक्ति अगर उसमें जातिगत भावना है और साम्प्रदायिक, भावना है तो उसको नौकरी में नहीं रखा जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

इस बात का संज्ञान माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने ले लिया है । उन्होंने यह भी कह दिया है कि शासन इससे सहमत नहीं है । यह उनका अपना मत हो सकता है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए । स्थानान्तरित कर देने से काम नहीं चलेगा ।

श्री राम नरेश यादव–

आपने जो व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है । लेकिन उस पत्र से स्पष्ट है कि उस अधिकारी ने जिस तरह से एक विशेष सम्प्रदाय के विरुद्ध भाषा का प्रयोग किया है यह निन्दनीय है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्थानान्तरण कर दिया गया है । इस तरह से भाषा का प्रयोग करके पूरे समुदाय को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है इसलिए स्थानान्तरण उचित नहीं है । ऐसे अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की जानी चाहिए उन्हें निलम्बित किया जाना चाहिए ताकि ऐसे अधिकारी जो इस तरह की मानसिकता का परिचय देते हैं वह न दें सके ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अपने चैम्बर में बुला लें । माननीय मंत्री जी को बुला लें जिन सदस्यों ने नोटिस दी है उनको भी बुला लें और एक रास्ता निकाल लें । आपकी रूलिंग शिरोधार्य है लेकिन इसकी गम्भीरता को भी आप देखें । जाट और मुसलमान दोनों ही लोग इस देश के प्रति वफादार रहे हैं और देश के प्रति समर्पित रहे हैं । इस तरह की भाषा का प्रयोग करना अनुचित है ।

श्री अध्यक्ष–

यह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है लेकिन शासन इससे सहमत नहीं है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, यह संविधान के मौलिक अधिकार के खिलाफ है सरकार का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह इसके खिलाफ कार्यवाही करे । माननीय मंत्री जी ने यह कह दिया कि स्थानान्तरित कर दिया है तो यह उचित नहीं है । मान्यवर, सरकारी पत्र में यह बात कही गई है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने व्यवस्था दे दी है । इसे अग्राह्य किया है ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी की अगली सूचना है यह सदन का निर्णय कहां है ? यह नियम–300 में नहीं आती है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, यह सरकार और उसके अधिकारी संविधान की भावना के विरुद्ध काम कर रहे हैं ।

श्री कौकब हमीद–

और ऐसे अधिकारियों को संरक्षण भी दिया जा रहा है । सरकार की इस सम्प्रदायिकता की भावना के खिलाफ में हम लोग बहिष्कार करते हैं ।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये)

व्यवसायिक बैंकों में ऋण जमा अनुपात को निरन्तर गिरते जाने विषयक औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, वह मुख्य मंत्री जी का निर्णय है सरकारी बैंक की बाबत ।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना भ्रामक है ।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा । माननीय सदस्य जो भी सूचना देंगे सही तथ्यों का उल्लेख करेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, हम कहते हैं कि यह सदन नियमों से चलेगा परम्पराओं से चलेगा, आपके आदेश हो जाते हैं। मान्यवर, आपने इस सूचना पर माननीय सदस्य को कई बार कहा कि यह नियम–300 में नहीं आती है, आपकी बात नहीं लिखी जायेगी। मान्यवर, जो माननीय सदस्य आपके आदेशों का पालन नहीं करते हैं उसके बारे में चिन्तन करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी की सूचना को इसी आधार पर निरस्त कर दिया कि तथ्य सत्य नहीं है। यह भ्रामक हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि पीठ के आदेशों का माननीय सदस्य पालन करेंगे और सूचना जो भी लिखित देंगे उसमें सही तथ्यों का समावेश होगा।

क्षेत्राधिकारी उरई सिटी द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अभियुक्त को निर्धारित अवधि में न्यायालय में प्रस्तुत न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

* श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, जो प्रथम सत्र 99 के दूसरे सोमवार में हमारा अतारांकित प्रश्न संख्या 46 था उसका जो उत्तर मिला है उसको भी कृपया आप देख लें। हमारा प्रश्न था कि जनपद जालौन की कोतवाली उरई तथा थाना कोटरा में पंजीकृत अनुसूचित जाति, जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम के वादों की सम्यक तफतीश व गवाहों के बयानात न लिये जाने के कारण न्यायालय द्वारा जांचकर्ता अधिकारी को दोषी पाया गया। उत्तर था सम्बन्धित न्यायालय ने विवेचनाधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया और केस डायरी के साथ विवेचनाधिकारी स्वयं न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए अतः विवेचनाधिकारी द्वारा रिमाण्ड हेतु दिया गया प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया गया। मान्यवर, जो एक्ट की धारा 89(4) हैं उसमें पनिश्मेंट फार नेगलैक्ट आफ ड्यूटीज का उल्लेख है।

"हुएवर बीइंग ए पब्लिक सरवेन्ट बट नाट बीइंग ए मेम्बर आफ ए शेड्यूल्ड कास्ट आर ए शेड्यूल्ड ट्राइब विलफुली निगलेक्ट्स हिज ड्यूटीज रिक्वायर्ड टू बी परफार्मड बाई हिम अन्डर दिस एक्ट शैल बी पनिशेबुल विद इम्प्रीजन्मेंट फार ए टर्म शैल नाट बी लेस दैन सिक्स मन्थ्स बट व्हिच मे एक्सटेन्ड टू वन इअर"

मान्यवर, क्षेत्राधिकारी उरई सिटी [xxx] ने निर्धारित अवधि में अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया केस डायरी के साथ विवेचनाधिकारी स्वयं अदालत में उपस्थित नहीं हुए। विवेचनाधिकारी द्वारा रिमाण्ड हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया। ऐसे अधिकारी को हथकड़ी लगनी चाहिये। अगर अधिकारी कानून का पालन नहीं करेंगे तो इस तरह जुल्म बढ़ता जायेगा। यह संविधान में प्रदत्त अधिकारों, संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार, नागरिकों की सुरक्षा के लिये आई०पी०सी०, सी०आर०पी०सी०, एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाये गये हैं, लेकिन उन कानूनों का अमल नहीं हो रहा है और बराबर इनका उल्लंघन हो रहा है। जिस अधिकारी ने इसमें लापरवाही की है, मैंने उत्तर में उसको सन्दर्भित किया है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सुन लिया। हम बार-बार सभी माननीय सदस्यों से यही अनुरोध करते हैं कि जो भी शब्दावली हो, उसका उचित प्रयोग हो। आपने लिखा है कि कानून का उल्लंघन हुआ है जिससे सदन व कार्यवाही निलम्बित हुई है। सदन की कार्यवाही इस घटना से कहां निलम्बित हुई है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री श्रीराम पाल–

जो अतारांकित प्रश्न संख्या–46 का उत्तर दिया गया है, उसमें है कि भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी दी गई है जबकि एस०सी०एस०टी० एक्ट में स्पेशल प्राविजन दिया हुआ है कि लापरवाही करने वाले अधिकारी को 6 महीने की सजा का प्राविधान है । यह उस अधिकारी को बचाने के लिये उत्तर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रकरण न्यायालय में लम्बित है और न्यायालय के बारे में कोई टिप्पणी हम लोग यहां नहीं करते ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, 10-7-98 को सी०जे०एम०, उरई द्वारा आदेश पारित किया गया है, उसमें आयोग के खिलाफ सीधे टिप्पणी की गई है कि आयोग की लापरवाही के कारण वह देर से अदालत में आया । ऐसे अधिकारी को सरकार संरक्षण दे रही है इसीलिए जुल्म बढ़ते जा रहे हैं । कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं । इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोग जो अदालत का आदेश नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें । उनके खिलाफ एफ०आई०आर० लाज कराई जाय और आप मान्यवर, इस पर उचित व्यवस्था दें ताकि अध्यक्ष पीठ की गरिमा भी बनी रहे । हम लोग आपके बलबूते पर अपनी क्षेत्रीय बात रखते हैं और आपके ही बलबूते पर इस सदन का मान-सम्मान टिका हुआ है, इस सदन के माध्यम से ही गरीबों की हिफाजत होती है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्रीराम पाल जी की जो सूचना है, वह न्यायालय में लम्बित कार्यवाही से संबंधित है । यह सूचना नियम–300 में नहीं आती, इसलिये निरस्त कर रहा हूं ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मैं आपके पास आदेश की कापी भेज रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

एक सूचना नियम–311 में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की है ।

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, पहले मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी सूचना पर व्यवस्था दे रहा हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं कुछ वर्डिंग कोट करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

जिस शब्दावली को आप हटाने की बात कर रहे हैं, उसी का उद्धरण दे रहे हैं, फिर प्रमोद कुमार जी को भी शिकायत होगी ।

देखिये हम लोगों की नियमावली बहुत स्पष्ट है । इसमें महामहिम राज्यपाल के विरुद्ध, माननीय न्यायालय के विरुद्ध हम सब यहां कोई बात नहीं करते ।

---

* सदस्य के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, कल जब ऊर्जा मंत्री ऊर्जा का बजट प्रस्तुत कर रहे थे, जब उन्होंने उसका उत्तर भाषण दिया, तब उन्होंने 4–5 टिप्पणियां की थीं। मान्यवर, आप भिज्ञ हैं कि प्रजातंत्र न्यायपालिका, पत्रकारिता के ऊपर टिका हुआ है। [×××]

श्री अध्यक्ष–

उसे दोहराने की आवश्कता नहीं है। सभी सदस्यों की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध है, मैंने भी देख लिया है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि उसे दुबारा न पढ़ें।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, हम अपनी बात को जस्टीफाई तो करेंगे। [×××]

श्री अध्यक्ष–

मैं भी न्यायपालिका से संबंधित हूं, आप भी हैं।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आप जो भी आदेश देंगे, शिरोधार्य है लेकिन माननीय ऊर्जा मंत्री को सदन में आकर माफी मांगनी चाहिये। [×××] जो संसदीय परम्पराओं के विरुद्ध है, नियमों के विरुद्ध है, अगर इस तरीके से सदन में मिनिस्टर लोगों को अपमानित करेंगे तो इस सदन की गरिमा समाप्त हो जायेगी। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकाल दें। माननीय मंत्री का आचरण मर्यादापूर्ण नहीं है, यह संसदीय परम्पराओं के विरुद्ध है, उनको सदन में आकर माफी मांगनी चाहिये अगर वह माफी नहीं मांगते हैं तो मैं उनके इस्तीफे की मांग करता हूं अन्यथा उनको इस अमर्यादित आचरण के लिये मंत्रिमंडल पद से बर्खास्त किया जाय।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बहुत ही विनम्रतापूर्वक अपने विचार रखना चाहता हूं। जितनी बातें आपके संज्ञान में हैं, आपत्तिजनक हैं, उनको आप निकालेंगे। लेकिन यह इस सदन की परम्परा रही है कि कार्यपालिका, न्याय पालिका के बीच किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिये। यह भारत का लोकतंत्र, इस आशा, प्रत्याशा के साथ, संविधान के तहत आधारित है कि महामहिम राज्यपाल जी के विरुद्ध कभी कोई टिप्पणी इस सदन में नहीं की जाती, [×××]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

क्या यह आपत्तिजनक नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

सारी वह बातें कही जा रही हैं, जिन्हें नहीं कहना चाहिये।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जुडीशियरी एक इन्डिपेन्डेन्ट बाडी है, [×××] अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को अनुचित लगा, तो उन्हें कल ही कह देना चाहिये था। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसको संज्ञान में लें, हमारा न्यायपालिका के प्रति पूरी तरह से आदर है. किसी भी को या सरकार को इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिये।

(व्यवधान)

[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

हर व्यक्ति अपनी धारणा बनाता है, जो उसकी जानकारी में होता है । उसकी जानकारी में एक तथ्य है और दूसरे की जानकारी में दूसरा तथ्य है ।

श्री प्रमोद कुमार–

[×××]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जितनी भी आपत्तिजनक बात होगी, उसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

श्री अमित अग्रवाल–

मेरे खानदान के बारे में कहा गया है ।

श्री अध्यक्ष–

उसको मैं निकाल दूंगा । कल मैं उपस्थित नहीं था, लेकिन मैं सुन रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

खानदान से कोई भी व्यक्ति विदेश नहीं गया था ।

श्री अध्यक्ष–

व्यक्तिगत आक्षेप को भी मैं निकाल दूंगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार का न्यायपालिका के प्रतिपूर्ण सम्मान है और इसकी कायम भी रखेंगे । न्यायपालिका के प्रति एक बार नहीं बल्कि अनेक बार मुख्य मंत्री और मंत्रियों ने अपना विश्वास व्यक्त किया है । जहां तक पत्रकारों का सवाल है पत्रकार तो सबसे ज्यादा आवश्यक स्तम्भ है उनके प्रति हमारा सम्मान है यह औचित्य का प्रश्न जो लाये हैं क्या हाल उन्होंने न्यायपालिका और पत्रकारों का किया । हल्ला बोल कर हाई कोर्ट के जजों पर हमला किया और आज आप पत्रकारों की, न्यायपालिका की चिन्ता करते हैं । इस प्रदेश सरकार का पूर्ण समर्पण है, न्यायपालिका के प्रति और महामहिम राज्यपाल के प्रति पूरा सम्मान है, उन्होंने दिखाया है । उनका दामन बिल्कुल साफ है और उनके बारे में टिप्पणी करने की कोई बात ही नहीं है ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह विवाद बढ़ाने की बात नहीं है ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने टिप्पणी ऐसी कर दी जिससे विभाग का मतलब नहीं था । मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, हाईकोर्ट के फैसले के द्वारा कायम है जो आपने यह कहा कि पत्रकारों पर हल्ला बोल हुआ था अगर आप एक पत्रकार पर हल्ला बोल दिखा दें, मेरी चुनौती स्वीकार कर लें, आप मंत्री हैं, मैं सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो आप मंत्रि-मण्डल से इस्तीफा दे दें । हमारी सरकार ने किसी पत्रकार पर हल्ला बोल नहीं किया, हमने अखबारों वालों के मालिक...

[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक सदस्य–

दैनिक जागरण के खिलाफ हल्ला बोल किसने किया था ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

अगर मेरी बात आपको कड़ुवी लग रही है तो आप बाद में बोल लीजिएगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बात कही, आपने स्पष्ट कर दिया । इस तरह के आरोप–प्रत्यारोप न लगायें जो विषय यहां था भी नहीं उसको यहां ले आये ।

श्री प्रमोद कुमार–

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की ओर इशारा करते हुए) कल तो आप एक शब्द नहीं बोले, कल आप बैठे रहे आज आपको बहुत लग रहा है । हम सब लोग जुडीशियरी का आदर करते हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि कल जो मंत्री जी ने अपना भाषण दिया है या जो कुछ कहा है उसमें राज्यपाल महोदय, जुडीशियरी, पत्रकारों के प्रति कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहा है ।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने कहा है कि यह सरकार माननीय न्यायपालिका और पत्रकारों का सम्मान करती है । जब मैंने यह कहा तो शायद आप कहीं और थे यहां थे नहीं ।

श्री प्रमोद कुमार–

संसदीय कार्य मंत्री कहें कि उनकी न्यायपालिका में आस्था है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा था कि जो आपत्तिजनक अंश होगा उसको निकाल दूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x] मैं इस प्रतिकूल टिप्पणी की घोर निन्दा करता हूं और इस्तीफे की मांग करता हूं ।

समय 1 बजकर 20 मिनट

डा० अम्मार रिजवी–

मेरा निवेदन यह है कि जहां तक पत्रकारों की या न्यायपालिका की बात है, इस पर ज्यादा चर्चा न करायें । दूसरी बात यह है कि इनके सम्मान और स्टेटस पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए । आप कार्यवाही मंगाकर देखें जहां पर ऐसी कोई बात आयी है, उसको कार्यवाही से निकलवा दें । हम लोग आपस में आरोप-प्रत्यारोप करें यह अलग बात है लेकिन लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तम्भों को यहां लाकर उस पर टीका-टिप्पणी करना किसी प्रकार से मुनासिब नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं कल की कार्यवाही के आपत्तिजनक अंशों और आज की कार्यवाही के उन अंशों का जिनमें कल की कार्यवाही का उद्धरण दिया गया है, उसको कार्यवाही से निकलवा दूंगा ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, यह होना चाहिए कि भविष्य में शासन के जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह का आचरण न करें। अगर कोई नया सदस्य इस तरह का आचरण करता तो अलग बात थी लेकिन जब पूरी सरकार सदन में बैठी थी, चाहे यह अवमानना सदन की हो या न्यायालय की हो इसके लिए कोई निर्देश अवश्य दें कि भविष्य में कोई मंत्री इस तरह का आचरण न करें।

श्री अध्यक्ष–

इस सबके बारे में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में प्राविधान है।

डा० अशोक बाजपेयी–

केवल कार्यवाही से निकालने तक इसे सीमित न रखें। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। मान्यवर, जब कभी सदन में ऐसे गंभीर मसलों पर विचार हो रहा हो तो हल्ला बोल का सहारा ले करके और अतीत में जाकर छिद्रान्वेषण करेंगे तो बहुत से ऐसे मामले मिल जायेंगे। [x x x]

श्री हुकुम सिंह–

यहां तो मुख्य मंत्री के शब्दों को निकाला गया है और मैंने निकलवाया है।

श्री प्रमोद कुमार–

ऐसे मुख्य मंत्री जिसकी बात निकाली गयी है उसने क्षमा याचना भी की है और जुडीशियरी के बारे में अगर उसने कोई बात कही है तो उसकी निन्दा भी की गयी है।

श्री अध्यक्ष–

मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय सदस्यगण प्रक्रिया नियमावली में जो बातें प्रतिबन्धित हैं, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें और हम सबका इस सदन को गंभीर विचार-विमर्श का माध्यम बनाने के लिए प्रथम प्रयास तो यह हो कि हम उत्तेजित न हों, गंभीर रहें तो ऐसी स्थिति न आये। उत्तेजना के क्षणों में अगर कोई ऐसी बात निकल गयी है तो उसका उपचार होना चाहिए। मैं कार्यवाही से ऐसे शब्दों को निकाल दूंगा जो उचित नहीं है।

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव वापस लेने की जब बात आयी थी तो उस समय जो शब्द प्रयोग किये गये उसको भी पढ़ लें और जो आपत्तिजनक है उसे निकाल दें।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–3 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–4 ले रहा हूं।

लखनऊ के अलीगंज स्थित शेखूपुरा कालोनी से अवैध कब्जों को हटाये जाने विषयक श्री ०पी०के० बोस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री अजय कुमार पोइया–

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कुर्सी रोड, अलीगंज स्थित शेखूपुरा कालोनी से अवैध कब्जों को हटाये जाने के संबंध में श्री पी० के० बोस निवासी जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

† छापी नहीं गयी।

जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में ''हुलवाना ड्रेन'' का निर्माण कराये जाने विषयक श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री अजय कुमार पोइया–

(2) मैं आपकी अनुमति से जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में ''हुलवाना ड्रेन'' का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री दिलीप कुमार यादव, निवासी जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा स्थित राजकीय संग्रहालय का विस्तार कराये जाने विषयक श्रीमती चन्द्रवती पोइया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मथुरा स्थित राजकीय संग्रहालय का विस्तार कराए जाने के संबंध में श्रीमती चन्द्रवती पोइया, निवासी जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा में गोवर्धन छाता मार्ग को चौड़ा कराये जाने विषयक श्री छोटे लाल बेधड़क द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मथुरा में गोवर्धन छाता मार्ग को चौड़ा कराए जाने के संबंध में श्री छोटे लाल बेधड़क निवासी जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद रायबरेली के डलमऊ क्षेत्र थाना ऊंचाहार अन्तर्गत ब०स०पा० कार्यकर्ता श्री पप्पू की गुण्डों द्वारा हत्या किये जाने का प्रयास विषयक नियम–311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–5, 6 व 7 में कुछ नहीं है।

मद संख्या–8 लेने के पहले श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने नियम 311 में सूचना दी थी इस पर मैंने कह दिया था कि यह नियम 311 में आएगी नहीं लेकिन मौर्य जी कुछ तथ्य आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं, कुछ राहत की बात करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसके संबंध में आप देख लें। मैं पूरी सूचना की प्रति आपके पास भेज देता हूं। श्री मौर्य जी अगर आप एक-आध मिनट में अपनी बात कहना चाहते हों तो कह दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि दलितों पर जुल्म, ज्यादती, हत्या, बलात्कार जिस तरह से निरन्तर हो रहे हैं इसी कड़ी में रायबरेली जनपद के डलमऊ विधान सभा क्षेत्र जहां से मैं निर्वाचित होकर आया हूं एक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पप्पू जो ऊंचाहार थाना के अन्तर्गत बाधा बैरी शहजादपुर गांव में आता है वहां पर आठ बजे गुण्डों ने गोली मारकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया वह व्यक्ति स्थानीय चिकित्सालय ऊंचाहार में भर्ती कराया गया वहां के डाक्टरों ने उसकी गंभीरता को देखते हुए जिला अस्पताल रायबरेली में उसे स्थानान्तरित किया है। अभी भी वह मरणासन्न अवस्था में वहां पर अपना इलाज करवा रहा है।

मान्यवर, गुण्डों के हौसले इतने बुलन्द हैं कि वह अस्पताल में पहुंच गए और वहां पर ताका झांकी की। उसको पुनः गोली मारने के लिए। इसके साथ ही साथ उसके घर पर भी लोग गए यदि इस विषय में तुमने एफ० आई० आर० दर्ज कराई तो तुम्हारी भी यही दशा होगी यह धमकी उसके परिवार वालों

---

† छापी नहीं गयी।

को दी । यद्यपि एफ०आई०आर० दर्ज हो चुकी है लेकिन वह अपराधी अभी भी भयमुक्त होकर घूम रहे हैं । उसको दुबारा गोली मारने का प्रयास किया जा रहा है । उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है । इससे पूरे क्षेत्र में दहशत है । चूंकि गुण्डे ग्राम प्रधान हैं जिसके कारण क्षेत्रीय लोगों में भय का वातावरण है । पूरे प्रदेश में इस तरह से दलितों की हत्याएं हो रही है । उनके मनोबल को गिराया जा रहा है, उनमें दशहत पैदा की जा रही है । एक-एक की हत्या और कत्ल किया जा रहा है, यह बहुत चिन्ताजनक है ।

संसदीय कार्य मंत्री हमेशा कहते हैं कि कार्यवाही की जाएगी लेकिन हमेशा कार्यवाही के नाम पर टाल मटोल ही हुआ करता है । इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । इस लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने की अनुमति दें । इसके साथ ही साथ वह मरणासन्न अवस्था में जिला अस्पताल में हैं वहां पर निःशुल्क दवाइयों का प्राविधान है लेकिन दवाइयां हमेशा मरीज को बाहर से लेनी पड़ती हैं । वह पैसे के अभाव में बचना भी होगा तो नहीं बच पाएगा । मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल दोषी लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उसके इलाज की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री मौर्या जी ने कहा है कि वह निर्धन है और अस्पताल में भर्ती है, उसके पास साधन नहीं हैं कि वह बाहर से दवा खरीद सके इसलिए थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता उसे देने के लिए आप विचार कर लें और माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि कुछ मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुये हैं इसलिए उन्हें भी गिरफ्तार किया जाय । जो अपराधी हैं वह अस्पताल में घूम रहे हैं इसलिए ऐसी कोई दुर्घटना फिर न होने पाये इसे आप देख लें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, दो लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं जहां तक पप्पू की बात है वह आउट आफ डेन्जर है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि दो गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन मान्यवर, अभी दो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं । यह अपराधी जिला अस्पताल तक पहुंच गये और उसके घर पर गये और धमकी दी कि यदि इस मामले में आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे लड़के का हुआ है । इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके इलाज की व्यवस्था की जाय, दो जो मुल्जिम अभी गिरफ्तार नहीं हुये हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाय और अगर उनकी गिरफ्तारी 24 घण्टे के अन्दर नहीं होती है तो उनके घरों की कुर्की की जाय और साथ ही साथ उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित करायें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरे पास सारी रिपोर्ट है अगर आप अनुमति दें तो मैं रिपोर्ट दूं । जिस तरह का वह व्यक्ति रहा है और उसका अपना क्या मामला है और उसके खिलाफ कितने अपराधिक मामले लम्बित हैं यह मैं बता दूं । 395, 396 और 397 जैसे मुकदमें उसके खिलाफ हैं वह इतने बड़े गैंग का सदस्य है इससे तो लोग खुद ही घबराते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

क्या ये मामले पुराने हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां । अपराध संख्या–50 वर्ष 1994 का मामला है । इसी प्रकार 395, 96, 397, 151 और धारा 25 जैसे मामले इसके खिलाफ हैं । इसकी हिस्ट्री क्या है यदि इसे मैं बताऊं तो काफी समय लग जायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, धारा 25 तो ऐसा है यदि आपकी पद की गरिमा का ख्याल न रखा जाय तो आपको भी धारा 25 में गिरफ्तार किया जा सकता है । धारा 25 तो एक ऐसा हथियार है सरकार के पास जब चाहे जिसे धारा 25 के अन्तर्गत बन्द कर सकती है । 1994 के पहले वह क्या था मतलब यह नहीं है, बात तो यह है कि वह गांव में रहकर सीधी-सीधी जिन्दगी व्यतीत कर रहा था और उस पर दिन-दहाड़े गोली चलायी गयी । [x x x] मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि उसके इलाज की व्यवस्था की जाय, पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की जाय और साथ ही मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जाय ।

श्री राम ललित चौधरी–

यदि किसी का 1994 से पहले का कोई इतिहास रहा हो तो क्या उसे गोली मार दी जायेगी । मेरा निवेदन है कि आप अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करें और उस व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए यदि उसने 1994 से पहले कोई अपराध किये हों तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाये जायं और यदि न्यायालय में साबित हो जायेगा तो वह बन्द हो जायेगा ।

*आवास राज्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, आपके लिये भी जो शब्द इस्तेमाल किये गये हैं, उन्हें भी कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं देख लूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने उत्तर के पहले भाग में कह दिया है कि इलाज हो जायेगा ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, इन्होंने गोली मारना जायज ठहराया है ।

श्री अध्यक्ष–

ऐसी बात नहीं है । आपने तो केवल तथ्यात्मक सूचना दी और इलाज के लिये कह दिया है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, तत्काल व्यवस्था करा दें । जब वह मर जायेगा उसके बाद कुछ करना चाहेंगे तो क्या होगा ? शाम को मैं खुद जिला अस्पताल गया था । पीछे गर्दन पर जहां चुटिया है फाड़ते हुए गोली निकली है । गंभीर चोट है उसके लिये तत्काल इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए और सुरक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए । अभी भी गुण्डे जिला अस्पताल में गोली मारने के लिये पहुंच सकते हैं । उसकी हत्या किये जाने की आशंका दूर नहीं है । वह बच सके इसलिये उसका इलाज व उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करायें ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं पहले भी कह चुका हूं कि रायबरेली में जिला अस्पताल में सरकारी खर्च पर उसका इलाज चल रहा है और दो आरक्षी भी तैनात हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, सरकारी अस्पताल में बहुत सी दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती है यह आदमी बहुत गरीब है बाहर से दवा नहीं खरीद सकता है इसलिये मेरा निवेदन है कि इलाज में कोई कसर न रखी जाय पूरी व्यवस्था उसकी हो ।

श्री अध्यक्ष–

निःशुल्क का मतलब है निःशुल्क ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, थोड़ी सी लापरवाही होगी तो यह सिर की चोट है । मर जाने के बाद कुछ करें तो उसका कोई मतलब नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी इनके अनुरोध पर विचार कर लीजियेगा ।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 (अध्यादेश संख्या–5 सन् 1999) का संकल्प

* आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, इसमें कई त्रुटि रह गई हैं कृपया उसे संशोधित कर लें । मैं संशोधित रूप में रख रहा हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करना चाहता हूं :–

चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद–252 के खण्ड (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एवं कतिपय अन्य प्रदेशों के विधान मण्डलों द्वारा पारित संकल्प के आधार पर,भारत का संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–2 राज्य सूची की प्रविष्टि 18 के संबंध में संसद द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया गया था जो वर्तमान में इस प्रदेश में प्रवृत्त है ;

और चूंकि यह पाया गया कि उक्त अधिनियम कुछ एक व्यक्तियों के ही हाथों में नगरीय भूमि के स्वामित्व के केन्द्रीयकरण तथा नगरीय भूमि के हस्तान्तरण में सट्टेबाजी अथवा मुनाफाखोरी रोकने एवं नगरीय भूमि के समाजीकरण द्वारा सामूहिक हित के लिए भूमि के समतापूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने एवं अन्य अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति करने में विफल रहा है जिससे फलस्वरूप मूलभूत नगरीय सुविधाओं के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ;

और चूंकि यह सदन इस मत का है कि उक्त अधिनियम की अब कोई उपयोगिताएं नहीं रह गयी हैं और उसका निरसन आवश्यक है ;

और चूंकि पंजाब और हरियाणा राज्यों में उक्त अधिनियम को निरसित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अन्तर्गत उक्त राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा पारित संकल्प के अनुसरण में उक्त अधिनियम को उक्त राज्यों में तथा ऐसे अन्य राज्यों में जहां के राज्य विधान मण्डल उक्त अधिनियम को निरसित करने हेतु संसद द्वारा बनाये गये निरसन अधिनियम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को अंगीकार करें, निरसित करने के लिए विधेयक संसद में पुरःस्थापित किया गया है जो अभी तक संसद द्वारा पारित नहीं हो सका है ;

अब चूंकि संसद के सत्र में न रहने के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद 123 के खण्ड (1) के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग कर नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 (सं० 5 सन् 1999) प्रख्यापित किया गया है ;

और चूंकि उक्त अध्यादेश 5 सन् 1999 की धारा 1 की उपधारा (2) में यह उपबन्धित है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 उन राज्यों में भी प्रवृत्त हो सकेगा जिन राज्यों के विधान मण्डल भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अन्तर्गत इस निमित्त संकल्प पारित कर उक्त अध्यादेश को अंगीकार करें ;

और चूंकि इस सदन को वांछनीय प्रतीत होता है कि उक्त अध्यादेश को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाय ;

अतः यह सदन भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में इस संकल्प द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 (अध्यादेश सं० 5 सन् 1999) को, जो राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित केन्द्रीय अध्यादेश है, अंगीकार करता है ।

मान्यवर, यह इनोसेन्ट संकल्प है बहुत दिन से बड़ी भूमि शहर में पड़ी है इसमें बड़ा विवाद न्यायालय में चल रहा है । यह अधिनियम केन्द्र सरकार ने बनाया इसका कोई लाभ नहीं मिला । इसलिए यह उचित समझा गया कि भारत सरकार ने उसे निरसित कर दिया है हमारे सामने अब दो विकल्प हैं एक तो राज्य में जो लागू किया है उसे लागू रहने दिया जाए या भारत सरकार ने निरसन कर दिया है हम भी अन्य राज्यों की तरह निरसन कर दें, तो उचित यह समझा गया इसका निरसन जनहित में होगा और बहुत सी भूमि उन लोगों के हित में मिल जायेगी जिनको शहर में मकान नहीं मिल सकें हैं इस अपेक्षा के साथ सदन से अनुरोध है इसको अंगीकार करें ।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर विचार रखना चाहते हैं ।

श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है स्वीकार कर लिया है यह अधिनियम भारत की संसद में लाया गया । बड़े जमींदार वर्ग से भूमि निकालकर छोटे लोगों में वितरित की जा सके लेकिन जिस हित के लिए अधिनियम बनाया गया वह उसकी मंशा पूरी न हो सकी । शहरी क्षेत्र में भूमि के दाम बढ़ते गए जिन गरीबों, जिन लोगों के लिए भवन की बात कही गयी उनको भूमि उपलब्ध होगी यह कहा गया लेकिन नहीं हुई, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं संसद में प्रस्ताव पारित हुए हैं इसमें ऐसे लोगों की भूमि को वापस करने का निर्णय नहीं लिया गया है जिन्होंने अधिनियम, कानून का पालन किया है । धारा 6 (2) में रिटर्न भर दिए तो उनकी सुनवाई हुई, प्रक्रिया जल्दी चली और भूमि सरकार में निहित हो गई उनके साथ अन्याय हो रहा है जिन पर भवन निर्माण नहीं हुआ ऐसी भूमि जो सरकार द्वारा अधिग्रहीत कर ली गई और उनकी भी सरकार द्वारा भूमि वापस दी जानी चाहिए ।

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, अंगीकृत करने वाला प्रस्ताव स्वीकार योग्य है । शहरी क्षेत्र का विकास इससे आगे बढ़ेगा लेकिन मैं एक सुझाव मंत्री जी को देना चाहता हूं और मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि ऐसे लोग जिनके शहरी हदबन्दी क़ानून के अन्तर्गत अभी मुकदमें विचाराधीन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं और सरकार के पक्ष में जिनकी जमीन नहीं गयी है ऐसे मुकदमों के बारे में क्या सरकार बतायेगी कि जो मुकदमें जहां हैं क्या वहीं समाप्त कर दिये जायेंगे ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने के बाद लम्बित मुकदमें जो न्यायालय, ट्रिब्यूनल और प्राधिकृत अधिकारियों के समक्ष लम्बित हैं वे समाप्त हो जायेंगे लेकिन राज्य सरकार द्वारा जिन जमीनों का कब्जा ले लिया गया है उनमें धारा 13, 14 आदि के प्राविधान लागू होंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एवं कतिपय अन्य प्रदेशों के विधान मण्डलों द्वारा पारित संकल्प के आधार पर, भारत का संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–2 राज्य सूची की प्रविष्टि 18 के संबंध में संसद द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया गया था जो वर्तमान में इस प्रदेश में प्रवृत्त है :

और चूंकि यह पाया गया कि उक्त अधिनियम कुछ एक व्यक्तियों के ही हाथों में नगरीय भूमि के स्वामित्व के केन्द्रीयकरण तथा नगरीय भूमि के हस्तान्तरण में सट्टेबाजी अथवा मुनाफाखोरी रोकने एवं नगरीय भूमि के समाजीकरण द्वारा सामूहिक हित के लिए भूमि के समतापूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने एवं अन्य अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति करने में विफल रहा है जिसके फलस्वरूप मूलभूत नगरीय सुविधाओं के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा है :

और चूंकि यह सदन इस मत का है कि उक्त अधिनियम की अब कोई उपयोगिता नहीं रह गयी है और उसका निरसन आवश्यक है :

और चूंकि पंजाब और हरियाणा राज्यों में उक्त अधिनियम को निरसित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अन्तर्गत उक्त राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा पारित संकल्प के अनुसरण में उक्त अधिनियम को उक्त राज्यों में तथा ऐसे अन्य राज्यों में जहां के राज्य विधान मण्डल उक्त अधिनियम को निरसित करने हेतु संसद द्वारा बनाये गये निरसन अधिनियम को अंगीकार करें, निरसित करने के लिए विधेयक संसद में पुनःस्थापित किया गया है जो अभी तक संसद द्वारा पारित नहीं हो सका है :

अब चूंकि संसद के सत्र में न रहने के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद 123 के खण्ड (1) के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग कर नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 (सं० 5 सन् 1999) प्रख्यापित किया है :

और चूंकि उक्त अध्यादेश 5 सन् 1999 की धारा 1 की उपधारा (2) में यह उपबन्धित है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 उन राज्यों में भी प्रवृत्त हो सकेगा जिन राज्यों के विधान मण्डल भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अन्तर्गत इस निमित्त संकल्प पारित कर उक्त अध्यादेश को अंगीकार करें :

और चूंकि इस सदन को वांछनीय प्रतीत होता है कि उक्त अध्यादेश को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाय ।

अतः यह सदन भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में इस संकल्प द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 (अध्यादेश सं०–5 सन् 1999) को, जो राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित केन्द्रीय अध्यादेश है, अंगीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

आज राजस्व विभाग के बजट पर बजट साहित्य उपलब्ध न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–9

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, राजस्व विभाग का बजट प्रस्तुत होने जा रहा है लेकिन बजट साहित्य अभी तक नहीं मिला है, तो हम कटौती प्रस्ताव कैसे प्रस्तुत करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

पूरा साहित्य 9 मार्च को 1.10 बजे और सायंकाल 06 बजे वितरित कर दिया गया है । किसी कारणवश बजट साहित्य आपको नहीं मिला है तो देख लिया जाएगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

मैंने इन्श्योर कर लिया है । यह 98-99 का क्रिया-कलाप संबंधी पुस्तिका है इसमें एक भी कापी इसके अलावा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य का यह कहना है कि केवल इतना ही प्राप्त हुआ है । राजस्व विभाग के क्रियाकलाप 1998-99 प्राप्त हुआ है इसके अलावा कुछ नहीं प्राप्त हुआ है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी 98-99 का बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं या 99-2000 का बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

जो पुस्तिका उपलब्ध करायी गयी है उसमें 98-99 के आंकड़े हैं, यह आपकी सहायता के लिए हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जो बजट सामग्री है वह किसी भी माननीय सदस्य के पास नहीं है तो वह क्या बात करेगा । आप इसका संज्ञान लें । राजस्व मंत्री जी को इस बात का निर्देश दें कि जो भी दस्तावेज है उसको उपलब्ध करायें । जो आज यह बजट प्रस्तुत हो रहा है, आपकी अनुज्ञा से यह बाद में प्रस्तुत कर लें जिससे विधिवत् बहस हो सके ।

श्री अध्यक्ष–

जो मुख्य बजट है यह आया है कि नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

आया है ।

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों का कहना है और मैं खुद भुक्तभोगी हूं । मुझे 98-99 का मिला हुआ है इसके अतिरिक्त कोई भी सामग्री या दस्तावेज मुझे उपलब्ध नहीं हुई है । केवल विरोध पक्ष के ही माननीय सदस्यों को उपलब्ध नहीं हुई है बल्कि सत्ता पक्ष के भी माननीय सदस्यों को उपलब्ध नहीं हुई है । वह कैसे इसमें बोलेंगे, कैसे कटौती का प्रस्ताव आयेगा । आप इसको गंभीरता से देखें और विचार करें ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

यह जो पुस्तिका दी गयी है यह 98-99 राजस्व विभाग के क्रियाकलापों की दी हुई है । बजट के बारे में जो क्रियाकलापों का विवरण है और धनराशि का विवरण है वह अलग से दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों का कहना है कि मुख्य बजट साहित्य उपलब्ध नहीं हुआ है ।

श्री राम औतार शाक्य–

लगता है कि आपके पास भी बजट नहीं है । यह तो 98-99 के क्रियाकलापों का विवरण है ।

(व्यवधान)

श्री रामललित चौधरी–

जब बजट साहित्य उपलब्ध नहीं होगा, कोई सामग्री उपलब्ध नहीं होगी तो यह बजट क्यों पास किया जा रहा है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी की मदद करें । बजट दूसरे दिन प्रस्तुत करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

नियमावली को देखें इसमें कौन-कौन साहित्य को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आज इसको स्थगित कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

अगर आवश्यक होगा अनिवार्य होगा तो उसके अनुसार कार्यवाही होगी । लेकिन अगर नियमावली में बाध्यता नहीं है तो सरकार को फिर क्या कहेंगे ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, बजट साहित्य उपलब्ध कराना होगा यह अनिवार्य होगा यह कहीं नहीं है । परम्परा यह है कि 4 दिन पहले उपलब्ध कराया जाता है ।

लेकिन जो आगामी वर्ष 1999-2000 का बजट आयेगा उसमें कुछ तो मिनिमम जानकारी उपलब्ध होगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, पहले हुकुम सिंह जी ने जाटों और मुस्लिमों की बात कहकर जातीयता का रूप यहां दे दिया अब बेचारे जाट मंत्री हैं उनका पूरा साहित्य ही गायब करा दिया और खुद ही गायब हो गये ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, बजट साहित्य मिलेगा तभी तो हमको जानकारी होगी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, बजट साहित्य की अनुपलब्धता के कारण बजट पर विचार स्थगित नहीं किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

आप हमें यह बतायें कि कौन-कौन सा बजट साहित्य उपलब्ध कराना नियमावली में अनिवार्य है ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, परम्परा में है कि बजट साहित्य उपलब्ध कराना है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आप अवगत हैं यहां ढाई मिनट में पूरा बजट बिना कटौती आदि के पारित हो गया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आपने कई बार व्यवस्था दी है कि कम से कम एक दिन पहले बजट साहित्य उपलब्ध हो जाए । इस नियमावली में इस तरह की व्यवस्था की 36 घण्टे पहले सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए । जिससे कटौती पर ठीक से विचार आ सके । मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं और आपकी दी हुई व्यवस्था है कि बजट साहित्य 24 घन्टे पहले उपलब्ध कराया जाना चाहिये । एक बार की व्यवस्था नहीं है, कई बार की व्यवस्था है । मान्यवर, राजस्व विभाग का बजट साहित्य किसी भी माननीय सदस्य को नहीं मिला है । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस बजट को स्थगित कर दें और दूसरे बजट को ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

यदि विभाग से ही उत्तर आये कि जितना साहित्य उपलब्ध कराना था, उपलब्ध करा दिया गया है, दूसरा साहित्य उपलब्ध ही नहीं कराना है, तब क्या होगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह पिछले वर्ष का है ।

श्री अध्यक्ष–

आप नियमावली को देखे, उसमें क्या है, बजट साहित्य के साथ क्या क्या साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिये । नियमावली के नियम 183, 184 और 185 को देखें । नियम 183 में हैं कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राक्कलित प्राप्तियों और देयों का विवरण ऐसे दिन पर सभा के समक्ष रखा जायेगा जो राज्यपाल नियत करें । नियम 184 है कि आय-व्ययक पर उस दिन कोई चर्चा न होगी जिस दिन वह सभा के समक्ष रखा जायेगा और नियम 185 है कि राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान के लिए कोई मांग नहीं की जायेगी शासन के प्रत्येक विभाग के लिए प्रस्थापित अनुदान के सम्बन्ध में साधारणतया एक पृथक मांग रखी जायेगी परन्तु वित्त मंत्री दो या अधिक विभागों के प्रस्थापित अनुदानों को एक ही मांग में सम्मिलित कर सकेंगे अथवा ऐसे व्यय के सम्बन्ध में जिनका सुगमतया किन्हीं विशेष विभागों के अधीन वर्गीकरण नहीं हो सकता, एक ही मांग प्रस्तुत कर सकेंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, नियमावली के नियम–185 के उप नियम–3 को देखें, इसमें है कि प्रत्येक मांग में पहले प्रस्थापित पूर्ण अनुदान का विवरण होगा और तदन्तर प्रत्येक अनुदान के अधीन सविस्तार प्राक्कलन का विवरण, जो मदों में बंटा हो, दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

जो साहित्य बंटा है उसमें ये सब बात है या नहीं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, 1999–2000 का बजट नहीं दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

इसको हम देख लेंगे । बजट के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि केवल यही पुस्तिका दे रहे हैं । आपकी बात मैं समझ गया, जो मुख्य बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें इसका उल्लेख है कि नहीं इसको मंगवा कर देखे लेता हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आप 105(3) को देख लें । इसमें दिया है कि प्रत्येक मांग में पहले प्रस्थापित पूर्ण अनुदान का विवरण होगा और तदन्तर प्रत्येक अनुदान के अधीन सविस्तार प्राक्कलन का विवरण होगा । यह कहीं हम लोगों को नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्ष–

जो बजट उस दिन प्रस्तुत हुआ था उसमें राजस्व विभाग के अनुदान अलग होंगे, उसको मंगवाकर देखे लेता हूं । उसमें अनुदान के अनुसार होगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

इसमें नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

इसको देखे लेता हूं, परीक्षण कर लेता हूं । वैसे पूर्व में व्यवस्था उठायी गयी है कि बजट साहित्य नहीं दिया गया है ।

श्री समरपाल सिंह–

जो बजट का साहित्य पहले वितरित किया गया है उसको बजट साहित्य कैसे माना जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष–

अनुदान की मांग तो अलग से प्रस्तुत होगी, यह तो करना अनिवार्य है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–11 के पृष्ठ–54 की तरफ ले जाना चाहता हूं । इसमें नियम 150(1) के संबंध में दिया गया है कि विधान सभा सदस्यों में वितरण हेतु जो साहित्य भेजा जाय उसकी 600 प्रतियां हिन्दी में आनी चाहिये । यदि वही साहित्य अंग्रेजी में भी प्रकाशित होता है तो हिन्दी की प्रतियों के अतिरिक्त 250 प्रतियां अंग्रेजी में भी भेजी जायं सरकारी विभागों को वह साहित्य जिस पर सदन को विचार करना है कम से कम 4 दिवस पूर्व विधान सभा सचिवालय को भेज देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

4 दिन पहले बजट साहित्य मिलने वाली बात पर 2 दिन पहले जब व्यवस्था का प्रश्न उठा था तो मैंने उस पर व्यवस्था दे दी है ।

मेरे पास मूल बजट आ गया है । यदि कोई आपत्ति आयी है तो परीक्षण करके आपत्ति का निस्तारण करने में कोई एतराज की बात नहीं है ।

इसमें खंड–5 के भाग (5) में पृष्ठ 284 पर दिया हुआ है । राजस्व विभाग की अनुदान संख्या–52, उसके पहले अनुदान संख्या–50 भी है । 185(3) का विवरण इसमें दिया हुआ है । पृष्ठ–235 व 236 पर है । अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग । यह पुस्तक है ब्यौरेवार अनुमान खण्ड–5 जिस दिन बजट प्रस्तुत हुआ था उस दिन यह साहित्य सभी को दिया गया था ।

* डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात बार-बार कही है कि साहित्य प्राप्त नहीं हुआ है । आज से हफ्तों पहले यह साहित्य हम सभी माननीय सदस्यों को दिया जा चुका है । माननीय सदस्य बंडल बांधकर ले गये, उसको खोलना नहीं चाहते हैं, और यहां सदन का बहुमूल्य समय अनावश्यक रूप से नष्ट करते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

जो आशय मैं समझा हूं वह उस साहित्य के सम्बन्ध में कह रहे हैं, जिसमें विभाग की अनुदान के क्रिया-कलापों व अन्य बातों का जिक्र होता है। जो बात डंग साहब कर रहे हैं वह साहित्य 19 फरवरी को बजट के समय सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध हो गया था। अनुदान मांगों के सम्बन्ध में जो साहित्य मिलता है उसके सम्बन्ध में यहां बात आयी है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

सवाल यह उठाया गया कि कहां-कहां खर्च करना है, ब्यौरेवार उसका विवरण नहीं मिला। क्रिया-कलाप के बारे में कोई बात नहीं कही गयी। मान्यवर, अभी 1999-2000 का कोई क्रियाकलाप हुआ ही नहीं। बजट के समय मंत्री जी का जब भाषण होगा तो उसमें सारी बात आ जायेगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि अभी परसों जब स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण का बजट आया था तो आपने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को यहां उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

श्री अध्यक्ष–

मैंने निर्देश नहीं दिया था मैंने यह कहा था कि "क्या स्वास्थ्य सचिव को बुलाया जाये।"

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आज तो उससे भी ज्यादा गम्भीर मामला है। आप संज्ञान में लें।

श्री अध्यक्ष–

जहां विभाग यह कहता है कि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा साहित्य देना ही नहीं तो आप क्या साहित्य देने के लिए बाध्य कर सकते हैं?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह 1998-99 का साहित्य क्यों दिया?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपके संरक्षण में हम लोग प्रायः यह देखते चले आ रहे हैं। यह सदन नियमों से, नियमावली और आपके निर्देश और परम्पराओं से चलता है। हम लोगों की मंशा यह कतई नहीं है कि किसी प्रकार से माननीय राजस्व मंत्री पर कोई छिद्रान्वेषण किया जाये लेकिन नई परम्परा बनने जा रही है कल हमारी सरकार बनती है तो हम कोई साहित्य नहीं बंटवायेंगे, दूसरे लोग भी इसका अनुसरण करेंगे। बिना बजट सामग्री बंटवाये ही बजट पास करवायेंगे। यह नई परम्परा की शुरूआत आपके दिशा निर्देश में हो रही है। मान्यवर, कार्य संचालन नियमावली के नियम 185(3) में स्पष्ट है कि प्रत्येक मांग में पहले प्रस्थापित पूर्ण अनुदान का विवरण होगा और तदन्तर प्रत्येक अनुदान के अधीन सविस्तार प्राक्कलन का विवरण, जो मदों में बंटा हो, दिया जायेगा। सीधे-सीधे यह स्पष्ट करना है कि हर अनुदान का अलग-अलग विश्लेषण और अलग-अलग मदों का स्पष्टीकरण युक्त साहित्य होना चाहिए जो माननीय सदस्यों के पास प्रेषित किया जाना चाहिए और उसके बाद ही माननीय सदस्य चर्चा में विधिवत भाग ले सकेगा। अध्यक्ष जी अगर आप निर्देश दे देंगे तो हम तो मुहजबानी अपनी बात रख लेंगे लेकिन आगे जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी बिना बजट साहित्य वितरित किए बजट पास करवाऐंगे। इस तरह से एक नई परम्परा डाली जा रही है। राजस्व मंत्री को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि जो भूल हुई है उसको ठीक कर लें। 24 तक सदन चल रहा है आप निर्देश दे दें किसी दूसरे दिन यह बजट प्रस्तुत हो जाए जिससे सभी माननीय सदस्य भाग ले सकें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

हमारे विद्वान साथियों ने कहा है कि अगर बजट साहित्य उपलब्ध नहीं होगा तो नई परम्पराएं पड़ जाएंगी। बजट साहित्य होना चाहिए। ताकि सदस्यों को जानकारी मिल जाए कि विभाग की क्या रूप रेखा होगी, क्या उसके उद्देश्य हैं। यह पुस्तक जो बांटी गई है राजस्व विभाग के क्रिया-कलाप 1998-99 इसको आप देख लें। आपने इसको नहीं देखा है। यह विषय सूची आप देख लें विषय सूची में नम्बर एक से तेरह तक इसके विवरण दिए गए हैं किस-किस योजनाओं के लिए किस-किस काम के लिए

विभाग के पास उत्तरदायित्व है । नई-नई योजनाओं का विभाग ने उल्लेख किया है । अब कोई उपकरण इस तरह का इजाद नहीं हुआ है जिसके द्वारा आप बिना पढ़े ही सारी जानकारी प्राप्त कर लें । नियमावली के नियम 185 (3) का बार-बार उल्लेख किया जा रहा है इसको आप पढ़ लें मैंने पढ़ा है । इसमें है कि प्रत्येक मांग में पहले प्रस्थापित पूर्ण अनुदान का विवरण होगा और तदन्तर प्रत्येक अनुदान के अधीन सविस्तार प्राक्कलन का विवरण जो मदों में बंटा हो, दिया जाएगा । यहां मांगों का आशय उन मांगों से है जो विधान सभा में प्रस्तुत करती हैं अब या तो विभाग सभी मांगों को जोड़कर प्रस्तुत कर लें । या हेड वाइज विवरण दे । आप कार्य सूची के मद संख्या 9 (1) से लेकर (3) तक देख लें तीन मदें अलग-अलग राजस्व द्वारा रखी गई हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय मंत्री जी कार्य-सूची को बजट सामग्री के रूप में पेश कर रहे हैं । कार्य-सूची बजट सामग्री नहीं हो सकती है ।

श्री हुकुम सिंह–

नियम 185 में मांगें किस प्रकार प्रस्तुत करेंगे, यह है । बजट साहित्य से मतलब 185 में नहीं है ।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

यहां पर यह शिकायत आयी कि स्वास्थ्य विभाग का साहित्य समय पर नहीं आया, तो वह शिकायत अपनी जगह पर सही थी परन्तु क्या आना चाहिये, यह एक अलग विषय है । जिस विभाग का जो कार्य क्षेत्र होता है, जो कार्य प्रणाली होती है, उसे वह अपने तरीके से संकलित करके भेजता है । हो सकता है वह एक किताब में हो, दो किताब में हो या 10 किताब में हो । इस विभाग के कार्यक्षेत्र में जो जानकारी थी, वह उपलब्ध करा दी गई । नियम 185 (3) का पूरा कम्प्लायन्स करा दिया गया है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

1998-99 का जो यह बजट पुस्तिका वितरित की गई है ।

श्री अध्यक्ष–

यह बजट नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यदि यह बजट नहीं है तो बजट सामग्री के नाम पर क्या उपलब्ध कराया गया है, यह आप बता दें ? क्या बिना बजट सामग्री के वितरित हुए बजट पर चर्चा कराना समीचीन होगा ? इसलिये इस पर आप व्यवस्था दे दें ताकि आगे आने वाली सरकारें उसका अनुपालन करती रहें । यह चिन्ता मेरी नहीं, माननीय सदस्यों की चिन्ता है । विशेष रूप से यह चिन्ता आपके पीठ की है । इस पीठ से आज तक जो परम्परा रही है, वह अबाध गति से चलती रही हैं । यदि इस प्रकार से उनको ध्वस्त किया जायेगा तो ठीक नहीं होगा । यह कोई हंसी-मजाक नहीं है । यह इस सदन की गरिमा, पीठ की गरिमा, इसके कार्य कलाप और परम्पराओं से जुड़ा हुआ है । इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जिस पुस्तिका का माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी हवाला दे रहे हैं, आप उसे देखें । उसमें लिखा है "आय-व्ययक कार्यकलाप 1998-99" और हेडिंग में लिखा है "राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का अद्यावधिक विवरण "। आगे क्या है, इसका विवरण नहीं है । इसलिये इसके बारे में हमारा ज्ञानवर्धन कर दें । माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी इसे गलत नहीं मान रहे हैं और यह नहीं कह रहे हैं कि साहित्य का विवरण वितरित नहीं किया गया है । यह एक गलत परम्परा कायम कर रहे हैं और गलत परम्पराओं का हवाला देकर गलत तथ्यों की पुष्टि करना चाहते हैं । यदि साहित्य नहीं बंटा था तो माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी आपसे अनुज्ञा लेकर बजट प्रस्तुत कर देते ।

उसमें हमको कोई आक्षेप नहीं था । इस तरह की बात करके हम लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं । पूरे सदन को भ्रमित करना चाहते हैं, यह उचित नहीं है । आज तक ऐसा नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।

(श्री बी० आर० वर्मा के खड़े होने पर)

कहिए वर्मा जी आपको क्या कहना है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, अभी जब एक दिन यह प्रकरण सदन के सम्मुख आया था और माननीय अशोक बाजपेयी जी ने उठाया था उस समय आपने इस सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिये और इस सदन की गरिमा अक्षुण रखने के लिये आपने महसूस किया था और कहा था कि प्रमुख सचिव स्तर तक के अधिकारी को सदन में भी तलब किया जा सकता है । मान्यवर, आज इतना गम्भीर बिन्दु है कि बजट प्रस्तुत होने का समय आ गया है और बजट साहित्य अभी तक नहीं मिल पाया है । यह जो एक याचिका मिली है उसमें कार्य कलाप दिये हैं 98-99 के । यह बजट साहित्य नहीं है । बजट में क्या होगा उसका नियमावली में बिन्दुवार उल्लेख है कि उसमें किस तरह से अनुदान वार प्राक्कलन दिया होगा ।

मान्यवर, यह प्रश्न सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़ा नहीं है यह इस सदन की गरिमा से सम्बन्धित है । कभी किसी बिन्दु पर सदन लचीला होता गया जिसकी परिणति यहां तक पहुंची है कि जो बजट साहित्य चार दिन पूर्व मिल जाना चाहिए था वह बजट के दिन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अगर आप इसे कठोरता से नहीं लेंगे तो यह दिन भी देखने को मिलेगा आगे आने वाले दिनों में कि बजट पास हो जायेगा और दो-दो महीने तक बजट साहित्य नहीं मिलेगा । बजट साहित्य नाम की चीज इस सम्मानित सदन के सम्मुख नहीं आयेगी । मैं आपसे और सदन से अनुरोध करूंगा कि यह सत्ता पक्ष का और विपक्ष का सवाल नहीं है नियमावली के प्राविधानों को लागू करने के लिये, संविधान में दिये गये व्यवस्था के अनुसार सदन चलाने के लिये सर्वसम्मति से एक निर्णय आपकी पीठ से हो जिससे कि फिर आने वाले दिनों में किसी की जुर्रत न हो इस सदन की गरिमा पर खरोंच लगाने की । चाहे जैसा हो, चाहे स्थगित करना पड़े नेता पक्ष और नेता विपक्ष को बुला लें अपने चेम्बर में बैठकर तय करें । न मैं सर्वोच्च हूं, कोई व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है, न सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति सर्वोच्च है, सदन सर्वोच्च है । सदन की गरिमा पर खरोंच आ रही है इसको बचाने का उपाय आप निकालेंगे । मैं चाहूंगा कि सरकार की यह जो हठधर्मिता है कोई और रूप में न लें । विवाद का बिन्दु न बने । किसी की प्रतिष्ठा से न जोड़कर इस सदन की गरिमा को ध्यान में रखकर आपकी रहनुमाई में कार्य हो ताकि आने वाले दिनों में सदन की गरिमा पर खरोंच न लगे ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, कुछ आशंकायें जाहिर की गई । यह जो पत्रिका दी गई है उसमें भी विवरण दिया गया है । साहित्य बहुत पहले पहुंचा दिया गया है हो सकता है कि किसी गलती से भूलवश यह घर से न लाये हों तो मंगवा लें । बाकी जो कार्य कलाप हैं वह कल दे दिये गये हैं । इसमें किसी बहस या शंका की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए । इसमें इतना है कि यह भूल हो गई है कि यह घर में भूल गये हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि आप संतुष्ट हों तो मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री राम जग–

मान्यवर, यह सत्ता पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है यह सदन की गरिमा का सवाल है और हम सबको विश्वास है आप विद्वान व्यक्ति हैं । आप इस बात को समझ रहे हैं कि 1999–2000 का बजट पेश हो रहा है अभी तक यह हम लोगों के सामने नहीं आया है कि किन-किन मदों पर यह क्या कर रहे हैं ? सबसे बड़ी बात यह है कि संसदीय कार्य मंत्री जिस गैर संसदीय परम्परा की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक परम्परा होगी । यह जो गलत परम्परा प्रारम्भ होने वाली है । मान्यवर, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप इस परम्परा को शुरू नहीं होने देंगे । आने वाले दिनों में संसदीय परम्परा में यह अच्छी बात नहीं होगी । राजस्व विभाग का बजट पेश होना है और कोई साहित्य, कागजात नहीं मिले हैं ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि पहले दिन दे दिये गये हैं । अगर उसे ही बजट मान लिया जाय तो प्रतिदिन यहां पर देने का कोई औचित्य ही नहीं है । बजट साहित्य और कार्य कलाप देखकर ही हम जानते हैं कि विभाग का क्या लक्ष्य है । क्या मंशा है, विभाग क्या करना चाहता है हम उसी के आधार पर अपना भाषण तैयार करते हैं, मान्यवर, जैसा कि नियमावली में व्यवस्था है कि चार दिन पूर्व बजट सामग्री माननीय सदस्यों को मिल जाय । जिससे सदस्य यहां पर तैयारी करके आयें विधान सभा में सार्थक बहस कर सकें ।

श्री अध्यक्ष–

आज सदन में कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति की कि राजस्व विभाग का बजट साहित्य उन्हें नहीं मिला है और जो मिला भी है तो वह केवल एक पुस्तक है, जिसका शीर्षक है "राजस्व विभाग के कार्यकलाप 1998-99" माननीय राजस्व मंत्री ने यह सूचित किया कि बजट साहित्य का जहां तक प्रश्न है इसके अतिरिक्त दूसरा बजट साहित्य देना प्रस्तावित नहीं है । नियम 185 के उपनियम (3) के आधार पर आपत्ति की गयी कि इस पुस्तक में जिसमें राजस्व विभाग के क्रिया कलाप का 1998-99 का उल्लेख है वर्ष 1999-2000 के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।

वर्ष 1999-2000 का बजट इस सदन में 19 फरवरी, 1999 को प्रस्तुत हो चुका है उसमें जो बजट का साहित्य उपलब्ध कराया गया उसके खण्ड–5, भाग–5 में राजस्व विभाग के अनुदान संख्या–50, 51, 52, खण्ड–3 में राजस्व विभाग की अन्य प्रस्तावित मांगों के सम्बन्ध में पूरा विवरण दिया है, उदाहरण के लिए खण्ड–5 के पृष्ठ संख्या–235 पर अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग जिला प्रशासन का विवरण दिया गया है और इस विवरण में अनेक बातों को दिया गया है कैसे, कब, कहां पर कितनी धनराशि की मांग की गयी है इसका ब्यौरा दिया गया है । पृष्ठ 237 पर दिया गया है कि राजस्व लेखा 2053–जिला प्रशासन में कहां-कहां व्यय करना अनुमानित है, कितना आयोजनागत है, कितना आयोजनेत्तर है आदि का ब्यौरा दिया गया है । पुनरीक्षित वेतनमान कितना है इसके वास्तविक आंकड़े हैं अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान कितना है कलेक्टरी स्थापना, वेतन, मजदूरी, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय आदि के बारे में पूर्ण विवरण दिया गया है । विधायकों को साहित्य 19 फरवरी, 1999 को उपलब्ध कराया गया वही है, इसके अतिरिक्त खण्ड–6 में भी विभिन्न राजस्व और अनेक मदों का उल्लेख किया गया है । जहां तक बजट की बात है बजट नियम 185 के उप नियम–3 का अनुपालन करते हुए व्यवहारिक दृष्टि से यह तय किया गया कि प्रत्येक विभाग विधान सभा के सदस्यों की सुविधा के लिए और माननीय सदस्य अपने भाषण को अच्छी तरह तैयार कर सकें इसलिए उन्हें पूर्ण आंकड़े उपलब्ध करायें, इसलिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियां उपलब्ध कराते हैं, कुछ विभाग प्रचुर मात्रा में सामग्री

उपलब्ध कराते हैं कुछ कम कराते हैं, राजस्व विभाग की मांगों के बारे में राजस्व मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है । जो पुस्तिका इन्होंने दी है राजस्व विभाग की "राजस्व विभाग के 1998-99 के कार्य-कलाप" इसके अतिरिक्त इन्होंने कोई अन्य साहित्य उपलब्ध नहीं कराया है । नियम 185 के उप नियम–3 में आपत्ति की गयी है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है । 19 फरवरी, 1999 को जो बजट प्रस्तुत हुआ वह सारे विवरण दिये गये हैं इस विभाग की सम्बन्धित सामग्री और उपलब्ध करा दी गयी होती तो माननीय सदस्यों को और सुविधा होती । इस सम्बन्ध में पहले एक व्यवस्था दी जा चुकी है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का सम्बन्धित संकलन मार्च, 1969 से 30 दिसम्बर, 1978 के खण्ड–276 से 336 तक के पृष्ठ 50 पर इस बात का उल्लेख है कि बजट साहित्य समय पर वितरित किया जाना चाहिए लेकिन उसके बिना भी अनुदान प्रस्तुत किया जा सकता है । 8 अप्रैल, 1975 को श्री जगदीश शरण अग्रवाल जी जब अपने विधायक की अनुदान मांगें प्रस्तुत करने जा रहे थे तो श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी ने कहा था कि विभागीय कार्य कलाप सम्बन्धी सामग्री किसी दिन साढ़े दस बजे तक नहीं मिली है, तो अध्यक्ष ने कहा था कि आज 10.50 पर हमारे कार्यालय में साहित्य मिला है । मैं यह समझता हूं कि साहित्य न हो तो बात दूसरी है लेकिन पुराने वर्षों में साहित्य बिना भी काम चला है । जबकि साहित्य एक दिन पहले मिलना चाहिए जिससे सदस्यगण उसका उपयोग उस दिन यदि साहित्य मिला है तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मंत्रीगण इसका ख्याल रखेंगे, ऐसी व्यवस्था तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने दिया था ।

सभी माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि दिनांक 8 मार्च, 1999 को हमने यह अपेक्षा अपनी व्यवस्था में किया था कि बजट साहित्य समय से उपलब्ध करा दिया जायेगा । इस सम्बन्ध में अनेक बार सदन में व्यवस्थायें दी जा चुकी हैं । मुझे लगता है नियम में अपवाद स्वरूप कहीं उल्लंघन हो जाय तो अलग बात है लेकिन विशेष परिस्थिति में नियमों को शिथिल किया जा सकता है किन्तु इसकी परम्परा ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे संसदीय परम्पराओं और लोकतन्त्र के संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो । इसलिए बजट साहित्य को उपलब्ध कराने के साथ-साथ और सुविधायें भी साहित्य के रूप में माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराना चाहिए जिससे बजट चर्चा में माननीय सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हो सके । इसलिए मैं समझता हूं कि शासन को इसकी चिन्ता करनी चाहिए । सभी सरकारों के लिए चिन्ता का विषय है क्योंकि बजट साहित्य समय से उपलब्ध नहीं कराया जाता है । अतः इसको सुनिश्चित कर लें कि सभी विभाग सम्बन्धित बजट साहित्य नियमानुसार समय से उपलब्ध करायें । इसी के साथ मैं इस आपत्ति को निरस्त करता हूं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह राजस्व विभाग का प्रकरण था । मैं जानना चाहता हूं कि आगे से जो आपने उद्धरण प्रस्तुत किया है कि बजट साहित्य के बिना अनुदान मांगें प्रस्तुत की जा सकती हैं और आपकी पीठ का निर्देश है तो मान्यवर, आज जो प्रकरण चल रहा था उसमें जितनी सामग्री दी गयी है उसके होने से ही भविष्य में हर विभाग के लिए एक उदाहरण बनेगा और विभाग ने जितनी सामग्री दिया है उतनी ही हर विभाग के लिए सामग्री पर्याप्त होगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

आपत्ति में दो प्रश्न थे । क्या नियमावली में इस बात का प्राविधान है कि क्या-क्या साहित्य दिया जाय ? दूसरी नियमावली में यदि प्राविधान होता तो साहित्य का विवरण दिया जाता । लेकिन तर्क के लिए इन्हें कोई साहित्य उपलब्ध नहीं कराना है और जो आय-व्ययक में आ गया है उतना ही है । हम बाध्य नहीं कर पायेंगे । इसलिए मैं चाहता हूं कि विधान मण्डल के अन्दर एक सकारात्मक बजट पर

चर्चा हो इसलिए साहित्य उपलब्ध कराया जाता है। मैं नियम समिति की बैठक में इस बात को रखूंगा कि न्यूनतम साहित्य क्या हो ? इस पर हम नियम समिति में विचार करेंगे।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जब आपकी व्यवस्था आ गयी है तो फिर यह आदान प्रदान क्यों ? एक ओर तो यह कहा जाता है कि सदन नियमों से चलेगा तो नियम कुछ तो होंगे।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मान्यवर, हर बार बजट साहित्य के साथ सांख्यिकी डायरी दी जाती है अबकी बार यह उपलब्ध नहीं करायी है। आपको स्मरण होगा चौधरी चरण सिंह जी के जमाने में जब तक यह सांख्यिकी डायरी उपलब्ध [illegible] गयी तब तक बजट प्रस्तुत नहीं हो सका था। अगर यही लचीला रुख आप अपनाते रहेंगे तो इस सदन का कोई मतलब नहीं रह जायेगा इसलिए मैंने यह चिन्ता जतायी थी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपके जो भी निर्देश हैं वह शिरोधार्य हैं। मैं आपकी इस नियमावली के तहत अपनी शंका का समाधान करना चाहता हूं। आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं और विद्वान भी हैं। अगर 19 तारीख को जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसी को बजट सामग्री मान ली जाय तो नियमावली में जो निर्देश हैं.....

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मुझे आपत्ति है। आखिर कहीं न कहीं तो इसका अन्त होना चाहिए।

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला)–

मान्यवर, आपने अपनी व्यवस्था में इंगित कर दिया है और उसके बावजूद माननीय नेता बसपा अपनी बात कहे जा रहे हैं, नियमावली का हवाला दिये जा रहे हैं। आपने सरकार को निर्देशित कर दिया है और यह भी बता दिया है कि बजट साहित्य का मतलब क्या होता है उसके बावजूद भी कहे जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायें मैं मद संख्या–9 ले रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह सदन नियमों से चलता है। इसमें यह है कि बजट प्रस्तुत करने से चार दिन पहले बजट सामग्री दी जानी चाहिए। जो यह चार दिन का प्राविधान है वह किसलिए है। 18 तारीख को अगर बजट सामग्री मान ली जाय तो चार दिन पहले जो किया गया है वह क्यों किया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

उनसे पूछना पड़ेगा जिन्होंने प्राविधान किया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर बजट साहित्य हमको अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। जो नियमावली में प्राविधान है उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए इसके विरोध में मैं और मेरा दल, सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के साथ सदन का त्याग करके चले गये)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान—अनुदान संख्या—51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या—52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या—50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,07,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,07,96,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,78,52,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(इस समय 2 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश के करीब 80 प्रतिशत गांव के गरीब, किसान और मजदूरों के विकास और उनकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ विभाग है यह एक तरह से शासन की रीढ़ है । किसानों के पीछे जो बहुत सी समस्यायें चली जा रही थीं उन समस्याओं के समाधान के बारे में जो हमने किया है वह सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा । मान्यवर, लेखपाल के पास, नायब तहसीलदार, तहसीलदार के पास जब किसान अपनी खसरा-खतौनी के लिए जाता था तो उसे बड़े चक्कर लगाने पड़ते थे । हमने किसान बही को एक विधिक मान्यता दी है । मुझे कहने में हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के समस्त कास्तकारों को केवल ऐसे किसान, जहां चकबन्दी चल रही है या सर्वे कार्य चल रहा है के अलावा हमने 2,41,25,262 किसान बहियां उपलब्ध करा दी हैं ।

मान्यवर, इसी तरह से धारा 33 और 34 के मामलों में विरासत के मामलों में जो शोषण होता था उसमें समस्या का समाधान करते हुए आज हमने यह प्राविधान किया है कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे वारिस के नाम की सूचना होने पर 35 दिन में उसकी कार्यवाही पूरी कर ली जाती है । उत्तर प्रदेश में एक भी मामला ऐसा नहीं मिलेगा जो न हो । इसी तरह से बैनामों के मामले में भी चक्कर लगाने पड़ते थे आज जो हमने व्यवस्था की है जो हमने महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि जिस रोज बैनामी होती हैं उसी रोज तहसीलदार के यहां उसकी फोटो स्टेट कापी चली जाती है । और तहसील में जाने के बाद तहसील अधिकारी उसी रोज धारा 34 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लेता है और उसके 3 दिन में इश्तहार हो जायेगा, 15 दिन के लिए इश्तहार होगा, इस दौरान लेखपाल को जो कार्यवाही करनी हो वह करेगा, उसके बाद 35 दिन के अन्दर दाखिल खारिज हो जायेगा, किसी किसान को अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है । हमने पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था लागू कर दी है और मैं बड़े फक्र के साथ निमंत्रित कर रहा हूं, सभी माननीय सदस्यों को, कि यदि उनके पास कोई भी व्यक्ति आता है, जो यह बता दे जिसमें विवाद न हो और उसका दाखिल-खारिज 35 दिन के अन्दर न हुआ हो, तो चाहे नायब

तहसीलदार हो, तहसीलदार हो, वह अपनी कुर्सी पर सुरक्षित नहीं रहेगा, जिसने भी ढील बरती, उसको हमने दण्डित किया है । यह बात मैं केवल छपने के उद्देश्य से नहीं कह रहा हूं बल्कि इसको लागू भी कर दिया है । यह मेरा चैलेन्ज है । हमारी सरकार किसानों, गरीबों, मजदूरों की संवेदनशील सरकार है और हमने इसीलिए धारा 33-34 के अन्तर्गत विशेष रूप से अभियान चलाया है और अभियान चलाकर अनेकों मुदकमें तय किये हैं, आज कोई मुकदमा पुराना पेंडिंग नहीं है ।

मान्यवर, यह वर्ष महिला वर्ष के रूप में चल रहा है, आप लोगों को भी जानकारी होगी कि इसी सदन में एक विधेयक पारित हुआ था और मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि यह प्रदेश सौभाग्यशाली है, जहां पूरे भारतवर्ष में पहली बार कृषि योग्य भूमि में महिलाओं को अधिकार दिया गया है और अन्य प्रदेशों से इस बारे में उत्तर प्रदेश को बधाइयां मिल रही हैं, यह हमने क्रान्तिकारी कदम उठाया है । इससे पहले आप सभी को जानकारी होगी कि जब कोई महिला विधवा हो जाती थी और उसका बेटा जमीन बेचकर बाहर चला जाता था तो मैंने औरतों को भीख मांगते हुए देखा है, शाक्य जी बैठे हैं, उन्होंने भी देखा होगा । इसी के नाते महिलाओं को कृषि योग्य भूमि में अधिकार दिया गया है । इस क्रान्तिकारी कदम से महिलाओं का जीवन सुरक्षित रहेगा । एक और इस महिला वर्ष की विशेष उपलब्धि है, जिसे भाजपा की कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है, यह काम हुआ है कि महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है । मैं आप सभी को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने राजस्व विभाग में इस 20 प्रतिशत आरक्षण को अवश्य पूरा करेंगे और शत-प्रतिशत लागू करेंगे ।

मान्यवर, हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए है, उनका उत्थान कैसे हो, उनको शोषण से कैसे बचाया जाय, भूमि आवंटन के मामले हों, चाहे कृषि योग्य भूमि आवंटन का मामला हो, चाहे कुम्हारीकलां का मामला हो, चाहे मछली का तालाब आवंटन का मामला हो, सभी को आवंटन किया गया है । अब तक जो भू-माफिया जमीनों पर कब्जा किया करते थे, पट्टेदारों को कब्जा नहीं दिया करते थे, 10-10 साल तक लोगों को जमीन का हक नहीं मिल पाता था । मैंने मौके पर जाकर देखा है, जिन लोगों को पट्टे दिये गये हैं, जिन कमजोर और गरीब लोगों को पट्टे दिये गये हैं, इनको मौके पर कब्जा दिला दिया गया है ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं । चकबन्दी में जो जमीन आरक्षित हो गयी थी, चाहे वह खलिहान के लिए हो, चाहे वह चकरोड के लिए और चाहे अन्य किसी प्रयोजन के लिए हो, उसको उस गांव के प्रभावशाली लोग कब्जा कर लेते थे । मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी भूमि पर अवैध कब्जा था, उसको हटाया गया है और जो गलत तरीके से आवंटन किया गया है, उसको निरस्त किया गया है और जिन अधिकारियों ने गलत तरीके से आवंटन किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है । इस प्रकार से हमने जमीन को छुड़ाने का काम किया है ।

मान्यवर, मैं मुकदमों के निस्तारण के बारे में कहना चाहता हूं । जिला स्तर पर, मण्डल स्तर पर और राजस्व परिषद् स्तर पर हमारा प्रयास है कि मुकदमों की संख्या कम हो और हम इस कार्य में सफलता की ओर हैं । धारा–331 और 333 के अन्तर्गत जो मामले कलेक्टर द्वारा बोर्ड को सन्दर्भित किये जाते थे, उसको समाप्त कर दिया गया है और उसके कारण राजस्व परिषद् में मुकदमों की संख्या में कमी आयी है, उसका परिणाम हमारे सामने आया है और उसके कारण अब लोगों को लखनऊ और इलाहाबाद नहीं दौड़ना पड़ेगा और उसका शीघ्र निस्तारण कैसे हो, इसका भी प्रयास किया जा रहा है और हम सफलता की ओर हैं । मान्यवर, हमने एक बात कही थी, जनता की सरकार जनता के द्वार । हमारी सरकार का प्रयास है कि हम गरीब लोगों को कैसे सस्ता न्याय दिलायें ? हमने प्रयास किया है । मान्यवर, तहसील दिवसों के माध्यम से लोगों की समस्यायें सुनी जाती हैं और उनका समाधान किया जाता है और इस प्रकार से करीब 2 लाख 45 हजार 698 शिकायतें आयीं और उनका निस्तारण किया

गया । कुछ थोड़े मामले पेंडिंग हैं उनका निस्तारण नहीं हुआ है । यह ऐसी शिकायतें हैं जिनका निस्तारण नहीं हो सकता है । मेरे सामने एक शिकायत आयी एक शिकोहाबाद की शिकायत थी जिसमें कहा गया था कि मेरे लड़के को फांसी हो गयी है माफ करा दीजिये । तो इसका निस्तारण नहीं हो सकता है । इसी तरह से कुछ शिकायतें ऐसी थीं जो अनेक विभागों से सम्बन्धित थीं, ऐसी शिकायतों को छोड़कर अन्य शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है । सरकार ने थाना दिवस की योजना बनायी । हमने इस सम्बन्ध में व्यवस्था की है कि जो शिकायतें तहसील दिवस पर आती हैं यदि वह पुलिस से सम्बन्धित हैं तो ऐसी शिकायतों को इक्ट्ठा किया जायेगा और तहसीलदार शिकायतकर्ता को डेट बता देंगे कि अमुक थाना दिवस पर पहुंचेंगे आप वहां पर आयें और शिकायतों का निस्तारण कराया जाता है ।

श्री स्वामी ओइमूवेश–

यह सिर्फ आदेश हुए हैं या लागू कर दिया गया है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

यह लागू कर दिये गये हैं, हम जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं । मान्यवर, हमारे प्रदेश में 37 जनपद ऐसे हैं जहां पर रिकार्ड आपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर 8 इकाईयां काम कर रही हैं । इस सदन में एक समस्या की ओर बार-बार कहा गया है वह यह है कि तहसीलों पर जो बन्दीगृह हैं उनकी स्थिति खराब है । यह सही बात है कि बन्दीगृहों की स्थिति खराब थी इसीलिए प्रथम चरण में 10 बन्दीगृहों को बना रहे हैं जिसमें सब प्रकार की सुविधायें होंगी धीरे-धीरे इस योजना को आगे बढ़ाया जायेगा । तहसीलों में एक समस्या अभिलेखागार की आती है । अभिलेख बहुत पुराने पड़ गये हैं उनका रख-रखाव ठीक नहीं होता है इसलिए हम बहुत से स्थानों पर जिला मुख्यालयों पर और तहसील स्तर पर जैसे-जैसे धन की उपलब्धता होती है उनका निर्माण करा रहे हैं । मान्यवर, यह दुर्भाग्य की बात है कि इस बार पूरे प्रदेश में लगभग 55 जिलों में दैवी आपदा बाढ़ का प्रकोप हुआ । इस वर्ष पहले वर्षों के मुकाबले अधिक वर्षा हुई जिससे 55 जिलों में तबाही हुई । मान्यवर, पहले यदि किसी व्यक्ति की जो कमाने वाला, कमाऊपूत होता था यदि उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसको 50 हजार रुपया दिया करते थे और बिना कमाने वाले को 25 हजार रुपया सहायता दिया करते थे । अबकी पहली बार प्रदेश में दैवी आपदा से जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके वारिसों को 50 हजार बिना कमाने वाले और कमाने वाले की मृत्यु पर 1 लाख रुपया दिया । पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा नहीं किया । यह बात सही है कि जिस परिवार में मृत्यु होती है उसकी कोई भरपायी नहीं होती है लेकिन आर्थिक सहायता देने के लिए इस सरकार ने सोचा है । जो पहले 25 और 50 हजार रुपये था उसे हमने 50 हजार और 1 लाख रुपया कर दिया । इसी तरह से जानवरों के बारे में बढ़ाया । फसलों के बारे में खासतौर से ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ उसमें जो राहत और सहयता के रूप में दिया जाता था उसको भी हमने दोगुना कर दिया है । जो पहले 500 रुपये प्रति एकड़ देते थे उसे बढ़ाकर 1,000 कर दिया गया है । जो अधिक से अधिक 2,500 रुपया देते थे हमने बढ़ाकर 5,000 रुपया कर दिया है ।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में जब बाढ़ की विभीषिका चल रही थी तो हमारी सरकार पूरी तत्परता से और इस देश के प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया । केन्द्र के मंत्री भी आये, कृषि मंत्री जी आये, इस प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी ने अनेकों दौरे किये । जहां-जहां आपदायें आयीं, हमने प्रयास किया कि उनको दूर करें । गोरखपुर और पूर्वी जनपदों में जो विपत्ति आयी हमने वहां नजदीक से जाकर देखने का प्रयास किया है और समस्या का समाधान करने का प्रयास किया । यह बात सही है कि छोटी-मोटी बातों में आम शिकायतें आती हैं । ऐसी शिकायतों के संबंध में जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं । दो-तीन प्रकरण हैं । चाहे दाखिल खारिज या दैवी आपदा सम्बन्धी मामले हैं । किसी अधिकारी कर्मचारी ने गड़बड़ करने का प्रयास किया है तो जो भी

शिकायतें मिली, हमने उसकी जांच करायी और प्रदेश में पहली बार जिन सरकारी कर्मचारियों ने लापरवाही बरती है, 1117 लोगों को निलम्बित किया गया,2006 लोगों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है। कुल 3184 लोगों को इस संबंध में दण्डित किया गया है। जब गोरखपुर में बाढ़ आयी थी तो बहुत से लोगों ने जा करके देखा होगा। सम्मानित सदन में भी चर्चा हुई थी, बाढ़ की तबाही मची हुई थी।

गोरखपुर के डी० एम० का टेलीफोन आया कि नाव नहीं है हमने कहा कि कहीं भी नाव उपलब्ध हो, तुरन्त मंगाया जाये और हमने गोरखपुर में नाव हवाई जहाज से पहुंचाये हैं। हमने खुद एक-एक स्थल पर जा करके देखा है। बाढ़ के समय हमने पैसे की कमी नहीं पड़ने दी। हमने पी० आर० 27 के अन्तर्गत डी० एम० को अधिकार दे रखा था। कन्ट्रोल रूम बना रखा था। अगर किसी तरह की आवश्यकता हुई तो हमने तत्काल उपलब्ध कराया। यह बात सही है कि बहुत नुकसान हुआ और अधिक राहत देने की बात थी। जब बाढ़ की विभीषिका से प्रदेश की जनता जूझ रही थी हमने 1500 रुपया दिया उसके बाद 1000 रुपये नकद और 500 रुपये की सामग्री भी दी। किसानों का जो राजस्व देय था हमने सारी की सारी माफ की। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों के बच्चों की फीस माफ की गई और ऐसी व्यवस्था की कि जहां पर जगह उपलब्ध थी हमने ऐसे लोगों को बसाया जो बाढ़ प्रभावित थे। किसी भी व्यक्ति की बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दवा के अभाव में मृत्यु नहीं होने दी गई। हमने स्वास्थ्य विभाग को पैसा दिया नगर विकास को 10 करोड़ रुपये दिया, पशुपालन विभाग को चारे के लिये पैसे दिये। यह बात सही है कि धन की कमी जरूर थी। उसका कारण राहत का जो पैसा केन्द्र और प्रदेश दोनों मिलकर आता है तो नुकसान इतना ज्यादा हुआ कि आंकड़े बाद को नुकसान के आये केन्द्र सरकार को डिमाण्ड भेजी गई है जैसे ही पैसा उपलब्ध होगा तत्काल खर्च किया जायेगा। जब बाढ़ आयी थी उस समय निश्चित रूप से हमने पैसे की कमी महसूस नहीं होने दी।

जिलाधिकारियों से कह दिया गया था कि आप टी० आर० 27 से पैसा उपलब्ध करायें। चकबन्दी के बारे में हमारे आजमगढ़ के सदस्य बड़े गौर से सुन रहे हैं आजमगढ़ जनपद ऐसा था जहां 1962 से चकबन्दी चल रही थी। किसी सरकार ने उसको पूरा नहीं किया। हम जब सत्ता में आये, हमने उसमें सुधार किया है और अभियान के रूप में 10 साल से पुराने चकबन्दी के मामले हैं उनको चिन्हित किया गया है हमारा प्रयास है कि ऐसे गांवों में चकबन्दी पूर्ण करा दें। 30 जून, 1999 तक ऐसे गांवों में चकबन्दी पूर्ण कराने का लक्ष्य है उन गांवों को छोड़कर जहां स्टे चल रहा है। शीघ्र आप देखेंगे कि 10 साल से पुराने गांव चकबन्दी बगैर नहीं रह जायेंगे। हम गांवों के किसानों और मजदूरों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। दूसरा अभियान पांच साल के मामलों का होगा। अब जो नये गांवों की चकबन्दी हो रही है उन प्रत्येक गांव में हम एक रिंग रोड बनाना चाहते हैं जो सेक्टर रोड होगी उस सेक्टर रोड से छोटे-छोटे चकरोड़ मिलेंगे जिससे पूरे गांव में आवागमन का साधन हो जायेगा। चाहे स्कूल के मैदान की बात हो चाहे खेल के मैदान की बात हो, चाहे अस्पताल की बात है सार्वजनिक क्षेत्र की जो उपयोगी चीजें हैं वहां कम से कम एक एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। चक बन्दी में सुधार करने का प्रयास किया गया है। यह सही है कि चकबन्दी में बहुत गड़बड़ियां थीं ऐसा हम स्वीकार करते हैं। जैसा 1962 वाली बात थी, एक बहुत बिगड़ी व्यवस्था थी और बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने में समय लगता है। मान्यवर, यही नहीं चकबन्दी के सारे रिकार्ड तक फूंक दिये गये, माफिया लोगों ने अपने नाम पर अच्छे-अच्छे चेक बना लिये और चकबन्दी रिकार्डों को फूंक दिया। चकबन्दी अधिकारी/कर्मचारी जो गड़बड़ियों में लिप्त थे उन्हें हमने दण्डित किया है। सार्वजनिक उपयोग जैसे विद्यालय आदि बनाने के लिये भूमि का जो अधिग्रहण किया जाता था और उसके बाद लम्बे समय तक किसान को पैसा नहीं दिया जाता था हमने यह तय कर लिया है कि उसे तत्काल पैसा मिले और हमने यहां तक तय कर लिया है कि 30 दिन के अन्दर उसे पैसा देना पड़ेगा। मैंने ये मोटी-मोटी बातें बतायी,

भाषण की बात नहीं है हमने करके दिखाया है । विशेष रूप से राजस्व विभाग गरीब, मजदूर और किसानों से सम्बन्धित विभाग है, कोई आलोचना और समालोचना की बात नहीं है । आओ, हम सब लोग गांव के गरीब, मजदूर और किसान के समस्याओं का समाधान करें । मुझे खुशी होगी कि माननीय सदस्य के अच्छे सुझाव आयेंगे तो उन्हें सम्मिलित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी । इन्हीं शब्दों के साथ मै सभी माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि वे अपने अच्छे सुझाव हमें देंगे । धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम औतार शाक्य जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने काफी लम्बा चौड़ा भाषण दिया और उस लम्बे चौड़े भाषण में अगर पिछले वर्ष 98-99 का बजट भाषण निकाल लिया जाय बाढ़ के प्रकरण को छोड़कर बाकी कोई ऐसी नई बात नहीं कही जो आज इस सदन में 1999–2000 वर्ष के लिये बजट रखा उससे इस प्रदेश की गरीब केसान जनता को कोई सन्देश जाता । यह यथावत् वाद को कायम रखना चाहते हैं । परिवर्तन नहीं चाहते हैं । रुपये इनके पास है नहीं । इनके पास कोई इच्छा शक्ति, महत्वाकांक्षा भी नहीं है । इसलिए जो घिसी पिटी बातें कही हैं उनको मैं बिन्दुवार आपके सामने रख रहा हूं । मान्यवर, आपने खसरा खतौनी की बात कही कि हमने जोत बही डलवा दी है और खसरा खतौनी की सुविधा किसानों को हो गई ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि खसरा अलग चीज है, खतौनी अलग चीज है । खतौनी 6 वर्ष के लिये होती है । जोत बही एक रिकार्ड आफ राइट होता है । एक [illegible] का दस्तावेज होता है किसान के पास होता है उसके पास खसरा नहीं होता । माननीय मंत्री जी [illegible] भाषण में सुधार कर लें । खसरा नहीं होता है वह प्रत्येक वर्ष लेखपाल के पास रहता है और हर [illegible] तैयार किया जाता है और खसरे का फर्द लेने के लिये लेखपाल के चक्कर काटने पड़ते हैं। जहां तक खतौनी की बात है खतौनी में मान्यवर, यह सही है कि आपने खतौनी तैयार करवाई और जोत बही तैयार करवाई । बेहतर होता कि यह स्पष्ट आंकड़े सदन के सामने रखते कि उन खतौनियों को तैयार करवाने में राजस्व विभाग का कितना रुपया खर्च हुआ और उसका कितना उपयोग होगा । जब [illegible] पत्र अदालत में जाता है उसके बाद दाखिल खारिज होता उसके बाद नामान्तरण रिकार्ड आफ [illegible] खतौनी में दर्ज होता है । जोत बही में ऐसा प्राविधान नहीं है कि उस जोत बही में नामान्तरण हो [illegible] । अगर ऐसी व्यवस्था करते कानून में परिवर्तन करते कि यह बाध्यता होगी लेखपाल की,

तहसीलदार की कि जो नामान्तरण खतौनी में किया जाता है उसके अनुसार जोत बही में भी किया जाता है तो खुशी होती । इस तरह के कोई सुधारात्मक सुझाव या प्लान माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत नहीं किये हैं ।

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जिस तरह से आ० प० 45 में स्थायी बन्दोबस्त रेवेन्यू रेकार्ड में है। 1280, फ में और उसके बाद 1308, फ उसके बाद 1347, फ उसके बाद चकबन्दी का है । यह परमानेन्ट रिकार्ड होता है यह रिकार्ड रूम में जमा होता है और वहां जाकर उसकी कोई सर्टिफाइड कापी ले सकता है । मेरा एक सुझाव है मंत्री जी मान लें इस तरह से तहसील स्तर पर खसरा खतौनी के लिये काउन्टर बनवा दें । लेखपाल के पीछे ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे । इन काउन्टर्स पर खसरा खतौनी की कापी करेन्ट फीस जमा करके प्राप्त कर सकते हैं । यदि यह कर सकें तो बहुत अच्छा होगा । इसी तरह से आपने विरासत की बात कही । आपने मुझे चुनौती भी दी । हम चुनौती देने के आदी नहीं हैं लेकिन स्वीकार करते हैं आप तहसील भोगांव में मुआयना कर लें । दो तरह से दाखिल खारिज हैं । एक तो वसीयत के आधार पर और दूसरा मृत्यु के आधार पर होते हैं । दूसरी तरह के दाखिल खारिज वह हैं वसीयतनामे, बेनामे के आधार पर हुए हैं । जो विरासत के आधार पर दाखिल खारिज होते हैं उसमें तो कोई विवाद नहीं है लेकिन जो दूसरे अविवादित होते हैं वह गांव में दाखिल खारिज होते हैं इसमें मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं एक गांव कोई जाकर देख लें भोगांव में देख लें कितने दाखिल खारिज शेष हैं अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुए हैं आपने चुनौती दी है मान्यवर, जो विक्रय पत्र होते हैं उसकी भी प्रमाणित कापी दाखिल खारिज के लिये देनी होती है धारा 34 के अन्तर्गत दाखिल खारिज होता है धारा 34 लैण्ड रेवेन्यू के आधार पर होती है । मान्यवर, कामन सेंस की बात है केवल फोटो स्टेट के कागज पर कोई दाखिल खारिज हो सकते हैं ।

मान्यवर, इण्डियन एवीडेंस एक्ट में है कि मूल दस्तावेज के बिना कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है । लिहाजा उस मूल कागज को भी लगाना पड़ता है आप चुनौती की बात करते हैं मैं चुनौती नहीं देता लेकिन हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं जो कानूनन है जमींदारी विनाश उन्मूलन उसमें यह है कि साढ़े 12 एकड़ से ज्यादा काश्तकार के पास यदि जमीन है तो वह अपने हक में दाखिल खारिज नहीं कर सकता है सेल डीड हैवेन्स की कापी होती है एक शपथ पत्र दाखिल खारिज करना पड़ता है साढ़े 12 एकड़ से ज्यादा जमीन नही है तो ठीक है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कानून बनाना तो बहुत सरल है । सन् 1872 में एवीडेंस एक्ट बना उसके बाद पार्लियामेंट, असेम्बली में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कानूनों को बदल लें, चौधरी चरण सिंह उस समय इस सदन में मुख्य मंत्री थे उन्होंने जमींदारी विनाश अधिनियम को लागू किया । भूमि सुधार की अच्छी व्यवस्था की थी आज भी हम उनको याद करते हैं । उसके बाद अच्छी स्थिति नहीं रही । नियम कानून के अन्दर दाखिल खारिज होता है ।

मान्यवर, विवादों की बढ़ोत्तरी हुई है साढ़े 12 एकड़ के लिये शपथ पत्र दाखिल करना होता है इसमें प्रक्रिया बहुत लम्बी है । श्रीमन्, जो सेल डीड रजिस्टर होता है साढ़े 12 एकड़ के लिये शपथ पत्र लगायेंगे । अगर सेल डीड की नियत रखते हैं तो आपको यह करना चाहिए कि फोटो स्टेट की कापी पर्याप्त है तब तो कोई राहत मिल सकती । इसमें जो आपने किया है उससे लगता है कि आपकी मंशा साफ नहीं है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 33 और 34 की बात किया है । मंत्री जी योग्य हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 33 करेक्शन आफ पेपर्स के सम्बन्ध में है । धारा 34 दाखिल खारिज के बारे में होती है। धारा 33/39 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत केवल गलती को सुधार के लिये वाद लाया जाता है । धारा 33/39 में जो वाद चलता है उसकी अपील बोर्ड आफ रेवेन्यू तक होती है । बोर्ड आफ रेवेन्यू के बाद फैसला धारा 239 में होता है । इस तरह डुप्लीकेशन होता है । इसी तरह धारा 34 में दाखिल खारिज

के मुकदमें तहसीलदार, एस० डी० ओ०, कमिश्नर और उसके बाद बोर्ड आफ रेवेन्यू के पास तक जाते हैं। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट तक भी मुकदमें चले जाते हैं। इस तरह इसमें भी डुप्लीकेसी होती है जिससे किसानों का शोषण होता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कोई काश्तकार धारा 229 (बी) में मुकदमा दायर करता है और फिर धारा 34 का वाद करता है और मुकदमें तय नहीं होते हैं तो धारा 229 एप्लाई नहीं करती है। इस तरह से इस विसंगति को आपको दूर करना होगा।

मान्यवर, धारा 33/39 में जो किसानों का शोषण होता है और न्यायालय में समय बर्बाद होता है उससे किसानों को मुक्त कराने के लिये यदि आप क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहते हैं तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि धारा 34 का मुकदमा दायर किये बिना धारा 229 (बी), धारा 33/39 के अन्तर्गत सीधा मुकदमा दायर कर सकते हैं जिससे किसानों का शोषण रुक सकेगा।

मान्यवर, जहां आपने महिलाओं के 20 प्रतिशत आरक्षण की बात किया है तो यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसमें आपने सस्ती लोकप्रियता लूटने का काम किया है। चूंकि आप देखें तो वर्तमान कानून और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक किसी भी सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं किया जा सकता है। इसलिये मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह अपने उत्तर भाषण में बतायेंगे कि 20 प्रतिशत आरक्षण की जो घोषणा किया है जिससे जनता को गुमराह किया है, अपने विभाग में क्या वह महिलाओं के लिये 20 प्रतिशत आरक्षण लागू करेंगे ? क्या मंत्री जी हर विभाग में बैकवर्ड क्लास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के नाम से जो आरक्षण है और मौजूदा महिलाओं के लिये जो 20 प्रतिशत आरक्षण किया है वह क्या पहले से जो 50 प्रतिशत आरक्षण पूरा हो गया है उससे अलग हटकर किया है ? जहां तक मान्यवर, आपने भूमि आवंटन की बात कही, तो जब आपके पास भूमि होगी तभी तो आप आवंटित करेंगे। आपके पास जो व्यवस्था है, आपको व्यवस्था के रहते, पूंजीपति व्यवस्था के आप द्योतक हैं, सामन्तवादी व्यवस्था के आप द्योतक हैं, विशारद कमेटी की रिपोर्ट आयी थी, वह हिस्टोरिकल दस्तावेज है। उसमें यह इंगित किया गया था कि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार अधिनियम के बावजूद कुत्ता, बिल्ली, आला तल्ला तथा भगवान के नाम से बैनामा हो जाता था। मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि पूर्वी इलाकों में हल चलाने को पाक समझते हैं, उनके पास हज़ारों एकड़ जमीन दबी है। उनकी जमीन कुत्ता-बिल्ली के नाम चूहों के नाम से है।

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि इसका सर्वेक्षण कराया जाय। अगर आप वास्तव में चौधरी चरण सिंह की मंशा को पूरी करना चाहते हैं, भूमि सुधार कराना चाहते हैं तो जो गरीब जनता खेती पर निर्भर है, उसको लाभ देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वह व्यवस्था करनी होगी कि जो बैनामा दाखिल खारिज है उसको समाप्त करके असली काश्तकारों के नाम भूमि देनी होगी इसके लिये आप एक कमेटी बना दें और सर्वेक्षण करा दें तो हम आपका स्वागत करेंगे। जहां तक पट्टों का सवाल है, एक व्यवस्था है, सीलिंग से आयी भूमि तथा अन्य जो भूमि है, किस तरह से वह भूमि प्राप्त हो सकती है, अगर इच्छा शक्ति है और आप कानून का पालन करना चाहते हैं तो मैं एक सुझाव देना चाहूंगा जमींदारी विनाश एक्ट में प्राविधान है उन प्राविधानों से अलग हटकर के विक्रय जो है वह इन कंट्रोवेशन आफ प्रोविजन आफ लॉ हो जाता है। वह कानून विरुद्ध है और इस तरह से जो परीक्षण होता है उसकी जमीन स्टेट में वेस्ट हो जाती है। इस तरह से सर्वेक्षण कराना होगा तभी भूमि उपलब्ध हो पायेगी। तभी आप पट्टे जारी कर पायेंगे। अगर यह नहीं होगा तो आप जारी नहीं कर पायेंगे। जो शेड्यूल कास्ट की भूमि है उसका बैनामा दूसरे लोगों में नहीं हो सकता है।

कलेक्टर उस भूमि को दूसरे के नाम बैनामा नहीं करा सकता है लेकिन बहुत सी जगहों पर एस० सी० की जमीन बैनामें के बिना पास हो जाती है। वह कानून के विरुद्ध है। अगर गांव सभा सजग है

सरकारी वकील सजग हैं, स्टेट सजग है तो इस तरह का बैनामा नहीं हो सकता है। शासन की जो नीति है कि तीन सही एक बटा आठ की भूमि का बंटवारा नहीं होगा। जो चकबन्दी की मंशा थी कि टुकड़ों-टुकड़ों में जमीन नहीं बटेगी और उस चकबन्दी अधिनियम के विरुद्ध अगर भूमि का तीन सही एक बटा आठ के विरुद्ध सेल हुआ तो वह इन कंट्रावेंशन आफ प्रोविजन आफ लॉ होगा और इस तरह की जमीन स्टेट में वेस्ट हो जायेगी। तो यह भी देखना होगा। मान्यवर, जहां-जहां चकबन्दी हुई है वह बचत में जोड़ दी है लेकिन बचत तो अनावश्यक कब्जे से हटा ले तब। उस बचत को कब्जा कर लिया है लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि आप बेदखल कर दें। मान्यवर, जहां तक कब्जों का सवाल है कुछ समय के बाद संक्रमणी भूमिधर हो जाता है और असंक्रमणी को जो भूमि पट्टे पर प्राप्त होती है उसका वह भूमिधर होता है संक्रमणी भूमिधर असंक्रमणी भूमिधर तो आप बलात् कब्जा दिलाते हैं जिससे राजस्व की हानि होती है। जब संक्रमणी भूमिधर हो गया तो उनको कब्जा दिलाने की बात नहीं है। जो लैण्ड रेवेन्यू एक्ट है उसमें जो असंक्रमणी लोग हैं उनको आप पट्टा दिला सकते हैं।

जो अतिक्रमण हैं सार्वजनिक भूमि पर उसमें बेदखल करने की बात कही गयी है। अगर कोई बचत की जमीन है और पक्का मकान बना लिया है तो उसमें आपके अधिकारियों को कोई अधिकार ध्वस्त करने का नहीं है। "रेवेन्यू कोर्ट इन काम्पीटेन्ट फार डिमालीशन" यह जो राजस्व परिषद् की एक रुलिंग है वह रूलिंग किसी सदस्य की हो सकती है परन्तु वह कानून नहीं है। आप उसमें 122 बी लगा सकते हैं अगर उसके बाद नहीं हटता तो मुकदमा चला सकते हैं लेकिन बेदखल नहीं कर सकते। आप तो कानून में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा अब जैसे चरागाह की जमीन है आबादी की भूमि है तो उसमें आप बेदखल नहीं कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री राम औतार शाक्य–

अब जैसे मान्यवर, गांव के अन्दर चकरोड है, चौपाल है, यह कहीं रिकार्ड में नहीं मिलेंगे यह बड़े अफसोस की बात है आप तो प्रक्रिया में कानून में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। अब जैसे आबादी लैण्ड में चकबन्दी नहीं है चकबन्दी गलती से छूट गई है, उसमें आप कभी-कभी 122 बी लगाने का काम करते हैं कभी-कभी मकान ध्वस्त करने का काम करते हैं। अब आबादी की जमीन कीमती है गांव सभा की जमीन है और वह गांव सभा की जमीन कहीं दर्ज नहीं है अब उससे विवाद हैं। मान्यवर, करीब 100 वर्ष पहले आबादी का बंटवारा हुआ था उसका नक्शा मौजूद है लेकिन उसके बाद आज की तारीख में आबादी का बंटवारा नहीं है। आबादी के बंटवारे के लिए गांव में एक बन्दोबस्त करने के लिए नया कानून बनायें।

मान्यवर, आपने मुकदमें निस्तारण की बात कहीं यह हमने बहुत तय कर दिए हैं। तो 98-99 के कार्यकलापों की पुस्तक है उसका पृष्ठ 8 देखने का कष्ट करें। इसमें जनपद न्यायालयों की स्थिति देख लें वर्ष 1997-98 में अवशेष वादों की संख्या 3,35,661 और यह संख्या बढ़कर 1998-99 में 3,63,432 हो गई, जबकि यह 31-12-98 की स्थिति है, अभी काफी समय शेष है। इसी प्रकार मण्डलीय न्यायालयों की स्थिति देख लें। वर्ष 1997-98 में अवशेष वादों की संख्या 76,471 थी और 98-99 में 76,224 है, जबकि इसमें भी कुछ महीने बाकी हैं, यह आपके दिसम्बर तक के आंकड़े हैं। यह आपका ही दस्तावेज है, लीजिये चुनौती स्वीकार करें। इन आंकड़ों के हिसाब से अवशेष वादों की संख्या और बढ़ जायेगी, आपने बड़े जोर-शोर से भाषण दिया और कहा कि बड़े विवाद निपटा दिये, बड़े मुकदमें निपटा दिये,

अब कोई अवशेष नहीं है, आपका दस्तावेज आपके सामने हैं, अब किसको चुनौती देना चाहेंगे, मंत्री जी झूठी चुनौती देने का काम आप मत करें ।

माननीय मंत्री जी ने चकबन्दी की बात कही । भूमि सुधार के लिये कानून है लेकिन अफसोस यह है कि चकबन्दी की पेचीदगियों पर जायें तो वास्तव में यह चकबन्दी है । काश्तकार का इसमें बहुत शोषण होता है । मूल रूप से बन्दोबस्त 20-30-40 वर्ष में किया जाता है । माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जब चकबन्दी आती है तो धारा 4 का प्रकाशन होता है और जब चकबन्दी समाप्त होती है तो धारा 52 का प्रकाशन होता है । धारा 4 और धारा 52 के बीच ऐसे भी क्षेत्र हैं, जहां 15-18 साल हो गये, चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त ही नहीं हुई है । पहले 20 वर्ष में 30 वर्ष में बन्दोबस्त हो जाया करता था । मेरे विधान सभा क्षेत्र भोगांव में बेवर देहात का एक ऐसा मौजा है, जिसमें 18 वर्ष से आज तक धारा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ है, क्या यही सुधार होगा । आप क्या चकबन्दी की बात करेंगे । जब मान्यवर, धारा 52 का प्रकाशन हो जाता है तो बन्दोबस्त रिकार्ड रूप में चला जाता है, लेखपाल के पास चला जाता है जब वह लेखपाल के पास चला जाता है तो वह खसरा–खतौनी की नकल देने लगता है लेकिन होता क्या है सी०एच० 45-41 की कापी लेने के लिये किसान को चक्कर काटना पड़ता है ।

मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इस तरह की विसंगति को दूर करने का काम अवश्य करेंगे । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसका आंकलन करायें और ऐसे लोगों को दण्डित भी करें कि कौन से ऐसे कारण थे, किन कारणों से धारा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ और 20 वर्ष तक चकबन्दी चलती रही, अब दूसरा बन्दोबस्त होने को है, उधर से दूसरे बन्दोबस्त की तैयारी होगी, यह किसान का दोहरा शोषण है । मैं थोड़ा और इसकी बारीकियों में जाना चाहता हूं । जब धारा 52 का प्रकाशन हो जाता है, तब टाइटल की कार्यवाही रूल 109 के अन्तर्गत होती है । रूल 109 के अन्तर्गत धारा 52 से पूर्व आदेश का निफाज करें । मान्यवर, धारा 109 के मुकदमें बहुत विवादित होते हैं और वह बहुत लम्बे खिंचते हैं, उनका निबटारा करने में बहुत समय लगता है, इसलिये ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे उनका निबटारा बहुत जल्दी हो जाये और धारा 109 का सरलीकरण किया जाये ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि चकबन्दी अधिनियम की धारा 48(3) बहुत ही घातक धारा है और इसके कारण सन्दर्भ बहुत बड़ी संख्या में बन जाते हैं और उनका निबटारा बहुत देर में हो पाता है, इसलिये किसान परेशान रहता है । इसी तरह से 229–बी के मुकदमें होते हैं और धारा 34 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के मुकदमें होते हैं, उनके जो आदेश होते हैं वह लेखपाल द्वारा खतौनी में दर्ज नहीं किये जाते हैं और उसके कारण किसानों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है । मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस ओर भी कदम उठाया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं कटौती प्रस्तुत कर रहा हूं । मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चकबन्दी विभाग में ए०सी०ओ०, सी०ओ० और एस०ओ०सी० के तमाम पद खाली पड़े हैं । जितनी इनकी स्वीकृत संख्या है, उसकी आधी संख्या भी इनकी नहीं है, इस कारण चकबन्दी क्रियाओं में बहुत देरी होती है । हमारे यहां पर जो अनुमन्य पद हैं, वह भी नहीं है, जिससे बहुत दिक्कत हो रही है । माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि इन पदों को शीघ्र ही भर दिया जाये जिससे जनता का बड़ा भला होगा ।

मान्यवर, अब मैं दैवी आपदाओं के संबंध में कहना चाहता हूं ।

दैवी आपदा में आपने 10 करोड़ रुपये खर्च किये लेकिन इसमें केन्द्र सरकार का भी पैसा शामिल है । दैवी आपदा के लिए आपने 3 करोड़ 7 लाख 8 हजार रुपया रखा है यह दुर्भाग्य की बात है कि दैवी आपदा बड़े पैमाने पर होती है । आपने मरने वालों को 50 हजार, 25 हजार देने की बात पिछली साल भी कही थी और उसी को इस साल भी कहा है तो आपने नया क्या कर दिया, कोई धनराशि तो आपने बढ़ाई नहीं । दैवी आपदा की राशि जब 10 करोड़ खर्च हुई है तो दैवी आपदा की राशि को

बढ़ाया जाय । दैवी आपदा की परिभाषा परिभाषित है कि तूफान से मकान गिर जाय, अतिवृष्टि से गिर जाये और कोई मर जाय तो दैवी आपदा में आता है लेकिन यदि कोई छत गिर जाय और 50 बच्चे मर जायं तो वह दैवी आपदा में नहीं आता है । मेरा निवेदन है कि ऐसी जो घटनायें होती हैं जिनमें सामूहिक रूप से लोग मर जाते हैं या सामूहिक हत्यायें हो जाती हैं तो ऐसी घटना में मरे हुये व्यक्तियों को दैवी आपदा के अन्तर्गत नहीं माना जाता ।

मैं चाहूंगा कि दैवी आपदा की परिभाषा को व्यापक बनायें और उसमें मानवीय आधार को भी शामिल करें और उसके अनुसार नियमों और कानून में संशोधन करें तो बेहतर होगा जहां तक तहसील दिवस का मामला है उसमें गांवों से मेड़बन्दी आदि के मामले ज्यादा आते हैं । मेड़बन्दी के बारे में धारा 41 में स्पष्ट व्याख्या है । धारा 41 की प्रक्रिया अपनाये बगैर मेड़बन्दी नहीं कर पायेंगे, आप जो कहते हैं कि हमने मेड़बन्दी के मामले निबटाये हैं तो यह सही नहीं है । फर्जी कार्यवाही केवल आप करते हैं । तहसील दिवस की बात जो आपने कही है कि वहां पर तमाम मामले निबटाये जाते हैं वह सही नहीं है, वहां पर काश्तकारों की दरख्वास्त को इन्द्राज नहीं किया जाता । काश्तकार रुपया खर्च करके जाता पर तहसील पर उसे कोई राहत नहीं मिलती है ।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि यदि कोई शैड्यूलकास्ट व्यक्ति अपनी जमीन बेचना चाहता है तो उसके लिए साढ़े 12 एकड़ की सीमा है । इस सीमा को आप घटाने का काम करें जिससे कि यदि किसान अच्छे कार्य के लिए भूमि बेचना चाहता है तो बेच सके जिससे शैड्यूलकास्ट के व्यक्ति को फायदा होगा और दूसरे लोग उसकी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेंगे । बैनामा ट्रासंफर हो जायेंगे, इसमें भी काफी विसंगति पैदा होती है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन करें ।

विधान सभा सदस्य श्री सरवर अली खां एवं श्री कमला प्रसाद रावत तथा पूर्व सदस्य श्री छोटे लाल यादव के साथ जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में एक गंभीर विषय लाना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह बहुत गंभीर मामला है । इस सदन के दो माननीय विधायक, माननीय सरवर अली जी और कमला प्रसाद रावत जी तथा एक पूर्व विधायक यह तीनों आदमी बाराबंकी के जिलाधिकारी से मिलने गये, जिलाधिकारी ने मिलने से इन्कार कर दिया और चपरासी से कमरे से बाहर करवा दिया । वह तीनों आदमी धरने पर बैठे हैं । आज सदन में इसी प्रकरण पर एक आदेश सरकार ने निर्गत किया था कि माननीय सांसद, माननीय विधायक के साथ किस तरह का आचरण करना चाहिए । मान्यवर, अगर इस तरह का आचरण होता रहा तो यह बहुत ही निन्दनीय होगा । सैकड़ों आदमी वहां धरने पर बैठे हैं । मेरी आपसे आग्रह है कि कमिश्नर को निर्देश दिया जाये कि वह मौके पर जाकर तत्काल हस्तक्षेप करके धरना खत्म करायें और जिलाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करें । इससे गंभीर प्रकरण और कोई हो नहीं सकता ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा बोलने पर समाजवादी पार्टी के कई सदस्य एक साथ बोलने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हुआ)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस पर तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया गया तो गंभीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी । मैं सम्मानित सत्तापक्ष के विधायकों से यह कहना चाहूंगा कि इसे पक्ष और विपक्ष का मामला मत बनाइये । यह पूरे सदन के सम्मान का मामला है । अगर जिलाधिकारी इस तरह का बर्ताव करने लगेंगे, आज इधर कर रहे हैं, कल आपके साथ भी करेंगे । इस पर पार्टी और राजनीति से ऊपर उठकर सोचिये । यह फैक्स मेरे पास आया है, इसका अवलोकन करें । अगर इसका निराकरण तत्काल नहीं हुआ तो गंभीर स्थिति बन सकती है । इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और यह आग्रह कर रहा हूं कि लखनऊ मण्डल के कमिश्नर को तत्काल भेजकर कार्यवाही करायी जाये, धरने से उनको उठाया जाय तथा डी० एम० बाराबंकी को प्रताड़ना दी जाये ताकि भविष्य में कोई भी डी० एम० जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार न कर सके ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं एक आग्रह करूंगा, बजट पर चर्चा चल रही है इसको समाप्त होने दें ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

आप लोग शांत रहें । आप पूरा वाक्य सुनेंगे नहीं और खड़े हो जायेंगे, मेरा एक निवेदन यह है कि यह प्रकरण गंभीर है, सदन के वर्तमान सदस्य और पूर्व सदस्य से संबंधित है । जैसा सारे सदन के सामने सुबह काफी देर तक चर्चा हुई है । मैंने मात्र इतना सुझाव दिया कि जो चर्चा चल रही है उसे चलने दे तब तक और तथ्य एकत्र हो जायेंगे । जैसे ही चर्चा समाप्त होगी, संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि जो स्थिति है उसे स्पष्ट करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जो भी सूचना एकत्र करनी हो करवा लीजिए । यह 10 बजे सुबह का मामला है । अब 4 बज रहे हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैंने जानकारी की है पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं अवगत करा दूंगा ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (क्रमागत)

श्री जयप्रकाश निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । यह भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है जिसने किसानों के हित में काम किया है । इसके पहले किसान की जायदाद उसके नाम से जरूर होती थी लेकिन उसकी जो खतौनी का रिकार्ड उसके पास नहीं होती थी वह लेखपाल के झोले में होती थी । किसान के पास कोई रिकार्ड नहीं होता था । जो भी उसकी प्रापर्टी का रिकार्ड था वह लेखपाल के पास रहता था । कभी-कभी किसान लेखपाल से खतौनी जरूर ले लेता था । लेकिन इस सरकार ने यह निर्णय लिया कि किसानों की जो भी जायदाद है उसका रिकार्ड एक पुस्तक जोतबही पर हो, जो किसान को दिया जाय । यह पूरे प्रदेश के किसानों के हित में सरकार ने निर्णय लिया । इसके पहले पिता मर जाता था तो उसके जितने पुत्र होते थे उनका नाम उसके बाद अभिलेखों में दर्ज हो जाता था लेकिन विधवा मां को जमीन पर हक नहीं मिलता था इसके लिए सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया कि भू-स्वामी के मरने के बाद उसके पुत्र के साथ ही साथ मां का नाम भी अभिलेख में दर्ज होगा ।

विधवा किसी को जमीन बेच नहीं सकती है यह व्यवस्था कर दी गई है । वह उससे अपना जीवन यापन करती रहेगी । इसके पहले विधवाएं बिलखती हुई नजर आती थी । अब आदेश में दाखिल खारिज के मामलों में भी सुधार हुआ है पहले जो बैनामा में भ्रष्टाचार होता था उसमें सुधार हुआ है । पार्ट बैनामा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 50 प्रतिशत बैनामें पार्ट बैनामें होते हैं उसकी दाखिल खारिज तो होती है लेकिन बड़े शोषण के बाद हो रही है ।

पार्ट बैनामा का दाखिल खारिज किया जाए इससे भ्रष्टाचार समाप्त होगा । यह पूरे प्रदेश की जनता का मानना है । इससे लोग परेशान हैं । जैसे एक बैनामा हो उसी प्रकार पार्ट बैनामा भी किया जाए । बाढ़ के समय में सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है । इसके लिए सरकार और राजस्व मंत्री बधाई के पात्र हैं । यह पहली सरकार है जिसने दैवी आपदा के समय लोगों को घर-घर तक राहत सामग्री पहुंचाकर राहत दिलायी ।

गांव में पशुओं के लिये चारा की व्यवस्था की गई और साथ ही अन्य खाद्यान्नों की व्यवस्था की गई। हमारा क्षेत्र रुद्रपुर बाढ़ में डूबा रहा परन्तु हमारी सरकार ने जहाजों से नावों की व्यवस्था की और जो-जो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित थे, वहां-वहां नावें पहुंचाई गई। इलाहाबाद से नावें गोरखपुर पहुंचाई गई। जब मैंने अपने यहां एक नाव वाले से पूछा कि तुम्हें मेहनताना मिल रहा है तो इस पर उसने कहा कि साहेब आनन फानन में हमें जहाज से गोरखपुर नाव सहित लाया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार ने की। आवश्यकतानुसार हर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नावें भेजी गई।

(इस समय 04 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता श्री केदार सिंह फोनिया पीठासीन हुये।)

बाढ़ से प्रभावित लोगों को एक-एक हजार रुपये नकद तथा 500 रुपये की राहत सामग्री बांटी गई और गेहूं का बीज दिया गया। मेरे क्षेत्र के एक नगर पंचायत रुद्रपुर है, वहां पर आज तक चकबन्दी नहीं हुई है। भीतीटोला, श्यानकोट, दुग्धेश्वर नाथ का मन्दिर और तालपोखरा इत्यादि यह सब जमीन आज तक रियासत के नाम से दर्ज है।

दुग्धेश्वर नाथ के मंदिर में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को पूजा अर्चना होती है और शिवरात्रि, दशहरा और अधिक मास में मेला लगता है इसलिये यहां की चकबन्दी कराई जाय ताकि सरकारी जमीन सरकार के खाते में चढ़ जाये। मान्यवर, मैं वसूली के बारे में कहना चाहता हूं कि जो तहसील के कर्मचारी हैं वह बाढ़ से प्रभावित लोगों को वसूली के नाम पर बन्द कर दे रहे हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि कुछ दिन तक आप बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में वसूली को स्थगित कर दें। अभी तो उनके घर में फसल तक नहीं आयी है। भूसा तक तो पशुओं के लिये मिल नहीं रहा है और साथ ही एक सुझाव और देना चाहता हूं कि वसूली के लिये एक अलग से व्यवस्था की जाय जहां पर बाढ़ से प्रभावित लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो सके। चूंकि सही मायने में निस्तारण नहीं हो पा रहा है इसलिये मेरा यह सुझाव है इसके समाधान के लिये अलग से व्यवस्था की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी 1999–2000 के बजट पर इस सदन में चर्चा कर रहे हैं परन्तु जो बजट सामग्री वितरित की गई है उसमें लिखा है राजस्व विभाग के कार्यकलाप 1998–99 राजस्व विभाग का बजट है। यह जो कार्यकलाप लिखा हुआ है उसमें लिखा है 98–99 के कार्यकलाप। मान्यवर, इसको तो हम पिछले साल के बजट में सुन चुके हैं। बेहतर होता कि 1999–2000 के लिये जो बजट पेश किया गया है उसके प्रमुख कार्यकलापों के बारे में होता और सारे सदन के सामने रखा जाता। इस पर मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपकी बात सुन ली। यह विषय पहले आ चुका है और माननीय अध्यक्ष अपना निर्णय दे चुके हैं। धन्यवाद।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे राजस्व के बजट पर बोलने का मौका दिया। यह राजस्व विभाग है इस दुनिया का सबसे पुराना विभाग है। जब से शासन और प्रशासन चला तब से यह विभाग वजूद में है। मालगुजारी हो, रेवेन्यू हो इसी से सारी हुकूमत चलती रही है। हिन्दुस्तान के

अन्दर इसको एक तरह से इसको रेग्युलराइज किया गया अकबर बादशाह के जमाने में राजा टोडरमल के द्वारा वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सारे हिन्दुस्तान की एक-एक चप्पा जमीन, एक-एक इन्च जमीन नपवाई और उसकी कैफियत दर्ज कराई । वह पहले आदमी थे जिन्होंने संसार में इस प्रकार का सर्वे कराया । आज जो सिस्टम है वह राजा टोडरमल की ही देन है । अंग्रेज हिन्दुस्तान आये यहां के सिस्टम को बदल डाला शिक्षा प्रणाली को बदला, न्यायायिक प्रणाली को बदला लेकिन कोशिश के बावजूद अगर वो बदल नहीं पाये तो वह मालगुजारी, वसूली सिस्टम को जो राजस्व विभाग के हैं नहीं बदल पाये । मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहता हूं । यह विभाग मेरे पास भी रह चुका है और इसी वजह से 3-4 सुझाव दूंगा । एक तो यह है कि जो योगदान राजा टोडरमल जी ने दिया इस राजस्व सिस्टम के लिये उसकी हम अभी तक कोई बड़ी यादगार कायम नहीं कर सके हैं ।

हमने हरदोई में इन्स्टीट्यूट को वह राजा टोडरमल के नाम पर किया था । सौभाग्य से मैं उसी जिले से आता हूं जहां का राजा टोडरमल का संबंध है । मैंने प्रस्ताव किया था उनके जन्म स्थान लहरपुर की उस तहसील को राजा टोडरमल के नाम पर कर दिया जाय लेकिन अभी तक नहीं हुआ । मेरा आपके माध्यम से यह सुझाव है कि इस तहसील को लहरपुर के नाम से कर दिया जाय । उनके जन्म स्थान लहरपुर पर उनकी एक प्रतिमा जो मुगल पीरियड की तस्वीरें मिलती हैं के आधार पर लगवा दी जाय । प्रशासनिक एकेडमी जो नैनीताल एक मसूरी में है इनमें से एक का नाम राजा टोडरमल के नाम पर कर दिया जाय । दूसरी बात यह है कि उन जमीनों को एक्वायर किया जाता है जो हमारे खेत शहरों से मिले हैं बड़े-बड़े बिल्डर्स उनको किसी न किसी तरह से हथियाने की कोशिश करते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि जमीन के साथ-साथ डिटैचमेंट एरिया न होने की वजह से जल स्तर जो निरन्तर नीचा होता जा रहा है । पूर्वाह्न आज भी इस तरह के प्रश्न आये थे ।

माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करें कि जो शहरों के करीब की जमीन है वह किसी प्रकार से एक्वायर न की जा सके । किसानों का शोषण न हो । उन्हें जो मुआवजा मिलना चाहिये वह मार्केट रेट के आधार पर दिया जाय । हमने भी कहा था और बाद की सरकारें भी कहती रही हैं परन्तु हुआ कुछ नहीं ।

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

लेकिन मान्यवर, जब किसानों का पैसा देने की बात आती है तो कहीं मुआवजा सही नहीं दिया जाता है । जिस वक्त किसानों से जमीन खरीदे एक टाइम पीरियड के अन्दर 15-20 दिन के अन्दर, जैसे कैश पेमेन्ट कर दिया जाता है उसी तरह से पेमेंट कर दिया जाये । कानूनी कार्यवाही इतनी ज्यादा है इसके लिये दौड़ते-दौड़ते बहुत मुश्किल हो जाती है आप स्वयं जानते हैं इस चीज को ।

तराई की चकबन्दी उत्तर प्रदेश में करीब-करीब हो चुकी है, लेकिन तराई में 10-10 हजार एकड़ जमीन मौजूद है 10 हजार एकड़ के फार्म मौजूद हैं जब मैंने इसमें प्रयास किया था मैं मंत्री जी को वार्निंग देना चाहता हूं एक हफ्ते के अन्दर रेवन्यू डिपार्टमेंट मेरे हाथ से चला गया और सार्वजनिक निर्माण विभाग आ गया । जब तक तराई एरिया में चकबन्दी लागू नहीं करेंगे वहां के किसानों का शोषण होता रहेगा । इसको मंत्री जी आप स्वयं जानते हैं आप भी जमीन से जुड़े हुये हैं ।

मान्यवर, मैं दो सुझाव और देना चाहता हूं रेवेन्यू डिपार्टमेंट है यह कलेक्टर जो कहा जाता है मतलब कलेक्ट करने वाला तो कलक्टर रेवेन्यू कलेक्ट करता है । लेकिन कलेक्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होता है उसके बाद डिप्टी कलेक्टर आता है डिप्टी कलेक्टर को छोड़ दें तो तहसीलदार आता है लेकिन

कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार किसी का कन्ट्रोल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास नहीं है, कोई कन्ट्रोल रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर नहीं रह गया है । रेवेन्यू डिपार्टमेंट के दो-तीन काम हैं किसी पर कब्जा हो, वसूली हो वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट वसूल करता है । तो आप मेरे सुझाव पर मंत्री जी विचार कर लें और कोशिश करें बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट सचिवालय में बैठे हैं शायद सुन लें । मान्यवर, बाढ़ के बारे में मंत्री जी ने कहा, कहीं-कहीं तो काफी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है लेकिन अधिकांश जगहों पर काम सही नहीं हुआ है ।

मान्यवर, सीतापुर में मेरे क्षेत्र में सात नदियां बहती हैं । घाघरा के किनारे लगे रामपुर बहेरा, बिसवां आदि गांव में पूरे तरीके से राहत नहीं पहुंचाई जा सकी है । मान्यवर, आप यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो योजनायें हों उनका क्रियान्वयन पूरी तरह से हो रहा है या नहीं अन्त में मैं अनुरोध करूंगा मंत्री जी से, एक कार्य और कर दें कि जितना ज्यादा सरलीकरण हो सके किया जाये जो वसूली का काम है जिसमें ट्रैक्टर पम्पिंग सेट्स आदि हैं इनकी कुर्की कर देते हैं, उन्हें लाकर खड़े कर देते हैं तहसीलों में नतीजा यह होता है थोड़े दिनों के बाद जिनका ट्रैक्टर होता है जब ट्रैक्टर लेने जाते हैं तो उसके पुर्जे गायब हो जाते हैं । आप गांव में एक कमेटी बना दें और उनकी सुपुर्दगी में दे दें ताकि किसानों का नुकसान न हो । किसान काम कर ले इसके अलावा बन्दीगृह के बारे में कहना चाहूंगा तहसील में जो बन्दीघर हैं उनके अन्दर जाकर मैंने खड़े होकर देखा है । मेरे ऊपर कोई वसूली नहीं थी । लेकिन मैं उसमें पांच मिनट खड़ा नहीं हो सका जो 15 दिन बन्दीगृह में रखा जाता है वह तो 15 साल के बराबर है । बन्दीगृह में सुधार करवायें । इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं क्योंकि यह हमारी मजबूरी है लेकिन वैसे राजस्व विभाग सबसे माली एतवार से एक कमजोर विभाग है ।

* श्री ज्ञानेन्द्र सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस माननीय सदन में माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ ।

मान्यवर, वर्तमान सरकार किसानों की सरकार हैं, किसानों के हितों में बहुत से कार्यक्रम इस सरकार ने चलाया है । मान्यवर, शुरू में किसान सेवा केन्द्र, थाना दिवस, तहसील दिवस, के संबंध में इस सरकार की एक सोच बनी है और गांवों में जो अशिक्षित जनता है उसके बीच में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक गांवों में जाते हैं जिनसे जनता आसानी से अपनी समस्यायें कह सकती है और उन समस्याओं को वह अधिकारी समाधान करते हैं ।

मान्यवर, इस सरकार ने किसान बही बनवाया है और जिसे किसान गीता का नाम दिया गया है । मान्यवर, सभी जानते हैं कि यह किसान बही किसानों के लिये कितनी उपयोगी चीज है । लेखपाल से जब किसानों को इन्तखाब लेने के लिये जाना पड़ता है तो उस समय यह किसान बही-बड़ी उपयोगी होती है और किसान लेखपाल से इन्तिखाब तथा चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है । किसानों की भूमि से संबंधित सभी चीजों का इस किसान बही में प्रवृष्टि होती है । दाखिल खारिज के समय यदि बैनामा किया जाता है तो इन किसान बही में स्पष्टरूप से उसका उल्लेख किया जाता है और किसानों को स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी रहती है । फिर इसमें कोई घपला नहीं किया जा सकता है । मान्यवर, इसी तरह हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि किसी किसान की मृत्यु के बाद, पिता की सम्पत्ति में पहले जैसे यदि उसके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दो-तीन पुत्र होते हैं तो उनमें ही सम्पत्ति बांटी जाती थी लेकिन अब पिता की मृत्यु के बाद विधवा मां जो दर-दर ठोकर खाती थी उसे अब दर-दर ठोकर नहीं खाना पड़ेगा बल्कि सम्पत्ति में वह विधवा पुत्रों के समान बराबर की हिस्सेदार रहेगी ।

मान्यवर, जहां तक बाढ़ की बात है सभी अनुभव कर रहे थे कि इस वर्ष जबरदस्त बाढ़ होगी लेकिन ऐसे समय में वित्तीय संसाधनों की कमी के बावजूद हमारी सरकार ने अपनी उपयोगिता दिखाई और बाढ़ से पीड़ित किसानों के लिये तुरन्त अहेतुक सहायता देने के लिये मुख्य मंत्री जी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि पैसों की कमी नहीं होनी चाहिये और जहां अहेतुक सहायता की जरूरत है वहां तुरन्त यह सहायता पहुंचाई जाय ।

मान्यवर, अब मैं राजस्व मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि हम जनप्रतिनिधि लोग बहुत परेशान हैं इसलिये सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे जिससे चकतोड़ बैनामा के लिये जो किसान मजबूर होता है चूंकि उसे खेत बेंचने और लेने के लिये यह बैनामा करना होता है । तो जो चकतोड़ बैनामा लिया है उसमें दाखिल खारिज भी होना चाहिये । लेकिन मान्यवर, दाखिल खारिज नहीं होता है इसमें विशेष रूप से धन उगाही होती है । तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसे बन्द कर दीजिये । अगर चकतोड़ बैनामा होता है तो उसे दाखिल खारिज होने के लिये प्राविधान किया जाय । इन्हीं सुझावों के साथ मैं, राजस्व मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यूं तो पिछले साल का और इस साल का मिलाकर बजट जो पढ़ दिया है तो कुछ तो पिछले साल पूरा कर दिया और कुछ इस साल पूरा कर देंगे । मान्यवर, पिछले साल भी जिक्र आया था और आज भी कहा है जो उपलब्धियां बतायी गई हैं भाषण में बड़ी जोरदार है । तहसील दिवस की बात कही । उसमें उन्होंने कहा कि जितने झगड़े थे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हैं उनको छोड़कर वह तहसील दिवस में खत्म हो जाते हैं । मंत्री जी आपने कहा और हमने सुना .....

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

यह मैंने कब कहा ?

श्री कौकब हमीद–

कोर्ट को छोड़कर जो एस०डी०एम० के मामले हैं, तहसीलदार नायब तहसीलदार या कलेक्टर के मामले हैं वह तहसील दिवस में जाते हैं । मान्यवर, चैलेन्ज के साथ कहा गया । तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई एक तहसील आप अपनी मर्जी से चयन कर लें, बुलन्दशहर के आस-पास ले लें और चयन करके चलें हम भी साथ चलेंगे देखेंगे कि कितने निपट गये हैं और कितने मामले बाकी हैं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

चयन भी आपका और डेट भी आपकी । आप जब कहें तब हम चलेंगे ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, अप्रैल के पहले हफ्ते में चलें । बागपत में चलें । दोनों साथ चलेंगे चाहें तो बड़ोद या खकेड़ा में चलें ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ठीक है ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, यहां तकरीबन 55 जिलों के अन्दर बाढ़ आयी । ओलावृष्टि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुई । जहां गंगा का पाट पड़ता था हस्तिनापुर, मेरठ में, जमुना के किनारे, हरियाणा से मिलता था, बाढ़ वहां आयी । माननीय मंत्री जी बाढ़ में सदन में चर्चा लम्बी हो चुकी है और माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य आया है । माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि अनेक विभागों को पैसा देकर पीड़ित लोगों को सहायता दी है । मान्यवर, जहां भारत के प्रधान मंत्री का कहना है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जितनी उनके यहां हानि हुई है उतना उन्होंने पैसा नहीं मांगा है, करीब चार-पांच हजार करोड़ की हानि हुई है और जो बांटा है, कहते हैं कि बांटा है वह 6-7 करोड़ रुपया सब विभागों का मिलकर और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने दान दिया उसके बाद कैसे पीड़ित लोगों का मामला हल कर दिया यह समझ में नहीं आया । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तीन बार ओला वृष्टि हुई, परसों भी ओलावृष्टि हुई है मेरठ और बागपत व मुजफ्फरनगर में, तो वहां अभी तक कुछ नहीं बंटा है । तीन बार पिछले साल का और एक बार इस साल का हुआ और अभी तक माननीय मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया है और नवसूलयाबी रोकी है । यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं ।

मान्यवर, जो सबसे महत्वपूर्ण रहा 1974 का जो चयन नहीं हो रहा है दीक्षित एवार्ड हरियाणा का, उत्तर प्रदेश के सामने जिसकी जमीन गुजरती है और तकरीबन सात जिले हैं जो प्रभावित हैं उन सात जिलों में पिछले इन सालों में दो-तीन सौ आदमी की हत्या हो चुकी है । पूरे उत्तर प्रदेश में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है । रोजमर्रा की जो फसल होती है, गेहूं की तरबूज की, वहां आदमी मारा जाता है और जो हरियाणा जिले से छोटे प्रदेश हैं वहां के लोग जेल में जाते हैं और जल्दी कार्यवाही हो जाती है, जो सबसे शर्मनाक बात है । आप तो राजस्व मंत्री हैं जो भूमि विवाद होते हैं जो अधिकारी उसमें लगे रहते हैं वह सब आपके अपने अधिकारी हैं । आपके एक एस०डी०एम० जो सोनीपत में बन्द कर दिया जाये और आपके शासन/प्रशासन में उसकी कोई गूंज न हो, उनके कानों में कोई जूं न रेंगे वह अधिकारी जो आपकी फसल को बचाने के लिये गया हुआ था उसे सोनीपत हरियाणा में बन्द कर दिया गया आपने उसकी बावत कोई जिक्र किया । मान्यवर, राजस्व की वसूलयाबी तो तभी होगी जब जमीन होंगी, लगान देने के लिये बचेगी । मान्यवर, ग्रीन बेल्ट का एक तब्बसुर हुआ करता था वह अब तबसुर ही रह गया है । ग्रीन बल्ट आपकी कम होती जा रही है । दिल्ली के आस-पास के इलाके में मान्यवर, आप चले जायें 60-70 किलोमीटर क्षेत्र में आप चले जायें भट्ठे लगे हुये हैं, जब चाहे जो आदमी भट्ठा लगा देता है । आपकी अब वहां लैण्ड बची हो तो आदमी उसका लगान भी दे । हम यह नहीं कहते कि भट्ठे न लगे जरूर लगें । मगर हर चीज का एक उद्देश्य होना चाहिये । जिसने जब चाहा जहां चाहा भट्ठा लगा दिया । उसके बाद क्या होता है 4-5 साल तक भट्ठा हटने के आप कुछ उसमें पैदा कर सकते हैं ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कितने भट्ठे लगेंगे कहां लगेंगे क्या फिजिबिलिटी है यह मुद्दा आपके विभाग का है और आपको इस पर सोचना चाहिये ।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ में प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

* श्री शेर बहादुर–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि राजस्व जैसे विषय पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया । मैं माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा पेश किये हुये बजट का सबल समर्थन करता हूँ । इसके साथ-साथ एक-दो सुझाव भी रखना चाहता हूँ । मान्यवर, 1301 फसली के बाद आबादी का कोई भी पुनर्गठन नहीं हुआ है, न आबादी का कोई इन्तजाम हुआ है । आज स्थिति यह है कि 80 फीसदी आबादी के ही झगड़े हैं । जो व्यक्ति कमजोर पड़ता है, उसके पास कोई लैण्ड रिकार्ड नहीं है और जो मजबूत पड़ता है, वह कब्जा करता चला जा रहा है । आज कमजोर व्यक्ति को कोई भी न्याय दिलाने में समर्थ नहीं है । इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि एरिया रिक्वीजीशन आबादी लैण्ड का अवश्य होना चाहिये, इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि किसान के पास उसका धन उसकी जमीन ही है, यदि वह अपनी जमीन अपनी इज्जत बचाने के लिये, शादी व्याह के लिये बेचना चाहता है तो यदि 5 बिस्वा बेचने से उसका काम चल जाता है तो उसे पूरी जमीन बेचने के लिये मजबूर न किया जाय । मैं निवेदन करूंगा कि किसान जितनी जमीन बेचना चाहे, उतनी जमीन का खारिज दाखिल कराने का उसे आदेश दिया जाय और उसे इसका अधिकार दिया जाय ।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यदि किसी भी किसान का 20 हजार रुपया बकाया है और उस किसान का 50 हजार गन्ने का अन्य किसी मद का सरकार के ऊपर बकाया है तो वह जेल चला जायेगा । सरकार उससे अपने बकाये को अवश्य वसूल करेगी लेकिन अपना बकाया उसे नहीं देगी । मेरा इस संबंध में निवेदन है कि किसान का सरकार के पास जो धन बाकी है, उसके संबंध में एक प्रोविजनरी नोट बनाया जाय और उसमें उसको मुजरा किया जाय, यदि उसके बाद भी सरकारी धन बचता है, तभी उसको जेल के फाटकों तक पहुंचाया जाय ।

चौथी बात जहां तक किसान कोई भी हो, जिसकी पुरानी खतौनी के अनुसार भूमि है, आवंटियों को कब्जा दिलाया जाता है, तो उसकी जमीन नहीं नापी जाती । हकूकदारी का फैसला होने में 3 वर्ष लगते हैं । नतीजा यह होता है कि वह काश्तकार सड़क पर टहलता रहता है और उस आराजी को कोई दूसरा जोता बोता है । माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें संशोधन किया जाये और यदि पट्टेदार की जमीन नापी जाती है तो उसकी भी जमीन नापी जाय ।

अन्तिम बात कहना चाहूंगा । जिस तरह जानवरों की तरह से तहसील में बकायेदारों को भर दिया जाता है, उस कालकोठरी में, जिसमें कोई जानवर भी नहीं रह सकता, उसके लिये उचित व्यवस्था की जाय और इन्सानियत का व्यवहार बकायेदार के साथ किया जाय, जिससे वह अपने लिये राहत महसूस कर सके । मान्यवर, यदि किसी भी किसान से जुताई बुआई का साधन छीन लिया जाता है, उसका

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ट्रैक्टर और इंजन को लाकर तहसील में बन्द कर दिया जाता है, तो उसकी कमाई का साधन समाप्त कर दिया जायेगा, तो इस प्रकार से वह कर्जे का भुगतान कैसे करेगा ? मान्यवर, इसके लिये उसको अपना खेत बेचना पड़ता है, तब वह लगान या कर्जा चुका पाता है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आबादी भूमि का पुनर्गठन होना चाहिये । अगर पुनर्गठन हो जाये तो गांवों के 80 प्रतिशत झगड़े अपने आप समाप्त हो जायेंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ ।

* श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो राजस्व का बजट प्रस्तुत किया है, उसका विरोध करने के लिये और श्री शाक्य जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ ।

मान्यवर, राजस्व मंत्री जी का प्रवचन बड़ी देर से सुन रहा था, इन्होंने जो किसानों के शोषण को समाप्त करने की बात कही है वह पूरी तरह से गलत है । मैं कहना चाहता हूँ कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसान बही किसानों को उपलब्ध करा दी गयी है, मेरी निश्चित जानकारी है कि वह उपलब्ध नहीं कराई गई है । मान्यवर, राजस्व विभाग का सबसे छोटा कर्मचारी लेखपाल होता है, वह बड़ा प्रभावशाली होता है, देहातों में कहा जाता है या तो लेखपाल या राज्यपाल । लेखपाल अगर कोई गलत इन्दराज कर देता है, तो मुकदमा हाईकोर्ट तक जाता है और तभी उसका आदेश कटता है । राज्यपाल के आदेश का कहना ही क्या है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बिना सौ डेढ़ सौ रुपये लिये लेखपाल किसान बही नहीं देता है । अनुसूचित जाति के लोगों को जो भूमि आवंटित की जाती है, जो पट्टा दिया जाता है उसका कब्जा उनको नहीं मिल पाता है ।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि तहसील दिवस में बहुत से मुकदमों का निबटारा किया गया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उससे और मुकदमें बढ़े हैं वहां पर मुकदमें भड़काने का काम किया जाता है । एस०डी०एम० के पास जब दरख्वास्त दी जाती है तो वह थानेदार को लिख देता है और थानेदार मौके पर जाकर उन लोगों को परेशान करता है । मान्यवर, अतिक्रमण हटाने के संबंध में परिषदादेश संख्या–5656/जी–89–सी/91 दिनांक 1-5-1998 निर्गत किया गया तथा 30 जून, 1998 तक अतिक्रमण समाप्त किये जाने का लक्ष्य रखा गया । परिषदादेश संख्या 7068/5-89 सी/91 दिनांक 18 जून, 1998 द्वारा ये भी निर्देश दिये गये हैं कि चक मार्गों को खाली कराकर उनके दोनों ओर कम से कम तीन एवं आवश्यकतानुसार अधिक सीमा स्तम्भ लगाये, जिसे जून 1999 तक सम्पूर्ण प्रदेश में पूरा कर लिया जायेगा, इसके लिये होने वाले व्यय की व्यवस्था संचित ग्राम कोष में उपलब्ध धनराशि से की गई है ।

प्रदेश में चक मार्गों पर पत्थर नापने का कार्य प्रगति पर है लेकिन मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि कहीं पर कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया है । मेरे मनकापुर ग्राम सभा में कोई भी चकरोड आज तक खाली नहीं कराया गया है । मान्यवर, मैं अपने जनपद गोण्डा और यहां तक कि पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ । पूरे प्रदेश मे चक मार्गों पर कब्जा है । आप केवल आंकड़े दे रहे हैं । आंकड़ों से सरकार नहीं चलती । आप एस०डी०एम०, तहसीलदार और नायब तहसीलदार तथा पुलिस फोर्स लेकर जायं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और गांवों में चक रोडों को खाली करायें । मान्यवर, इसी तरह से जो सीलिंग की जमीन है अपात्र व्यक्तियों द्वारा उस पर कब्जा कर लिया जाता है और 29 डी का मुकदमा दायर होकर उनका कब्जा बरकरार रहता है जिससे जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं उनको जमीन का पट्टा नहीं मिल पाता ।

मान्यवर, मेरे यहां मनीपुर और बगरहा ऐसे गांव हैं जहां पर आज तक चकबन्दी नहीं हुयी है । वहां के कृषक परेशान हैं । अगर चकबंदी वहां हो जाय तो उनकी जमीनों का सीमांकन हो जायगा और उनको राहत मिलेगी । इसी तरह से मत्स्य पालन, वृक्षारोपण, कुम्हारी कला के लिये पट्टे, जो दिये जाते हैं उनमें वृक्षारोपण पट्टे वाली भूमि का प्रयोग खेती करने में किया जाता है । यदि वृक्षारोपण के लिये जो पट्टे दिये जाते हैं उन पर पेड़ लगाये जायं तो हरियाली होगी और पर्यावरण में सुधार होगा । इसी तरह से जो कब्रिस्तान, चारागाह, अनुसूचित जाति की बस्ती, देव स्थान के लिये भूमि आरक्षित की जाती है उस पर प्रभावशाली लोग कब्जा करके मकान आदि बनवा लेते हैं । अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे न देकर आज सामंतवादी व्यवस्था के सामंत लोगों को पट्टे दिये जाते हैं और गरीब का शोषण होता है ।

हमारे यहां मनकापुर में तहसील का भवन नहीं बना है । वहां पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना भी नहीं हुयी है । कई बार सदन में मामला उठाया जा चुका है । वहां तहसील भवन न होने से अधिकारी गोण्डा से आते जाते हैं और वादकारियों को रुकने आदि में तमाम असुविधा होती है । वहां पर तहसील भवन और कर्मचारियों के लिये आवास व्यवस्था की जाय । इसी के साथ मैं माननीय शाक्य द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ तथा बजट का विरोध करता हूँ ।

उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री (श्री नारायण राम दास)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने के लिये अवसर दिया ।

कार्यसूची की विस्तृत अन्य मदों के कारण प्रस्तुत अनुदान की मांगों पर चर्चा का समय निर्धारित किये जाने की मांग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मेरा निवेदन है चूंकि इसके बाद 3 अनुदान और हैं और कई चर्चायें तथा एक विधेयक है इसलिये कोई समय निर्धारित कर दें । अगर सभी लोग सहमत हों तो 5 बजे के बाद माननीय शाक्य जी को बुलवा दें और उसके बाद मंत्री जी बोल लें ताकि अगले अनुदान भी लिये जा सकें ।

श्री राम जग–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है । कम से कम हर दल से एक-दो व्यक्ति को बोलवा दें । मान्यवर, राजनैतिक दलों के नेताओं को तो बोलने का अवसर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

कार्यसूची बहुत लम्बी है, बोलने वालों की सूची भी बड़ी लम्बी है । अब केवल दो माननीय सदस्य इधर से और दो माननीय सदस्य उधर से बोलेंगे ।

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (क्रमागत)

उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री (श्री नारायण रामदास)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि राजस्व प्रशासन का जो संगठन है । शासन और राजस्व परिषद् के बीच में आवश्यक तालमेल का प्रारम्भ से अभाव रहा है । कभी-कभी राजस्व परिषद् के जो आदेश होते हैं वह शासन के आदेश के साथ तालमेल नहीं खाते हैं, परिणामस्वरूप खातेदारों को, काश्तकारों को, प्रभावित होने वाले लोगों को बड़ी विसंगतियों

का सामना करना पड़ता है । अभी माननीय सदस्य अम्मार रिजवी साहब ने कहा कि राजस्व परिषद् के अन्तर्गत कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर नहीं आते । इस तरह की विसंगतियां अन्य विभागों में भी हैं । प्रभावशाली ढंग से कोआर्डिनेशन की आवश्यकता है । यह कोआर्डिनेशन तभी हो सकता है जब जिलों का ढांचा सही ढंग से हो । कई जिले ऐसे हैं जिनमें दो-तीन तहसीलें हैं कुछ जिलों के 8-10 तहसीलें हैं यह पता नहीं कि एक तहसील किस ढंग से दूसरे तहसील के साथ तालमेल कर पाती है ।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि प्रशासन को प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए जिलों में तहसीलों की संख्या में समानता आये, साथ ही साथ जो नये जिले सृजित हुये हैं उनके सीमा संबंधी विवादों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ तय किया जाये । इनके विलम्ब करने में जहां गलत सन्देश जाता है वहीं असुविधा भी बढ़ रही है । इसके साथ ही जो बैनामे और दाखिल खारिज की प्रक्रिया है इसका बड़ा विरोध किया गया था । वास्तविकता यह है कि दाखिल खारिज के सम्बन्ध में जो मूल दस्तावेज और अटेस्टेड कापी दी जा रही है उससे ऐतिहासिक सुविधा यह हुई है कि दाखिल खारिज के मामले तुरन्त प्रारम्भ हो जाते हैं । अभी तक स्थिति यह थी कि 25-25 वर्ष तक दाखिल खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो पाती थी, कब्जा किसी और का हो जाता था और सम्बन्धित को रेवेन्यू सट करना पड़ता था । इसमें शपथ-पत्र भी साथ में लिया जाये तो प्रक्रिया और सरल होगी ।

अपने जिले की कुछ बात रखना चाहता हूं । बागेश्वर जिला है उसका नक्शा आजादी से लेकर आज तक रही ढंग से नहीं बना । पिथौरागढ़ और चमोली जनपद के अन्तर्गत बागेश्वर की सीमा दिखायी गयी है । कौसानी के 11 राजस्व ग्राम जो पहले बागेश्वर में थे चालाकी से दूसरे जिले में कर दिया गया, उसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है क्योंकि जनता बहुत आन्दोलित है । वर्ष 1993-94 में हडबाड़ नामक ग्राम है वहां बाढ़ आयी थी । उस समय मुख्य मंत्री मायावती जी थी और मुख्य मंत्री जी वहां आयी थी । वहां आठ परिवार के मकान दब गए थे । वहां पर प्रति परिवार 50 हजार रुपए की घोषणा की गई थी इस पर लिखा जा चुका है इस तरह से राजस्व के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए । इसी तरह से दफा 157 जमींदारी कानून उसमें यह व्यवस्था है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग सवा तीन एकड़ से अधिक जमीन होने पर ही बेच सकते हैं यह तो ठीक है लेकिन जिनके पास कम भूमि है उनकी भूमि बढ़ाने के बारे में भी सोचा जाना चाहिए । इस तरह से जिनकी भूमि एक एकड़ से भी कम 1/14 एकड़ है वह व्यक्ति उन भूमि में जीवन यापन नहीं कर सकता है । उसको बेचने का अधिकार मिलना चाहिए । इसी तरह से चकबन्दी के मामले हैं चकबन्दी के बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें इम्पार्टेट प्लाट को इन्फीरियारिटी प्लाट में बदल दिया जाता है । प्रभावित काश्तकार द्वारा उसको सही करने के लिए कहा जाता है चकबन्दी अधिकारी उसको सही नहीं करता है । इससे काश्तकार पीड़ित हैं । इसी तरह से राजस्व के कई मामले हैं पहाड़ में जमींदारी कानून अलग हैं और उत्तर प्रदेश में जमींदारी कानून अलग हैं ।

कुमायूं और गढ़वाल में कई भूमि कानून हैं वर्ष 1827 से लेकर आज तक उन सारे कानूनों नियमों की एक समीक्षा की जानी चाहिए । इन शब्दों के साथ आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ । मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस बजट का समर्थन करता हूँ ।

श्री राम जग–

माननीय अधिष्ठाता–महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राजस्व विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । राजस्व विभाग महत्वपूर्ण विभाग है राजस्व मंत्री ने अपने बजट जो पेश किया है उसमें 1998-99 वर्ष का ही गुणगान किया है वर्ष 1999-2000 के बारे में चुप्पी साध ली है । जब वह मंत्री बने थे तो मुझे खुशी हुई थी कि वह विद्वान व्यक्ति हैं काफी सुधार लाएगें, लेकिन परिणाम देखने पर उलटा मालूम हो रहा है सही मायने में भूमि सुधार कानून को लागू नहीं किया है । केवल कागज पर

दर्शा दिया गया है । इसी विधान सभा के अन्दर मंगल देव विशारद कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट दीमक चाट रही है उसको सदन के पटल पर नहीं रखा गया । उत्तर प्रदेश में भू-स्वामी प्रथा आज भी कायम है भू-स्वामियों के हाथ में जमीन इतनी ज्यादा पड़ी हुई है उन्होंने सीलिंग की जमीन को बचाने का काम किया है । यह महान विभाग है आप चकरोड तब निकालेंगे जब किसानों की फसल खड़ी होगी । जब फसल न खड़ी हो तब चकरोड निकालने का काम करें । उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार कानून लागू किए बिना उत्तर प्रदेश में कृषि क्रांति नहीं हो सकती है । न ही गरीबों का भला हो सकता है । भू-स्वामियों के हाथ में जमीन पड़ी है अगर आप ईमानदार हैं तो मंगलदेव विशारद की कमेटी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखें आपने कहा कि 3 जून, 1995 के पहले के जो मामले हैं, उन पर अभियान चलाकर हमने कब्जा दिलवाया है । परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि वह कागजों में उनके नाम पर दर्ज नहीं हो पा रही है । जंगल के नाम पर, ताल नदी के नाम पर और पोखर के नाम पर जो जमीन पड़ी है, जिस पर भूमिहीन का कब्जा है परन्तु उसे वह जमीन नहीं दी जा रही है । यह सब इसलिये हो रहा है कि आपका राजस्व विभाग भूमि सुधार को लागू करना नहीं चाहता है । आज चक-रोडों की पैमाइश में गड़बड़ी जिस तरह से हो रही है, मेरा सुझाव है कि जब खेत खाली हों उस समय इसकी पैमाइश होनी चाहिये । हमारा मूल आधार खेती है । 302, 395 और 396 के मुल्जिम को जब आप बंद करते हैं तो जेल में नाश्ता और पानी मिलता है परन्तु यदि किसी छोटे किसान ने अपना बकाया आपको नहीं दिया तो आप उसे तहसील की काल कोठरियों में बंद कर देते हैं, जहां पर पशु भी नहीं रह सकता है और उसे न आप नाश्ता देते हैं और न पानी । पट्टे पर जो जमीन दी गई थी खेतिहर मजदूरों को, सच मायने में देखा जाय तो आज उस पर उनका कब्जा नहीं है ।

आज मछली पालन का क्या हो रहा है । प्राथमिकता के आधार पर जिस कम्युनिटी के लोगों को यह कार्य दे रखा था आप मछली पालन कौन कर रहा है । सामन्ती और भू-स्वामी जैसे लोगों का उन पर कब्जा है । आज मछली पकड़ने वाले उसका खुद मालिक नहीं बन पा रहे हैं । यदि आपको अच्छा काम करना है तो आप मंगल देव विशारद की रिपोर्ट मंगवा लीजिये और उसे लागू कर दीजिये । जब तक आप भूमि सुधार को ठीक ढंग से लागू नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं हो सकता है और न ही तरक्की हो सकती है । आज फर्जी इन्द्राज बड़े पैमाने पर हो रहे हैं । आज जो सबल लोग, हैं, सामन्ती किस्म के लोग हैं या फिर आपके इर्द-गिर्द घूमने वाले लोग हैं ऐसे लोग फर्जी इन्दराज करवाये हुए हैं । आज आजमगढ़ में, पूर्वांचल में अधिकांश जमीनों को फर्जी इन्द्राज में दिखाया गया है । हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के बाद भी इसे नहीं रोका जा सकता है । 41-45 गायब हो गया । आपने कहा कि हमने चिन्हित किये हैं चकबन्दी के लिये परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल में 15-20 साल से खतौनियां गायब हैं 41-45 गायब हैं । आज तहसीलों के भवन नहीं है । आजमगढ़ की भी यही स्थिति है । मान्यवर, तहसील के भवनों के लिये पैसा नहीं है । बाढ़ में अगर स्वयं सेवी संस्थाओं ने काम न किया होता, यदि आपके भरोसे यदि उत्तर प्रदेश के 56 जिले रहते तो उनका कतई भला होने वाला नहीं होता । अधिकारियों ने कमाई काम किया है । राहत के नाम पर केवल जले पर नमक छिड़कने का नाम किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री राम जग–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि विशारद की रिपोर्ट मंगवा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम जग–

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि जो सुझाव दिये गये हैं उन पर ध्यान दें।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

श्रीमन्, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट पर जो राजस्व मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। श्रीमन्, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए पहले से ही मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाह रहा हूं संक्षेप में कुछ सुझाव जरूर देना चाहूंगा जिन पर माननीय मंत्री जी का ध्यान रहे। मैं निश्चित समय के भीतर अपनी बात को समाप्त करूंगा। श्रीमन्, पिछली सरकार जो साझे की सरकार ने बड़े जोरों से राजनैतिक कारण से एक प्रक्रिया शुरू की थी नये जिलों के जन्म देने की। जो कि आज भी इस प्रदेश सरकार के सामने संकट बनी हुई है। उस क्षेत्र को जनता की भावना, संसाधनों का अभाव, प्रदेश सरकार के पास उसके समायोजन करने का संकट बना है। राजनैतिक कारणों से कोई मांग उठाई जाय, कोई घोषणा की जाय यह तो अलग बात है लेकिन तकनीकी कारणों से अगर आवश्यक है कोई जनपद का निर्माण करना, नये मण्डल का निर्माण करना, तर्कसंगत तरीके से आवश्यकता होती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विकास के बहुत से आयाम उससे जूड़े होते हैं। जब पिछली बार मंत्री जी ने बजट पेश किया था मैंने चर्चा की थी और आज फिर स्मरण दिलाते हुए कहना चाहता हूं कि जब पिछली सरकार थी तो तत्कालीन मुख्य मंत्री जी जोर शोर से नये जिलों को जन्म दे रहीं थीं।

मैंने तकनीकी कारणों से मांग की थी 28-6-97 को कि कानपुर दक्षिण जिला बना दिया जाय वहां पर इस वक्त असन्तुलन हो गया है, विकास के नाते, जनता के नाते दक्षिण जिले के रूप में उसका सृजन किया जाय लेकिन खेद है कि राजनैतिक कारणों से घोषणा हो रही थी और तकनीकी कारणों से रोक थी। हमने तर्क दिया था लेकिन उसको कोई महत्व नहीं दिया गया। मार्क कर दिया गया था राजस्व विभाग को और वह प्रक्रिया में चल रहा है। 10-12-97 को मैंने नये मुख्य मंत्री जी का भी ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहा। कानपुर नगर जनपद के 6 विधान सभाओं में 40 लाख की आबादी है। श्रीमन्, नगर निगम ने पूरे नगरीय क्षेत्र को 110 कक्षों में विभाजित किया। 6 विधान सभा में 110 वार्ड हैं। विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर दक्षिण में हैं। 35 वार्ड इसी एक विधान सभा में हैं। 65 वार्ड पांच विधान सभाओं में हैं। दूसरा विधान सभा क्षेत्र छावनी जोड़ दिया जाय पांच लाख उसमें सरसौर में 5 लाख घाटमपुर यह सब मिलाकर 25/30 लाख आबादी का हिस्सा एक तरफ हो गया है। स्थिति यह है कि जितने भी विकास से संबंधित प्रशासनिक कार्यालय हैं जितने भी विकास से संबंधित इकाई न्यायालय हों। वह चाहे चिकित्सालय हों विद्यालय हों, कारागार हों, चाहे प्रशासनिक कार्यालय हों, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, आई०टी०आई० या जल संस्थान हों वह कानपुर उत्तर में हैं ....

(लाल बत्ती जलने पर)

मैं समाप्त कर रहा हूं आबादी बढ़ती गई है पहले आबादी कम थी दो तीन न्यायालय थे जब आबादी बढ़ेगी तो न्यायालय की संख्या भी पचास साठ हो जाएगी लेकिन अगर न्यायालय बहुमंजिली इमारतों पर, आबादी के बीच बनेंगे तो वादकारियों को उधर से निकलकर आना पड़ेगा जिस तरफ आबादी है। सड़क की चौड़ाई और कम हो गई है। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि दशम् वित्त आयोग नये व्यवस्था में नगर निगम को सात परसेन्ट पैसा स्वतः चला जाएगा क्षेत्रफल और आबादी के आधार

पर पैसा देंगे तो कानपुर के दक्षिण बड़े क्षेत्रफल को देखते हुए धन आयेगा व दक्षिण का शोषण करते उत्तर में खर्च होगा। कानपुर में मेरे विधान सभा क्षेत्र में दक्षिण में एक सड़क है उसका नाम ही खूनी सड़क पड़ गया है। मान्यवर, तीन विधान सभा क्षेत्र सीसामऊ, जेनरलगंज, आर्यनगर जोड़ने पर उससे बड़ी गोविन्द नगर मैं संदर्भ एक नये जनपद गठन का देना चाहूंगा राजस्व विभाग से 12 अक्टूबर 1998 को पत्र गया जिलाधिकारी मंडलायुक्त को, इस पर जांच करें विकास क्यों नहीं हुआ है क्या कारण है नये जनपद बनाए जाने पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। विधिवत सूचना मांगी गई है तो उसे शीघ्र आनी चाहिए। इस पर गम्भीरता से विचार करें यह राजनीतिक मांग नहीं है तकनीकी मांग है उस क्षेत्र की आवश्यकता है मैं चाहूंगा मंत्री जी उत्तर भाषण में इस संदर्भ में जानकारी देंगे तो इसमें आश्वासन भी दें। तो दक्षिण में निवास करने वाली जनता पर बड़ी कृपा होगी।

श्री अधिष्ठाता–

समय की कमी के कारण समरपाल जी आखिरी वक्ता होंगे।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने इस महत्वपूर्ण बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव के समर्थन पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय शाक्य जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा। हमारे प्रदेश में बहुत सारे हिस्से में गांव में पिछले बीस वर्षों से चकबन्दी का काम चल रहा है। 20 साल से चकबन्दी हो रही है और किसानों का शोषण हो रहा है। राहत के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। किसानों की मनोदशा क्या है मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं। 1981-82 से चकबन्दी का काम चल रहा है। एक वर्ष पूर्व माननीय मंत्री जी से मिलकर आग्रह किया कि जल्दी इसको पूरा करा दें लेकिन आश्वासन के बाद भी चकबन्दी का काम अधूरा पड़ा है एक तरफ गांव में चकबन्दी का काम पूरा न होने के कारण किसानों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ चकबन्दी न होने के कारण इन क्षेत्रों में अनेक परियोजनाएं रुकी हैं। बागपत जनपद में दाहा, दोधर, टोकरी मवीकला, रछोड आदि ऐसे गांव हैं जहां चकबन्दी का काम अधूरा है उसको पूरा कराने की कृपा करें ताकि किसानों को राहत हो सके।

[समय 5 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग सभी जनपदों में जनहित कार्यों के लिए किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जाता है लेकिन उसका मुआवजा किसानों को 8-10-15 सालों तक नहीं दिया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है चूंकि किसानों के पास जमीन के अलावा भरण-पोषण का कोई दूसरा साधन नहीं है जब उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाता है तो वह खेती भी नहीं कर सकते हैं जिससे उनके सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है और जमीन भी अधिग्रहण कर ली गयी तो उनकी हालत क्या होगी यह हम सभी जान सकते हैं। वह क्या खायेगा और कैसे अपने परिवार का भरण-पोषण करेगा। जब उसे मुआवजा नहीं मिलता है तो उसके सामने चारी डकैती करने के अलावा क्या बचता है। इसलिए अनुरोध है जहां किसानों की जमीन अधिग्रहण की जाय तो आप उसमें ऐसा प्राविधान करें कि जब जमीन पर कब्जा लें तो उससे पहले बाजार भाव से जमीन की कीमत का मुआवजा किसानों को दिलाया जाय जिससे वे कोई दूसरा धन्धा शुरू कर सकें।

(इस समय 05 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

मान्यवर, बाढ़ के संबंध में कई माननीय सदस्यों ने कहा है इसलिए मैं इस संबंध में अब अधिक नहीं कहूंगा। मैं केवल अपने बागपत क्षेत्र के संबंध में कहना चाहता हूं कि वहां जलभराव की समस्या

बराबर बनी रहती है जिससे हजारों एकड़ जमीन में जल-भराव के कारण किसान अपनी फसल गेहूं तक नहीं बो पाये हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बागपत क्षेत्र के किसानों को कोई अनुदान नहीं दिया गया है इसलिए सरकार उनकी सहायता के लिए कुछ करे।

मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा हरियाणा से लगी हुई है और यमुना नदी हरियाणा से उत्तर प्रदेश होते हुए जाती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच सीमा विवाद काफी वर्षों से चला आ रहा है। हरियाणा की पुलिस वहां के किसानों को मदद करती है। जिससे हमारी हजारों एकड़ जमीन पर हरियाणा के किसानों ने कब्जा कर लिया है और यहां के किसान अपनी जमीन पर खेती करने से वंचित हो रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में दीक्षित एवार्ड के ऊपर उत्तर प्रदेश ने तो अमल कर दिया है लेकिन हरियाणा सरकार अपने अभिलेखों के अन्दर इसका संशोधन नहीं किया है जिससे यहां के किसानों का शोषण किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप अब तक दो सौ किसान मौत के घाट उतर चुके हैं और यदि यह सीमा विवाद हल नहीं किया गया तो और भी मौतें हो सकती हैं। इसलिए मंत्री जी से अनुरोध है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच जो सीमा विवाद है उसका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाय जिससे हजारों किसान परिवार जो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं वे अपने घरों को वापस जा सकें और खेती करके अपने परिवार का गुजारा कर सकें।

मान्यवर, किसानों को सरकार की छोटी-छोटी देनदारियों पर जेलों बन्द कर दिया जाता है। बकाये की स्थिति में किसानों के विरुद्ध आर०सी० काटी जाती है और उनके घरों की कुर्की की जाती है। कोई अधिकारी किसान की बात को नहीं सुनता है और उन्हें जेलों में बन्द कर दिया जाता है जबकि उसी किसान का हजारों रुपया चीनी मिलों पर बकाया रहता है।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि किसी भी किसान की आर०सी० काटने से पहले, बन्द करने से पहले इस बात की तसदीक कर ली जाय कि चीनी मिल मालिकों का पैसा उनका बकाया है और अगर बकाया है तो आर०सी० न काटी जाय और न ही उत्पीड़न की कार्यवाही की जाय। मान्यवर, तहसील दिवस की बात कही गयी कि तहसील दिवस का आयोजन किया जा रहा है और अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो डी० एम० और एस०डी०एम० जाते हैं और लोग उनके पास अपनी दरख्वास्त लेकर जाते हैं लेकिन उनके आदेशों का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। मेरे पास दर्जनों ऐसी एप्लीकेशन हैं, लोग अपनी चकरोड इत्यादि के संबंध में जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी से मिले उन्होंने आदेश तो कर दिया लेकिन उनके आदेशों पर अमल नहीं हुआ। इसलिए एक सैल बनाये, मानिटरिंग करें। जो दरख्वास्तें तहसील दिवस में आये वह कितनी हैं और संबंधित अधिकारी ने क्या आदेश किया। उनका पालन हुआ है या नहीं इस बात की जांच जब तक नहीं करायेंगे तब तक यह आयोजन करना बेकार है। अगर इन सुझावों पर ध्यान देंगे तो प्रदेश की जनता को राहतें मिलेंगी। इसी के साथ शाक्य जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, राज्य व्यवस्था में राजस्व व्यवस्था का योगदान होता है इस बात पर बल दिया। लेखपाल से लेकर सचिवों के वेतन आदि तक की जिम्मेदारी निभाने वाले विभाग ने नागरिकों और अधिकारियों की दूरी को कम किया है। मुख्य मंत्री जी की नयी सोच, नया संकल्प, नई सेवा भावना, नया चिन्तन, नयी कार्य संस्कृति की जो सोच हैं, उसको मूर्त रूप देने का काम मा० राजस्व मंत्री जी ने किया है।

मान्यवर, चाहे मामला चकबन्दी का हो, राजस्व वाद के निस्तारण का हो, दाखिल खारिज का हो या चकरोडों से अतिक्रमण हटाने का हो, किसानों को तहसील और कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे आज वह चक्कर लगाने कम हुए हैं चक्कर न लगाकर अपने खेत खलिहान में फसलों के उत्पादन में लगा

हुआ है । मान्यवर, जब से जमींदारी विनाश अधिनियम आया उसके बाद से जो नान जेड एरिया था उसका बन्दोबस्त नहीं हुआ । उनमें खेवट व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए । 1934-40 में बन्दोबस्त हुआ था उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में चकबन्दी की प्रक्रिया तो प्रारम्भ हुई, शहरी क्षेत्र तथा उसमें जो गांव आ गये हैं उनका बन्दोबस्त नहीं हुआ उसकी समस्या आज मुंह बाये खड़ी है । ऐसे ग्राम जो नगरीय आबादी के अन्दर आये हैं उसमें भी बन्दोबस्त की व्यवस्था लागू की जाये । मान्यवर, प्रदेश में महानगरीय क्षेत्र में 12 नगर हैं अब उसमें कानपुर नगर को जिला का दर्जा मिला हुआ है । मेरा अनुरोध है कि अन्य 11 महानगरों को भी जिला का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए । इनकी समस्याएं अलग हैं ताकि प्रशासनिक कार्य आदि में सुविधा हो सके । मान्यवर, जहां तक भूमि के अर्जन के प्रतिकर का प्रश्न है, प्रतिकर का भुगतान राजस्व विभाग करता है और राजस्व विभाग तभी करता है जब अर्जन निकाय उसका भुगतान उसे करेगा इसमें काफी समय लग रहा है । इसमें भुगतान राजस्व विभाग स्वयं तुरन्त कर दें और अर्जन निकाय से पैसा वसूलता रहे । मेरठ में 10-10 साल से करीब 90 करोड़ रु० किसानों का मेरठ विकास प्राधिकरण पर प्रतिकर भुगतान का बकाया है । एक तरफ तो किसान की खेती की बरबादी हो गयी दूसरी तरफ उसको पैसा भी नहीं मिला । इसी के साथ प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समय का ध्यान रखें ।

श्री रामसिंह सैनी–

मान्यवर, यह जो राजस्व परिषद् है यह सफेद हाथी है । इसमें मामले बहुत लम्बी अवधि से लम्बित पड़े हुए हैं आपको कोई कार्य योजना बनानी चाहिए ताकि इनका शीघ्र और समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो सके । इसकी एक ब्रांच मेरठ में स्थापित कर दें तो बहुत आसानी हो जायेगी लोगों को । जो वसूली का काम है वह आप क्यों लेते हैं । बैंक कर्जा देता है, आप किसानों को बन्द कर देते हैं । जबकि दूसरी ओर किसानों का गन्ने के बकाया का पैसा पड़ा रहता है । यह जिम्मेदारी वसूलने की बैंक की होनी चाहिए न कि राजस्व विभाग की । एस०डी०एम० आपके मजिस्ट्रेट भी है वह रेवेन्यू विभाग का काम भी करते हैं । वह एस०डी०एम० किसी भी मामले का निस्तारण नहीं करते हैं रोजाना के एडमिनिस्ट्रेशन में लगे रहते हैं । अब हर जगह एस०डी०एम० के साथ-साथ ए०एस०डी०एम० तैनात हो गये हैं । ए०एस०डी०एम० को आप रेवन्यू का काम दे दें ।

किसानों की भूमि का जो अधिग्रहण करते हैं उनका पेमेन्ट फंसा रहता है । रुड़की में कृषि मण्डी बनी 10-15 साल हो गये । किसानों की भूमि अधिग्रहीत हुए 12 साल हो गये भुगतान नहीं हुआ । इसी तरह से एक प्राइवेट फैक्ट्री लग रही है गन्ने की जो मिल मालिक लगा रहे हैं वह ओपेन मार्केट में जमीन खरीद रहा है । मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं । मैं बधाई देना चाहता हूं आपको कि आपने जो विधवाओं को भूमि में अधिकार दिया है । टोडरमल के समय में सेटेलमेन्ट का कार्य हुआ था । चौधरी चरण सिंह जी ने राजस्व के कामों को काफी आगे बढ़ाया । हदबन्दी कानून, चकबन्दी कानून, जमींदारी एबालिशन–यह काफी काम चौधरी साहब ने किये । हम चाहते हैं कि आप विधायकों की एक कमेटी बना दें आपके ऐक्ट बहुत ज्यादा हैं उनको समायोजित करके एक ऐक्ट बनाये तो ज्यादा प्रभावी होगा । इन्हीं शब्दों के साथ भाई राम औतार शाक्य जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने राजस्व बजट के समर्थन में बोलने तथा सुझाव देने के लिये आपने मुझे मौका दिया । माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से अपना बजट रखा है । मेरे यहां जनपद कन्नौज में एक नई तहसील तिर्वा बनी है, तहसील सुचारु रूप से चलने भी लगी है लेकिन तहसील का तहसील भवन नहीं बना है । मैं निवेदन करूंगा कि तहसील भवन बनाने के लिये

धन आवंटित करने की कृपा करें। वहां रजिस्ट्री का दफ्तर भी शुरू हो गया है लेकिन ट्रेजरी नहीं बन पाई है, बिना ट्रेजरी के कोई भी तहसील अधूरी होती है, इसलिए शीघ्र ही तिर्वा तहसील में ट्रेजरी खुलवाने की व्यवस्था करें।

मान्यवर, तिर्वा तहसील में न्याय पंचायत तरीद, मोउददीन नगर, आरहो है, छिबरामऊ के काफी नजदीक पड़ते हैं, उन्हें छिबरामऊ तहसील में जोड़ दिया जाय। इसी प्रकार कुछ छिबरामऊ तहसील के ताल ग्राम ब्लाक में ताहंपुर के पारू की तीन न्याय पंचायत जो तिर्वा तहसील के नजदीक पड़ते हैं। यह तीन न्याय पंचायत छिबरामऊ तहसील से निकालकर तिर्वा तहसील में जोड़ दी जाए।

मान्यवर, चकबन्दी के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि कन्नौज–फर्रुखाबाद जिले में मिलाकर एक एस०ओ०सी० का चार्ज एस०डी०एम० सदर को चार्ज दे दिया गया है, इससे कन्नौज जिले में चकबन्दी का काम पूर्ण रूप से बाधित है। मेरा निवेदन यह है कि हमारे कन्नौज जिले में नई चकबन्दी यूनिट बनाकर एस०ओ०सी० की नियुक्ति की जाय, यदि यह कार्य शीघ्र संभव न हो तो इसके साथ ही हमारे कन्नौज के जिलाधिकारी से किसी एस०डी०एम० के नाम का प्रस्ताव लेकर जिस प्रकार फर्रुखाबाद में एस०डी०एम० चार्ज लिये हुये हैं उसी तरह कन्नौज में किसी एस०डी०एम० को एस०ओ०सी० का चार्ज दिलाया जाय, जिससे कई ग्राम सभा में कब्जा परिवर्तन की जो कार्यवाही लम्बित है, वह पूरी हो सके।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि चकतोड़ बैनामा हो जाने में बहुत समस्या पैदा होती है, किसी व्यक्ति की कुछ आवश्यकता है, किसी को पुत्री की शादी करना है, किसी के यहां कोई बीमारी है, वह यदि किसी को अपनी जमीन का पार्ट में बैनामा करता है और ऐसा बैनामा विवाद के कारण यदि न्यायालय में पहुंच जाता है तो बैनामा शुदा आयगी जमीन ग्राम समाज में दर्ज हो जाती है।

कई न्यायालय में पार्ट के बैनामा में विक्रेता का पूरा रकवे से विक्रेता का नाम काटकर खरीददार के नाम पूरा दर्ज कर दिया जाता है। जिससे विक्रेता पारिवारिक भुखमरी की कगार पर पहुंच जाता है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में, जनता के हित में आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप इस चकतोड़ बैनामा में दाखिल खारिज होने के नियम में संशोधन कर दें। जिससे पार्ट बैनामा का दाखिल खारिज होने में किसानों को परेशानी दूर हो सके। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

(समाजवादी पार्टी की ओर से कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

देखिये, यह पहले ही तय हो गया था कि समरपाल जी अन्तिम वक्ता होंगे। मैं आप लोगों को समाज कल्याण पर बुलवा दूंगा। कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, दो मिनट का समय दे दें। मैं इसी बजट पर अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप समय को देखें। सभी लोग इसी बजट पर बोलना चाहते हैं। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मुझे एक मिनट लगेगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप सहयोग करें, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपका लिखा नहीं जा रहा है।

(व्यवधान)

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[x x x]

(व्यवधान)

[x x x]

(व्यवधान)

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

अब आप ज्यादती कर रहे हैं । अब बिल्कुल समय नहीं दूंगा ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप कार्यवाही चलने दें । आपका लिखा नहीं जा रहा है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो राजस्व का बजट प्रस्तुत किया है और जो मैंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसमें जिन लोगों ने भाग लिया, उनका मैं आभारी हूं । सभी माननीय सदस्यों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमि सुधार की चिन्ता व्यक्त की है । भूमि सुधार का जो कानून है और उसमें जो कमियां हैं, उनको दूर किया जाये, इसलिये उसमें सुधार करने की आवश्यकता है । माननीय मिश्र जी हरदोई के हैं, उनका कहना है कि 1856 में मल्लावां जिला था और बाद में हरदोई में मिला दिया गया । मल्लावां ऐतिहासिक स्थान है । इसलिए कि हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी इसीलिए मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी मल्लावां को जिला घोषित कर दें । पिछली सरकार ने जिले बनाये और तहसीलें बनायी मैं इस बात से चिन्तित था और बजट में कहीं पर इन नये जिलों और तहसीलों के लिये न्यायालय, हवालात और विकास कार्यों के लिये कोई व्यवस्था की गयी है या नहीं इसके लिये सरकार ने कितना रुपया रखा है लेकिन सरकार की इस संबंध में नीति स्पष्ट नहीं है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह नये जिले या तहसीलें आप समाप्त करने जा रहे हैं अगर समाप्त करना चाहते हैं तो इससे अच्छा अवसर और कौन होगा आज की घोषणा कर देते कि पूर्व में जो जिले या तहसीलें बनी हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, तो हम स्वागत करते । अभी हमारे भाई अम्बेडकर जिले के लिये चिन्तित थे वहां की एक तहसील आलापुर । उसका दफ्तर नहर विभाग के डाक बंगले में चल रहा है । इसी तरह से जो नये जिले या तहसीलें बनी हैं उनके कार्यालय निजी मकानों या डाकबंगलों में चल रहे हैं इसलिये जब आप उत्तर भाषण दें तो अपनी नीति स्पष्ट करें कि नये जिलों और तहसीलों के बारे में कितना रुपया दे रहे हैं । इसी तरह से पट्टे वाली बात है ।

गांव का बड़ा नम्बर जो होता है उसमें काश्तकारों को पट्टे दिये जाते हैं । तो पट्टेदारों में से कुछ ऐसे होते हैं जो मेहनत करके अपनी जमीन को उपजाऊ बना लेते हैं लेकिन अनेक पट्टेदार ऐसे होते हैं जो जमीन पर काम नहीं करते हैं और वह ऊसर के रूप में पड़ी रहती है । इसके बाद 10-5 साल बाद कुछ पट्टेदार जो ताकतवर होते हैं वह दूसरों की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं और लेखपाल से मिलकर खसरे में दर्ज करवा लेते हैं और खसरे में बटा लिखा देते हैं और मैप में भी बटा लिखवा देते हैं । इससे तमाम विवाद पैदा होते हैं और वह व्यक्ति जिसने मेहनत करके अपनी जमीन उपजाऊ बनायी है वह परेशान होता है । इसके लिये मेरा निवेदन है कि कोई व्यवहारिक प्रक्रिया बनायी जाय ताकि अनावश्यक

नोट :–[x x x] माननीय अध्यक्ष जी अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये ।

विवाद पैदा न हो और जोतने वाले के हितों पर कुठाराघात न हो । जिस समय उसे पट्टा दिया जाय उस समय ही पड़ताल करके खसरे में बटा डाल दिया जाय । इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं क्योंकि पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने हमारी ही बात का समर्थन किया है ।

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

मान्यवर, यह बजट प्रस्ताव के संबंध में इस सदन के सम्मानित सदस्यों ने विचार रखे हैं और जो सुझाव दिये हैं उसके लिए सभी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं । प्रत्येक माननीय सदस्य ने कहीं तहसील भवन, कहीं बन्दीगृह बनाने की बात कही है और कटौती की बात भी कर रहे हैं तो क्या बिना धन के तहसील भवन व बन्दीगृह बन पायेंगे । आपने जो सुझाव दिये हैं खासतौर से माननीय शाक्य जी ने जो सुझाव दिये हैं दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया थी उसमें आपने काफी ला की बात बतायी थी । प्रक्रिया रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के तहत चलेगी । मैंने केवल यह बात कही थी कि बैनामे की एक कापी तहसील में चली जायेगी । उसमें अधिवक्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है । अगर शपथ-पत्र और बैनामे दाखिल कर दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी । पहले 6 महीने में बैनामा मिलता है, तहसील में जाकर मुकदमा दायर करना पड़ता है, उसका हमने सरलीकरण कर दिया ।

चकबन्दी के बारे में बात आयी । माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की । आप लोगों ने 15-20 साल की बात कही, मैंने सबसे पहले कहा था कि चकबन्दी 1962 से चल रही है । हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया । सत्ता संभालने के बाद हमने सरलीकरण किया है । जो विपक्ष में बैठे हुये लोग हैं उनको सरकार बनाने का मौका मिला था, 1962 से चकबन्दी चल रही है । आपने 15-20 साल ही स्वीकार की । जो व्यवस्था प्रदेश में थी उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं । जैसे कि मैंने कहा कि दो-चार महीने का समय और लगेगा । 10 साल से पुराना कोई जिला नहीं होगा जहां चकबन्दी न हुई हो । चकमार्गों की बात आयी । बहुत चर्चा हुई है । 30 जून, 1999 तक चक मार्गों से अवैध कब्जा हटवाकर चकरोडों के किनारे पत्थर लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं । बनारस में मैंने एक गांव में खुद अपने हाथ से पत्थर लगाया है । जो आपने सुझाव दिये हैं उस पर विचार करेंगे । जो नये जनपदों की बात कही । नये जनपदों के बारे में सभी को जानकारी है कि मंत्रि-परिषद् की उप समिति विचार कर रही है, जनपदों की सीमायें और उसके अस्तित्व के बारे में । जितने नये जिले बने हैं वहां से प्रत्यावेदन प्राप्त हुये हैं वह सैकड़ों की संख्या में है । मंत्रि-परिषद् की उप समिति उन प्रत्यावेदनों पर विचार कर रही है ।

बाद में मंत्रि-परिषद् के सम्मुख रखा जाय और कोई निर्णय लिया जाय । नये जिलों के बारे में कहना है कि अभी-सभी जगह जमीन की व्यवस्था नहीं हुई है कुछ जगह जमीनों की व्यवस्था हुई है वहां पर प्रक्रिया चल रही है । नई तहसीलों में कुछ सीमाओं की बात है । नए जनपदों के बारे में जो उप समिति बनी है वह प्रदेश की जनता के विधायकों के अध्यक्षों के प्रतिवेदन जो आए हैं उन पर विचार कर रही है उन प्रतिवेदनों पर विचार करके उप समिति निर्णय लेगी । चूंकि समय कम है लेकिन जो सुझाव दिए गये हैं उन पर गंभीरता से विचार करके उन पर निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा । इन शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस बजट पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए इसके साथ ही साथ मैं अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने काफी मेहनत करके इसको तैयार किया है । मैं शाक्य जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राम औतार शाक्य–

वैसे तो मैं तुरन्त अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेता लेकिन हमने जो सुझाव दिये हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कही गई । गांव में आबादी का बन्दोबस्त होना है उसके संबंध में कोई बात नहीं कही है । दूसरी बात यह है कि जो तामीरात हो जाता है उसका खजाने के लिए रिव्यू लगाने में क्या प्राविधान करेंगे उसके संबंध में कोई बात नहीं कही इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,07,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,07,96,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,78,52,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा और मतदान–अनुदान संख्या–79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या–87, सैनिक कल्याण विभाग

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव) (हरीश जी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–79– समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 63,35,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,53,94,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 13,38,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 14,22,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, मैंने कुल सात अरब, छियालीस करोड़, नब्बे लाख, 12 हजार रुपये की अनुदान मांगें इस सदन में आपके अनुमति से प्रस्तुत की है । मान्यवर, इस विभाग में सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि पात्र लाभार्थी का चयन हो और उसकी स्वीकृतियां और प्राप्तियां बिना किसी कठिनाई से समय से उसे प्राप्त हो सके । पिछले वर्ष बजट रखते समय मैंने इस बात की घोषणा की थी कि पूरा प्रयास किया जायेगा कि पात्र लाभार्थियों का चयन हो और उसका लाभ समय से उसको प्राप्त हो जाए । और उसके लाभ की स्वीकृति और प्राप्ति के बीच जितनी भी कठिनाइयां उत्पन्न होती थी उसे दूर करने का प्रयत्न किया गया है । कहा था कि लाभ की स्वीकृति और प्राप्ति में जो देरी है, दूरी, दलाली है उसको निष्प्रभावी किया जायेगा । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 8 महीने के प्रयास में इस देरी, दूरी दलाली को निष्प्रभावी करने में विभाग को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है । मान्यवर, यह काम करने में कुछ और भी प्रबन्ध करने पड़े हैं । व्यक्ति को तत्काल बदल देना आसान नहीं है पिछले अनेक वर्षों से जो आदी हैं, आदते हैं उनको बदलना इतना आसान नहीं है लेकिन काम पद्धतियों को बदल कर अच्छी व्यवस्थाओं को लागू करके इन गड़बड़ियों को नियंत्रित किया जा सकता है । नई पद्धतियां, नई वितरण व्यवस्था लागू की गयी, किये गये कार्यों का सत्यापन किया गया, सर्वेक्षण किया गया और समीक्षा बैठकें की गई ।

मेरे सहयोगी राज्य मंत्री, विभाग के हमारे अधिकारियों ने व्यापक दौरे करके उन गलतियों का पता किया जिसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की गई । फलस्वरूप देरी, दूरी और दलाली को निष्प्रभावी करने में विभाग को सफलता प्राप्त हुई । मान्यवर, छात्रवृत्ति का विषय है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, पिछड़े वर्ग के छात्रों, पूर्व सैनिक के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है । यहां पर यह नई व्यवस्था की गई है कि विद्यालय के स्तर पर जो चयन होता नगरों और ग्रामों में । ग्रामों में ग्राम प्रधान से हारे हुए निकटतम प्रतिद्वन्दी को और शहरों में सभासद के हारे हुए निकटतम प्रतिद्वन्दी को चयन समिति में सम्मिलित किया गया है जिससे छात्रवृत्ति के लिये सूची बनाने में जो एक गड़बड़ी होती थी वह नियंत्रित हुई है ।

हमने व्यवस्था की है कि अब विद्यालय के बाद बी एस० ए०, इन्स्पेक्टर आफ स्कूल और डिग्री कालेज के प्रिसिंपल, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के यहां से सूची प्रमाणित होकर आती है उसके बाद विद्यालय से संबंधित खाते में वह धनराशि ट्रांसफर कर दी जाती है । अभिभावक दिवस के दिन सब लोगों की उपस्थिति में वह छात्रवृत्ति वितरित की जाती है । इस व्यवस्था को लागू करने का परिणाम हुआ है है कि जहां 1-2 वर्ष तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी अब समय से मिल रही है और इस पर लोगों ने सन्तोष प्रकट किया है । यह सब होने के बाद भी जहां गलतियां मिली हैं, सत्यापन करके दण्डात्मक कार्यवाही की गई है । छात्रों की छात्रवृत्ति दुगुनी कर दी गई । यह अच्छा कार्य किया गया है। धन के अभाव में छात्रों को पढ़ने में कठिनाई होती थी, वह अब दूर हुई है । छात्रवृत्ति वितरण का सत्यापन हुआ । जो गलतियां प्रकाश में आईं, फरवरी, 1999 तक उसके अनुसार 245 विद्यालय ऐसे

निकले हैं जिनकी या तो मान्यता नहीं है या फर्जी है । ऐसे विद्यालयों की मान्यता रद्द करने के लिये शिक्षा विभाग को लिखा गया है । 55 प्रधानाध्यापकों के खिलाफ एफ० आई आर० दर्ज कराई गई है । 10 प्रधानाध्यापक निलम्बित किये गये हैं । इन विद्यालयों से 8 लाख रुपया वापस पाने में सफलता मिली है । मान्यवर, इन कामों के कारण लोग सिहरे हैं, डरे हैं, गल्ती से घबराने लगे हैं, मान्यवर, पिछड़े वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलने की जहां तक बात है । पिछड़े वर्ग के बच्चों की संख्या काफी है लेकिन जू० हाईस्कूल तक पिछड़े वर्ग में केवल 11 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती आई है चाहे बच्चों की संख्या कितनी भी हों तब भी केवल 11 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है । इस दुखद स्थिति को दूर करने के लिये विभाग ने प्रयास किया है । वर्तमान में हाईस्कूल तक के पिछड़ी जाति के बच्चों के आधार पर यदि 1 अरब 33 करोड़ की व्यवस्था हो जाए तो हाईस्कूल तक के पिछड़े वर्ग के सभी बच्चों को छात्रवृत्ति मिल सकती है । इसी तरह से हाईस्कूल से ऊपर हायर एजूकेशन तक के छात्रों को जिनके परिवार की आय 44500 रु० वार्षिक है अगर 2 अरब 1 करोड़ की व्यवस्था हो तो इस आय सीमा तक के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा सकती हैं ।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाई स्कूल तक के तथा हायर एजूकेशन तक के छात्रों के लिये 50 प्रतिशत धन स्वीकृत कर दिया है । 50 प्रतिशत धन भारत सरकार का अंशदान अभी प्राप्त नहीं हुआ है । मुझे आशा है भारत सरकार शीघ्र अंशदान दे देगी । हमारी सरकार का प्रयास है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग तथा गरीब बच्चों के बीच शिक्षा का विस्तार एक योजना के अन्तर्गत उन प्राथमिक विद्यालयों को जिनमें कि 50 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जाति के होंगे उनके और भी मानक हैं उनको अनुदान दिया जाएगा । परन्तु पांच साल तक किसी भी सरकार ने आंख उठाकर इनकी ओर नहीं देखा । हमारी सरकार ने हिम्मत की है पचास प्रतिशत अनुसूचित जाति के बच्चे जहां हैं कुछ और और भी मानक हैं । यदि वह इसको पूरा करते हैं तो उनको अनुदान सूची में ले लिया जाएगा तो उनको अनुदान दिया जाएगा इस वर्ष मानकों के अन्तर्गत 301 विद्यालय चयनित हुए हैं जिनको अनुदान की सूची में लिया गया है । इन विद्यालयों को अनुदान देने के लिये पांच करोड़ की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार से हो गई है । इसी तरह से जो अनुसूचित जाति, जनजाति के आश्रम पद्धति विद्यालय चलते हैं उनमें भरण पोषण के लिये मात्र 200 रुपया मासिक दिया जाता था अब 550 रुपया मासिक कर दिया गया है । ऐसे वर्ग के लोगों के लिये प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में भाग लेने के लिये कोचिंग कक्षाएं चलाई जाती हैं जो लखनऊ में भागीदारी भवन में चलने वाले शोध प्रशिक्षण संस्थान में भरण पोषण के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी को 200 रुपया दिया जाता था । वहां भी सरकार ने 550 रुपया कर दिया है । शिक्षकों को प्रति पीरियड 25 रु० मानदेय दिया जाता था हमारी सरकार ने इसको बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया है । इसी प्रकार से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये प्रवेश परीक्षा के लिये अलग से व्यवस्था की गयी है । भारत सरकार की सहायता से एक ऐसी योजना प्राप्त हुई है जिसमें पांच स्थानों से प्रस्ताव आये हैं और इसमें पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा के लिये प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होगी । अभी तक लखनऊ, बरेली, फैजाबाद, इलाहाबाद कानपुर आदि से पांच प्रस्ताव आये हैं और उनका परीक्षण किया जा रहा है । यह कार्य ख्याति प्राप्त कोचिंग कालेज, डिग्री कालेज तथा विश्वविद्यालयों में होगा ।

मान्यवर, 60 वर्ष के ऊपर बेसहारा वृद्ध लोगों को 125 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है । इसी तरह से विकलांग व्यक्तियों को जो पेंशन 100 रुपये प्रतिमाह दी जाती है उसे भी बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया गया है । मान्यवर, यह धनराशि अत्यन्त अल्प है लेकिन बेसहारों के लिये सहारा है । साथ ही इसी में जो बिचौलिये घूमते थे उन्हें भी निराशा हाथ लगी क्योंकि शिविरों किसान सेवा केन्द्रों, नगरीय केन्द्रों के माध्यम से पेंशन का वितरण होने लगा है, मान्यवर, जो कहा जाता है कि वृद्ध और विकलांग लोग घूम रहे हैं और उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 13 लाख वृद्धों को पेंशन देने का लक्ष्य है और 1.50 लाख विकलांगों को पेंशन देने का लक्ष्य है इसी लक्ष्य के अनुसार वित्तीय व्यवस्था है जिलों

का लक्ष्य निर्धारित कर धन भेज दिया गया है । विकास खण्डों और नगरीय क्षेत्र का भी लक्ष्य जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित करने के लिये निर्देशित कर दिया गया है । मान्यवर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ही पेंशनरों को पेंशन दी जा सकेगी ।

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय ढाई लाख ऐसे फार्म कार्यालयों में पड़े हैं जिनमें लोग पात्र हैं किन्तु वित्तीय साधन न होने के कारण उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है । इसलिये हमने एक रास्ता निकाला है जिसमें सफलता मिली है । मृतक और अपात्र पेंशनर्स की जांच का अभियान लिया गया । फरवरी, 1999 तक की जांच रिपोर्ट के अनुसार 66,435 पेंशनर्स ऐसे मिले हैं कि जो मर चुके हैं अथवा अपात्र हैं । जिलाधिकारी को लिखा गया है कि इन मृत वृद्धों का पता लगाया जाय कि क्या इनके मरने के बाद भी पेंशन दी गयी है । यदि पेंशन दी गई है निर्गत धन को वापिस करवाया जाय तथा फर्जी लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाए । मान्यवर, इन मृतकों और अपात्र पेंशनरों के स्थान पर "प्रथम आता प्रथम पाता" के आधार पर समायोजित करने के निर्देश भेज दिया गया है ।

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, इसी तरह से शादी, बीमारी, मातृत्व लाभ और पारिवारिक लाभ यह चार ऐसे मद हैं, जिनका कोई भी लक्ष्य नहीं था । शादी हो तो दस हजार रुपया, बीमारी हो तो दो हजार रुपये, दुर्घटना के लिये 10 हजार रुपये, गर्भवती हो तो तीन सौ रुपये देने का प्राविधान है । लेकिन वित्तीय उपाशय सीमित होगा तो कहां से यह सहायता दी जायेगी । यदि एक जिले को 20 लाख रुपया दिया गया । तो मैंने निर्देशित किया कि 20 लाख में से 16 लाख शादी के लिये और चार लाख बीमारी के लिये समझे । 16 लाख के हिसाब से एक वर्ष में एक जिले में 160 लोग पायेंगे और दो हजार के हिसाब से चार लाख में दो सौ लोगों को मिलेगा । मैंने इन योजनाओं का भी जिलानुसार वित्तीय व्यवस्था के अनुसार भौतिक निर्देश दिया है ।

स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता के अनुसार लोगों को ऋण देने की व्यवस्था है, मान्यवर, ऋण तो बहुत बटा, लेकिन गरीबी की रेखा की सीमा में घटोत्तरी क्यो नहीं आयी, सात अरब से ज्यादा इसी साल का बजट है । यह सब रुपया बटता है लेकिन इसके बाद भी गरीबी की रेखा की सीमा नहीं घटती है । स्वतः रोजगार योजना के नाम पर विभिन्न निगमों द्वारा प्रतिवर्ष दो अरब रुपया वितरित होता है लेकिन वितरण कैसे होता था । चयनित लाभार्थी के धन का चेक फर्म के नाम कटता था फर्म के खाते में जमा होता था, बैंक भी अपना अंश उसी खाते में जमा करता था । फर्म के पीछे लाभार्थी हाथ जोड़कर घूमता था । वह घटिया और कम माल देता था । मान्यवर, नई व्यवस्था के अनुसार अब लाभार्थी के ही नाम चेक बन रहा है और लाभार्थी के ही खाते में जमा हो रहा है ।

मान्यवर, अनुदान और मार्जिन मनी का धन उस लाभार्थी के खाते में जमा होतीं है बैंक भी अपना अंशदान उसी के खाते में जमा करता है । आज लाभार्थी खुश है । वह इस ऋण से काम करता है या नहीं, इसका भी सर्वेक्षण कराया जा रहा है । इस काम से लाभ भी प्राप्त करें । अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, सैनिक कल्याण निगम जो हमारे पास हैं उनकी रिकवरी 10 से 12 प्रतिशत थी अब वह रिकवरी 35 से 40 प्रतिशत हो गयी है । यह सफलता हमें इसलिये मिली है कि लाभार्थी की आय बढ़ी है ।

मान्यवर, भारत सरकार की योजनानुसार 20 व्यवसाय ऐसे चिन्हित किये गये जिनमें पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा और ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद उन्हें रोजगार के लिये ऋण दिया जायेगा यह कार्य स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा होगा । अभी तक 35 प्रस्ताव आये हैं । भारत सरकार पूरा पैसा देगी । इसका परीक्षण हो रहा है । ऋण देने का कार्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम द्वारा होगा ।

मान्यवर, विकलांग लोगों को छात्रवृत्ति और पेंशन तो मिलती ही है, परिवहन निगम की जो बसें हैं उसमें उनको निःशुल्क यात्रा करने की भी सुविधा प्रदान कर दी गयी है । एक सह यात्री को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान कर दी गयी है । विकलांग की परिभाषा में इस यात्रा के लिये परिवर्तन कर दिया गया है । पूर्ण रूप से एक अथवा दोनों हाथ दोनों पैर कटे हों, मन्द बुद्धि हो, पूर्ण अथवा अल्प दृष्टि होने से, एक हाथ, एक पैर लकवा ग्रस्त हो, इसमें कोई आय की सीमा नहीं रखी गयी है यात्रा की दूरी नहीं रखी है । (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) सरकारी सेवाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है । ऐसे 64 पद चयनित किये गये हैं उनमें विकलांग सेवा में लिये जा सकते हैं । रोस्टर का जो विवाद था उसको भी हल करने में लगे हुए हैं ।

मान्यवर, दो बड़े विद्यालय एक खुंशीपुर वाराणसी में और दूसरा लखनऊ में खोलने की योजना है । इन विद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण, मेडिकल आदि की व्यवस्था होगी ।

सैनिक कल्याण विभाग द्वारा शहीद सैनिकों के ग्रामों को चयनित किया जा रहा है । अम्बेडकर ग्रामों की तरह भगत शहीद ग्रामों का भी विकास कराया जाय इसके लिये कार्य योजना तैयार कर स्वीकृत के लिये अग्रसारित किया जायेगा । ऐसे गांवों का पूर्ण विकास करने के लिये मान्यवर, मैं यहां सेन्ट्रल कमान्ड गया था, वहां शहीद सैनिकों की पत्नियां आई हुई थीं, उनको पुरस्कार दिया जा रहा था । नाम पुकारा जा रहा था, फलां की विधवा, फलां की विधवा । पच्चीस बार मैंने सुना, यूं लगा जैसे सीने में कोई छुरी भोंक रहा हो । श्री अशोक भनोट, निदेशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण उपाचित के डायरेक्टर थे, मैंने उनसे कहा है सैनिक कल्याण विभाग में जहां भी विधवा शब्द का उल्लेख हो, वहां शहीद की पत्नी शब्द का उल्लेख किया जाय । इसी प्रकार दिवंगत सैनिक की विधवा शब्द जहां-जहां है, उस जगह दिवंगत सैनिक की पत्नी शब्द का प्रयोग किया जायेगा ।

मान्यवर, दूसरे विश्व युद्ध के शहीद सैनिकों की पत्नियों को 250/-रुपये मासिक पेंशन मिल रही है, मैं उसे 500 रुपया करने के लिये सचेष्ट हूं, इसके लिये भारत सरकार के रक्षा मंत्री मा० जार्ज फर्नान्डीज जी को लिखा है कि यह मामला केन्द्र का है । इसमें 250 रुपये राज्य सरकार देती है, 250 रुपये आप दे दीजिये तो यह पेंशन 500 रुपया कर दी जाए । मान्यवर, सुबह कुछ लोग मिले, कहने लगे यह सैनिक कल्याण में क्या होता है, कुछ पता ही नहीं । मैं बताना चाहूंगा कि इस वर्ष 2765 भूतपूर्व सैनिकों को सेवा में लिया गया है । जबकि अब तक 7265 भूतपूर्व सैनिक पहले से ही सेवा में लगे हुये हैं । यह भरी जवानी में सीमा पर काम करते हैं और भरी जवानी में ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनका छोटी सी पेंशन से काम नहीं चलता, उनकी उम्र अभी काम करने की है, मैं विद्युत विभाग को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकार कर लिया है , अब भूतपूर्व सैनिकों की मीटर रीडिंग के काम में सेवायें ली जायेंगी और 2000 से ज्यादा सैनिक अपना योगदान कर पायेंगे ।

मान्यवर, समाज कल्याण निगम है जिसने इस वर्ष 75 करोड़ का काम किया है और अगले वर्ष 80 करोड़ का लक्ष्य है । जो दूसरे निगम है, उनकी रिकबरी 30 से 40 प्रतिशत हो गई । तराई निगम की बड़ी चर्चा थी, मा० अशोक बाजपेई विधायक जी का विधान सभा में एक प्रश्न था, उन्होंने बाद में मुझसे कहा कि निगम से छटे हुये लोगों को घर ही जाना पड़ता था परन्तु आपने इसको समायोजित करा दिया । मैंने विगत बजट भाषण में कहा था कि इनको समायोजित कर लिया जायेगा । आज मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता हो रही है कि छटनीशुदा जितने भी कर्मचारी थे, सभी को विभिन्न विभागों में समायोजित कर लिया गया है ।

मान्यवर, काम करने वाले सब अधिकारी-कर्मचारी दूध के धुले नहीं हैं यद्यपि बड़ी एकजुटता के साथ इन लोगों ने कार्य किया है, फिर भी कुछ लोगों को दंडित करना पड़ा है । अभी तक पिछले 8 महीनों में 3 राजपत्रित अधिकारी और 83 अन्य कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है तथा 2 की

सेवायें समाप्त हुई हैं । इसके अतिरिक्त समाज कल्याण, विकलांग कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण में नीति निर्धारित समिति बनाई गई है, इसमें कार्य सम्बन्धित विभाग के विशेषज्ञ लोग हैं, विभाग के अधिकारी भी हैं, यह लोग नीतिगत महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करते हैं । पिछड़े वर्गों के विभिन्न पारम्परिक कार्यों में लगे व्यक्तियों जैसे बुनकर, कुम्हार, लोहार, सोनार, बढ़ई, मछूआरे, केवट, कहार, दस्तकार, शिल्पकार आदि के उत्थान के लिए एक विकास परिषद् का गठन राज्य सरकार के विचाराधीन है । यह परिषद् इनके तकनीकी और आर्थिक उत्थान में सहयोग प्रदान करेगा, मान्यवर, यह वर्ग अगर दुर्बल रह जायेंगे, तो देश की कमजोरी दूर नहीं की जा सकेगी, देश सशक्त नहीं होगा । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक जिलों में कोई समिति नहीं थी, लेकिन अब एक परामर्श दात्री समिति बना दी जा रही है । इस समिति में 11 गैर सरकारी लोग होंगे, 3 अनुसूचित जाति के होंगे, अनुसूचित जन जाति के होंगे, 3 पिछड़े वर्ग के लोग होंगे 2 विकलांग, 1 पूर्व सैनिक सामाजिक संगठन होंगे सम्बन्धित और कुछ विभागीय लोग होंगे । इससे जिला स्तर पर काम की देख रेख सर्वेक्षण, अनुश्रवण किया जाएगा ।

मान्यवर, अभी तक बहुत सी जगहें खाली पड़ी थीं, उनको भरने की हमारी मजबूरी थी, उनका चयन लोक सेवा आयोग से होना था । जिसमें बहुत विलम्ब हो रहा था अतः सेवा स्थानान्तरण और प्रतिनियुक्ति द्वारा 80 प्रतिशत पदों को भर दिया गया है और अब केवल 20 प्रतिशत पद रिक्त रह गए हैं । मान्यवर, जवाबी पत्राचार की योजना के माध्यम से लाभार्थी और शासन के बीच सीधा संवाद जोड़ने का प्रयास किया गया । इसकी शुरुआत मैंने सैनिक कल्याण से की है । हर महीने 500 पत्र जाते हैं और उनका उत्तर आता है और उनसे पता चलता है कि उनको लाभ मिला है या नहीं मिला है । वह अपनी बात घर बैठे कह पा रहे हैं । उनका उत्तर भी मिल रहा है, मान्यवर, इस जवाबी पत्राचार योजना को सम्पूर्ण सामाजिक क्षेत्र में लागू करने जा रहा हूं इससे लाभार्थी और शासन के बीच उपयोगी सम्पर्क स्थापित होगा ।

मान्यवर, दुर्बल की और पिछड़े लोगों की बड़ी जनसंख्या है, गैरबराबरी दूर करना आसान नहीं है इस गैर बराबरी को दूर करने के लिए दानी लोगों और स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता लेना हम आवश्यक समझते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए इनका सहयोग बहुत उपयोगी होगा इसलिये दानी लोगों और स्वयं सेवी संस्थाओं को इस काम से जोड़ने के लिये एक बृहत योजना बनायी गयी है ।

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और कहेंगे कि सम्पूर्ण मांग की राशि को घटाकर एक रुपया कर दी जाये, अगर एक रुपया कर दी जायेगी तो उन गरीबो का क्या होगा, आप उन गरीबों के सामने की रोटी छीन रहे हैं, आलोचना और सुझावों के द्वारा आप की कटौती का उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो मैं आशा करता हूं कि आप कटौती का प्रस्ताव वापिस ले । इन मांगों को पास कराने में योगदान करेंगे ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य, विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य, विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य, विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य, विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, समाज कल्याण विभाग के बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखने का आपने मौका दिया इसके लिए मै आपका परम आभारी हूं । समाज कल्याण विभाग 70 फीसदी जनता मे, आम आदमी से जुड़ा हुआ विभाग है । बच्चा जब मां के गर्भ में होता है, गर्भवती धात्री महिलाओं के पोषण के लिये अनुदान से लेकर एक गरीब, अकिंचन व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके कफन दफन के लिये समाज कल्याण विभाग ही व्यवस्था करता है । ऐसा विभाग जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस विभाग द्वारा जनता को लाभ पहुंचता है उस संबंध में आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है और माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान जितनी उपलब्धियों का उल्लेख किया और जिन योजनाओं के कार्यान्वयन का उल्लेख किया है उससे बहुत अलग हटकर कार्य किया गया है और न तो कोई उपलब्धियां हैं और न प्रदेश की आम जनता कोई राहत महसूस कर रही है । इस विभाग द्वारा पात्र व्यक्तियों को आज कोई राहत नहीं पहुचायी जा रही है । आपने किसान पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन के बारे में भी उल्लेख किया ।

वर्ष 1998-99 में 13 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था और उस पर 195 करोड़ रुपये खर्च करने का प्राविधान था । आपने वर्ष 1999-2000 के बजट में न तो कोई संवेदनशीलता दिखायी है और न ही हृदय की विशालता का परिचय दिया है क्योंकि 1999-2000 वर्ष में एक भी अधिक व्यक्ति का लक्ष्य नहीं बढ़ाया है और न धनराशि की ज्यादा व्यवस्था की है । आपने 3019619 लाभार्थियों को छांटा है लेकिन पेंशन के रूप में दिये जाने वाले अनुदान में कोई व्यवस्था नहीं की है । राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिसका आपने उल्लेख किया है और बड़ा अतिरंजित पूर्ण वर्णन किया है परन्तु वर्ष 1999-2000 के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की है उसके बारे में इसमें कोई प्राविधान नहीं है । जहां तक स्वैच्छिक संस्थाओ के बारे में, उनको अनुदान सूची पर लिये जाने के बारे में आपने बजट भाषण के दौरान कहा है । पिछले बजट सत्र में जब मंत्री जी बजट भाषण प्रस्तुत कर रहे थे तो स्वभाविक रूप से जो मन की धारणा होती है वह कहीं न कहीं से निकल आती है । यह बात आयी थी कि लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के खिलाफ है आपने अपने भाषण में यह कहा था । आपने कहा था कि 301 विद्यालय लेने जा रहे हैं । दसियों बार जांच पड़ताल हुई है लेकिन आपके बजट वर्ष 1999-2000 में स्वैच्छिक संस्थाओं के बारे में व्यवस्था की है । उसमें वर्ष 1998-99 में प्लान के अन्तर्गत 3.81 लाख, नान प्लान के अन्तर्गत 1600–001 कुल 1603.81 लाख है यह तो आपकी स्थिति है वर्ष 1998-99 की । वर्ष 1999-2000 में जो दिये गये 0.01 लाख और नान प्लान हें 1600.00 लाख, कुल मिलाकर 1601.00 लाख । जब वर्ष 1998-99 से भी वर्ष 1999-2000 में धनराशि घटा रहे हैं । तो आपने 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था आकस्मिकता निधि से कर दी है और इस बजट में पास करा रहे हैं । आपने जो वर्ष 1998-99 में समाज कल्याण विभाग का बजट प्रस्तुत किया था उसमें घोषणा की थी आपने कार्यवाही पढ़ी होगी एक वर्ष पहले कहा था कि हम 300 विद्यालय लेंगे । वर्ष1998-99 निकल गया, आप नहीं ले पाये और वर्ष 1999-2000 में जहां आपने लगभग 2 करोड़ घटा भी दिया है तो आप 300 विद्यालय कहां से ले रहे हैं ? आप धन की व्यवस्था कहां से कर रहे हैं । आप पूरा धन दे रहे हैं या टोकेन मनी दे रहे हैं । ऐसे विद्यालय जो दलित बस्तियों में,

दलित-शोषित समाज के अध्यापक चला रहे हैं जिसमें 50 फीसदी और उससे ज्यादा अनुसूचित जाति के छात्र अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे विद्यालय के अध्यापकों को जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, जिनकी आधी उम्र हो गयी है, भविष्य अन्धकारमय महसूस कर रहे है । मान्यवर, आपने अपने बजट भाषण से सदन को और इस प्रदेश की गरीब जनता को गुमराह किया है जो अच्छी बात नहीं है । इसके साथ ही मान्यवर, एस० सी०, एस० टी० के मेधावी छात्रों को अलग से स्कालरशिप देने की योजना समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत है । आप देख लीजिए क्या देने जा रहे हैं । वर्ष 1997-98 में 3.49 लाख रुपया, वर्ष 1998-99 में 2.00 लाख और वर्ष 1999-2000 में 2.00 लाख रुपया । आपने वर्ष 1997-98 से भी 1.49 लाख रुपया घटा दिया कि अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र कहीं पढ़ लिख करके अच्छी जगह पर पहुंच गये, सामान्य जाति के लोगों के बराबर न बैठ जायं । आर्थिक स्थिति सम्पन्न न हो जायें इसलिए आपने वर्ष 1997-98 में धनराशि भी 1.49 लाख उसको वर्ष 1999-2000 में घटा दिया है । आप निरंतर घटाते जा रहे हैं । आप अखबारों में वाहवाही प्राप्त करने के लिए अखबार में समाचार चला जाए लोगों को जानकारी हो जाए कि समाज कल्याण मंत्री जी ने अच्छा बजट प्रस्तुत किया है लेकिन धनराशि घटा रहे हैं । यह जनता के साथ सरासर धोखा किया जा रहा है ।

एस० सी०, एस० टी० एक्ट 1989 में जो समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अत्याचार और उत्पीड़न के मामले होते हैं उनमें समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है लेकिन जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पूरे प्रदेश में दलित समाज के ऊपर घोर अत्याचार हो रहे हैं उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही हैं । अगर किसी के प्रयास से एफ० आई० आर० लाज भी हो जाए एक्स-रे रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी जाए फिर भी 324, 325, 326 में मामला दर्ज नहीं किया जाता है । इसलिए वह गम्भीर अपराध की परिभाषा में नहीं आता है । इसलिए उनको अनुदान नहीं मिलता है । इस तरह की मैंने एक सूचना सदन में रखी जो धाराएं हैं उनका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग की है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ।

उरई कोतवाली में एक मारपीट की घटना हुई मुकदमा संख्या 1017/98 उसमें एक्स-रे रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई इसमें 325 दफा बन गई लेकिन यह दफा नहीं लगाई । दूसरे मुल्जिमों को निकाल दिया एक मुल्जिम को 100 गज की दूरी पर अदालत थी वहां तक ले जाने में तीन घन्टे लगाए अदालत ने कहा आप टाइम से नहीं आए हैं आपने केस डायरी भी प्रस्तुत नहीं की है इसलिए विवेचना सही नहीं है इसलिए इसको छोड़ दीजिए । एस० सी०, एस० टी० एक्ट ऐसे मामलों में जांच अधिकारी के खिलाफ चेतावनी का प्राविधान है ऐसा नहीं हुआ । एस० सी०, एस० टी ऐक्ट में व्यवस्था है कि प्रदेश स्तर पर एक आई० जी० स्तर का अधिकारी और प्रकोष्ठ बनाया जाएगा और हर तीन महीने बाद प्रदेश भर के विभिन्न जिलों के विभिन्न थानों में अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अत्याचार के मामलों की प्रदेश स्तर पर समीक्षा करेगा । अभी तक एक अलग प्रकोष्ठ नहीं बनाया गया है । प्रदेश के जनपदों पर थाने में क्या हो रहा है । लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है । आज आपको डेढ़ साल हो गये हैं कभी आपने इसकी समीक्षा करवायी । अनुसूचित जाति जनजाति के उत्पीड़न के संबंध में सबसे पहले आपकी नीयत तो वहीं पर परिलक्षित हो गयी जब भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया श्री कल्याण सिंह जी ने शपथ ग्रहण करने के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम को निष्प्रभावी करने के लिये शासनादेश जारी कर दिया । इससे देश, प्रदेश और दुनिया में यह संदेश गया कि यह सरकार दलित, शोषित और मजलूमों पर हो रहे अत्याचारों के प्रति संवेदनशील नहीं है । इसलिये नहीं है कि राजनैतिक कारण के कारण यह मानते हैं कि इन दलितों, शोषितों और मजलूमों उनके वोटर नहीं हैं । उनके कत्लेआम, हत्यायें, उनकी बेइज्जती और उनकी मा-बहनों का अपमान भी हो । इस ऐक्ट को निष्प्रभावी करने हेतु शासनादेश जारी किया गया ।

मान्यवर, शादी और बीमारी के लिये जो पैसा दिया जाता है आज उसकी प्रदेश में क्या स्थिति है। चाहे इस तरफ के बैठे लोग हों, चाहे सत्ता पक्ष में बैठे लोग हों आज शादी के लिये दलित समाज के लोग को या गम्भीर रूप से बीमार लोग को जब वह समाज कल्याण के दफ्तर में जाता है तो शादी के लिये उसे पैसा कितना मिलता है ? भले ही आपकी तरफ के माननीय सदस्य बजट का समर्थन करेंगे लेकिन निश्चित रूप से मेरा यह कहना है कि 10 हजार रुपया जो दिया जाता है उसमें जब तक 4-5 हजार रुपया अधिकारी/बाबू की जेब में नहीं चला जाता तब तक वह पैसा नहीं दिया जाता है और पैसा देना ही लोगों की पात्रता है यही हाल बीमारी का है। होता क्या है कि दो सौ व्यक्तियों के लिये बजट पहुंचता है और आवेदन-पत्र 10 हजार आ जाते हैं और उन 10 हजार में से दो हजार को छांटने की प्राथमिकता यही है कि जो 3-4 हजार रुपया दे देता है उसी को पैसा दिया जाता है। इस प्रकार का एक भ्रष्टतम आज पूरे प्रदेश में समाज कल्याण विभाग में हावी हो गया है।

आज सरकार की ढिलाई उपेक्षा के कारण समाज कल्याण विभाग को दिया जाने वाला करोड़ों रुपये माफिया प्रवृत्ति के लोगों की जेब में अधिकारियों/कर्मचारियों की मिली भगत से चला जा रहा है। अभी छात्रवृत्ति के बारे में उल्लेख किया गया और कहा गया कि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की जा रही है। आपने उसमें भी परिवर्तन कर दिया। दलित, शोषित, मजलूम समाज के बच्चे जब एडमीशन लेते हैं तो तब उनको कापी, किताब और कपड़ों की जरुरत होती है। जब सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री थीं तो उन्होंने यह कड़ाई से लागू करवाया था कि विद्यालय खुलने के समय जुलाई और अगस्त में साल भर का एक मुश्त छात्रवृत्ति वितरित कर दी जाय ताकि बच्चा कापी, किताब और कपड़ा ले सके और सज-धज कर स्कूल जा सके परन्तु आपको लगा कि कहीं इन वर्गों के बच्चे सज-धंज कर स्कूल न चले जायं और पढ़ लिख कर होशियार न बन जायं, आपने छात्रवृत्ति में तत्परता नहीं बरती और उसमें ढिलाई कर दी उसका कारण आज यह हुआ है कि इन वर्गों के बच्चों के पास न किताबें हैं, न कापियां हैं वह फटे कपड़े पहन कर स्कूल जाने में शरमा रहा है। तो आपने दलित समाज के प्रति अपनी संवेदनहीनता का परिचय देकर 6 महीने में कभी दिसम्बर में भेज रहे हैं। आप टुकड़ों-टुकड़ों में छात्रवृत्ति का पैसा भेज रहे हैं। इस पैसे से उस गरीब पढ़ने वाले छात्र को किस प्रकार से लाभ पहुंच सकता है। दूसरी बात यह है कि आज छात्रवृत्ति में जो घपला पूरे प्रदेश में हो रहा है। आपके संज्ञान में आया कि नहीं। मैं बताना चहाता हूं कि आगरा मण्डल में 74 लाख रुपये का घपला हुआ और भी जगहों पर हुआ है।

मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि यह घपला क्यों हुआ है। माननीय मंत्री जी मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि ज्यादा लिखने पढ़ने और तैयारी की जरुरत नहीं है। आवश्यक है कि मेरी बात को ध्यान से सुनें और सुनने का कष्ट करें। छात्रवृत्ति के नाम पर जो लाखों करोड़ों का घपला हो रहा है उसका एक कारण यह सामने आया है। अभी हमारे पास में जनपद हरिद्वार का मामला आया बहादराबाद एक कस्बा है वहां 3 बैंक हैं वहां पर एक ही विद्यालय है लेकिन बहादराबाद में 1, 2, 12, 16 यानि 4 विद्यालय के खाते खुले दिखाये गये हैं और चारों के नाम से छात्रवृत्ति का पैसा गया है। आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस शहर में तीन बैंक हैं बहादराबाद से 50 कि० मी० दूर के कस्बे में सुल्तानपुर में जाकर उस विद्यालय के खाते खुले हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस गांव में जिस कस्बे में पहले से कोई बैंक हैं उनके विद्यालय के प्रबन्धक यह खाते वहां न खोलकर 50 किमी० दूर खोल रहे हैं। उस बहादराबाद में 4 विद्यालय हैं कि नहीं गांव वालों को पता नहीं है।

छात्रवृत्ति बी० आर० अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल अकबरपुर में इंडियन ओवरसीज बैंक में 8483 खाता नं० में छात्रवृत्ति भेजी गई। जबकि वहां पर इस नाम का स्कूल नहीं है। हरिद्वार में हरिद्वार हिन्दुओं का धार्मिक स्थल है वहां पर मुस्लिम जाति के लोग न के बराबर हैं लेकिन वहां के 20 स्कूलों में

अल्पसंख्यक छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति दी जा रही है । मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि शिशु मंदिर विद्यालय आपके प्रदेश भर में चल रहे हैं जहां पर ऊंची दरों पर फीस ली जाती है । यह पाश कालोनी में चल रहे हैं न तो वहां पर स्वच्छकार के बच्चे पढ़ते हैं, न ही अल्प संख्यक समाज के बच्चे पढ़ने जाते हैं न ही दलितों के बच्चे पढ़ने जाते हैं इन शिशु मंदिरों में देखिये स्वच्छकार के नाम से, अल्पसंख्यक के नाम से, दलित के नाम से छात्रवृत्ति का पैसा जा रहा है । जबकि आपके इन शिशु मंदिरों में अल्पसंख्यक समाज के कौन लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे क्योंकि आप तो वन्दे मातरम् पढ़वायेंगे ही । आपके इन शिशु मंदिरों में भारी मात्रा में घोटाला हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, जो छात्रवृत्ति के घपले हैं पहले यह व्यवस्था थी कि संबंधित विद्यालय सूची कक्षावार बनाकर समाज कल्याण अधिकारी को देंगे वहां से सुपरवाइजर उस सूची को लेकर उस विद्यालय में जायेगा और छात्र संख्या का सत्यापन करेगा । 2-4-6-10 तो गलत हो सकते हैं । लेकिन अब व्यवस्था दूसरी हो गई है जो भी सूची आएगी उसका कोई सत्यापन नहीं होगा । सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी उसमें सत्यापित लिख देंगे उतना पैसा चला जाएगा । यह जो हरिद्वार और सहारनपुर में हुआ है और भी जिलों में हो रहा है विद्यालयों से सूची बनाई गई प्रधानाध्यापक ने बेसिक शिक्षा अधिकारी की मोहर लगा दी और उल्टे-सीधे दस्तखत बना दिये और समाज कल्याण विभाग के सुपरवाइजर को सत्यापन की आवश्यकता महसूस नहीं हुई क्योंकि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं सत्यापित करके दिया गया है । जो घोटाला हो रहा है और बेसिक शिक्षा अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर, जो डिमाण्ड आई पैसा दिया गया इस तरह से घोटाला हो रहा है । सरकार परिषदीय विद्यालय सूची ले रही है इसमें छात्रों की संख्या नगण्य है ..

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, समाज कल्याण विभाग का बजट है । यह 70 फीसदी लोगों से जुड़ा विभाग है । कटौती रखने का मेरा मतलब यह है कि सुझाव दूं और जो कामियां समाज कल्याण विभाग में हैं, जो फायदा मिलना चाहिये वह आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है ..

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री श्रीराम पाल–

अभी तो मैंने भूमिका कही है मान्यवर छात्रवृत्ति का घोटाला अरबों रुपये का है यह पूरे प्रदेश में देखने की बात है । सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जो सूची आती है जिसको समाज कल्याण द्वारा सत्यापित करने की जरुरत नहीं समझी जाती है और घोटाला होता है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें 35 मिनट हो रहा है ।

श्री लालजी वर्मा–

इस विभाग से तमाम लोगों का संबंध हैं उपेक्षित लोगों का संबंध है ।

श्री राम ललित चौधरी–

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के बारे में कहा जा रहा है इनकी पोल खोली जा रही है ।

श्री श्रीराम पाल–

छात्रवृत्ति के नाम पर लाखों अरबों रुपये का घोटाला प्रदेश में हो रहा है । मान्यवर, किसान पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन जिसका उल्लेख किया गया यह 225/- रुपया मासिक आय वालों को इसके अन्दर माना गया है ।

मानयवर, आज 225 रुपये मासिक आय पाने वाले व्यक्ति को तहसील से कोई प्रमाण-पत्र नहीं मिल सकता है । आप देखें तो आज मजदूरी की दरें 47 रुपये से लेकर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हो गयी हैं इसलिये 225 रुपये मासिक आय पाने वाले व्यक्ति को कोई प्रमाण-पत्र देने के लिये तैयार नहीं है । मान्यवर, वृद्ध लोगों को 125 रुपये पेंशन तहसीलदार के यहां से मिलती है लेकिन जब वह प्रमाण-पत्र बनवाते हैं तो उन्हें एक साल की पेंशन के बराबर खर्च करना पड़ता है । मान्यवर, आपकी दिल्ली में भी सरकार है इसलिये मैं चाहता हूं कि दिल्ली को आप ऐसा प्रस्ताव भेजें कि 225 रुपये से बढ़ाकर इतनी मसिक आय गरीबों के लिये कर दी जाय जिससे उसे समुचित सहायता मिल सके । अभी तक जो भारत सरकार ने निर्धारित कर रखा है उसमें 225 रुपये से अधिक मासिक आय नहीं होनी चाहिये, इसे बढ़ाने का सरकार को प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजना चाहिये लेकिन ऐसा प्रस्ताव भेजने में यह सरकार कोई उत्सुकता नहीं दिखा रही है । इसी तरह शादी और बीमारी में जो आय के प्रमाण-पत्र के आधार पर पात्र व्यक्ति बनाये गये हैं उसमें भी संशोधन की आवश्यकता है जिसे आप नहीं कर रहे हैं । इस प्रकार यह सरकार संवेदनहीन हो गयी है ।

मान्यवर, अभी आपने कहा था कि समाज के कमजोर तबके के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान चल रहा है । पिछले सत्र में विपक्ष द्वारा एक सूचना के माध्यम से यह बात सदन के संज्ञान में लायी गयी थी कि यह सरकार स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत जो योजनायें हैं उनके संबंध में भारत सरकार से इन्हें प्रस्ताव प्राप्त हो गया है कि गरीबों के बीच में मात्राकृत करके जितना बजट है उसमें स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में अनुसूचित जाति के लिये 21.4 प्रतिशत आबादी जिनकी है उस हिसाब से मात्राकृत करके करना चाहिये । आज वर्ष 1998-99 में आज की तारीख तक स्पेशल कम्पोनेंट का धन इन्होंने रिलीज नहीं किया है । तो यह अपनी मानसिकता से बुरी तरह से सरकार प्रभावित है । इस संबंध में इन्होंने धोखाधड़ी किया है । वर्तमान सरकार द्वारा राज्य योजना आयोग के अर्द्ध शासकीय पत्र सं० 17/2 एम–4–95 दिनांक 12 फरवरी, 1998 द्वारा यह आदेश निर्गत कर दिया गया है कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया को समाप्त किया जाता है । मान्यवर, 1995 के अर्धशासकीय पत्र का उल्लेख है । राज्य योजना आयोग में अलग से पत्र दिया है ..

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, यह समाज कल्याण विभाग का बजट है । तीन विभागों का बजट एक साथ रखा गया । समाज कल्याण जो पूरे प्रदेश का 72 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है उसमें चर्चा हो रही है । कटौती प्रस्ताव में इस तरह से रोकने का काम नहीं किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

42, 43 मिनट हो गये हैं कोई समय सीमा तो निर्धारित करनी होगी । माननीय मंत्री जी ने 25 मिनट का समय लिया था ।

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, इनके कटौती के प्रस्ताव को पेश करने के बाद कम से कम एक घंटे हमें चाहिये । इतना बड़ा भ्रष्टाचार है इस विभाग में ।

श्री अधिष्ठाता–

दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

* समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री दल बहादुर कोरी)–

मान्यवर, इनके समय में तो समाज कल्याण का कोई मंत्री नहीं था भाजपा की सरकार में है तो ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, तो मैं यह कह रहा था कि राज्य योजना आयोग को जो पत्र लिखा था इसमें स्पष्ट कर दिया कि जो 95 में व्यवस्था थी वही व्यवस्था होगी । तो इस सरकार ने स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, सब ट्राइबल प्लान का धन रोक दिया, यह चिन्ताजनक बात हैं और इस सरकार के लिये लज्जाजनक बात है । स्पेशल कम्पोनेंट प्लान और ट्राइबल प्लान की धनराशि रुकी हुई है क्योंकि नौंवीं पंचवर्षीय योजना में जो प्लान बनकर गया है उसके अन्तर्गत नौ हजार नौ सौ तीन करोड़ रुपये की व्यवस्था इस 1999-2000 के वित्तीय वर्ष में दी जानी आवश्यक है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, सरकार की नीयत यह है कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान और सब ट्राइबल प्लान की धनराशि जो भारत सरकार से प्रचुर मात्रा में आती है उसको डाइवर्ट करके जिस तरह से बिहार में केन्द्र सरकार की योजना का पैसा डाइवर्ट करके उसका दुरुपयोग किया गया उसी बिहार के पैटर्न पर इस योजना का पैसा भी दूसरी मद में लगाकर लाभ पहुंचाने का काम यह कर रहे हैं यह सरकार की मंशा है ।

(समय 7 बजकर 20 मिनट)

पिछड़े वर्ग के बड़ी तादाद में रहने वाले लोगों को लाली पाप दिखाने का काम इस बजट में किया गया है । दशम् कक्षा से पूर्व में छात्रवृत्ति देने की बात कर रहे हैं आपने कहा है कि हमें स्टेट की ओर से जो अंश देना है उसकी व्यवस्था कर ली है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री श्रीराम पाल–

50 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार को वहन करना है लेकिन इसमें यह है कि राज्य सरकार इसमें अंडरटेकिंग प्रस्तुत करें भारत सरकार का यह कहना है। अंडरटेकिंग के लिये आप इसमें कह रहे हैं कि विचार किया जा रहा है।

मान्यवर, यह जो तमाम आपके निगम हैं समाज कल्याण से जुड़े हुए इसमें कौन सी जिद यह सरकार पूरी कर रही है। जिन लोगों ने आपके इन निगमों से ऋण लेने का काम किया है। आज उनके पुराने ट्रैक्टर आदि की नीलामी तहसीलों में हो रही है कुर्की की कार्यवाही हो रही है।

आपका सैनिक कल्याण विभाग है यह विभाग शासनादेशों पर चल रहा है इसमें कोई सेवा नियमावली नहीं है। इसमें जो गरीब विधवाओं को सैनिकों की सहायता मिलनी चाहिये, उसके बजाय पेट्रोल और कारों पर पैसा खर्च हो रहा है इसमें जो अधिकारी कर्मचारी हैं वह सब रिटायर्ड होकर इसमें आये हैं अनुबन्ध पर काम कर रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है। अन्य प्रदेशों में देखें एक नीति के अन्तर्गत सैनिक विभाग चल रहा है उसके हिसाब से यहां पर भी चलवायें।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें, मैं काफी देर से अनुरोध कर रहा हूं।

श्री श्रीराम पाल–

ठीक है मान्यवर, समाप्त किये दे रहा हूं, बाकी उत्तर भाषण में कह लूंगा।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं कि इस प्रदेश की 21 प्रतिशत जनता के संदर्भ में जो यह महत्वपूर्ण बजट रखा गया है, उसके समर्थन में बोलने का आपने अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, 1948-49 में हरिजन सहायक विभाग के नाम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ योजनायें चलाई जाती थीं। मैं बधाई देना चाहता हूं, माननीय कल्याण सिंह जी को, जो इस सदन के नेता हैं तथा भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने 1991-92 में इस प्रदेश के अन्दर अपनी सरकार बनाई और अनुसूचित जाति के लोगों का सम्मान बढ़ाने के लिये हरिजन शब्द के स्थान पर समाज कल्याण विभाग इसका नाम रखा था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अनुसूचित समाज के लोगों का कल्याण करेंगे, उनके सम्मान को बढ़ायेंगे। जो लोग आज अनुसूचित समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, दलित समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जब उन्हें इस प्रदेश में सत्ता चलाने का सुअवसर भारतीय जनता पार्टी ने दो बार दिया तो यदि उस समय का आंकलन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पायेंगे कि सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा कष्टदायक स्थिति उसी समय अनुसूचित समाज की हुई, जिसका परिणाम आज तक यह समाज भुगत रहा है।

मुझसे पढ़े-लिखे लोग बराबर मिलते हैं और अपना दुख प्रकट करते हैं और बताते हैं कि चन्द लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की खातिर, अपने गले में हीरे का हार पहनने की खातिर हम लोगों को समाज से अलग कर दिया। यदि हम पूरे देश की स्थिति को देखें तो एक लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये आठ पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक अनुसूचित समाज के लिये खर्च किया जा चुका है लेकिन जब हम इस समाज की स्थिति को देखते हैं तो पाते हैं कि 80 प्रतिशत हमारा समाज अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जी रहा है। इससे जाहिर हो जाता है कि जो पूर्व की सरकारें थीं, उनकी नीयत ठीक नहीं थी अथवा उनके काम करने का ढंग ठीक नहीं था। आज पूरे देश में 21.4 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 0.2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, यदि 1991 की साक्षरता के आंकड़े

को देखें तो अनुसूचित जाति के मात्र 26.8 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हो पाये हैं, इसी प्रकार महिलाओं की स्थिति तो और भी दयनीय है, उनकी साक्षरता का प्रतिशत मात्र 10.69 है।

मान्यवर, कभी यह देश विश्व गुरू कहा जाता था, कभी भारतवर्ष सोने की चिड़िया हुआ करता था, यहां का प्रत्येक नागरिक देवता के रूप में माना जाता था, लेकिन कुछ कमियां अवश्य आई होंगी, हम लोग जातियों के नाम पर बंट गये और उसका नतीजा यह हुआ कि हमारा देश गुलाम हुआ। उसके बाद जब हम आजाद हुये तो आज हमें यह संकल्प लेना चाहिये कि जो हमारी कमियां हैं, उनको हम दूर करके अनुसूचित समाज को ऊपर उठाने में पूरी तरह से अपनी ताकत लगायेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसके लिये कटिबद्ध है। मान्यवर, 26 जनवरी, 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय डा० अम्बेदकर ने कहा था कि अनुसूचित जातियों को राजनैतिक समानता तो मिल गयी है, लेकिन सामाजिक समानता मिलना बाकी है। मान्यवर, मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। समाज कल्याण विभाग में आयोजनेत्तर पर खर्च 49,742 रुपया किया गया, 1998-99 में 39,382.15 लाख रुपया खर्च किया गया और 56,230.32 लाख रुपया इस वर्ष खर्च करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से छात्रवृत्ति में 1997-98 में 71,36,438 लाख रुपये दिये गये हैं, 1998-99 में 78,9000 रुपये खर्च किये गये हैं और 1999-2000 में 85,00,000 रुपये खर्च करने जा रहे हैं। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत 905.25 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, अब मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। गोरखपुर और आगरा के राजकीय मूक बधिर विद्यालयों के जो भवन हैं उनका सुधार कराया जाये और वहां पर पानी की व्यवस्था करायी जाये और जो दृष्टि बाधित विद्यालय हैं उनमें खाने की समुचित व्यवस्था करायी जाये। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि इस संबंध में सामाजिक संस्थाओं और उद्योगपतियों से सहायता ली जाये। चकराता बालिका विद्यालय में पानी और शौचालय की व्यवस्था की जाये और गोरखपुर महिला छात्रावास की व्यवस्था को सुधारा जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मानीनय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राम बिशुन आजाद–

मानीनय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समाज कल्याण के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उस पर मैं बल देता हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग का जन्म सन् 1955 में हुआ था और समाज के 72 प्रतिशत लोग इस विभाग से जुड़े हुये हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि 42 आश्रम पद्धति के विद्यालय चल रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जो पुराने हैं वही चल रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सौ रुपये गर्म कपड़े के लिये दे रहे हैं तीन सौ रुपये सूती कपड़े के लिये दे रहे हैं, तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, करोड़ों रुपया आप अपनी चमचमाती कारों पर खर्च कर रहे हैं। आज महंगाई का समय है और 550 रुपये में क्या होता है ? गोण्डा में जो आश्रम पद्धति का स्कूल चल रहा है, उसे हाई स्कूल तक होना चाहिये। वह नहीं हो पाया। आपने कहा कि विधवा, वृद्धावस्था पेंशन और विधवाओं की लड़कियों के लिये 10 हजार रुपया दिया जायगा। मान्यवर, गरीब जब तहसील में एसडीएम, लेखपाल के पास आय प्रमाण-पत्र लेने जाता है और उसके बाद जब समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जाता है तो उसका शोषण किया जाता है और जितना पैसा उसको मिलता है उससे कहीं ज्यादा दौड़ते दौड़ते और घूस देने में खर्च हो जाता है। मान्यवर, 1924 में ब्रिटिश हुकूमत में जो अपराधशील जातियां थीं उनको सुविधा दी गयी थी। मेरे यहां गोण्डा में बरवार जाति रहती है, इसी तरह से सुल्तानपुर और अन्य 8 जनपदों में यह जाति पायी जाती है, इनके विकास के लिये कोई योजना आपने नहीं रखी है। इसी तरह से जो जातियां खानाबदौस घुमक्कड़ जातियां हैं उनके

लिये 5 हजार रुपये अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है । 5 हजार रुपये में क्या होता है ? कम से कम इनके लिये 25 हजार रुपये की व्यवस्था की जानी चाहिये थी ताकि इनका विकास हो सकता । यह सरकार पूर्णरूप से दलित विरोधी है ।

माननीय श्री राम पाल जी कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे थे और जो उन्होंने कहा उसको सत्तापक्ष ने गम्भीरता से नहीं लिया । यह नहीं चाहते हैं कि समाज के दबे कुचले लोगों की बात सुनी जाय । अनुसूचित जातियों के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है । एससी, एसटी ऐक्ट के अन्तर्गत जानबूझकर इनके पार्टी के कार्यकर्ता उनका शोषण कर रहे हैं ।

मान्यवर, मंत्री जी गरीबी की रेखा के ऊपर हो गये हैं, लालबत्ती वाली गाड़ी में बैठकर चलते हैं वह भी गरीब की बात सुनना नहीं चाहते हैं । जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी कि दलित के विकास की बात नहीं करते हैं लेकिन आप जब मंत्री हैं तो मैं मद्य निषेध के बारे में कहना चाहता हूं कि जहां पर दलित बस्तियां हैं वहां पर सरकार जानबूझकर शराब बनवाती है और पुलिस की मदद से उसको बिकवाती है । यह सरकार मनुवादी है लेकिन राजा मनु ने जो शराब को बुरा बताया है उनकी कही बात न मानकर मद्य निषेध नहीं कर रही है । इन शब्दों के साथ मैं श्री श्रीराम पाल जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री इन्द्र देव सिंह–

मान्यवर, आपने समाज कल्याण के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं । हमारे माननीय मंत्री जी ने सैनिक कल्याण की बात कही है और उन्होंने सैनिकों के लिये सुविधायें देने की बात कही है इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं । हमारे देश का सैनिक कहीं गर्मी, कहीं बरसात और कहीं जीरो टेंपरेचर से भी –40 डिग्री कम टेंपरेचर अर्थात –40 डिग्री सेल्सियस पर अपनी जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करता है और अपने घर के सदस्यों से दूर रहता है उसके लिये हमारा कर्तव्य बनता है कि जब वह शहीद होता है या भूतपूर्व सैनिक के रूप में घर आता है तो उसके सम्मान को अक्षुण्ण बनाये रखें और उनको सुविधायें दें ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में 12 भूतपूर्व सैनिक कालोनियां हैं जिनमें सैनिकों के परिवार निवास करते हैं । अभी विपक्ष के साथी बड़े जोर शोर से बोल रहे थे, मैं कहना चहाता हूं कि यह शर्म की बात है कि हमारे कांग्रेसी मित्र जो 50 सालों से खुद और अपने सहयोगी दलों के साथ इस देश में शासन करते रहे उन लोगों ने इन सैनिक कालोनियों में भू० पू० सैनिकों एवं उनके परिवारजनों को पीने का पानी अब तक उपलब्ध नहीं कराया और देश का शोषण करते रहे । यह उनके लिये शर्म की बात है । मान्यवर, इन कालोनियों में वे सैनिक निवास कर रहे हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिये अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ा लेकिन उनके लिये पानी की व्यवस्था नहीं है । वह लोग प्यासे मर रहे हैं । 10-12 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता है । जानवर भी प्यासे मर रहे हैं । हमारी सरकार ने पेयजल की व्यवस्था की है, वह एक अच्छी शुरुआत है लेकिन वह अपर्याप्त है । मेरा मान्यवर, मंत्री जी से निवेदन है कि 12 भूतपूर्व सैनिक कालोनियों में 50 हैण्ड पम्प लगवा देंगे तो उन भूतपूर्व सैनिकों के प्रति हमारा बहुत बड़ा आभार होगा । मान्यवर, हमारी राशि वृष है और लाल रंग से ज्यादा दुश्मनी है इसलिये कृपया लालबत्ती आप न जलाये, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा ।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर गांव-गांव में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, न्याय पंचायत स्तर पर जूनियर विद्यालय हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप एक मिनट में अपना सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करें ।

श्री इन्द्रदेव सिंह–

आप माध्यमिक और बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठ करके यह तय करें कि वह प्राथमिक और जूनियर विद्यालय जिनके आगे यह लिखा होता है कि राजकीय प्राथमिक और जूनियर विद्यालय उनके नाम के पहले जो उस क्षेत्र के शहीद सैनिक हैं उनका नाम जोड़ दिया जाये । जैसे कोई राजाराम नाम का सैनिक शहीद हुआ तो आप उस विद्यालय का नाम शहीद राजाराम स्मृति जूनियर हाई स्कूल रख दें तो उन शहीदों के प्रति हमारा कृतज्ञतापन होगा । अगर आप ऐसा करेंगे तो उस शहीद के परिवार के लोग यह सोचेंगे कि इस देश और समाज ने उनके लिये कुछ सोचा है । इससे उनको सन्तोष और सम्मान मिलेगा । इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राम जग–

माननीय पाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, समाज कल्याण विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है । माननीय मंत्री जी के बजट भाषण और कुछ घोषणाओं के बाद जब आंकड़े देखे जा रहे हैं तो कथनी और करनी में बड़ा फर्क मिल रहा है । आपने कहा कि 301 विद्यालयों को आवर्ती सूची में रख रहे हैं, आपने धन की व्यवस्था नहीं की । दूसरी बात मान्यवर, जब पूर्व मुख्य मंत्री मायावती जी थी तो उन्होंने छात्रों की छात्रवृत्ति दुगुनी की थी। माननीय कल्याण सिंह जी ने भी छात्रों की छात्रवृत्ति दुगुनी करने की बात कही लेकिन कल्याण सिंह जी की घोषणा के बाद आज तक छात्र वृत्ति दोगुनी नहीं की गयी । जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से छात्रवृत्ति 10 गुनी होनी चाहिये । आपकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है । कितना कण्ट्राडिक्ट्री है एक तरफ आप विधवा पेंशन में मासिक आय 225 रुपये प्रतिमास तथा 2.5 एकड़ भूमि की बात करते हैं, दूसरी तरफ 47 रुपये दैनिक मजदूरी की बात करते हैं । जब गरीबी रेखा की सीमा 11,800 रुपये है तो 225 रुपये की सीमा में परिवर्तन होना चाहिये । जहां तक छात्रवृत्ति का सवाल है जहां प्रभावशाली लोग हैं, मैनेजर हैं, प्रिंसिपल हैं, जिनकी देखरेख में विद्यालय चल रहे हैं वह अनुसूचित जातियों जनजातियों के छात्रों से परीक्षा शुल्क लेते हैं लेकिन बाद में लौटाते नहीं हैं । छात्र वृत्ति वितरण के लिये आप एक सर्व दलीय समिति बना दें जिसकी देखरेख में छात्र वृत्ति वितरित हो । गरीबों की बेटियों की शादी के लिये जितनी व्यवस्था पहले थी उतनी ही व्यवस्था आज है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री रामजग–

जो कल्याणकारी योजनायें चल रही हैं उनको ईमानदारी से लागू किया जाय । आज गांव में जो दलितों की स्थिति है वही आपके विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों की स्थिति है । आपकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं प्रभावशाली लोग इनका लाभ पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंचाने दे रहे हैं । इसके लिये सरकार जिम्मेदार हैं, मंत्री जिम्मेदार है । सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं । कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में आप धन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं । अनुसूचित जातियों का जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें थानों में केस को बदलवाने का काम किया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम जग–

इन शब्दों के साथ मैं श्री श्रीराम पाल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अक्षयवर लाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब से माननीय श्री कल्याण सिंह जी की सरकार आयी है पूरे समाज में समरसता स्थापित हुई है और कहीं पर भी जातीय दंगे नहीं हुए हैं। अनुसूचित जाति के वर्गों के लिये छात्रवृत्ति में जो वृद्धि की गई है, उसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। अभी श्री रामजग जी बोल रहे थे, ये कितने अनुसूचित जाति के हितैषी हैं, यह इसी बात से लग जाता है कि जब बिहार में अभी जो काण्ड हुआ और हरिजनों का नरसंहार हुआ, इनकी पार्टी ने लोक सभा में राबड़ी देवी की सरकार को बहाल करने के लिये समर्थन दिया।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 66 अनुसूचित जातियां हैं और बाद में गौंड जाति को भी इसमें शामिल किया गया परन्तु पूरे प्रदेश में उनको अनुसूचित जाति की सुविधायें नहीं मिल रही हैं और न ही उनको प्रमाण-पत्र दिये जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि गौंड जाति का कोई भी व्यक्ति आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० नहीं है। मैंने इस संबंध में प्रश्न भी किया था और कहा था कि जिले में बैठे लोग उनकी सुविधा नहीं दे रहे हैं। मार्च, 1997 में नियम–300 के अन्तर्गत मैंने इसे उठाया था और आपकी पीठ से निर्देश भी दिये गये थे और इस संबंध में शासनादेश भी जारी हुआ परन्तु आज तक उसका पालन नहीं हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि उस शासनादेश का पालन कराया जाय और उन्हें सुविधायें उपलब्ध करायी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं श्री श्रीराम पाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आप पीठ पर बैठे हैं और सदन चल रहा है परन्तु सत्ता पक्ष के माननीय मंत्रिगण चीत्कार कर रहे हैं, इसलिये शान्ति बनाये रखने के लिये आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, सभी माननीय सदस्य शान्त रहें। मान्यवर, जबसे कल्याण सिंह जी की सरकार आयी है यह सरकार न केवल अकल्याणकारी सिद्ध हुई है बल्कि दमनकारी सरकार के रूप में सामने आयी है। आज उत्तर प्रदेश मेंलगभग अनुसूचित जाति और जन जाति के लगभग साढ़े तीन करोड़ लोग हैं और इतनी बड़ी आबादी के लिये मात्र 6 अरब 89 करोड़ 32 लाख 97 हजार रुपये रखे गये हैं। इस प्रकार देखा जाय तो प्रति व्यक्ति 200 रुपये की एक छोटी सी धनराशि इस सरकार ने निर्धारित कर रखी है। इससे साबित होता है कि इस सरकार की इन वर्गों के लोगों के विकास में कोई रुचि नहीं है। संविधान की जो मूल भावना थी और जो नीति निदेशक तत्व थे , उनका खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है।.....

(श्री अमर मणि त्रिपाटी जी द्वारा बैठे-बैठे कुछ कहने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी सदन चल रहा है। शान्त रहें।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, रात हो गई है और रात में बहुत शोर किया जा रहा है । रात में कौन चिल्लाता है,इसका आभास होना चाहिये ।

श्री दद्दू प्रसाद–

छुआछूत को दूर करने के लिये इस बजट में कोई बात नहीं कही गयी है (इस समय 7 बजकर 54 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुये ।) 24 फरवरी, 1999 को इस सत्र में सदन में सरकार की तरफ से यह बात कही गयी कि जिन लोगों को छुआ नहीं जाता है, समाज में उनके लिये अलग से हैण्ड पम्प की व्यवस्था की जायेगी । उनके लिए अलग से हैण्ड पम्प की व्यवस्था होगी । माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने 24 फरवरी को यह बात कही है और स्वीकार किया है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर छुआछूत विद्यमान है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मैं कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण मंत्री जी छुआछूत के उन्मूलन के लिए विशेष कार्यक्रम बनायें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कोई रुचि नहीं है । अनुसूचित जनजाति विकास का एक मात्र निगम था जिसे बी०जे०पी० सरकार ने 1991 में निगम के मर्जर के आदेश कर दिये । जब पिछली बार सरकार में बहिन मायावती मुख्य मंत्री थीं तो उन्होंने इसके रिवाइवल के आदेश किये थे लेकिन इस सरकार ने पुनः उस रिवाइवल के आदेश को निरस्त करके उस निगम को बन्द कर दिया । मान्यवर, इस निगम ने अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया था, एक कीर्तिमान स्थापित किया था । उस निगम के कर्मचारियों की 14 माह की तनख्वाह अभी भी बकाया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । मुझे कहना पड़ेगा कि आपका भाषण अंकित न किया जाय ।

श्री दद्दू प्रसाद–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब समाप्त करें । यह अंकित नहीं किया जा रहा है ।

(व्यवधान होने पर)

मंत्री जी कृपया आप अपने सहयोगियों को निर्देश दें कि सदन की मर्यादा बनाये रखें ।

श्री दद्दू प्रसाद–

[xxx]

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब अंकित नहीं किया जा रहा है । आप बैठ जायं ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मैं पहले भी अपने भाषण में कह चुका हूं कि समाज कल्याण विभाग बहुत बड़ा विभाग है इसकी बहुत योजनायें हैं और बहुत कम समय में सभी योजनाओं के कार्यों पर प्रकाश डालना असम्भव है इसलिए 2/4 मिनट में कुछ बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । पिछली सरकार जिसमें बहिन मायावती मुख्य मंत्री थीं मोहान रोड पर स्वच्छकारों के लिए ज्योतिबाफूले आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना की गयी । जैसे ही माननीय कल्याण सिंह जी इस सरकार के मुख्य मंत्री हुए उस आश्रम पद्धति विद्यालय में इन्होंने बजट देना बन्द कर दिया । जिससे वहां पर शिक्षण कार्य बन्द कर दिया गया । कक्षा 1 से कक्षा 11 तक की शिक्षा इस आश्रम पद्धति में चलाये जाने की व्यवस्था थी । लेकिन पैसा न मिलने पर जहां हाई स्कूल की मान्यता के लिए भी प्रयास नहीं किया गया वहां जो एडमीशन हुए हैं हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र कहां जायेंगे ।

यह जानबूझ कर किया गया है । इसी तरह से छत्रपति शाहू जी महराज भवन बनाए गए । उसमें तीन सौ ऐसे छात्र हैं जो आई० ए० एस० और पी० सी० एस० की परीक्षा के लिए, भवन में तैयारी करते हैं वहां की बिजली कट गई ताला डाल दिया गया यह स्थिति है । इतनी बड़ी संस्था में कोई नियमित कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है । पदों का सृजन करेंगे यह कहा है लेकिन पदों का सृजन करके तनख्वाह कहां से देंगे यह प्राविधान नहीं किया गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े जाति के लोगों से जो जुड़ी संस्थायें हैं उनके लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है ।

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए 1999-2000 के बजट में कोई छात्रावास की योजना नहीं बनी । पूर्व में बहन मायावती जी के कार्यकाल में कई छात्रावासों का शिलान्यास हुआ था जो कोचिंग सेन्टर बनने थे उनका निर्माण कार्य शुरू हो गया था इनके समय में बजट का आवंटन बन्द कर दिया गया वह निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं । नये छात्रावास नहीं बनाये जा रहे हैं जो छात्रावास बनकर तैयार हैं उसमें रसोईया कहार चौकीदार के पदों को भरने की व्यवस्था नहीं है । 750 रुपये मासिक मानदेय पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं । डेलीवेज ऐक्ट के अनुसार 50 रुपया एलाउन्स तय किया गया है लेकिन उनको 750 रुपया मानदेय दिया जा रहा है इस तरह से उनके परिवार भुखमरी की कगार पर हैं ।

छात्रावासों मे पदों का सृजन नहीं कर रहें और 750 रुपये में काम करवा रहे हैं जो काम कर रहे हैं उनका आप क्या करेंगे तराई निगम का आपने मर्जर कर दिया निगम के कर्मचारियों का विभाग में मर्जर कर दिया । आपके छात्रावासों में जो 750 रुपये में काम कर रहें हैं श्रम विधि कानून है उनका आप मानदेय बढ़ायें पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों को नौकरियों में आरक्षण का प्राविधान है लेकिन प्रमोशन के लिए प्राविधान नहीं है आरक्षण का प्राविधान प्रमोशन में रखना चाहिए था ।

श्री अधिष्ठाता–

बिन्दुओं में अपनी बात कह दें ।

श्री श्रीराम पाल–

छोटे मोटे कारोबार के लिए प्लाटों को उपलब्ध करायें । जो लोग.....

श्री अधिष्ठाता–

जल्दी समाप्त कर दें।

श्री श्रीराम पाल–

उनका सीमांकन नहीं हुआ लोग कब्जा कर रहे हैं मान्यवर, इनकी सरकार अनुसूचित बाहुल्य वाली जो बस्तियां हैं वहां जानबूझ कर ठेके खुलवा रही है और मद्य निषेध की बात करती है। जो योजना ग्राम हैं कहीं शराब के ठेके नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण बजट पर अपनी आलोचना द्वारा हमें कुछ और सोचने और करने का अवसर प्रदान किया और आपने सहयोग प्रदान किया। मान्यवर, हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग और भू० पू० सैनिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है और अच्छी तरह से हमारी अवधारणा और विश्वास है कि जब तक इन वर्गों का उत्थान नहीं होगा तब तक देश का उत्थान नहीं हो सकता है। यह कोई राजनैतिक घोषणा नहीं है बल्कि यह एक सत्य है।

मान्यवर, श्री श्रीराम पाल जी ने कुछ बातें ऐसी कह दिया है, जो सत्य नहीं है वह इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और मातृत्व लाभ योजना भारत सरकार की योजनाएं हैं और भारत सरकार वित्तीय व्यवस्था करती है। तो राज्य सरकार के बजट में यह कैसे आयेगा ?

मान्यवर, राष्ट्रीय, वृद्धा पेंशन के अन्तर्गत 125 रुपया मासिक देते हैं इसमें 75 रुपया भारत सरकार देती है और 50 रुपया राज्य सरकार देती है, तो 125 रुपये के हिसाब से बजट में व्यवस्था करने का क्या औचित्य है ? कोई औचित्य नहीं है।

मान्यवर, 301 विद्यालयों के लिए बजट में जो प्राविधान नहीं रखा गया है उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि आकस्मिकता निधि से इन विद्यालयों को अनुदान दिया जाएगा। इसमें पांच करोड़ रुपये आकस्मिकता निधि से मिलेगा, तो फिर बजट में इसका उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है।

इसी तरह गौंड़ जाति के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह जाति अनुसूचित जाति में है। माननीय विधायक जी ने इस सम्बन्ध में कहा है और समर्थन में शासनादेश के दुरुपयोग की बात कहा है, तो मैं बताना चाहता हूं कि यदि शासनादेश का कहीं पालन नहीं हो रहा है, तो न्यायालय का फैसला उपलब्ध करा दें उसके अनुसार निश्चित रूप से संशोधन कर दिया जायेगा।

मान्यवर,जहां तक शहीदों के नाम पर विद्यालयों के नाम रखने की बात है तो इस सम्बन्ध में शासनादेश हो गया है कि जिस गांव में शहीद सैनिक हों उन ग्रामों के विद्यालयों के नाम, उन शहीदों के नाम पर कर दिये जायं, मा० विधायक जी के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों की जिस कालेनी में पेय जल की कठिनाई है तो विधायक जी हमें अवगत करा देंगे तो मैं सम्बन्धित जिलाधिकारी को लिख दूंगा।

मान्यवर, 136 छात्र कोचिंग ले रहे हैं। समूह "ग" की परीक्षा का परिणाम शीघ्र आते ही जो रिक्तियां रह गयी हैं उन्हें पूरा कर दिया जायेगा। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो

165 छात्रावास हैं उनमें ऐसे बहुत से काम हैं जो जल्दी-जल्दी बिना नियोजन और वित्तीय व्यवस्था के ईंट पत्थर डालते चले गये और वे पूर्ण नहीं हो सके । इसलिए इस वर्ष कोशिश किया है कि वे 165 छात्रावास पूर्ण करा कर दिए जाए । हम उनके सुदृढ़ीकरण में लगे हुये हैं । तो फिर नये छात्रावास की व्यवस्था कैसे करें । इसलिए कटौती का प्रस्ताव रखने वाले श्री श्रीराम पाल जी ने जो कहा है मैं उनकी बातों से अवगत हूं और उन्हे ठीक करने की कोशिश में लगा हूं ।

इस तरह से जो शादी बीमारी की बात आयी है इसमें इस वर्ष भी 12 हजार 85 लोगों को 9 करोड़ 44 लाख रुपये दिये गये हैं । अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि वित्तीय व्यवस्था के अनुसार यदि लाभार्थी को लक्ष्य नहीं होगा तो ऐसी अराजकता पैदा होगी उसको कभी नियंत्रित नहीं कर सकेंगे । इसलिए जहां लाभार्थी का लक्ष्य निर्धारित नहीं है वहां वित्तीय व्यवस्था के अनुसार लाभार्थी का लक्ष्य निर्धारित किया जाय । जो सुझाव आये हैं उनको मैंने नोट कर लिया है । मैं आभारी हूं कि आपने सुझाव दिये और मैं आशा करता हूं कि कटौती का प्रस्ताव माननीय श्री श्रीराम पाल जी ने रखा है उसे वापस लेकर सर्वसम्मति से इस महत्वपूर्ण अनुदान की मांग को स्वीकार करने में अपना पूरा योगदान करेंगे । एक रुपये से काम नहीं चलेगा पूरे का पूरा पास कराना होगा । यदि आप पास करेंगे तो गरीब, दलित और उपेक्षित लोगों का हित इसमें समाहित है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मैं थोड़ा और कहना चाहूंगा ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, जो 225 रुपये की जाए सीमा की बात कही गयी वह ठीक नहीं है हम इसमें सुधार करना चाहते हैं । गरीबी की रेखा की सीमा 11 हजार 900 रुपये मान ली जाए जो एक हजार रुपया महीना आयेगी एक हजार रुपये महीना आय सीमा अधिक उपयुक्त होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री श्रीराम पाल जी क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, अनुसूचित जाति, जनजाति की जो सूची है जिसमें जो जातियां शामिल हैं उनमें स्टेट गर्वन्मेंट को कोई पावर नहीं है कि वह किसी दूसरी जाति को शामिल कर दे । यह गौड़ जाति को दुराग्रह से शामिल करने जा रहे हैं जबकि यह पिछड़ी जाति में आती है । यह जानबूझकर दलित जाति में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं । यह बजट दलित समाज शोषितों, पिछड़ों और विकलांगों को सुविधा देने के विरुद्ध है । इसमें इनका हित नहीं है इसलिए मैं इस कटौनी के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 63,35,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,53,94,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 13,38,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 14,22,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा तथा अनुदान संख्या–49 पर महिला एवं बाल कल्याण विभाग

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मद संख्या 9(8) पुकारे जाने एवं श्रीमती प्रेमलता कटियार के खड़े होने पर)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह प्रस्ताव करवा दीजिये, कोई कटौती नहीं, कोई एतराज नहीं है ।

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मानयवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,89,68,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीया मंत्री जी अपने विचार रखें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, इसे पास कराइये ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसे पास कराइये, कोई कटौती नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं । कोई अन्य माननीय सदस्य अपना विचार रखना चाहें । कोई नहीं । ठीक है मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,89,68,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(समय 8 बजकर 20 मिनट)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग

*पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,48,77,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, पर्यावरण आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक गम्भीर समस्या बन चुका है। आज इस बात की आवश्यकता है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए हर तरह से कार्य किया जाय। प्रारम्भ में विश्व में पर्यावरण की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब से मनुष्य ने पाषाणकाल में प्रवेश किया, तब से प्रदूषण की समस्या प्रारम्भ हुई। आज हमारी सरकार पूरी तरह से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इसको प्रदूषण से बचानें के लिए अनेकों प्रकार के काम कर रही है।

(इस समय 8 बजकर 21 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए।)

सरकार की तरफ से तीन इकाइयां इस कार्य को कर रही हैं। पहला है पर्यावरण निदेशालय, दूसरा है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और तीसरा है शक्ति नगर विशेष प्राधिकरण। जब मानव जीवन में साधनों का विकास हुआ और आबादी की बढ़ोत्तरी होने लगी, तब से यह पर्यावरण संरक्षण का सवाल आया।

औद्योगिक इकाइयों के बढ़ने के कारण, विकास के साधनों के बढ़ने के कारण हमारे प्रदेश के सामने प्रदूषण का सवाल उत्पन्न हुआ। आज इस समस्या को हल करने के लिए सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है। आज पर्यावरण निदेशालय के माध्यम से इस तरह के कई कार्य किये जा रहे हैं, जिससे हम प्रदूषण से अपना बचाव कर सकते हैं। अभी 1998-99 में जून व सितम्बर महीने में प्रदूषण से बचने के लिए तथा अपने पर्यावरण को बचाये रखने के लिए गोष्ठियां आयोजित की गयीं। आगे भी 1999-2000 में यह गोष्ठियां शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से किये जाने की योजना सरकार की है। आज हम स्वयं देखते हैं कि हमारा पर्यावरण निदेशालय तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण से बचने के लिए कई प्रकार के काम कर रहा है और जो औद्योगिक इकाइयां हमारे प्रदेश में हैं, उनको कहा गया है कि वह ऐसा कोई कार्य न करें जिससे प्रदूषण की स्थिति पैदा हो, इसके लिए अनेक प्रकार के उपाय किये गये हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 1998-99 में माह जनवरी, 1999 तक 1125 उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये और 785 उद्योगों के आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गये। जल अधिनियम के अन्तर्गत 54 उद्योगों के बन्दी के आदेश निर्गत किये गये तथा वायु अधिनियम के अन्तर्गत 17 उद्योगों को बन्दी के आदेश जारी किये गये। इसके अतिरिक्त जल अधिनियम की धारा 33–ए के अन्तर्गत 73 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा वायु अधिनियम की धारा 32–एक के अन्तर्गत 38 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा 4500 उद्योगों का प्रदूषण की दृष्टि से निरीक्षण किया गया। नदियों की जल गुणता का भी अनुश्रवण किया गया। 34 स्थलों पर जल गुणता के अनुश्रवण का कार्य मीनार्स परियोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। गोमती अनुश्रवण अध्ययन के अन्तर्गत गोमती नदी के जल का अनुश्रवण प्रतिदिन किया जा रहा है। गंगा परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न बिन्दुओं पर जल गुणता अनुश्रवण किया जा रहा है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल उपकर के एवज में 1997-98 में रु० 953.00 लाख वसूल किया गया। वित्तीय वर्ष 1998-99 में माह जनवरी, 1999 तक 612.59 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सहमति (जल) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 में 117.12 लाख रुपये माह जनवरी, 1999 तक में, 73.51 लाख रुपये एकत्र किया जा चुका है। सहमति (वायु) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 में 84.83 लाख रुपये प्राप्त हुए, जबकि माह जनवरी, 1999 तक चालू वित्तीय वर्ष में 44.33 लाख रुपये एकत्र किया जा चुका है।

मान्यवर, शक्तिनगर विशेष क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा औड़ी आवासीय योजना, बस स्टापों पर यात्री शेड निर्माण की योजना लहरा (म्योरपुर) स्थित प्राकृतिक झील को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये

जाने की योजना, रेशम उद्योग को बढ़ावा देने हेतु प्लान्टेशन, कीट पालन के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना आदि योजनायें प्रस्तावित हैं। इन योजनाओं पर होने वाले व्यय को प्राधिकरण द्वारा अपने संसाधनों तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर वहन किया जायेगा। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के इस सम्पूर्ण क्षेत्र हेतु सिंगरौली शक्तिनगर विकास योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन पर विश्व बैंक एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच अनेक बार विचार विमर्श हो चुका है।

मान्यवर, ताज महल के पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु जनहित याचिका संख्या–13381/84, एम०सी० मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में आगरा में शतत विद्युत आपूर्ति आगरा तथा मथुरा बृन्दावन में पेयजल की व्यवस्था के लिए योजनायें बनायी गयी हैं।

श्री बच्चा पाठक–

वहां की वायु वहां के जल को साफ सुथरा रखने के लिये कार्य किया जा रहा है। इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर 50/50 के शेयर में अपना-अपना अंशदान लगाकर इस योजना को पूरा किया जायेगा। इसी के साथ-साथ मान्यवर, ताज ट्रेपोजियम नामक योजना एशियन डेवलपमेन्ट बैंक की सहायता से शुरू की जा रही है जिससे पर्यावरण में सुधार हो सके और प्रदूषण रुके। यह सारी चीजें हम पर्यावरण को सुधारने के लिये पर्यावरण विभाग द्वारा कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि देश और प्रदेश में जो प्रदूषण की समस्या बनी हुयी है उसमें हम सुधार करके पर्यावरण को बचा सकेंगे।

* श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना व सुझाव देना।

मान्यवर, पर्यावरण आज दुनियां में, समाज में एक ऐसी चीज है जिससे कोई समाज और कोई देश अछूता नहीं है। विश्व में यदि देखा जाय तो जब यह सृष्टि की रचना हुई है तो यह माना गया कि पृथ्वी एक अलग पिंड के रूप में टूटकर सौर मण्डल में सूर्य का चक्कर लगाती हुयी निरन्तर घूम रही है। यह मानकर चला जाता है अध्ययनों के आधार पर कि पृथ्वी की तीन सतहें हैं, स्थल मण्डल, जल मण्डल, वायु मण्डल, यह जो स्थल मण्डल है जिसके अन्दर सभी जीवित जन्तु रहते हैं और जो वायु मण्डल से भी संबद्ध हैं जिसको बायोस्पेयर कहते हैं। इस वजह से आज जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि पर्यावरण क्या है और हम कैसे उसकी चिन्ता करें काफी समय पूर्व हम यह मानकर चलते थे कि मानव मात्र पर पर्यावरण का कोई असर नहीं होता होगा। लेकिन साइन्स और टेक्नालाजी के विकास की वजह से हम आज पर्यावरण की खातिर जागरूक हुये हैं। पहले हम यह मानकर चलते थे कि पृथ्वी के यह जो तीन आयाम हैं इनका एक दूसरे से ज्यादा ताल्लुक नहीं है। धीरे-धीरे इसी गलत दृष्टिकोण के कारण एक ऐसी स्थिति बनती चली गयी कि जो सृष्टि के यह घटक थे इनके अन्दर असन्तुलन बनता चला गया और आज हम एक ऐसी स्थिति में खड़े हो गये जिससे हमारे इक्जिसटेंस के लिये खतरा इस्टेब्लिश हो गया। आज सबसे बड़ी बात हम यह कहना चाहते हैं कि यदि हम इन तीन आयामों जो इन्वायरमेन्ट के हैं यदि इनमें हमें बैलेन्स रखना है तो हमें निश्चित रूप से कुछ रेगुलेटरी मेजर, कुछ इस तरह से इन्तजाम करना है जिससे हम असन्तुलन की दिशा में न जायं। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति की मानस-पटल पर 3 प्रकार की बातें आती हैं। जल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण । दूर जाने की बात नहीं है गत वर्ष भी इस सम्मानित सदन के अन्दर पर्यावरण विभाग के बजट पर कटमोशन पेश करने का अवसर प्रदान हुआ था, जिस प्रकार से भारत सरकार के अन्दर वन और पर्यावरण मंत्रालय एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं ।

वन और पर्यावरण विभाग को प्रदेश स्तर पर एक इकाई के रूप में गठित करने का काम करें तो निश्चित रूप से एक अच्छी बात होगी । वन के बिना पर्यावरण की बात सोचना बेईमानी है । बावजूद इसके एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि पौराणिक संस्कृति में भी एक बात कही गयी है कि मानव की जो देह है वह 5 तत्वों से मिलकर बनती है, जल वायु, अग्नि, आकाश और ऊर्जा । यह कहीं न कहीं अपने आप में मानव जीवन को पर्यावरण का केन्द्र बिन्दु मान ले तो उससे भी यह नतीजा निकलता है कि जो पर्यावरण का प्रभाव है वह मानव जीवन के ऊपर पड़ता है । श्रीमन्, आज की तारीख में यह बात कहना चाहता हूं कि जहां तक वायु प्रदूषण का सवाल है यदि सरसरी तौर पर देखें तो आज हमारे पास जितनी भी खतरनाक विषैली गैसे है, उसका उत्सर्जन हो रहा है ।

विद्युत गृहों से सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन आक्साईड तथा कार्बनडाई आक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है । अगर हम अपने प्रदेश पर नजर डाले और थोड़ी दूर कानपुर शहर का जिक्र करे, उस पर नजर डाले तो महसूस होगा कि कानपुर के अन्दर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है । कलकत्ता में ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा है । जो गैसें हैं, मीथेन, कार्बनडाई आक्साईड, सल्फर की एक छतरी वाताबरण के ऊपर बनता चला जा रहा है । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस बात से भिज्ञ हैं, आप इस बात को लेकर के चिन्तित होंगे कि समय काफी हो गया है हो सकता है कि हमारे बहुत से साथी इस विषय पर उदासीन हो ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी चिन्ता का अहसास किया ।

श्री मुन्ना चौहान–

आपका शुक्रिया, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने माननीय मंत्री जी को गौर से सुना । जहां तक पर्यावरण के संरक्षण का सवाल है कोई सरकारी कार्यक्रम मात्र बनाकर, केवल सरकारी कार्यक्रमों की परिधि में रहकर के पर्यावरण संरक्षण की बात सोचना अपने आप में कोरी कल्पना होगी । हमारे संविधान में पर्यावरण की महत्ता को देखते हुए कुछ समय बाद अनुच्छेद 48 और 51 में फण्डामेण्टल ड्यूटीज के रूप में इस बात का इन्तजाम किया कि इसे यहां जोड़ा जाये और यह जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर हो कि वह अपने स्तर से इस बात का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण, सम्वर्धन हो । श्रीमन् इसी क्रम में हम आज की तारीख में कह रहे थे कि पूरे विश्व की चर्चा एक व्यावहारिक पक्ष नहीं है । यदि आप देखें तो जो कैटेस्ट्रापिक इफेक्ट है । आप दिल्ली शहर का आंकड़ा उठाकर देखें । दो हजार टन जो प्रदूषक तत्व हवा के अन्दर जाता है । उसमें से 64 प्रतिशत प्रदूषण केवल मोटर गाड़ियों द्वारा होता है । गत वर्ष जब पर्यावरण का बजट प्रस्तुत किया गया था तो हमारे बगल के श्री बी० आर० वर्मा ने कटौती का प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने कहा था कि बनारस की सुबह और अवध की शाम जो मशहूर थी लेकिन आज की तारीख में स्थिति यह है कि यदि आप सफेद कपड़ा पहनकर हजरतगंज चले जाएं तो उस पर कालिख लग जायेगी । इतनी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

मान्यवर, आज डंग साहब ने एक प्रश्न के माध्यम से सवाल उठाया था कि 20 वर्ष बाद भू-गर्भ जल स्तर क्या होगा और पेयजल की क्या स्थिति होगी । उसके बारे में सरकार ने क्या नीति तय की है । यह मिलियन डालर का क्वेश्चन है इस तरह की आज दयनीय स्थिति बनती जा रही है वर्ल्ड बैंक की

रिपोर्ट है कि सन् 2025 तक हिन्दुस्तान के अन्दर पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न हो जायेगा । कहने का मतलब यह है कि पेयजल के स्रोत धीरे-धीरे प्रदूषित होते जा रहे हैं । आज कहने को तो दो तिहाई पृथ्वी में पानी है लेकिन शुद्ध पेयजल केवल 2.5 प्रतिशत है । उस पेयजल में भी अधिकांश पानी बर्फ के रूप में है । भू-गर्भ जल स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है । हमारे जितने ट्यूबवेल हैं वहां पर जितनी पानी की क्षमता है उससे अधिक दोहन के कारण जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है । इसी प्रश्न पर पूरे सदन ने चिन्ता व्यक्त की है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं कटौती का प्रस्ताव रख रहा हूं । इतनी जल्दी कैसे अपनी बात समाप्त कर सकूंगा । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जल प्रदूषण के बारे में इस पूरे सदन ने चिन्ता व्यक्त की है । इसी लखनऊ के अन्दर अभी पीलिया रोग की महामारी फैली । उसका एक मामूली सा कारण जल प्रदूषण का था । जिस रफ्तार से गोमती नदी के अन्दर कचड़ा प्रवाह किया जा रहा है यदि इसमें नियंत्रण नहीं किया गया तो स्थिति भयानक हो जाएगी । इस संबंध में भारत सरकार को गोमती नदी की सफाई के लिए 239 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा था उसका क्या हुआ इसको बताने की कृपा करेंगे ।

लखनऊ वासी गोमती नदी का पानी पीने के रूप में प्रयोग करते हैं, इसकी पानी की सफाई की व्यवस्था हो सके तो उनको स्वच्छ जल मिल सके । मैं उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूं जहां गंगा यमुना का उद्गम श्रोत है मैं कहना चाहता हूं वहां पर पर्यावरण विभाग की तरफ से गंगोत्री एक्शन प्लान नाम से एक छोटी सी योजना आपके द्वारा संचालित की गई थी । वहां पर जो पर्यटक जाते हैं वह सालाना 8 टन प्लास्टिक का कचरा उनके द्वारा फेंका जा रहा है । वह प्लास्टिक की पालीथीन धीरे-धीरे जमीन के अन्दर फैल जाती है उसके कारण वर्षा का पानी जमीन के अन्दर जज्ब नहीं हो पाता है इस कारण वह काफी रमणीक घाटी धीरे-धीरे बंजर होती जा रही है । वनस्पति का उगना बन्द हो गया है और इस कार्य योजना की खानापुरी करके आपने रख दी और दो लाख रुपया एक वालेन्ट्री एजेन्सी को दे दिया । जब सिक्किम के अन्तर्गत गंगटोक में कोई प्लास्टिक का सामान नहीं ले जायेगा, हिमांचल में शिमला की सड़कों पर कोई भी प्लास्टिक का सामान नहीं फेंकेगा तो क्या ठीक इसी तरह का एक छोटा कानून बनाकर कि बद्रीनाथ, केदारनाथ क्षेत्र में जहां स्नोलाइन रिसीड होती जा रही है वहां पर लागू करने का काम सरकार क्यों नहीं कर रही है ?

मान्यवर, ध्वनि प्रदूषण के बारे में कहना चाहता हूं कि आज तमाम तरह के इस प्रदूषण के कारण लोगों की बहुत खराब स्थिति है । मैं बहुत हिम्मत के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि चाहे वह धार्मिक स्थल ही क्यों न हो मन्दिर हों, मस्जिद हों, गिरजाघर हों वहां से जो लाउडस्पीकरों द्वारा ध्वनि प्रदूषण किया जाता है इस पर रोक लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए । बोर्ड की परीक्षायें हैं इससे परीक्षा भी बाधित होती है । मान्यवर, मनुष्य के लिए ध्वनि की तीव्रता 45 से 60 डिस्मल होनी चाहिए परन्तु अभी आई०टी०आर०सी० ने एक स्टेडी की है उसके अन्तर्गत उन्होंने चारबाग, और आलमबाग क्षेत्र के बारे में कहा है कि ध्वनि प्रदूषण का स्तर निरन्तर बढ़ता जा रहा है यदि इसे चक करने की कोशिश नहीं की गयी तो 90 डिस्मिल जो कि एक एलार्मिंग स्तर हैं वहां तक यह पहुंच जायेगी और इस स्तर पर जाकर व्यक्ति बहरा होने के लिए मजबूर हो जायेगा । इससे आर्टिरी और कार्डियक्ट सिस्टम पर भी असर पड़ेगा ।

मान्यवर, एक वेलफेयर स्टेट का जो कन्सेप्ट है बड़ी-बड़ी योजनाओं की बात कही जाती है परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि इस समाज के अन्तर्गत एक ऐसा अदृश्य सेवी संस्था काम कर रही है। ऐसे लोग जो कचड़े से हाथ पर लोहे की छड़ लेकर पालीथीन को उठाकर पुनः उसे रिप्रोसेसिंग यूनिट में भेजते हैं वह एक प्रकार से पर्यावरण के मामले में अदृश्य सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। जहां आपने गंगोत्तरी में दो लाख रुपये इस काम के लिए किसी एजेन्सी को दिये हैं वहीं पर यह अदृश्य सेवक समाज की निःशुल्क सेवा कर रहे हैं इनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए वो अपने आप में स्वयं सेवक हैं। आप उनको आईडैन्टीफाई करके उनके स्किल का इस्तेमाल करें। उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा।.....

श्री अधिष्ठाता–

मुन्ना जी अब समाप्त करें।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, आपके धैर्य को जानता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहेंगे जो उनकी बात मुझे माननी पड़ेगी। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रदेश शासन की संवेदनहीनता की तरफ इशारा करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने गत वर्ष भी सदन के अन्दर प्रस्ताव प्रस्तुत किया था अनुमान आपका 153 करोड़ रुपये का था उसमें जो आपका पुनरीक्षित अनुमान है। वह 108 करोड़ पर पहुंच गया। मैं समझता हूं कि इस वर्ष आपने 348 करोड़ का रखा है यह भी अपने आप में केवल एक काल्पनिक है क्योंकि आपके अन्दर, आपकी सरकार के अन्दर इच्छा शक्ति नहीं है इस बात को लेकर के कि पर्यावरण सुधार की दिशा में इस प्रदेश के अन्दर कोई काम हो सके।

जन-जागरण अभियान जिस तरीके से आप पर्यावरण के नाम पर चलाने की बात कर रहे हैं। उससे पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। विशेष रूप से जो पूरी दुनिया के सामने एक समस्या है कि ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे के रूप में दूनियां में मनाया जा रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी स्कूल, कालेज में जन जागरण की दृष्टि से इस दिवस को मनाने की जरूरत नहीं समझी कि छोटी आने वाली पीढ़ी को हम इसके विषय में बता सकें। मैं जानता हूं कि आप कहेंगे कि इसमें लिखा है। यह जरूर है कि इसमें लिखा है लेकिन इन कार्यक्रमों को कहीं होते नहीं देखा है जिससे आने वाली पीढ़ी के जिम्मेदार लोगों को हम इस विषय में बता सकें कि यह डिपलीट होती चली जा रही है आने वाले कुछ समय में धरती का तापमान 250 डिग्री सेल्शियस हो जायेगा।

धरती पर सूर्य की आने वाली खतरनाक किरणें भी डायरेक्ट धरती पर पड़ेंगी जो कि हमारे लिये हानिकारक होंगी। हम जानते हैं कि इस सदन के अन्दर प्रतिदिन प्रति घंटे के हिसाब से 3 लाख रुपया खर्च करते हैं इस सदन की कार्यवाही को चलाने के लिये करते हैं मखौल करने के लिये नहीं होता है यह पैसा खर्च। यह पैसा इसीलिये खर्च होता है कि यहां पर गम्भीर विचार-विमर्श हो उसके ऊपर सरकार की तरफ से संवेदनशील रवैया इख्तियार किया जाय। अपनी बात को समाप्त करते हुए अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पर्वतीय क्षेत्रों के अन्दर आज जिस तरीके से जो तमाम नदियां हिमालय से निकलकर नीचे की तरफ आ रही हैं अगर पूरे प्रदेश के अन्दर संचालन नहीं कर सकते हैं तो जो एक ग्रीन बैल्ट है यहां से गंगोत्री यमुनोत्री से कर लें, बद्रीनाथ, केदारनाथ से कर लें तो कम से कम पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर एक मैसेज जायेगा। हिन्दुस्तान का हर व्यक्ति यहां जाता है और वह प्रण लेकर जायेगा। आप मसूरी से कर लें। तमाम प्रदेशों ने कहा है।

संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आपसे कह रहा हूं आप मेरे जिले के प्रभारी मिनिस्टर भी हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। आप देहरादून से शुरूआत करें। आप समीक्षा बैठकों में अक्सर देहरादून जाया

करते हैं । आपको भी परेशानी होती है । देहरादून के अन्दर सड़कों के अन्दर पानी बहता रहता है उसका कारण यह है कि प्लास्टिक का कचरा ड्रेन के अन्दर भर जाता है जिससे बरसात का पानी ड्रेन से नहीं निकल पाता और वह सड़कों पर बहने लगता है । मैं तो इस बात को भी समझता हूं आपकी जगह किसी की भी सरकार हो संसाधन पैसा एक ऐसी चीज है जो रात भर में पैदा नहीं की जा सकती है ।

मैं कह रहा हूं कि कम से कम वह काम तो करिये जिसमें सरकार का पैसा कम लगे । जब कोई भू-स्वामी मकान बनाता है आप डेवलपमेन्ट एथारिटी को इस बात के निर्देश दें कि जो भी कवर्ड एरिया हो उसका एक निश्चित अनुपात जो वह लोन के रूप में खाली जगह छोड़ते हैं उसमें कौन्क्रीटिंग नहीं करेंगे, उसको पक्का नहीं करेंगे ताकि छत के ऊपर से जितना भी पानी बरसात का गिरे वह परकूलेट होकर जमीन के अन्दर जायेगा जिससे भू-गर्भ जल बढ़ेगा और सड़क पर पानी से जो पर्यावरण खराब होता है जिससे जनजीवन प्रभावित होता है बिना किसी अतिरिक्त व्यय के नियंत्रित किया जा सकता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, पर्यावरण के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए आपका आभारी हूं । मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । बजट में विशेष रूप से ताज की बात कही गई है मैं आगरा से विधायक चुना गया हूं एशियन डेवलपमेन्ट से जो 40 करोड़ की योजना बनाई गई है उसके लिए मैं बधाई देता हूं । मान्यवर, ताज ट्रिपेजियम के लिए 50 करोड़ किया है इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, एम०सी० मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा कायम किया । 1984 में मुकदमा कायम किया गया और 1994 में शुरू हो रहा है । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वर्ष 1994 में यह प्रारम्भ हुआ । 11 अप्रैल, 1994 में यह प्रारम्भ हुआ दो महीने के बाद केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड सेन्ट्रल प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड को वायु मण्डल में प्रदूषण है ? निर्धारित करने का अधिकार इसे दिया गया है ।

मान्यवर, मुकदमा 1984 का था और 1994 में प्रस्तुत हुआ जो मानक निर्धारित था वह 60 माइक्रोग्राम क्यूसेक था उसको घटाकर कर दिया 30 माइक्रोग्राम प्रतिक्यूसेक, ताजमहल पर किया गया 15, तो मान्यवर, जो रिपोर्ट है तीन सौ साल के बारे में दिया गया, जो प्रदूषण वहां है कहीं एक मिलीमीटर का असर होने वाला नहीं है । इसको हौआ बना दिया गया है जो प्रदूषण का मानक है मनमाने ढंग से केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड ने कम कर दिया यह रिपोर्ट बरदराजन की है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई वह सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दें कि ताजमहल को कोई खतरा नहीं है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड ने जो मानक घटा दिया है इसको देखने की जरूरत है । कुटीर उद्योग पर्यावरण के नाम पर बन्द कर दिए यह स्थिति नहीं होनी चाहिए ।

मान्यवर, आगरा में यमुना नदी का जल इतना अधिक प्रदूषित हो गया है इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । आप दिल्ली सरकार से बात करें कि गन्दगी जो छोड़ी जा रही है जिससे आगरा में बड़ी मात्रा में जल प्रदूषित हो गया है । वह शुद्ध करने लायक नहीं रह गया है मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि ध्वनि प्रदूषण एक प्रमुख प्रदूषण है इसके लिए यन्त्र लगवाया जाय । धन्यवाद ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, बाजपेयी जी आपकी इजाजत हो तो कहूं, माननीय मुन्ना चौहान जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, पर्यावरण संरक्षण हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है आदिकाल से लेकर आज तक हम इसके प्रति बहुत सजग रहे हैं। मान्यवर अर्थवेद का एक श्लोक मैं सुनाना चाहता हूं।

"त्रीणि छन्दांसि कवयो तिमितिरे, पुरुरूपं दर्शनं विश्वचक्षणम्

आयोवाता औषधय, तान्ये कस्मिन् भुवन अर्पिनि,"

अर्थात् जल, वायु, औषध अर्थात पौधे मानव जीवन को आवृत्त किये हुये हैं तथा जीवन के लिए ऊर्जा देते हैं एवं जीवन की रक्षा करते हैं। वास्तव में ये तीनों ही मानव अस्तित्व के लिए परमावश्यक हैं। इतना ही नहीं वन देवी का चित्रण किया है और राम चरित्र में सजीव पात्र के रूप में वन देवी का चित्रण किया है। प्रकृति अत्यन्त ही उदार है तथा वह हमारी सभी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। परन्तु जैसे-जैसे प्रकृति के साथ हस्तक्षेप बढ़ता गया पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हमारे लिए बहुत ही विकराल रूप ले सामने खड़ी हो गयी। इसके परिणाम स्वरूप जीवन चक्र में असन्तुलन बढ़ता जा रहा है जिससे गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।

मान्यवर, आज ओजोन पर्त ने गंभीर रूप धारण कर लिया है और इसमें जो क्लोरो कार्बन इस्तेमाल होता है वह ओजोन पर्त को हानि पहुंचा रही है। वह आज हमारे फ्रिज में जिसे ठण्डा करते हैं, इस्तेमाल हो रहा है और वर्षों से क्षति हो रही है और हम खतरनाक स्थिति से गुजर रहे हैं। मान्यवर, पृथ्वी, जल, वायु सभी में प्रदूषण तीव्रता से बढ़ रहा है जिससे पीने योग्य पानी व शुद्ध अनाज नहीं मिल रहा है। मान्यवर, वायु प्रदूषण में दुनियां के विकसित देश जिनकी स्थिति तक हमारा देश पहुंचने का प्रयास कर रहा है एक सर्वेक्षण से मालूम हुआ है कि दुनियां के शहरों में एक भी ऐसा शहर नहीं है जहां वायु प्रदूषण सुरक्षा की सीमा का उल्लंघन न कर रहा हो। इस दिशा में तेजी से बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन जो बढ़ चुके हैं उनका चित्रण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

मान्यवर, विश्व स्तर पर विभिन्न गैसों के बढ़ने से विश्व की जलवायु गरम तथा समुद्रों का जल स्तर प्रभावित हुआ है। वर्ष 1960 से लेकर 1990 तक, इन तीस वर्षों में, 40 प्रतिशत की वृद्धि ग्रीन हाऊसेज गैसेज में हुई है। इसका प्रभाव विश्व भर के वातावरण में पड़ा है जिससे वातावरण गरम होता चला गया जो चिन्ता का विषय है। जो हिमालय हैं वहां भी इसका प्रभाव हो रहा है। इस वर्ष औली में बर्फ नहीं पड़ी है। समाचार-पत्रों में छपा है कि माउन्ट एवरेस्ट भी इससे प्रभावित हुआ है और उसकी ऊंचाई घट रही है। मान्यवर, कचरे के रीसाइक्लिंग के संबंध में श्री मुन्ना चौहान का मैं समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह गंभीर विषय है। श्री मुन्ना चौहान जी दूसरे प्रदेशों की बात कर रहे थे लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में हरिद्वार के संबंध में कहना चाहता हूं कि वहां पालिथीन और प्लास्टिक के उपयोग पर पाबन्दी कुम्भ के मेले में लगा दी गयी थी और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ लोगों को खतरे में ढकेलने का काम होगा।

मान्यवर, अब मैं ताप प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि द्रव व गैस के साथ ही अनेक इकाइयों से गर्म राख भी निकलती है। स्वाभाविक है इसकी गरमी भी वातावरण को सोखनी पड़ती है। इस अप्रत्याशित ताप की मात्रा बढ़ जाती है जिसका सहना कठिन हो रहा है।

मान्यवर, इसी प्रकार से जल प्रदूषण की बात करता हूं निश्चित रूप से नदियों, कूओं का पानी प्रदूषित हो गया है इसलिए इसके प्रदूषण को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए लेकिन गंगा प्रदूषण नियंत्रण की जो योजनायें चलायी गयीं उसमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऋषिकेश से गंगा हरिद्वार

तक जब पहुंचती है तो वहां भी उसका पानी पीने के योग्य नहीं है । यह हमारा नदियों और कुओं के जल को प्रदूषण मुक्त कराने की योजना का प्रभाव है । अफसोस की बात यह है कि यमुना के प्रदूषण को मुक्त करने के लिए हम कार्य तब शुरू करते हैं जब सर्वोच्च न्यायालय हिदायत देता है तब हम जांच बैठाते हैं उससे पहले मानवता के प्रति गंभीर खतरे के प्रति हमारी आंख नहीं खुलती है । लखनऊ का उदाहरण दिया । जब हम प्रदेश की राजधानी में शुद्ध पेयजल देने की स्थिति में नहीं हैं तो जो गांव देहातों के कुएं हैं उनको क्या दे पायेंगे । यह एक विचारणीय प्रश्न है । ध्वनि प्रदूषण की बात आयी । एक सुझाव देना चाहता हूं । जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं उसको हम मजबूत करने का काम करें । लेकिन हो इसका उल्टा रहा है । एक बस 50-60 यात्रियों को ले जा सकती है लेकिन हम उसको न चलाकर उसके स्थान पर आठ-दस विक्रम-टैम्पों को चला रहे हैं । तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देंगे । हम इस प्रदूषण से काफी हद तक काबू पा सकते हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उद्योगों के बारे में चर्चा हुई । मेरा एक निवेदन है कि जब किसी उद्योग को लगाने का काम करें तो यह पर्यावरण विभाग समन्वय करने का काम करें । उद्योग विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग और दूसरे अन्य विभाग समन्वय करने का काम करें । यदि हम समन्वित ढंग से योजना बनाने का काम नहीं करते हैं, पर्यावरण विभाग इसको अनदेखा कर रहा है, तो हम मानव जीवन को काल कालपित करने का काम करेंगे । माननीय मंत्री जी सत्ता के मद में मदहोश हैं ।

सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में फैसला दिया कि अस्पतालों से जो कचरा निकलता है जो सूइयां निकलती हैं, उनको डिस्पोज आफ किये बगैर छोड़ देते हैं और फिर वह खुले बाजार में पहुंचती है जिससे एड्स जैसी भयंकर बीमारी फैलती है । हमें इसको देखना चाहिए । स्वास्थ्य विभाग इसको देखें कि अस्पताल के बाहर इस प्रकार की सूइयां न हों । यह एक गंभीर प्रश्न है इस पर हमारी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए । प्रदूषण के जो अपराध हैं उनसे निपटने के लिए अलग न्यायालय की स्थापना हो ताकि प्रदूषण से निपटने में सहायता मिल सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुन्ना चौहान जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने बजट में इस बात का कहीं जिक्र किया नहीं है कि जो गंगा एक्शन प्लान है जिसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इसलिए बन्द कर दिया गया है, जिसमें 500 करोड़ रु० खर्च हो गये हैं, कि उसमें सवाल उठाया गया कि यह तो गलत तरीके से हिंडरेंस हो रहा है कांम्पीटेंस नहीं है । एक्सपर्टीज नहीं हैं । उच्च न्यायालय ने एक्सपर्टीज कमेटी गठित की है । जो इण्डस्ट्रियल एफ्यूलेशन का डिस्पोजल है, सफाई आदि कार्य 500 करोड़ रु० खर्च होने के बाद भी क्यों नहीं ठीक से एक्सपर्ट कमेटी बनायी गयी जो इस कार्यक्रम को चला सके । केशो मेहरा जी का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने कहा कि एशियन डेवलपमेन्ट बैंक ने ताज टेपिजियम की महत्वाकांक्षी योजना के लिए उसके संरक्षण के लिए कहा गया है । सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया कि यह टाटा कंसलटेंसी ने जिसको एप्रूव किया है भारत सरकार ने अपनी कंसेंट दी है कोई वित्तीय इन्तजाम राज्य सरकार ने नहीं किया है । जो ऐक्शन प्लान था वह आप कार्य रूप नहीं दे पा रहे हैं ।

मान्यवर, मैं देहरादून से ताल्लुक रखता हूं । वहां दून वेली कहते हैं । सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर दून वेली के क्षेत्र को इकोलाजिकली अति संवेदनशील जोन घोषित किया । तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस एक्टीविटीज पर लगाये गये हैं । आप उसमें फैसला लें, मंसूरी की पहाड़ियों से पानी बरसात के दिनों में निकलता है भूमि का क्षरण हो रहा है जो छोटी-छोटी नदियां हैं, उसमें डिजर्ट एफेक्ट बढ़ता जा रहा है और रेगिस्तान जैसा बनता चला जा रहा है आप उसे रोकने का काम कर सकें तो मैं आपका आभारी

हूंगा । अब दून वेली को इकोलाजिकली फ्रेजाइल जोन घोषित करने का यह अर्थ नहीं कि दून वेली के क्षेत्र के लोगों को मजबूर कर दें कि वह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं कर पाये छूट इस बात की है कि जो हरी सूची है इण्डस्ट्रीज की, उसको लगाने का इन्तजाम हो सकता है । दून वेली के लोग देश के लिए मानवता के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं वहां पोलोटिंग इण्डस्ट्री नहीं लग पा रही हैं । मेरा अनुरोध है कि दून वेली को अति बेकवर्ड घोषित करके कोई इस तरह की योजना ग्रीन लिस्ट को प्रोमोट करने के लिए लायी जाये और उसमें सरकार के द्वारा सुविधायें मुहैय्या करायी जायं । मैं चाहूंगा कि इन बातों का जवाब माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में देंगे । एक अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, मंत्री जी द्वारा सरकुलेट लिटरेचर मिला है, इसलिये इसका संज्ञान लेने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी । मान्यवर, इसमें लिखा है कि चालू वित्तीय वर्ष में पर्यावरण विषय से संबंधित नवीनतम पुस्तकें क्रय किये जाने हेतु रु० 10.00 की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचाराधीन है । श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे आल पीपुल्स प्रोग्राम बनाया जाय, जनता का प्रोग्राम बनाया जाय । दूसरे प्रदेश के लोग हैण्डबिल्स बांट रहे हैं, लिट्रेचर बांट रहे हैं, अपने लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं और हमारे यहां पर्यावरण सम्बन्धी जानकारी करने के लिए यदि पैसा देना पड़ेगा तो सरकार का क्या दृष्टिकोण है, यह आप स्वयं भलीभांति समझ सकते हैं । मेरी नजर में इस हिसाब से पर्यावरण की दृष्टि से भविष्य सुरक्षित नहीं है । यह कहा जा सकता है कि इस प्रदेश की जनता को घुट-घुटकर दम तोड़ने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं । इस संवेदनशील विषय पर आज पूरी दुनिया में हायतोबा मच रही है, मैं चाहूंगा कि यह सरकार इस प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कोई कार्य योजना निर्धारित करें, तमाम सारी बातें आयी हैं, उनको आप कार्य रूप देंगे, इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री बच्चा पाठक–

माननीय अधिष्ठाता जी, कुछ ऐसे सुझाव आये हैं, जिन पर विचार किया जा सकता है । जैसा कि मेहरा जी ने सुझाव दिया है, उसके ऊपर कार्य करने की जरूरत है और केन्द्र सरकार से इस बारे में बात करके इसका निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है । जहां तक माननीय सदस्य मुन्ना जी ने जो सवाल उठाये हैं, समय कम है, सभी माननीय सदस्य जाना चाहते हैं, लेकिन माननीय मुन्ना जी के सवाल ऐसे हैं, जिन पर वह अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं तथा उसको सरकार के माध्यम से कहना चाहते हैं । आज जो पोलीथीन का उपयोग बन्द करने की बात है, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी कौन सी बात बतायी है कि पोलीथीन को कहां रख दिया जाय जिससे हम उसका उपयोग न करें । एक तरफ पोलीथीन के उद्योगों को बढ़ावा देने की बात हो रही है, दूसरी तरफ वन कटान को रोकने की बात हो रही है । यदि हम पोलीथीन उद्योग बन्द करते हैं तो इसके लिए कागज के थैलों की आवश्यकता होगी और उसके लिए वनों को काटने की आवश्यकता होगी, यह हमारी सरकार की नीति नहीं है । हम वनों की सुरक्षा करना चाहते हैं ।

एक बात उन्होंने यह कही कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है । उत्तर प्रदेश की सरकार पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए अनेक प्रकार के कार्य कर रही है । पर्यावरण प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा जल प्रदूषण तीनों ही प्रकार के प्रदूषणों को रोकने की दिशा में सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है । इसके विपरीत जो औद्योगिक इकाईयां प्रदूषण फैलाने का काम कर रही हैं, उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज किये गये हैं और उनको रोकने के उपाय किये गये हैं ।

(श्री राम औतार शाक्य के खड़े होने पर)

(सत्तापक्ष की ओर से व्यवधान)

मान्यवर, ओजोन परत की बात कही गयी । मैं बताना चाहूंगा कि 16 सितम्बर, 98 को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जा चुका है ।

(समय 9 बजकर 20 मिनट)

अभी मुन्ना चौहान कह रहे थे कि इस सरकार ने पर्यावरण के लिए क्या किया, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया है, अन्तर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया है, पर्यावरणीय जागरूकता एवं नियंत्रण परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड को अनुदान दिया गया है, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जनपद ऊधमसिंह नगर में खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण हेतु स्थलों का अभिज्ञान नामक योजना चलायी जा रही है । हेमवती नन्दन बहुगुना विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के भूगोल विभाग द्वारा हिमालय में पर्यावरणीय प्रबन्धन एवं राष्ट्रीय नियोजन के सम्बन्ध में सेमीनार कराये गये हैं । मान्यवर, उधर के जो माननीय सदस्य हैं वह प्रदूषण पैदा कर रहे हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मेरा मुन्ना चौहान से निवेदन है कि वह अपना कटौती का प्रसताव वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने पर विचार तब करता जब माननीय मंत्री जी का उत्तर मंत्री जैसा आता, लेकिन उनका उत्तर बच्चों जैसा आया है । मान्यवर, मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है । मंत्री जी के सामने मुझे अपने आपको बच्चा कहने में कोई हर्ज नहीं है । मान्यवर, स्वच्छ वातावरण जिसमें मनुष्य आसानी से रह सके, तरक्की कर सके और पर्यावरण स्वच्छ बना रहे, उस सम्बन्ध में जिन बातों की ओर और जिन उपायों की ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया था यदि एक बार भी मंत्री जी ने कहा होता कि वह इन योजनाओं को लागू करेंगे तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेता । चूंकि पर्यावरण के सुधार के लिए सरकार की कोई इच्छा नहीं है इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,48,77,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1998 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1999

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1998 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, जो यह अध्यादेश लाया गया है यह लोकतन्त्र का गला घोटने वाला अध्यादेश है। सहकारी समितियों का विधिवत् निर्वाचन हुआ और निर्वाचित कमेटियां काम कर रही थीं लेकिन एक साजिश के तहत मंत्री जी ने इनको समाप्त कर दिया। उस समय कहा गया था कि जल्दी ही चुनाव कराये जायेंगे।

मान्यवर, यह समितियां प्रदेश के जो 70 फीसदी किसान हैं और अन्य उपभोक्ता समितियों का लाभ उठाने वाले उपभोक्ता हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए थीं। अगर उनके निर्वाचित प्रतिनिधि उसमें होते और काम देखते तो निश्चित रूप से किसानों का हित होता। इसकी अनदेखी करके मंत्री जी ने इन समितियों में ऐसे लोगों जिनका सहकारिता से दूर-दूर का सम्बन्ध नहीं है न किसानों से सम्बन्ध है उनको नामित करने का काम किया है। एक साल का जो वादा उन्होंने पहले किया था उसको 18 महीने करने का काम किया है। प्रदेश में निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी लेकिन मंत्री जी ने जानबूझकर ऐसी प्रारम्भिक समितियों में सदस्य को संचालक नामित करने का काम किया। वैसे धारा–34 के अन्तर्गत प्राविधान किया गया है कि इन समितियों में सरकार दो व्यक्ति नामित कर सकती है जिसमें से एक सरकारी सेवक होगा। समितियों का जो अधिनियम है उसके अनुसार समितियां तय करती हैं कि कितने सदस्य होंगे।

सामान्यतः 7 सदस्य निर्वाचित हुए लेकिन मंत्री जी ने हर जगह अपने चहेते 1-1 लोगों को नामित कर दिया जिससे उनका इन समितियों पर कब्जा हो सके। इसे नामित करने के बावजूद भी कहीं पर इनको कोई सफलता नहीं मिली। मान्यवर, आज इस लोकतन्त्र का गला घोटने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है इसलिए जो संशोधन का प्रस्ताव लाये हैं, सदन के सभी माननीय सदस्य उसका अननुमोदन करें जिससे जनता के लिए जनता की व्यवस्था कर सकें।

सहकारिता मंत्री (श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं माननीय सदन के सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि एक अपरिहार्य परिस्थिति के कारण यह विधेयक लाना पड़ा क्योंकि 15-7-94 से पूर्व समितियों में नियुक्त प्रशासक कमेटी को एक वर्ष की अवधि प्रदान किया जाये। दूसरे चुनाव की तिथियां निर्धारण करने तथा सुचारू रूप से चुनाव कराने के लिए इस चुनाव को स्थगित करने के कारण विशेष परिस्थिति पैदा हुई। विशेष परिस्थिति में एक वर्ष के स्थान पर डेढ़ वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया। ऐसे समय में जब चुनाव नेक नीयती के आधार पर जो विपक्ष में बैठे उधर के सदस्यों ने अभी तक यह किया था, उनको अपने जैसा लगता है कि हमने चुनाव की तिथि निर्धारित कर दिया। 28 दिसम्बर चुनाव की तिथि निर्धारित हो गयी। उन समितियों का जिनके ऊपर कार्यभार रहता है उन समिति के सचिवों ने 8 दिसम्बर से हड़ताल प्रारम्भ कर दी, उन्होंने कार्य का बहिष्कार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक जनपदों से रिपोर्ट आयी, जिलाधिकारियों ने भी रिपोर्ट की कि ऐसी स्थिति में चुनाव कराना सम्भव नहीं है। चुनाव की तिथि आगे बढ़ानी पड़ी। तो एक वर्ष के प्रशासक के कार्यकाल को डेढ़ वर्ष तक बढ़ाने

की मजबूरी थी । एक बात कही गयी कि नीयत ठीक नहीं थी । मान्यवर, सहकारिता में जिनकी अभिरुचि थी उनका नामंकन हुआ । यह इतना राग अलाप रहे हैं पहली बार सहकारिता के क्षेत्र में आम आदमी आगे आया है । पहले इसे चार-पांच लोगों ने अपना जेबी संगठन बना रखा था । अब यह जनता का संगठन बना है । समितियों में जन सैलाब उमड़ा है और आम व्यक्ति नें नामांकन के साथ चुनाव में सहभागिता की है । इसमें विपक्ष के लोगों का कहीं नाम नहीं रह गया है । 70 प्रतिशत निष्पक्ष स्वभाव वाले लोग बैठे हैं । उन ठेकेदारों की ठेकेदारी समाप्त हो गयी, अब उन्हें बेचैनी पैदा हो गयी है । इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी नीति और नीयत भी ठीक है इसलिए इसे पारित करायें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने बड़ी दुहाई दी कि जितने लोगों के हाथ में सहकारिता आन्दोलन था । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सहकारिता आन्दोलन एक ऐसा आन्दोलन है जो जाति को, वर्ग को, राजनीति को समाप्त करता है । इस सहकारिता आन्दोलन में सभी पार्टियों के लोग सभी जाति और वर्गों के लोग एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर सहकारिता की भावना पैदा करते हैं, बन्धुत्व की भावना पैदा करते हैं । अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है । इस दिशा में अगर हम देखें आपकी सरकार तानाशाही की तरफ जाना चाहती है । पहले से ही जो चुनी हुई संस्थाएं थीं चाहें एपेक संस्थाएं हों या प्राथमिक संस्थाएं आपने एक कलम से ही इन संस्थाओं को बर्खास्त कर दिया । आप सहकारिता आन्दोलन पर कुठाराघात करना चाहते हैं, आप सहकारिता आन्दोलन को खत्म करना चाहते हैं । आप प्रजातन्त्र का गला घोटकर तानाशाही लाना चाहते हैं । आपने धारा 29 के उप नियम 2 में संशोधन किया है । अग्रेतर प्रबन्ध यह है कि जहां राज्य सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसे परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण निबन्धक द्वारा नियत किये गये दिनांक को निर्वाचन कराया जाना कठिन हो गया है, वहां पर निबन्धक को निर्वाचन स्थगित करने का निदेश दे सकेगा और इस पर निबन्धक निर्वाचन स्थागित करेगा और निर्वाचन के सन्दर्भ में समस्त कार्यवाही सभी प्रकार से नये सिरे से प्रारम्भ की जायेगी । यह काला कानून है यह प्रजातन्त्र का गला घोटने वाला कानून है ।

सारी शक्ति निबन्धक की भी शक्ति राज्य सरकार में निहित कर दी गयी है । यह सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने वाला कदम नहीं है । ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण आन्दोलन हुआ जो समस्यायें थीं उनका निदान करना सरकार का दायित्व होता है । आपने उस हड़ताल को उकसाया । क्योंकि आप चुनाव से डर रहे हैं । इस तरह से आपने उसको एक वर्ष किया दूसरे क्लाज में 18 महीने किया और तीसरे क्लाज में सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिया । इस तरह से आपका यह काम प्रजातन्त्र विरोधी है आपकी नीति और नीयत साफ नहीं है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो एक माह में अपनी रिपोर्ट दे । वह समिति हर पहलुओं पर विचार करे । इसलिए में संशोधन का प्रस्ताव करता हूं ।

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इनकी नीयत साफ नहीं है इन्होंने सभी शीर्ष समितियों में अपने लोगों को चेयरमैन नामित कर दिया है । यह जो उपधारा तीन के अन्तर्गत संशोधन कर रहे हैं अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण निबन्धक द्वारा नियत किये गये दिनांक को निर्वाचन कराया जाना कठिन हो गया है वहां पर निबन्धक को निर्वाचन स्थगित करने का निदेश दे सकेगी और उस पर निबन्धक निर्वाचन स्थगित करेगा निर्वाचन की समस्त कार्यवाही सभी प्रकार की नये सिरे से प्रारम्भ की जायेगी । इससे स्पष्ट है कि इनकी नीयत साफ नहीं है यह कहते कुछ हैं करते कुछ हैं । यह एक तरफ समरसता की बात करते हैं । उसके बाद शम्बूक वध की बात करते हैं । इस बात की पूरी आशंका है कि यदि यह काला कानून पास होता है तो में सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि भले ही आज आप सत्ता पक्ष में बैठे हों यह आपके लिए भी हानिकारक होगा इसलिए आप विधेयक का अननुमोदन करें और फिर इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री शाक्य जी आपको कुछ कहना है ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी अभी माननीय मंत्री जी यह कह रहे थे कि दुकान लगा ली है । अब यह तो यही बतायेंगे कि दुकान इन्होंने लगा रखी है या किसने लगा रखी है । हम तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं और संघर्ष करके निकले हैं परन्तु यह तो बनिया पार्टी है जो दुकान लगाकर डण्डी मारने का काम करती है इसलिए मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं ।

श्री ''पटेल'' राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य को अपनी बात याद आ रही है । उन्होंने अपनी वेदना प्रस्तुत की और उन्हें कठिनाई हो रही है । मान्यवर, प्रशासक वाली व्यवस्था यह पहली बर नहीं हो रही है यह तो पहले से चला आ रहा था । कुछ अपरिहार्य कारणों वश यह परिस्थितियां पैदा हो गयीं नहीं तो हमने तो पहले ही चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी थी । मान्यवर, हमारी नीति और नीयत में कोई खोट नहीं है । नीति और नीयत में तो इनके खोट है । इनकी दुकानें उखड़ गयी हैं जो पहले से चली आ रही थीं और लोगों में सहकारिता के प्रति अभिरुचि नहीं थी परन्तु आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनमानस के मन में सहकारिता के प्रति अभिरुचि बढ़ी है और उनकी सहभागिता भी बढ़ी है इसलिए इसे प्रवर समिति को भेजे जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री लालजी वर्मा जी आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ।

श्री लालजी वर्मा–

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री शाक्य जी आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1998 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1999

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा।

(2) यह 24 दिसम्बर, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में,–

(क) उपधारा (3) में,–

(एक) प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1998" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1999" रख दिये जायेंगे;

(दो) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात्, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:–

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण निबन्धक द्वारा नियत किये गये दिनांक को निर्वाचन कराया जाना कठिन हो गया है, वहां वह निबंधक को निर्वाचन स्थगित करने का निदेश दे सकेगी और उस पर निबंधक निर्वाचन स्थगित करेगा और निर्वाचन के सन्दर्भ में समस्त कार्यवाहियां सभी प्रकार से नये सिरे से प्रारम्भ की जायेंगी।"

(ख) उपधारा 7 में शब्द "एक वर्ष ", प्रतिबन्धात्मक खण्ड को सम्मिलित करते हुए जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "अट्ठारह माह" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 1998	3-(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।	निरसन और अपवाद

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड –1,प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ''पटेल'' राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण न होने से उत्पन्न स्थिति विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम –52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जनसंख्या जैसे विषय पर नियम–52 के अन्तर्गत चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है, मैं उसके लिये आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं । जन-जन से मिलकर परस्पर समाज बनता है । जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाय तो पूरे प्रदेश में 2.5 प्रतिशत की गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है । देश में डेढ़ सेकेन्ड में एक बच्चा जन्म ले रहा है । हर मिनट में 40 बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर घंटे में 24 बच्चे और हर रोज 57,600 बच्चे और हर माह में 17,28000 बच्चे पैदा हो रहे हैं । इस प्रदेश और देश में आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है उसके अनुसार 2 करोड़ 10 लाख 24 हजार की आबादी बढ़ रही है । 2010 में हमारी आबादी विश्व की 1/6 हो जाने वाली है । अगर जनसंख्या वृद्धि की दर इसी प्रकार रही तो हर वर्ष एक आस्ट्रेलिया हिन्दुस्तान में जन्म ले रहा है । वहां की जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या की वृद्धि दर हमारे यहां अधिक है । अगर विश्व में जनसंख्या के अनुपात में हम देखें तो हर सातवां व्यक्ति भारतीय है और देश की जनसंख्या के अनुपात में उत्तर प्रदेश का हर सातवां व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी है । पोखरन में विस्फोट करके हमने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया ।

जनसंख्या के विस्फोट के माध्यम से हम देश का अहित कर रहे हैं । इस जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदेश में प्राकृतिक आपदाएं पैदा कर रहे हैं । प्रदेश सरकार ने बहुत सारी नीतियां बनाई हैं, खनिज नीति बनाई है, पर्यटन नीति बनाई है । आज अगर अपने इस प्रदेश में यदि अपने संसाधनों को विकास के लिए उपयोग करना है तो जनसंख्या नियंत्रण की नीति बनानी होगी । और इसकी महत्ति आवश्यकता हो गयी है । इस जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण यह हैं जैसे बाल विवाह, अशिक्षा, जीवन में हमारा

भाग्यवादी दृष्टिकोण, धार्मिक अंधविश्वास, निरर्थक परम्पराएं, मान्यताएं । यह सब चीजें ऐसी हैं जो जनसंख्या वृद्धि का कारण बन रही हैं ।

यह जनसंख्या वृद्धि हमारे विकास के संसाधनों को उसी प्रकार तोड़ रही है जिस प्रकार से आंधी तिनके को उड़ा देती है । जनसंख्या वृद्धि इस प्रदेश और देश में कुटीर उद्योग बन गई है । इस देश और प्रदेश में कुटीर उद्योग के रूप मे पनप रही है । जनसंख्या के मामले में देखिये चाइना जो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश था उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर एक तरीके से शत-प्रतिशत रोक लगा दी है। उन्होंने कानून बना दिया है कि प्रत्येक विवाहित कपल एक बच्चा पैदा करेगा उसके अतिरिक्त बच्चे पैदा नहीं कर सकता है । यदि किसी का पहला बच्चा फीमेल पैदा होगा तो उसको दूसरा बच्चा पैदा करने के लिये 4 साल बाद अवसर दिया जायेगा । उससे पहले नहीं कर सकता है । चीन में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई हैं कि चीन के नागरिकों को चीन में रहना है चीन की सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का उपयोग करना है तो परिवार नियोजन या जनसंख्या निवारण उसके लिए अनिवार्य कर दिया है । चीन ने जनसंख्या वृद्धि पर शत-प्रतिशत नियंत्रण पा लिया है । अभी हमारा देश दूसरे नम्बर पर है लेकिन 2010 में चीन से भी अधिक आबादी वाला हमारा देश होगा । विश्व की 1/6 आबादी हिन्दुस्तान में है । भारत की 1/6 आबादी उत्तर प्रदेश में है ।

इस तरह जनसंख्या बढ़ते-बढ़ते कहां पहुंचने वाली है 2001 में एक अरब एक करोड़ की आबादी हमारे देश की हो जाएगी 61 में आबादी 44 करोड़ थी, 1971 में 55 करोड़ की आबादी है, 1981 में 67 करोड़ थी, 1991 में 84 करोड़ था 2001 में एक अरब एक करोड़ की संभावना है । हिन्दुस्तान ऐसा देश है जहां जन गणना की प्रक्रिया अनवरत चल रही है वह रुकी नहीं है । क्योंकि जनसंख्या वृद्धि नहीं रुक रही है हिन्दुस्तान ऐसा देश है जहां निर्बाध गति से जनगणना चल रही है । चीन में एक बच्चा पैदा करने वाले को सारी सुविधायें दी जाती हैं और एक से अधिक बच्चा पैदा करने वाले पर विभिन्न प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं ।

मान्यवर, विकास के लिए आबादी पर नियंत्रण की जरूरत है दुनिया की आबादी 6 अरब है जिसमें 1/6 भाग हिन्दुस्तान की है भूमि का हिस्सा 2.6 है हिन्दुस्तान में जो आबादी है उसकी 1/6 उत्तर प्रदेश में है । आबादी इस तरह से बढ़ेगी तो हम प्रदेश की जनता को कैसे भोजन देंगे । जनसंख्या के नियंत्रण के लिए एक अभियान चले हमारी सरकार ने कुछ औपचारिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया मैं कहना चाहूंगा कि रटी-रटाई भाषा बोल दी गई प्रदेश की जनता को यह संदेश नहीं गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार परिवार नियोजन करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए नये कार्यक्रम लेकर आ रही है ।

मान्यवर, अगर हम देखे प्रतिवर्ष जनसंख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है । पल्स पोलियो अभियान को छोड़ दिया जाए तो कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं आंकड़ों के अनुसार 34 फीसदी औसत जन्म दर है उत्तर प्रदेश की जन्म, दर बढ़ी है । तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के मुकाबले जन्म दर कम है । हमारे प्रदेश में केवल 20 फीसदी महिलायें परिवार नियोजन का प्रयोग कर रही हैं । जनसंख्या इसी तरह से बढ़ेगी तो विकास उस तरह से नहीं हो पाएगा । मान्यवर, जनसंख्या विस्फोट आज चुनौती बनी हुई है । जनसंख्या उत्तर प्रदेश और बिहार में तेजी से बढ़ रही है । आंकड़ों के अनुसार मृत्यु दर घटी है लेकिन आबादी बढ़ रही है इसका परिणाम है कि गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है और लोग शहरों में आ रहे हैं जिससे शहरों में आवासों, पानी और बिजली की समस्या जटिल हो रही है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश और बिहार शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हैं जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि में हम शायद ही कमी ला पायें ।

मान्यवर, परिवार नियोजन के सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यदि जनसंख्या नियंत्रण करना है तो 40 से 55 साल के पुरूषों की नसबन्दी करके जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, यदि नियंत्रण करना है तो 25 साल के बच्चों की नसबन्दी जाति और धर्म के भेदभाव के बिना की जायेगी तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हम पा सकते हैं । मेरा यह भी सुझाव है कि जिनके दो बच्चे हैं उनको पदोन्नति दी जाये, भत्ते बढ़ाये जायें, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाय आदि इस प्रकार की कई योजनायें चलाकर जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है । मान्यवर, केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इस ओर संकेत भी दिया है कि जिनके दो बच्चे होंगे उन्हें आयकर में छूट प्रदान करेंगे ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अरबों रुपया परिवार नियोजन पर बहाने के बाद भी हम कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सके हैं । इसलिए 16 करोड़ आबादी पर जो 20 हजार करोड़ रुपया खर्च किया गया है और जिससे 20 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि पर हम नियंत्रण कर सके हैं तो यह कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं है । मान्यवर, आज लगभग 20 प्रतिशत महिलायें ऐसी हैं जो परिवार नियोजन प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर रही हैं और 16 प्रतिशत महिलायें इस ओर सजग हैं ।

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही है जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है । अमेरिका के राजदूत ने दिल्ली में एक सम्मेलन में कहा था कि भारत की जनसंख्या के मामले में बहुत तेजी के साथ नियंत्रण करना चाहिए अन्यथा भारत का विकास भारत से दूर होगा और आर्थिक संकट से भारत ग्रसित हो जायेगा ।

मान्यवर, इस प्रदेश और देश में जब-जब जनसंख्या वृद्धि को रोकने और परिवार नियोजन की बात आयी है तो इसको जाति और धर्म से जोड़ कर देखा गया है लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए । मान्यवर, यदि जनसंख्या वृद्धि इसी प्रकार होती रही तो हमारे पास जमीन नहीं बचेगी और वह बंटती चली जायेगी । इसलिए जाति और धर्म के आधार पर परिवार नियोजन में भेद-भाव किया जाता रहा तो जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य को हम कभी नहीं पायेंगे ।

मान्यवर, मैं कुछ आंकड़े रखकर अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा । इस जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए हम लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अधिक जनसंख्या वृद्धि करते हैं.....

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, कल के लिए स्थगित कर दें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाँजपेयी–

मान्यवर, अगर राष्ट्रीय दर देंखे तो शहरी क्षेत्र में 5.8 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में 4.83 प्रतिशत । अल्पसंख्यक शहरी क्षेत्र में 4.9 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्र में 6.2 प्रतिशत हिन्दू शहरी क्षेत्र में 4.2 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में 5.7 प्रतिशत है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसमें चर्चा जारी रहेगी शेष मद संख्या 17 को छोड़कर शेष कल तक के लिए स्थगित करा दें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, केन्द्रीय गृह मंत्री ने दो राज्यों के बारे में कहा है । अरूणाचल में अल्पसंख्यक में 135 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा मिजोरम में 105 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 81 से 91 की दशक में अल्पसंख्यक का राष्ट्रीय औसत 32.7 प्रतिशत था । केरल में 25.49 प्रतिशत था । केरल में अशिक्षा नहीं

थी इसलिए जनसंख्या की दर सीमित है । तामिलनाडु में 21.41 प्रतिशत है, त्रिपुरा में 23.78 प्रतिशत है । मान्यवर, जन्म दर को कम करने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका होनी चाहिए ।

निजी क्षेत्र के अन्तर्गत बस्ती एवं बाल्टरगंज की चीनी मिलों पर चर्चा, लोक सभा एवं विधान सभाओं का कार्यकाल निश्चित रूप से पांच वर्ष का किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा, उ० प्र० विधान मण्डल के सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन के सम्बन्ध में विचार, प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के हजारों प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में वक्तव्य, सन्त रविदास नगर (भदोही) छः-सात वर्ष पूर्व कराये गये बैनामे में स्टाम्प शुल्क की कमी दिखाकर किसानों का उत्पीड़न के सम्बन्ध में वक्तव्य, जनपद सिद्धार्थनगर में पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत मा० सदस्य द्वारा प्रस्तावित परियोजना को स्वीकृत न किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य, जनपद चित्रकूट की तहसील मऊ में पात्र व्यक्तियों को प्रदत्त पट्टों की अमलदरामद न होने के सम्बन्ध में वक्तव्य, जनपद मथुरा में डी०आर०डी०ए० द्वारा सड़कों/लिंक मार्गों के निर्माण में कथित धांधली के सम्बन्ध में वक्तव्य, जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में मसकनवां में राजकीय कन्या हाई स्कूल को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य, मा० शिक्षा परिषद् द्वारा हाई स्कूल एवं इण्टर के परीक्षा केन्द्रों को 8 से 10 कि०मी० दूरी पर निर्धारित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य तथा जनपद बिजनौर के अन्तर्गत स्योहारा गन्ना मिल द्वारा प्रदूषित जल को गागन नदी में प्रवाहित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य के स्थगन का प्रस्ताव

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मद संख्या–17 को छोड़कर बाकी सारी मदें स्थगित कर दें । इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव लायें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि आज की मद संख्या–17 को छोड़कर शेष मदें स्थगित कर दी जायें ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई :–

श्री लालजी वर्मा — जनपद अम्बेडकर नगर की नगरपालिका परिषद् टाण्डा में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं तथा अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद् द्वारा की जा रही मनमानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :–

श्री अजय कुमार पोइया	जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने तथा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में।
डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	प्रदेश में राशन की दुकानों से चीनी का कोटा प्रतिमाह प्रति यूनिट पूर्ववत् करने तथा होली/ईद की अतिरिक्त चीनी प्रति कार्ड यथावत् दिये जाने के संबंध में।
श्री राम औतार शाक्य	प्रदेश में विद्युत की अनियमित एवं अघोषित कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
श्री राम विशुन आजाद	जनपद गोण्डा की नगर पंचायत मनकापुर के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा कथित रूप से शासकीय धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।
डा० राम बाबू हरित	आगरा पश्चिमी क्षेत्र के नौबस्ता, राजीव नगर नालों की सफाई तथा धसी जमीन पर मिट्टी भरने की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

श्री विनोद मणि	जनपद महाराजगंज की फरेन्दा तहसील की ब्लाक धानी के 142 गांवों को परिसीमन के फलस्वरूप महाराजगंज जनपद के बजाय गोरखपुर जनपद में सम्बद्ध किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
श्री पूर्णमासी पंकज	जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) में वर्ष 1995-96 से ट्राइसम योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को छात्रवृत्ति एवं प्रमाण पत्र न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद	किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, तिंदवारी, बांदा के टी० ओ० द्वारा शासकीय धन को अवैधानिक ढंग से अपहरित किये जाने तथा उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया	जनपद गाजियाबाद के अधिकांश इण्टर कालेजों में की जा रही अवैध शुल्क वसूली के सम्बन्ध में।
श्री राम ललित चौधरी	विकास कार्यों हेतु शासन द्वारा आवंटित किये जा रहे धन से सेन्टेज चार्जेज की कटौती रोके जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं ।

श्री ओंकार सिंह यादव, श्री लाखी राम जोशी, श्री विजय पाल सिंह, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री राजपाल सिंह, श्री नवाब सिंह नागर, डा० धर्मज्ञ मिश्र, डा० रामबाबू हरित (नियम–300 में प्राप्त)

अब हम उठते हैं कल पूर्वाहन 11 बजे तक के लिए ।

(इसके बाद सदन रात्रि 10 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

10 मार्च, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर ।)

संलग्नक–1

वर्ष 1998–99 में जनपद/महिला चिकित्सालयों द्वारा वस्त्र बिस्तर मद में मांगी गई अतिरिक्त धनराशि का विवरण

क्र०सं०	चिकित्सालय का नाम	वस्त्र बिस्तर मद में मांगी गई धनराशि
1	2	3
1	मानसिक चिकित्सालय, बरेली	2.50,000
2	जिला चिकित्सालय, फर्रुखाबाद	20,000
3	यू०यच०एम० चिकित्सालय, कानपुर	2,00,000
4	जिला चिकित्सालय, पीलीभीत	50,000
5	जिला चिकित्सालय, इटावा	50,000
6	महिला चिकित्सालय, बदायूं	30,000
7	जिला चिकित्सालय, हरिद्वार	40,000
8	महिला चिकित्सालय, मुरादाबाद	50,000
9	जिला चिकित्सालय, मुरादाबाद	1,00,000
10	महिला चिकित्सालय, बिजनौर	50,000
11	जिला चिकित्सालय, बिजनौर	1,00,000
12	जिला चिकित्सालय, बदायूं	1,00,000
13	महिला चिकित्सालय, हरिद्वार	40,000
14	जिला चिकित्सालय, रामपुर	2,00,000
15	जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर	1,00,000
16	जिला चिकित्सालय, बरेली	2,50,000
17	जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर	42,320
18	जिला चिकित्सालय, मऊ	1,00,000
19	एम०डी० नेत्र चिकित्सालय, इलाहाबाद	3,50,000
20	जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़	1,52,500
21	जिला चिकित्सालय, फतेहपुर	1,00,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
22	मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद	2,50,000
23	जिला चिकित्सालय, आगरा	1,00,000
24	जिला चिकित्सालय, मथुरा	25,000
25	जिला चिकित्सालय, एटा	1,00,000
26	जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद	50,000
27	महिला चिकित्सालय, मैनपुरी	50,000
28	जिला चिकित्सालय, पौड़ीगढ़वाल	50,000
29	महिला चिकित्सालय, पौड़ीगढ़वाल	38,000
30	जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी	1,16,000
31	जिला चिकित्सालय, गोरखपुर	2,45,100
32	महिला चिकित्सालय, गोरखपुर	80,000
33	जिला चिकित्सालय, बस्ती	1,00,000
34	टी०बी० चिकित्सालय, बस्ती	1,00,000
35	जिला चिकित्सालय, देवरिया	93,000
36	जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर	2,00,000
37	महिला चिकित्सालय, कुशीनगर (जिला सहित)	2,00,000
38	महिला चिकित्सालय, देवरिया	75,000
39	जिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर	1,50,000
40	महिला चिकित्सालय, बाराबंकी	50,000
41	जिला चिकित्सालय, गोण्डा	1,50,000 (स्वीकृति)
42	महिला चिकित्सालय, मिर्जापुर	1,00,000
43	जिला चिकित्सालय, सीतापुर	1,00,000
44	वीरांगना झलकारीबाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ	50,000
45	जिला चिकित्सालय, रायबरेली	50,000
46	एस०बी०डी० चिकित्सालय, सहारनपुर	1,00,000
47	जिला चिकित्सालय, खीरी	91,300
48	एम०एम०जी०चिकित्सालय, गाजियाबाद	92,000
49	जिला चिकित्सालय, हरदोई	1,00,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
50	पी०एल०शर्मा चिकित्सालय, मेरठ	4,18,973
51	टी०बी० चिकित्सालय, ठाकुरगंज, लखनऊ	50,000
52	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ	1,38,000
53	टी०बी० सेनोटोरियम, सहारनपुर	1,00,000
54	महिला चिकित्सालय, सहारनपुर	1,00,000
55	बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ	2,00,000
56	महिला चिकित्सालय, एटा	50,000
57	जिला चिकित्सालय, महोबा	2,70,000
58	जिला चिकित्सालय, ललितपुर	1,00,000
59	जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़	1,50,000
60	महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़	33,000
61	जिला चिकित्सालय, हमीरपुर	1,00,000
62	महिला चिकित्सालय, वाराणसी	2,50,000
63	जिला चिकित्सालय, बांदा	50,000
64	महिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद	1,00,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक –II

वित्तीय वर्ष 1998–99 में जनपद/महिला चिकित्सालयों को वस्त्र बिस्तर मद में आवंटन

अनुदान संख्या–32

लेखा शीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य (आयोजनेत्तर)

01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें (पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति)

110–अस्पताल तथा औषधालय

04–एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय तथा औषधालय

अधिकारी/जनपद का नाम	वस्त्र बिस्तर
1 यू०एच०एम० चिकित्सालय, कानपुर	1,70,000
2 बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ	2,64,000
3 डा० एस०पी०एम० चिकित्सालय, लखनऊ	2,22,000
4 एस०एस०पी०जी० चिकित्सालय, वाराणसी	1,65,000
5 पी०एल० शर्मा चिकित्सालय, मेरठ	99,000
6 जिला चिकित्सालय, गोरखपुर	99,000
7 ,, ,, फैजाबाद	85,000
8 ,, ,, बरेली	1,05,000
9 ,, ,, मुरादाबाद	71,000
10 ,, ,, आगरा	42,000
11 ,, ,, अलीगढ़	94,000
12 ,, ,, मथुरा	28,000
13 ,, ,, मैनपुरी	31,000
14 ,, ,, इटावा	40,000
15 ,, ,, फतेहपुर	45,000
16 ,, ,, फतेहगढ़	45,000
17 ,, ,, आजमगढ़	65,000
18 ,, ,, बस्ती	2,13,000
19 ,, ,, एटा	37,000
20 ,, ,, देवरिया	1,07,000
21 ,, ,, बहराइच	82,000
22 ,, ,, बाराबंकी	59,000
23 ,, ,, गोण्डा	2,18,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अधिकारी/जनपद का नाम			वस्त्र बिस्तर
24 जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़			76,000
25 ,,	,,	सुल्तानपुर	59,000
26 ,,	,,	बलिया	62,000
27 ,,	,,	गाजीपुर	60,000
28 ,,	,,	जौनपुर	65,000
29 ,,	,,	मिर्जापुर	66,000
30 ,,	,,	बांदा	37,000
31 ,,	,,	हमीरपुर	28,000
32 ,,	,,	जालौन	66,000
33 ,,	,,	झांसी	65,000
34 ,,	,,	ललितपुर	31,000
35 ,,	,,	बदायूं	78,000
36 ,,	,,	पीलीभीत	31,000
37 ,,	,,	शाहजहांपुर	37,000
38 ,,	,,	बिजनौर	39,000
39 ,,	,,	रामपुर	59,000
40 ,,	,,	बुलन्दशहर	59,000
41 ,,	,,	गाजियाबाद	2,34,000
42 ,,	,,	मुजफ्फरनगर	62,000
43 ,,	,,	सहारनपुर	97,000
44 ,,	,,	हरदोई	74,000
45 ,,	,,	खीरी	59,000
46 ,,	,,	रायबरेली	79,000
47 ,,	,,	सीतापुर	85,000
48 ,,	,,	उन्नाव	40,000
49 ,,	,,	नैनीताल	25,000
50 ,,	,,	अल्मोड़ा	31,000
51 ,,	,,	पिथौरागढ़	3,000
52 ,,	,,	टेहरी	20,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अधिकारी/जनपद का नाम	वस्त्र बिस्तर
53 जिला चिकित्सालय, पौड़ी	62,000
54 ,, ,, देहरादून	98,000
55 ,, ,, हरिद्वार	42,000
56 ,, ,, फिरोजाबाद	72,000
57 ,, ,, चमोली	23,000
58 ,, ,, उत्तरकाशी	34,000
59 ,, ,, सोनभद्र	60,000
60 ,, ,, सिद्धार्थनगर	28,000
61 ,, ,, महराजगंज	15,000
62 ,, ,, मऊ	31,000
63 ,, ,, पडरौना	51,000
64 ,, ,, भदोही	72,000
65 एम०एल०एन० चिकित्सालय, इलाहाबाद	1,56,000
66 टी० बी० सप्रू चिकित्सालय, इलाहाबाद	2,56,000
67 महिला चिकित्सालय, हजरतगंज, लखनऊ	25,000
68 महिला चिकित्सालय, गोलागंज, लखनऊ	1,05,000
69 महिला चिकित्सालय, आगरा	1,33,000
70 ,, ,, मेरठ	45,000
71 ,, ,, बरेली	31,000
72 ,, ,, गोरखपुर	82,000
73 ,, ,, इलाहाबाद	59,000
74 ,, ,, मुरादाबाद	31,000
75 ,, ,, फैजाबाद	59,000
76 ,, ,, वाराणसी	88,000
77 ,, ,, कानपुर	85,000
78 ,, ,, अलीगढ़	45,000
79 ,, ,, मथुरा	31,000
80 महिला चिकित्सालय, बस्ती	45,000
81 ,, ,, बहराइच	37,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अधिकारी/जनपद का नाम			वस्त्र बिस्तर
82 महिला चिकित्सालय, बाराबंकी			25,000
83 ,,	,,	गोण्डा	54,000
84 ,,	,,	प्रतापगढ़	25,000
85 ,,	,,	सुल्तानपुर	31,000
86 ,,	,,	देवरिया	80,000
87 ,,	,,	जौनपुर	45,000
88 ,,	,,	झांसी	20,000
89 ,,	,,	बदायूं	31,000
90 ,,	,,	शाहजहांपुर	20,000
91 ,,	,,	बुलन्दशहर	25,000
92 ,,	,,	गाजियाबाद	25,000
93 ,,	,,	मुजफ्फरनगर	42,000
94 ,,	,,	सहारनपुर	45,000
95 ,,	,,	खीरी	30,000
96 ,,	,,	रायबरेली	28,000
97 ,,	,,	सीतापुर	54,000
98 ,,	,,	उन्नाव	28,000
99 ,,	,,	नैनीताल	23,000
100 ,,	,,	अल्मोड़ा	28,000
101 ,,	,,	देहरादून	45,000
102 ,,	,,	मिर्जापुर	56,000
103 ,,	,,	एटा	14,000
104 ,,	,,	मैनपुरी	12,000
105 ,,	,,	इटावा	20,000
106 ,,	,,	फतेहपुर	12,000
107 ,,	,,	फतेहगढ़	31,000
108 ,,	,,	आजमगढ़	31,000
109 ,,	,,	बलिया	25,000
110 ,,	,,	गाजीपुर	40,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अधिकारी/जनपद का नाम		वस्त्र बिस्तर
111	महिला चिकित्सालय, बांदा	13,000
112	,, ,, हमीरपुर	12,000
113	,, ,, जालौन	20,000
114	,, ,, ललितपुर	12,000
115	,, ,, पीलीभीत	20,000
116	,, ,, बिजनौर	17,000
117	,, ,, रामपुर	25,000
118	,, ,, हरदोई	23,000
119	,, ,, फिरोजाबाद	12,000
120	,, ,, हरिद्वार	09,000
121	,, ,, पिथौरागढ़	17,000
122	,, ,, पौड़ी	12,000
123	मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद	1,72,000
124	,, ,, कानपुर नगर	15,000
125	,, ,, नैनीताल	1,04,000
126	,, ,, लखनऊ	1,39,000
127	,, ,, बुलन्दशहर	1,08,000
128	,, ,, मेरठ	93,000
129	,, ,, वाराणसी	1,54,000
130	मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी	2,33,000
131	मानसिक चिकित्सालय, बरेली	1,64,000
132	टी०बी० चिकित्सालय, ठाकुरगंज, लखनऊ	40,000
133	,, चिकित्सालय, फाफामऊ, इलाहाबाद	76,000
134	,, चिकित्सालय, बस्ती	42,000
135	,, ,, जौनपुर	17,000
136	,, ,, इटावा	17,000
137	,, ,, हरिद्वार	17,000
138	टी०बी० सेनेटोरियम, सहारनपुर	28,000
139	एल०बी०एस० चिकित्सालय, रामनगर, वाराणसी	57,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अधिकारी/जनपद का नाम		वस्त्र बिस्तर
140	एम०डी० नेत्र चिकित्सालय, इलाहाबाद	90,000
141	के०ई०एच० चिकित्सालय, लखनऊ	9,000
142	बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा	56,000
143	के०पी०एस० चिकित्सालय, कानपुर नगर	25,000
144	आई०डी०एच० चिकित्सालय, लखनऊ	28,000
145	आई० डी०एच० चिकित्सालय, हरिद्वार	11,000
146	सिविल अस्पताल, महानगर, लखनऊ	75,000
147	सचिवालय डिस्पेंसरी, लखनऊ	—
148	कारोनेशन चिकित्सालय, देहरादून	20,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 93 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 61 पर ।)

अतारांकित प्रश्न संख्या–93 का संलग्नक

सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1998-99 में स्वीकृत सड़कों की सूची

विकास खण्ड–मैनपुरी

क्र०सं०	कार्य का नाम
1	मैनपुरी–कुरावली मार्ग से लहोरीपुरा
2	मैनपुरी–कुरावली मार्ग से श्रृंगास्पुरा
3	मैनपुरी–संग्रोधा मार्ग से भैरो वाला मन्दिर
4	कुचेला मार्ग से लालपुर
5	ककरिया तिराहे से करन्दपुर
6	घटरौली से न० पुनी
7	शिक्षा सदन इण्टर कालेज से कुचेला
8	कुचेला मार्ग से नगला भूरी
9	उलैया से कपूरपुर
10	मैनपुरी–उटावा मार्ग से जसवन्तपुरी
11	सिंहपुर के पुल से जगतपुर नगरिया का शेष भाग
12	रतिभानपुर के पुल से सहकारी समिति तक
13	टिण्डौली बरौली से नगला सकरी मार्ग
14	हलपुरा से मुकुन्दपुर

विकास खण्ड–कुरावली

क्र०सं०	कार्य का नाम
1	जी०टी० रोड कुरावली से जमलापुर
2	कुंवरपुर सहादतपुर मार्ग
3	बेलाहार से मिढावली
4	कुरावली रोड से रुस्तमपुर
5	बल्लमपुर इण्टर कालेज से अन्तपुर
6	अन्तपुर के मोड़ से वनवटिया की पुलिया से ग्राम दूल्हापुर तक
7	अचलपुर से अन्तपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विकास खण्ड—बरनाहल

क्र०सं०	कार्य का नाम
1	दलेलपुर नगर से सरन्देश नगर
2	बरनाहल बहसी मार्ग से नगला शोभा
3	करहल घिरोर मार्ग से सुनूपुर
4	दिहुकी से नगला बुधुआ
5	उर्थान हविलिया से बमटापुर न० माड़ा
6	बरनाहल रोड पर ग्राम हकीमपुर तक
7	करहल घिरोर मार्ग से नगला पाती
8	बघेरा मीठेपुर मार्ग पर न० प्रेमी से असपुरा

विकास खण्ड—करहल

क्र०सं०	कार्य का नाम
1	निनौली से ग्राम पुड़री टोकर सहन तरसऊ
2	किरथुआ मोहब्बतपुर मार्ग से न० कथूले
3	किरथुआ मोहब्बतपुर मार्ग से कुदैया
4	अल्लीपुर से खुशालपुर
5	मैनपुरी घुसूपुर मार्ग पर जोराई से घुसूपुर
6	नसीरपुर से सौंज मार्ग का शेष भाग
7	मैनपुरी इटावा मार्ग से भटुआ
8	करहल घिरोर मार्ग से नाकऊ
9	करहल किशनी मार्ग से नगरिया सरा होकर गुवरिया तक
10	बुधिया निनौली मार्ग से न० सभा
11	निनौली मार्ग से श्रीधर
12	भोड़ा से ढकपुरा सोज माइनर
13	नगला सुखी से बसंक पुल तक
14	करहल किशनी मार्ग से देवकली कोडर मार्ग

विकास खण्ड—सुल्तानगंज

क्र०सं०	कार्य का नाम
1	छाछा से जगतपुरा
2	बलारपुर से नगला कांकन बाया भोजपुर मार्ग
3	स्वर्ण जयन्ती ग्राम नगला भितकर
4	रूई सिनौरा से उस्मानपुर
5	मैनपुरी भोगांव मार्ग पर न० चुन्नी से शंकरपुर होता हुआ रामनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विकास खण्ड—सुल्तानगंज

क्र०सं०	कार्य का नाम
6	मैनपुरी बीलों रोड से ग्राम अहिरवा रामनगर वाया न० लहू
7	जी० टी० रोड भोगांव से न० मानसांह
8	नगला मानसिंह से गनी मोहम्मद कामजार तक
9	सुन्नामई से सोहनमार्ग
10	सहारा से तेजपुरा (डवटेल)
11	विदवां से हन्नूखेड़ा मार्ग से तेजपुरा (डवटेल)
12	जरामई रोड से जैन खां
13	दिवनपुर चौधरी मार्ग का शेष भाग
14	बेवर ब्रान्च से देवीपुर
15	अलीगंज खालीपुर खेड़ा मार्ग पर ग्राम वरधनियां के सामने बारखेड़ा
16	जमथरी में शहीद स्मारक मनोज कुमार वीर स्थल तक

विकास खण्ड—बेवर

क्र०सं०	कार्य का नाम
1	ग्राम जसराजपुर के लिए मार्ग
2	जोगा से नगला बखोरी
3	सोवनपुर मौजा परौखा मार्ग पर
4	मोटा रोड हजारा से जुडेला
5	स्वर्ण जयन्ती ग्राम टोडरपुर मार्ग (मुड़ई से टोडरपुर)
6	सोवनपुर मौजा परोखा का छूटा भाग
7	मुड़ई से कमलपुर
8	रजवाना जतनपुर नहर पुल से होता हुआ रकमी बम्बा तक
9	कूड़ी जासनई मार्ग पर नगधरी तक
10	मधुकरपुर मार्ग से रहूपुरा मार्ग

विकास खण्ड—जागीर

क्र०सं०	कार्य का नाम
1	टिकसुरी रोड से बबरेटा फरीदपुर श्रोड
2	रतनपुरवरा पुलिस चौकी से म्यौरा
3	रतनपुर वरा से वीरमपुर खुर्द
4	मैनपुरी—कुसपरा मार्ग से औंग सम्पर्क मार्ग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विकास खण्ड—जागीर

क्र०सं०	कार्य का नाम
5	भावत किशनी मार्ग से भीखपुरा
6	सड़क से मलूपुर तक
7	मैनपुरी किशनी मार्ग से लेखराजपुर बाजार तक

विकास खण्ड—किशनी

क्र०सं०	कार्य का नाम
1	समान करहल रोड से अम्बेडकर ग्राम पहाड़पुर
2	कुरसण्डा से नगला कले
3	रामशेरगंज मार्ग से गायनपुर से बसैत वाया चन्दरपुर
4	मीरपुर विशुनगढ़ मार्ग से अर्जुनपुर हरीपुर का शेष भाग
5	तरिहा रामनगर पुल से नहर पटरी ग्राम मोहम्मदपुर सठियावां
6	मीरपुर से सुभाष जनता विद्यालय एवं कुम्हाल मार्ग तक
7	महिगवां से नगरिया
8	इटावा बेवर मार्ग से खरगपुर नगरिया वाया खरसारा
9	मैनपुरी कुसपरा मार्ग से कमलनेर से लालपुर न० तारा
10	सबापुर से नगला बरता सम्पर्क मार्ग
11	सकराया पालन अड्डा मार्ग से बड़ेपुर वाया मिधिया सम्पर्क मार्ग

विकास खण्ड—घिरौर

क्र०सं०	कार्य का नाम
1	ओंछा जलराना मार्ग पुल से हरिजन बस्ती
2	बादशाहपुर से नगला हरी सिंह
3	पचावर पुल से अल्लापुर तक
4	घिरौर जलराना मार्ग से फत्ते खां होकर शाजहांपुर तक
5	कनेगी से नगला झील मार्ग
6	कीरतपुर नवाटेड़ा मार्ग से उधन्ना
7	मैनपुरी—ओंछा मार्ग से रम्पुरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 174 का उत्तर पीछे पृष्ठ 92 पर)

श्री आर० के० सिंह पटेल मा० सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 174 से संबंधित सूचना

क्रमांक	गांव	जिला	स्वयं सेवी संस्था का नाम व पता	गांव में किये जाने वाले कार्यों का विवरण	नियोजन चरण के अन्तर्गत धनराशि का भुगतान	क्रियान्वयन चरण के अन्तर्गत भुगतान	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
बैच 1 : नियोजन चरण का कार्य अक्टूबर, 1997 में पूर्ण हो चुका है एवं क्रियान्वयन चरण का कार्य प्रगति पर है ।							
1	बरवारा	चित्रकूट	वनांगना द्वारिका कालोनी कर्वी, बांदा	गांव में ओवरहैड टैंक का निर्माण कार्य चल रहा है एवं पम्प के द्वारा वर्तमान में सीधे ही पानी की आपूर्ति की जा रही है । 45 शौचालय में 18 पूर्ण हो चुके हैं तथा 27 निर्माणाधीन हैं ।	4,32,067	12,84,548	17,16,615

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बैच 2 : नियोजन चरण का कार्य 1998-99 में पूर्ण होने के उपरान्त क्रियान्वयन चरण का प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ हो चुका है ।

1	बांधा	चित्रकूट	ग्रामीण विकास केन्द्र रैयपुरा, कर्वी, बांदा	ट्यूबवेल बोरिंग हेतु सामग्रियों के क्रय का कार्य ग्रामीण समुदाय एवं संस्था द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है । 10 शौचालय भी निर्माणाधीन है ।	2,01,397	5,39,434	7,40,831
2	मगरहाई	चित्रकूट	तदैव	हैण्डपम्प लगाने हेतु सामग्रियों के क्रय का कार्य ग्रामीण समुदाय एवं संस्था द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है । 10 शौचालय भी निर्माणाधीन हैं ।	2,01,397	2,73,160	4,74,557
3	रेवाड़ी	चित्रकूट	तदैव	कुएं की खुदाई का कार्य प्रारम्भ हो चुका है एवं 3 मी० तक खुदाई कार्य पूर्ण हो चुका है ।	2,01,397	1,42,891	3,44,288
4	छेरिया खुर्द	चित्रकूट	वनांगना, द्वारिका कालोनी कर्वी, बांदा	निर्माण सामग्रियों के क्रय का कार्य समुदाय एवं संस्था द्वारा प्रारम्भ हो चुका है ।	2,49,787	3,75,947	6,25,734
5	पथरामानी	चित्रकूट	तदैव	निर्माण सामग्रियों के क्रय का कार्य समुदाय एवं संस्था द्वारा प्रारम्भ हो चुका है ।	2,49,787	3,50,374	6,00,161
6	ऊंचाडीह	चित्रकूट	तदैव	नियोजन चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है ।	2,49,787	4,67,003	7,16,790

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
बैच 3							
1	सरैया सादर	चित्रकूट	ग्रामीण विकास केन्द्र रैपुरा कर्वी बांदा	उपरोक्त सभी ग्रामों में परिवार सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने के साथ-साथ सचल परियोजना की जानकारी ग्रामीण समुदाय को विस्तृत रूप से की जा चुकी है। वर्तमान में स्वास्थ्य पर सर्वेक्षण एवं ग्राम पेयजल पर स्वच्छता समिति गठन का कार्य अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य जागरुकता पर स्वंय सहायता समूह गठन का कार्य चल रहा है।	87,141	—	87,141
2	सन्देवरा	चित्रकूट	तदैव	—	87,141	—	87,141
3	रसौली	चित्रकूट	तदैव	—	87,141	—	87,141
4	रामपुरा	चित्रकूट	तदैव	—	87,141	—	87,141
5	उपरौली	चित्रकूट	तदैव	—	87,141	—	87,141
6	तेन्दुवा माफी	चित्रकूट	तदैव	—	87,141	—	87,141
7	चुकनवई	चित्रकूट	तदैव	—	87,141	—	87,141
8	लुधोवरा बरेठी	चित्रकूट	तदैव	—	87,141	—	87,141
9	बेरिया	चित्रकूट	तदैव	—	87,141	—	87,141

उत्तर प्रदेश विधान सभा

10	सिमरिया जगन्नाथ वासी	चित्रकूट	सर्वोदय सेवा आश्रम, सर्वोदय ग्राम, बेदी पुलिया, चित्रकूट	—	1,21,131	—	1,21,131
11	दरसेन्डा	चित्रकूट	तदैव	—	1,21,131	—	1,21,131
				महायोग :	28,12,150	34,33,357	62,45,507

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 170 विधान सभा (314)–1999 813 (डी०टी०पी०) ।